



कोपाटकिन के सुयोग्य अग्रज एलेरैण्डर

क्रांति की भावना

[समाज की नवीन रचना पर मौलिक विचार]

सौ० श्री मोतीदेवी सरावगी
(धर्मपत्नी श्री धर्मचंद सरावगी)



द्वारा

अतिशय क्षेत्र महावीरजी के
श्री महावीर दिं० जैन वाचनालय
को
सादर भेंट

१९५६

मुद्रणालय अकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहली बार • १९५६

मूल्य
अढाई रुपये

प्रकाशकीय

भारतीय पाठक प्रिस क्रोपाटकिन के नाम से भली प्रकार परिचित है। वह रूस के एक महान् क्रान्तिकारी विचारक थे। उनकी कई पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 'रोटी का सवाल' तथा 'नवयुवकों से दो बातें' को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। क्रोपाटकिन के विचार मौलिक होने के साथ-साथ बड़े ही क्रान्तिकारी भी थे। वह स्वयं उच्च कोटि के क्रान्तिकारी थे, यद्यपि वे अहिंसावादी नहीं थे तथापि वह निरर्थक हिसात्मक तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास नहीं करते थे। वे विचारों में क्रान्ति चाहते थे और ऐसे समाज की रचना करने के अभिलाषी थे, जिसमें कोई किसीका शोषण न करे, सब प्रेम-भाव से रहे, और प्रत्येक नागरिक स्वावलम्बी बनकर पारस्परिक सहयोग द्वारा अपना जीवन-यापन करे। वे साधनों की पवित्रता पर भी जोर देते थे। वह यह भी चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वतन्त्र हो और कोई भी छोटा-बड़ा आदमी दूसरे के इशारे पर न नाचे। उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'सघ' या 'सहयोग' (म्यूचुअल एड) की गणना ससार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में की जाती है।

इस पुस्तक में कई आवश्यक विषयों पर उनके विचार दिये गए हैं। उन्हे पढ़कर पाठक एक नई दृष्टि पायगे, ऐसी आशा है।

पुस्तक के कुछ लेखों का अनुवाद स्व० ब्रजभोहन वर्मा ने किया था, शेष का श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, श्री सत्य भवत तथा श्री बुद्धिप्रकाश ने। 'सवका सुख' नामक अध्याय श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय द्वारा अनुवादित 'रोटी का सवाल' से उद्धृत किया गया है।

हमे आशा है कि इस पुस्तक के उपयोगी विचारों का व्यापक प्रसार होगा।

मंत्री

भूमिका

“हम लोग रुसी क्रांति के मार्ग को बदलने में असमर्थ हैं, जबतक कि यह अपना खात्मा खुद ही न कर ले; और होगा भी यही। यह अपने को स्वयं ही समाप्त कर डालेगी। उसके बाद प्रतिक्रिया की लहर आयगी। संसार के इतिहास में सदा से ऐसा होता आया है। लोग समझते हैं कि हम क्रान्तियों के विकास के मार्ग को बदल सकते हैं। यह छोकरेपन से भरा हुआ भ्रम है। क्रांति में वह अदम्य शक्ति है कि उसके विकास का क्रम बदला नहीं जा सकता, पर उसके बाद प्रतिक्रिया का आना उतना ही अनिवार्य है, जितना ऊँची लहरों के बैं जाने पर पानी का पीछे हटना, अथवा सरगर्मी से भेहनत करने के बाद शारीरिक थकान का होना।”

ये शब्द ओपाटकिन ने अपने २८ अप्रैल सन् १९१९ को पश्चिमी यूरोप के भज्जूरों के नाम पत्र के रूप में लिखे थे, और आज ३७ वर्ष बाद क्रान्ति की जो प्रतिक्रिया रुस में हो रही है, उसे देखते हुए उनके उपर्युक्त विचार भविष्यवाणी के रूप में ग्रहण किये जा सकते हैं। आगे चलकर ओपाटकिन ने बतलाया था—“क्रान्ति को रोकने की कल्पना विलकुल फालतू है। क्रान्ति अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगी और उस मार्ग पर जायगी, जहा उसे कम-से-कम वाधा मिले। हम लोगों के प्रयत्न की वह कुछ भी परवाह न करेंगे। इस वक्त बात यह है कि रुसी क्रान्ति भयंकर अनाचार कर रही है और सारे देश को तबाह कर रही है। अपने पागलपन से भरे ओय में वह मनुष्यों का कल्प कर रही है, पर्योक्ति आदि वह क्रान्ति है, कोई शान्तिमय उत्तरि नहीं। हम उसके सामने शक्तिहीन हैं। लोग बहपना करते हैं कि वे क्रान्ति के दौर को बदल सकते हैं। पर यह प्रामाण्याली है।”

इसके बाल भर बाद उन्होंने एमा गोर्डमेन नामक अराजकादादी

महिला से कहा था — “कम्यूनिस्ट लोग केन्द्रीय सरकार में अमिट विश्वास नहीं रखते हैं, और इसलिए यह अनिवार्य है कि ये खसी क्रान्ति को गलत रास्ते पर ले जायं। उनका मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति को अपने हाथों में ले लेना है, और इसलिए वे साम्यवाद के लिए वैसे ही खतरनाक बन गए हैं, जैसे ईसाई-धर्म के लिए जैसुइट सम्प्रदाय के पादरी थे, यानी उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए भले-बुरे चाहे जैसे भी उपाय काम में लाये जा सकते हैं। इन कम्यूनिस्टों के तौर-तरीकों से जनता की शक्ति को लकड़ा मार गया है और सर्वसाधारण आतंक के कारण भयभीत हो गए हैं; लेकिन एक बात ध्रुव-निश्चित है, और वह यह कि बिना जनता की सहायता के, बिना किसान-मजदूरों के सीधे सह-योग के, देश में कोई भी रचनात्मक काम, कोई भी पुनर्निर्माण सम्बन्धी आवश्यक कार्य सफल हो ही नहीं सकता।”

क्रोपाटकिन आदर्शवादी व्यक्ति थे, पर उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक था। वह जानते थे कि करोड़ो छोटे-बड़े कारणों से क्रान्तियों का प्रादुर्भाव होता है और इक्के-हुक्के आदमियों या समूहों की उसके सामने कोई भी बिसात नहीं। क्या भूकम्प या आंधी-तूफान का कोई मुकाबला किया जा सकता है? पर इसके साथ ही क्रोपाटकिन भविष्य के द्रष्टा भी थे। वे दूर की बात देख सकते थे। वे कोरमकोर सिद्धान्तवादी नहीं थे। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों की खस विरोधी नीति का प्रबल विरोध किया था, यद्यपि उनके तथा लेनिन की सरकार के विचारों में काफी अन्तर था।

क्रोपाटकिन की क्रान्तिकारी पुस्तिकाओं का संग्रह अंग्रेजी में पहले-पहल सन् १९२८ में न्यूयार्क के ‘वैनगार्ड प्रेस’ से प्रकाशित हुआ था, पर उसके पूर्व भी वे लाखों की संख्या में यूरोप की अनेक भाषाओं में छप चुकी थीं और वितरित हो चुकी थीं। चीनी और जापानी भाषाओं में भी उनका अनुवाद हुआ था। हमें अच्छी तरह याद है कि सन् १९२०-२१ के आन्दोलन के दिनों में क्रोपाटकिन की पामफ्लेट ‘एन एपील टू दि या’ बम्बई में छपी थी और उसके आठ-नौ वर्ष बाद हमने उसका अनुवाद

‘नवयुवकों से दो बातें’ के नाम से बन्धुवर सत्यभक्तजी से करा कर ‘विशाल भारत’ में प्रकाशित कराया था। तत्पश्चात् कलकत्ता के खादी भंडार ने उसको कई सहस्र प्रतियाँ छपाईं और अब ‘सत्ता साहित्य मंडल’ के द्वारा भी यह पुस्तिका निरन्तर छपती रही है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह पुस्तिका सन् १८८० में ‘ली रिवोल्टे’ कांति नामक फ्रांसीसी पत्र में छपी थी और आज ७६ वर्ष बाद भी वह ज्यो-की-त्यों सजीव है, ताजा है !

एक बात खास तौरपर ध्यान देने योग्य है और वह यह कि सर्वोदय तथा अराजकवाद की विचारधाराओं में बहुत-कुछ साम्य है और समय की गति ने उन दोनों को और भी निकट ला दिया है। साधनों की पवित्रता पर तो क्रोपाटकिन पहले ही जोर देते आ रहे थे, पर हिंसा-अहिंसा के विषय में उनके विचार महात्माजी के विचारों से कुछ भिन्न थे। हर्ष और सन्तोष की बात है कि अणुबम के युग ने वह भेद भी दूर कर दिया है। क्रोपाटकिन के अनेक भक्त अब अहिंसा की उपयोगिता को भलीभांति समझने लगे हैं। प्रिस क्रोपाटकिन के जीवन-चरित ‘दि एनारकिस्ट प्रिस’ के लेखकों ने लिखा है :

“The only choice left to us is a society-based not on organised violence, but on peaceful understanding; not on the State, but on a decentralised network of voluntary cooperation.”

अर्थात्—“हम लोगों के लिए केवल एक ही रास्ता बाकी रह गया है—यानी हम एक ऐसी समाज-व्यवस्था का समर्थन करें, जो संगठित हिंसा के बजाय शांतिमय समझौते के आधार पर कायम हो—जिसका आधार ‘राज्य’ के बजाय स्वेच्छापूर्ण सहयोग हो—यानी विकेन्द्रित सहकारी समितियों का एक जाल।” दूसरे शब्दों में इसे हम सर्वोदय ही कह सकते हैं।

सर हरवर्ड रीड ने भी अपनी पुस्तक ‘एनार्की एण्ड ऑडर’ (अराजकता और व्यवस्था) की भूमिका में लिखा है :

“एटम वम के युग में किसी अराजकवादी के लिए फ्रातिकारी

वास्तविकता इसी बात में है कि वह शांतिसंय उपायों का समर्थन करे। बस तो अब तानाशाही सरकारों का चिह्न बन गया है, वह अराजकवादियों का अस्त्र नहीं रहा।”

हरवर्ट रीड का कहना है कि हमारे उद्देश्य की सिद्धि अत्याचारियों से प्रेम करने से ही हो सकती है—विधातक हाथों को छूमने से !

ओपाटकिन आतंकवाद (टेररिज्म) के समर्थक नहीं थे। उन्होंने एक अराजकवादी पत्र के विषय में लिखा था कि आतंकवाद का समर्थन मूर्खतापूर्ण है। जब उस पत्र ने आतंकवाद के पक्ष में एक लेख छापा था तो ओपाटकिन ने लिखा, “वह लेख मुझे बहुत ही बुरा लगा।” सन् १८९६ में उन्होंने अपने एक मित्र रोबिन को लिखा था :

“ I cannot continue any longer living entirely by my pen, I sink under the load, whereas if I went over to market gardening and planting of corn, I could give real teaching.”

अर्थात्—“अब मैं केवल अपनी लेखनी के द्वारा ही जीविका उपार्जन नहीं कर सकता। उसके बोझ के मारे मैं दबा जाता हूँ, लेकिन अगर मैं बाग-बगीचे की चीजें, साग-भाजी फल-फलैरी, पैदा करता और अनाज उगाता, तो दर-बसल कुछ सिखा सकता।” ओपाटकिन के इस पत्र की तुलना कीजिए महात्मा गांधी के उस पत्र से, जो उन्होंने पडित तोतारामजी सनाद्य को सन् १९३३ में लिखा था :

“विवरण (खेती का) दुबारा पढ़ लूँगा। मेरी आकाशा तो यह है कि हम इतने फल और इतनी भाजी पैदा करें जो हमारे लिए पर्याप्त हो। यदि गोमाता के लिए भी धास आदि पैदा करें और अथर्ववेद के लिए अनाज तो खेती के पूर्ण आदर्श को हम पहुँचें। इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च भी हुआ तो भी मैं उसको सफल समझूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब मूर्ख का बकवाद है। खेती का काम सबसे कम किया और बाते सबसे मैंने इस बारे में ज्यादा

को है। क्या करूँ? खत्ती उन्हीं चीजों में से हैं जो करने का खयाल मुझको आधी आयु बीतने पर आया।”

द्या ही अच्छा हो यदि समाज-शास्त्र के कोई विशेषज्ञ इन दोनों महानु-भावो—क्रोपाटकिन तथा गांधीजी—के जीवन तथा विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक निबन्ध लिखें! भावी समाज-व्यवस्था के आधार-स्तम्भों का निर्माण करनेवाली इन दोनों विभूतियों का विचार-साम्य सचमुच आश्चर्यजनक है।

हमें इस बात का खेद ह कि क्रोपाटकिन की सर्वोत्तम पासफलेट ‘मॉडर्न साइंस एण्ड एनार्किज्म’ (आधुनिक विज्ञान और अराजकवाद) का अनुवाद हम इस पुस्तक में नहीं दे सके। वह तो अपने में पूर्ण एक पुस्तिका ही है और उसे हम अलग ही छपाना चाहते हैं।

क्रोपाटकिन के विचारों का मूल्य इसलिए और भी बढ़ जाता है कि उन्होंने तदनुसार रहने का भरपूर प्रयत्न किया। यद्यपि आज उनके सिद्धान्त अव्यावहारिक से प्रतीत होते हैं, संसार में केन्द्रीकरण तथा शासन के सिद्धांतों की विजय दीख पड़ती है, तथापि यह विजय चिरस्थायी नहीं कही जा सकती। जब ३९ वर्ष की तानाशाही के बाद स्वयं रूस में उस विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई है, तो अन्य देशों के बारे में तो कहना ही क्या है! मानव-जीवन के इतिहास में एक युग के बाद दूसरा युग आता है। भिन्न-भिन्न देशों को प्रायः उन्हीं युगों में से गुजरना पड़ता है। मानव-शरीर की अनेक व्याधियों की तरह शासन भी चेचक या खसरे की तरह की एक बीमारी ही है, और यदि करोड़ों वर्ष के मानव-जीवन में दो-चार हजार वर्ष शासन रूपी बीमारी में व्यतीत हो गए, तो उससे हमें कुछ आश्चर्य न होना चाहिए। पर अब मनुष्यों की विचारधारा स्वस्थता की ओर बढ़ रही है। विचारों की स्वाधीनता तथा पारस्परिक सहयोग, विकेन्द्रीकरण और स्वेच्छा-पूर्ण संघ-निर्माण के सिद्धान्त अब अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

सुना है, मधूरभंज राज्य में एक शिलालेख पाया गया है, जिसमें लिखा है:

‘राज्य वै वैराज्याय’

प्रिंस क्रोपाटकिन : रेखा-चित्र

“जनाव ब्लादीमीर इलियच (लेनिन), जब आपकी आकाशा तो यह है कि हम एक नवीन सत्य के मसीहा बने और नवीन राज्य के संस्थापक, तो फिर आप किस प्रकार ऐसे बीभत्स सरकारी अनाचारों और गैर-मुनासिब सरकारी तौर-तरीकों को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, जैसे कि किसी अपराध के लिए अपराधी के नाते-रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेना? इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जारशाही के विचारों से चिपके हुए हैं। पर शायद उन निरपराध आदमियों को पकड़कर आप अपनी जान की रक्षा करना चाहते हैं। क्या आप इतने अन्धे हो गये हैं और अपनी तानाशाही के विचारों के इतने गुलाम बन गये हैं कि आपको यह बात नहीं सूझती कि आप जैसे धूरोपियन साम्यवाद के अग्रणी के लिए यह कार्य (लज्जाजनक तरीकों द्वारा निरपराधों की गिरफ्तारी) सर्वथा अनधिकार चेष्टा है? आपका यह काम भयकर रूप से त्रुटिपूर्ण तो है ही, बल्कि उससे यह भी प्रकट होता है कि आप मृत्यु से डरते हैं, जो सर्वथा तर्क-विहीन बात है। उस साम्यवाद के विषय में क्या कहा जाय, जिसका एक महत्वपूर्ण रक्षक इस प्रकार ईमानदारी की प्रत्येक भावना को पैरोंतले कुचलता है?”

यह है उस महत्वपूर्ण पत्र का एक अंश, जिसे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में (अपनी मृत्यु से दो महीने पूर्व) क्रोपाटकिन ने लेनिन को लिखा था। लेनिन उन दिनों विश्वाल स्सी राज्य के निरकुश शासक थे और क्रोपाटकिन ४१ वर्ष के देश-निकाले के बाद चार वर्ष अपनी मातृभूमि के दमघोटू वातावरण में काटकर परलोकनामन की तैयारी कर रहे थे। इन घब्दों में उन्हींसबी और वीसवी शताब्दी के उस महापुरुष की आत्मा बोल रही है, जिसने कभी अन्याय के नाथ नमङ्गोता करना मुनासिब न समझा जिसने साथन और साध्य

दोनों की पवित्रता पर समान रूप से जोर दिया और जिसने ईमानदारी तथा अपरिग्रह का वह दृष्टात उपस्थित कर दिया, जिसकी मिसाल ससार के राजनैतिक कार्यकर्ताओं के इतिहास में दुर्लभ ही है।

जब केरेन्स्की ने क्रोपाटकिन से कहा—“आप हमारे सरकारी मन्त्रि-मडल में जिस किसी पद को चुन लीजिये, वही आपको अप्रित हो जायगा”, उस समय क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया था—“मंत्रित्व के कार्य की अपेक्षा तो मैं जूतों पर पालिश करनेवाले चमार का काम अधिक आदरणीय तथा उपयोगी मानता हूँ।” इसी प्रकार दस हजार रुबल की पेंशन के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया और जार के शीतकालीन महलों के निवास की सर्वथा उपेक्षा की। यह तो हुई लेनिन के पूर्व के शासकों के समय की बात; स्वयं साम्यवादी सरकार के शिक्षा-मन्त्री लूनाचरस्की ने जब क्रोपाटकिन को लिखा, “आप सरकार के ढाई लाख रुबल लेकर अपनी किताबों के छापने का अधिकार हमें दे दीजिये”, तो क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया—“मैंने तो कभी शासन से पैसा लिया नहीं और न अब ही सरकारी सहायता ग्रहण कर सकता हूँ।” यह उन दिनों की बात है, जब क्रोपाटकिन को वृद्धावस्था के अनुरूप पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था, जब उनके पास रोशनी की भी कमी थी और कोई सहायक भी नहीं था।

प्रश्न उठता है कि आदर्शवाद को पराकाष्ठा तक पहुँचा देनेवाले क्रोपाटकिन अपनी गुजर-वसर कैसे करते थे? देश-निकाले के ४१ वर्ष उन्होंने अपनी लेखनी के बल-बूते पर ही काट दिये। इसमें भी अराजकवादी लेखों से उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया। वे अत्यत उच्चकोटि के वैज्ञानिक थे और विज्ञान-सँवन्धी लेखों तथा टिप्पणियों से उन्हे कुछ मजदूरी मिल जाती थी। बड़ी सादगी के साथ उन्होंने अपने आत्म-चरित में लिखा है—“अगर रूस से पर्याप्त समाचार आ जाते अथवा वैज्ञानिक विषयों पर भी नोट स्वीकृत हो जाते, तो रोटी-चाय के साथ मख्लन भी मिल जाता था, नहीं तो रुखी रोटी पर ही गुजर करनी पड़ती थी।”

सुप्रभिद्व लेन्वा फैन्स हैरिस ने क्रोपाटकिन के इगलैण्ड के निवास के

दिनों के आतिथ्य का एक अच्छा शब्द-चित्र खीचा है—“क्रोपाटकिन की धर्मपत्नी सोफी भोजन तैयार कर रही है पति के लिए, छोटी-सी पुत्री के लिए और अपने लिए, कि इतने मे कोई अतिथि महोदय न-जाने कहा से आ टपके ! क्रोपाटकिन ने शीघ्र ही भीतर जाकर कहा—“सोफी, जरा साग मे थोड़ा पानी मिला देना ।” थोड़ी देर बाद एक और अतिथि देव पधारे और क्रोपाटकिन को फिर भीतर जाकर कहना पड़ा—“कुछ पानी और भी ।” इस प्रकार की क्रिया कई बार करनी पड़ती और सोफी को ढाई आदमियों के बजाय छ-सात आदमियों को भोजन कराना पड़ता । मेहमानदारी क्रोपाटकिन के अत्यत प्रिय सुणो मे से थी और कोई विल्कुल अजनवी आदमी भी उनके घर पर किसी सकोच को अनुभव न करता था ।”

सप्ताह मे अनेक राजनैतिक महापुरुष हुए हैं और होगे—पर मस्तिष्क की विशालता, हृदय की उदारता, चरित्र की स्वच्छता और जीवन की उच्चता के ख्याल से क्रोपाटकिन का दृष्टात प्राय अनुपम ही सिद्ध होगा । वैसे प्रारम्भिक तथा यीवन के वर्षों की दृष्टि से क्रोपाटकिन के जीवन का सर्वोत्तम वृत्तात तो उनके आत्म-चरित ‘मेमोइर्स आव ए रिवोल्यूशनिस्ट’ से ही मिल सकता है, पर वह ग्रथ सन् १८९८ तक का ही है और उसके बाद क्रोपाटकिन २३ वर्ष और जीवित रहे थे । इस कारण उनके एक विस्तृत जीवन-चरित की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति जार्ज बुडकोक और आइवन अवाकुमोविक नाम के दो ग्रथकारों ने की है । (प्रिस पीटर क्रोपाट-किन—प्रकाशक वोर्डमैन) ।

क्रोपाटकिन का जन्म सन् १८४२ मे हुआ और मृत्यु १९२१ मे । उनके जीवन-चरित मे तत्कालीन रूस का एक चलता-फिरता चित्र-सा दिखाई देता है । उनका आत्मचरित इतनी खूबी के साथ लिखा गया है कि उसे उन्नीसवी शताब्दी का सर्वोत्तम आत्मचरित कहा जाता है । क्रोपाटकिन का जीवन एकांगी न था, वह बहुअगीन था । क्रातिकारी अराजकवादी तो वे थे ही, पर साथ-ही-साथ समार के भूगोलवेत्ताओं में भी वे गिरोमणि थे और समाज-विज्ञान के भी जाने-माने आचार्य । रूस तथा यूरोप के सत्तर वर्ष के इतिहास

पर भी उनके जीवन से विशेष प्रभाव पड़ा है।

क्रोपाट्किन के इस जीवन-चरित को पढ़ते हुए हमें उनके और गाधीजी—इन दोनों महापुरुषों के जीवन तथा दृष्टिकोण में अद्भुत साम्य प्रतीत हुआ। साधनों की पवित्रता पर वे उतना ही ज़ोर देते थे, जितना कि महात्मा गाधी। मेरी गोल्ड स्मिथ नामक एक यहूदी अराजकवादी ने लिखा है—“जो भी नवयुवक क्रोपाट्किन से मिलने जाता था, उसका कथन वे बड़ी प्रेमपूर्ण मुस्कराहट और सौम्य भावना से सुनते थे, पर एक बात थी वह यह कि यद्यपि प्रत्येक ईमानदार तथा उत्साही युवक के प्रति उनका व्यवहार उदारतापूर्ण रहता था, तथापि साधनों के चुनाव के विषय में वे काफी कठोरता से काम लेते थे। प्रचार के कुछ ढगों को क्रोपाट्किन असह्य मानते थे। अनुचित साधनों का जिक्र करते हुए उनका स्वर कठोर हो जाता था और उनकी निन्दा विना किसी लगा-लेसी के होती थी। ‘चाहे जैसे बुरे-भले साधनों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति’ इस सिद्धात से उन्हें घोर धृणा थी और कोई भी प्रश्न हो—चाहे सगठन का, या रूपये एकत्रित करने का, या विरोधियों के प्रति व्यवहार का, या दूसरी पार्टियों के साथ सबध स्थापित करने का—अगर कोई साधनों की पवित्रता को नगण्य मानता, तो वे उसे नफरत की निगाहों से देखते थे और उसे निन्दनीय मानते थे।”

श्री जवाहरलालजी का कथन है कि ‘साधनों की पवित्रता’ पर जोर देकर महात्माजी ने राजनीति को बड़े ऊँचे धरातल पर ला दिया। ससार की राजनीति को यह उनका एक बड़ा दान था। इस विषय में क्रोपाट्किन उनके अग्रणी ही थे।

शिक्षा, कृपि, शारीरिक श्रम का महत्त्व और विकेन्द्रीकरण के सिद्धातों पर तो दोनों महापुरुषों के विचार विलक्षण नज़ुलते हैं। सन् १८९६ में जब टाइनसाइड के कुछ कार्यकर्ता एक कृपि-सघ कायम करके खेती बढ़ाना चाहते थे, क्रोपाट्किन ने उन्हें एक पत्र लिखकर प्रोत्साहित किया था और साथ ही भार्ग की वाधाओं के विषय में भी आगाह कर दिया था। उन्होंने बतलाया था कि छोटे समूह में अक्सर झगड़े उठ सकते हैं, शहरी कार्यकर्ताओं के

लिए भूमि पर काम करना मुश्किल हो जाता है। पूँजी की कमी का खतरा अलग रहता है और सन्यासीपन की भावना गलत रास्ते पर ले जाती है। इसके बाद उन्होंने लिखा था—“यदि कृषि का कार्य तुमको आकर्षक लगता है तो उसीको ग्रहण करो। तुम्हे उसमें अपने पहले के आदमियों की अपेक्षा सफलता की आज्ञा अधिक है। कम-से-कम तुम्हे सहानुभूति मिलेगी ही और मेरी सद्भावना तो बराबर तुम्हारे साथ रहेगी।”

क्रोपाटकिन ने कृषि के विषय में भी अनुसधान किये थे। जब वह फासीसी जेल में थे, तो सरकार ने उन्हे अपने कृषि-सबधी प्रयोगों के लिए एक खेत दे दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो प्रयोग वहां किये थे, उन्होंने कृषि-जगत् में एक क्राति ही कर दी। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘फील्ड, फैक्टरीज एण्ड वर्कशाप’ लिखी। नई तालीम के अनेक मूल सिद्धात इस पुस्तक में हैं।

क्रोपाटकिन के जीवन-चरित के लेखकों ने लिखा है—“क्रोपाटकिन तथा उनके साथियों में आतंकवाद पर बराबर मतभेद रहा।” स्वयं क्रोपाटकिन ने भी एक जगह लिखा है—“साधारणत यह कहना ठीक होगा कि आतंक की प्रतिष्ठा एक सिद्धात के रूप में कर देना मूर्खतापूर्ण है।” इस सबध में सन् १८९३ की एक महत्वपूर्ण घटना यहां दी जाती है। कोयले की खानों में हडताल हो गई थी। इंग्लैण्ड के मजदूर नेता एक होटल में डकट्ठे हुए थे और उन्होंने क्रोपाटकिन को भी निमन्त्रित किया था। जबतक खान के मजदूरों के कप्टों के निवारण की चर्चा चलती रही, सभी लोग एक-दूसरे से सहमत रहे, पर ज्योंही उपायों का विषय छिड़ा कि क्रोपाटकिन की ‘शाति-प्रियता’ ने मानो मेज पर विस्फोटक काम किया। मजदूर दल के सभी नेता सरकार के सिलाफ और कठोर उपाय काम में लाने के पक्षपाती निकले। इसके विपरीत क्रोपाटकिन का कहना था कि हमें सत्याग्रह, बीच-वचाव तथा प्रचार से काम लेना चाहिए। इस वाद-विवाद का नतीजा यह हुआ कि सभा भंग हो गई। टामस मैन नामक मजदूर नेता बार-बार चिल्ला रहे थे—“हमें विश्वस की नीति का आश्रय लेना चाहिए, चीजों को तोट-फोड़ डालना

चाहिए, जालिमों को खत्म कर देना चाहिए।” लेकिन ज्योही कुछ शाति होती, प्रिस क्रोपाटकिन अपने वैदेशिक लहजे में बड़ी विनम्रता से बराबर यही कहते सुनाई देते—“नहीं, विनाश नहीं, हमें निर्माण करना चाहिए। हमें मनुष्यों के हृदय का निर्माण करना चाहिए।” ये शब्द तो बिल्कुल महात्मा गांधी जैसे ही प्रतीत होते हैं, और उन दिनों—१८९३ में—महात्माजी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए प्रवेश किया ही था।

देश का—देश का ही नहीं, ससार का—यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहा ससार के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विचारकों के विचारों का साराश निकालनेवाले विद्वान् बहुत कम हैं, और खास तौर से आज तो जबकि दुनिया चौराहे पर खड़ी हुई है और उसके सामने ठीक मार्ग ग्रहण करने का प्रश्न उपस्थित है, यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। एक मार्ग है क्रोपाट-किन तथा गांधीजी का और दूसरा है मार्क्स और स्टालिन का।

महापुरुषों के जीवन-चरित में अद्भुत स्फूर्ति प्रदान करने की सामर्थ्य होती है, और इस दृष्टि से क्रोपाटकिन का जीवन-चरित खासा महत्व रखता है। क्या अजीब सिनेमा-जैसा दृश्य वह हमारी आँखों के सामने ला उपस्थित करता है ! एक अत्यत प्राचीन और उच्चवशा में जन्म, जारशाही के अत्या-चारों का घनघोर अन्धकार, गुलामी की प्रथा का दौर-दौरा, आठ वर्ष की उम्र में जार के पार्षद बालक, १२ वर्ष की अवस्था में फेच भाषा का अध्ययन और रूसी राजनैतिक साहित्य में हृचि, अपने बड़े भाई एलेक्जेंडर के साथ हार्दिक प्रेम, फौजी स्कूल में शिक्षा, साइबेरिया की यात्रा—गवर्नर जनरल के ए डी सी बनकर वहां से त्यागपत्र, फिर सेट पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में पाच वर्ष तक गणित तथा भूगोल का अध्ययन, क्रातिकारी दल में सम्मिलित होना, यूरोप की यात्रा और वहां अराजकवादी संस्थाओं का सपर्क, रूस लौटकर क्रातिकारी विचारों का प्रचार आदि। इसके बाद का दृश्य ए जी. गार्डनर के रेखाचित्र में देख लीजिये :

“नाटक का पर्दा बदलता है। जार्ज निकोलस की अघेरी रात दूर हो गई। लेकिन उसके बाद दासत्व-प्रथा बन्द होने के कारण थोड़ी देर के

लिए जो उषाकाल आया था, उसे स्तोलिपिन प्रतिक्रिया के अन्वकार ने ढंक लिया और रूस फिर पुलिस के अत्याचारों से कुचला जाने लगा। सैकड़ों निरपराध आदमी फासी पर लटका दिये गए और हजारों ही जेल में ठेल दिये गए, अथवा साइबेरिया में अपनी कब्र खोदने के लिए निर्वासित कर दिये गए। सारे रूस पर भय और आतंक का राज्य था, लेकिन भीतर-ही-भीतर रूस जाग्रत हो रहा था। जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने अपने शासन का सूत्र दो जालिम पुलिस अफसरों—ट्रेपोफ और शुवालोफ—को सौप दिया था। वे चाहे जिसे फासी पर लटका देते थे और चाहे जिसे निर्वासित कर देते थे। लेकिन फिर भी वे क्रातिकारी गुप्त समितियों की कार्यवाहियों को रोकने में सफल नहीं हुए। ये समितियां दनादन स्वाधीनता तथा क्राति का साहित्य जनसाधारण में बाट रही थीं। इस घोर अशातिमय वायुमण्डल में भेड़ की खाल ओढ़े एक अद्भुत व्यक्ति, भूत की तरह, 'इधर-से-उधर धूम रहा है। उसका नाम बीरोड़िन है। पुलिस के अफसर हाथ मल-मलकर कहते हैं—“बस, अगर हम लोग बीरोड़िन को किसी तरह पकड़ ले तो इस क्रातिकारी सर्पिणी का मुँह ही कुचल जाय—हाँ, बोरोड़िन को और उसके साथी-सगियों को।” लेकिन बीरोड़िन को पकड़ना आसान काम नहीं। जिन जुलाहो और मजदूरों के बीच में वह काम करता है, वे उसके साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार नहीं। वे सैकड़ों की सख्त्या में पकड़े जाते हैं, कुछ को जेल का दड़ भिलता है और कुछ को फासी का, पर वे बोरोड़िन का असली नाम और पता बतलाने के लिए तैयार नहीं होते।

“सन् १८७४ की वसन्त ऋतु। सध्या का समय। सेन्ट पीटर्सबर्ग के सभी वैज्ञानिक और विज्ञान-प्रेमी ज्योग्राफिकल सोसाइटी के भवन में महान् वैज्ञानिक प्रिम फ्रॉपाटकिन का व्याख्यान सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। फिनलैण्ड की यात्रा के परिणामों के विषय में उनका भाषण होता है। रूस के 'डाइल्यूवियल' (जलप्रलय) काल के विषय में वैज्ञानिकों ने जो सिद्धात अवतंक कायम कर रखे थे, वे एक-के-वाद दूसरे खड़ित होते जाते हैं और अकाट्य तर्क के आधार पर एक नवीन सिद्धात की स्थापना होती है। सारे

वैज्ञानिक जगत में क्रोपाटकिन की धाक जम जाती है। इस महोपुरुष के मस्तिष्क के विषय में क्या कहा जाय। उसका शासन भिन्न-भिन्न ज्ञानों तथा विज्ञानों के समूचे सम्मान्य पर है। वह महान् गणितज्ञ है, ग्रन्थकार है (बारह वर्ष की उम्र में उसने उपन्यास लिखे थे), वह संगीतज्ञ है और दार्शनिक। बीस भाषाओं का वह ज्ञाता है और सात भाषाओं में वह आसानी के साथ बातचीत कर सकता है। तीस वर्ष की उम्र में रूस के चोटी के विद्वानों में—उस महान् देश के कीर्ति-स्तम्भों में—प्रिस क्रोपाटकिन की गणना होने लगती है। प्रिस क्रोपाटकिन को बाल्यावस्था में फौजी काम सीखना पड़ा था, और पाच वर्ष बाद जब उनके सामने स्थान के चुनाव का सवाल आया तो उन्होंने साइबेरिया को चुना था। वहा सुधार की जो योजना उन्होंने पेश की और आमूर दरिया की यात्रा करके एशिया के भूगोल की भद्दी भूलों का जिस तरह संशोधन किया, उससे उनकी कीर्ति पहले से ही फैल चुकी थी, पर आज तो भौगोलिक जगत में विजय का सेहरा उन्हींके सिर बाध दिया गया। प्रिस क्रोपाटकिन ज्योग्राफिकल सोसायटी के 'फिजीकल ज्योग्राफी' विभाग के सभापति मनोनीत किये गए। भाषण के बाद ज्योही गाड़ी में बैठकर वे बाहर निकले, एक दूसरी गाड़ी उनके पास से गुज़री, एक जुलाहे ने उस गाड़ी में से उचककर कहा—“मिस्टर बोरोडिन, सलाम।” दोनों गाड़िया रोक दी गई। जुलाहे के पीछे खुफिया पुलिस का एक आदमी उस गाड़ी में से कूद पड़ा और बोला—“मिस्टर बोरोडिन उर्फ प्रिस क्रोपाटकिन, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ।” उस जासूस के इशारे पर पुलिस के आदमी कूद पड़े। उनका विरोध करना व्यर्थ होता, क्रोपाटकिन पकड़ लिये गए। विश्वासघाती जुलाहा दूसरी गाड़ी में उनके पीछे-पीछे चला।

(इसके बाद वे किस तरह किले की जेल में डाल दिये गए, वहा उन्हें क्या-क्या यातनाएं सहनी पड़ी, और वहा से वह किस तरह भाग निकले, इसका अत्यत भनोरजक वृत्तात पाठक इस पुस्तक के 'जेल से भागना' नामक लेख में पढ़ सकते हैं।)

सन १८७६ से लेकर १९१७ तक ४१ वर्ष क्रोपाटकिन को स्वदेश से

'वाहर व्यतीत करने पड़े। कठोर-से-कठोर साधना का यह लम्बा युग केवल उनके जीवन का ही नहीं, सासार के राजनीतिक इतिहास का भी एक महत्त्व-पूर्ण अध्याय है। इस बीच मे वे स्विटजरलैण्ड और फ्रास मे भी रहे और दो-ढाई वर्ष के लिए उन्हे फ्रासीसी जेल की भी हवा खानी पड़ी। उनके सभी 'महत्त्वपूर्ण ग्रथ इसी युग मे लिखे गए। इनमे कई तो ऐसे हैं, जिनका विश्व-व्यापी महत्त्व है, जैसे 'पारस्परिक सहयोग' और 'रोटी का सवाल' आदि। उनके क्रातिकारी लेखो के भी कई सग्रह भिन्न-भिन्न भाषाओ मे छपे थे और अनेक रचनाए हिन्दी मे भी छप चुकी हैं।

क्रोपाटकिन ने लन्दन मे सन् १८८६ मे 'फ्रीडम' नामक पत्र की स्थापना की, जो अवतक चल रहा है। इसी वर्ष क्रोपाटकिन के जीवन की एक अत्यत दुखमय घटना घटी, यानी उनके बडे भाई ने साइबेरिया से लौटते हुए रास्ते 'मे आंतमधात कर लिया। उन्हे भी देश-निकाले का दड दिया गया था, जिसके कारण बारह वर्ष उन्हे साइबेरिया मे विताने पड़े थे। जब उनके छुटकारे के दिन निकट आये तो उन्होने अपने बाल-बच्चो को पहले ही रूस रवाना कर दिया और फिर एक दिन निराशा से अभिभूत होकर अपने आपको गोली मार ली। वे महान् गणितज्ञ थे, खगोलशास्त्र के अद्भुत ज्ञाता थे, और ज्योतिष-शास्त्र के बडे-से-बडे विद्वानो ने उनकी कल्पनाशील प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की थी। महज आशका के आधार पर उन्हे जारशाही ने देश-निकाले का दड दिया था, जबकि क्रातिकारी दलो से उनका कोई भी सवध न था। यदि उन्हे स्वाधीनतापूर्वक अपने खगोल-सवधी अनुसधान करने की सुविधा होती, तो उस शास्त्र की उन्नति मे न जाने वे कितने सहायक हुए होते। पर निरकुश गासको मे भला इतनी कल्पना-शक्ति कहा। क्रोपाटकिन के हृदय मे उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी। इन दोनो भाइयो का प्रेम-पूर्ण व्यवहार आदर्श था, पर क्रोपाटकिन ने अपनी इस हृदय-वेधक दुर्घटना का जिक अत्यत सयम के भाथ केवल एक वाक्य मे किया है—“हमारी कुटिया पर कई महीने तक दुख की घटा छाई रही।” क्रोपाटकिन ने अपनी भासी तथा भतीजे-भतीजियो की यथाशक्ति सेवा की।

‘क्रोपाटकिन की समस्त शिक्षाओं का आधार उनकी मनुष्यता थी । वस्तुत अराजकवाद इस विषय में मार्क्सवाद से सर्वथा भिन्न है । मार्क्स-वादियों की दृष्टि में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं । मार्क्सवादी उसके साथ शतरज के मुहरे की भाँति व्यवहार करते हैं और सिद्धात-सबधी मतभेद होने पर उसके शरीर तथा आत्मा को अलग-अलग कर देने में भी उन्हें कोई सकोच नहीं होता । पर अराजकवादी के लिए मनुष्य वस्तुत मनुष्य है, जिसके लिए मानो उसका हृदय उमड़ा पड़ता है । साम्यवादी को अपनी ‘प्रणाली’ की चिन्ता है, जबकि अराजकवादी को ‘मनुष्य’ की । जब भी कभी अन्याय तथा अत्याचार का प्रश्न आता, क्रोपाटकिन बिना किसी भेदभाव के उसका विरोध करते—चाहे वह अन्याय उनके विरोधी पथ वाले पर ही क्यों न किया गया हो । उनके शब्द सुन लीजिये—“हम व्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनता को मानते हैं । हम उसके लिए जीवन की प्रचुरता तथा उसकी समस्त प्रतिभाओं का स्वतंत्र विकास चाहते हैं । हम उसके ऊपर लादना कुछ भी नहीं चाहते । इस प्रकार हम उस सिद्धात पर पहुँचते हैं, जिस सिद्धात को घोरिये ने धार्मिक नीति-ज्ञान के विरोध में रखते हुए कहा था—“मनुष्य को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो । उसे अगहीन मत बनाओ, क्योंकि धर्म पहले से ही उसको अपग-जरूरत से ज्यादा अपग—बना चुका है ।” उसके मनोविकारों से भी मत डरो । स्वतंत्र समाज में ये खतरनाक नहीं होते ।”

प्रिस क्रोपाटकिन के ग्रंथों को पढ़ जाइये, कहीं भी कोई क्षुद्र भावना उनमें दिखाई न देगी । कम्युनिस्ट साहित्य के शाब्दिक जजाल का उनमें नामो-निशान तक नहीं है । कम्युनिस्ट अर्थ को इतना महत्व देते हैं और नैतिकता को इतना नगण्य मानते हैं कि उनके साहित्य की लू-लपट में किसी भी सहृदय मनुष्य की आत्मा झुलस सकती है । क्रोपाटकिन का साहित्य इसके बिल्कुल विपरीत है । उसमें नैतिकता की शीतल मन्द समीर सदा ही बहती रहती है ।

क्रोपाटकिन के ४१ वर्षीय देश-निकाले के कितने ही किस्से उनके जीवन-चरित में तथा उनके विषय में लिखे सम्मरणों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े

हैं, जिनसे उनकी सन्त-प्रकृति पर पूरा-पूरा प्रकाश पड़ता है। एक बार फ्रैंक हैरिस ने उनसे कहा—“आपने देखा, उन अराजकवादियों ने यौवनावस्था में तो खूब काम किया, पर अब वे अर्थ-लोलुपता के शिकार हो गये हैं।” इसपर क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया—“उन लोगों ने जोश-जवानी के दिन हमारे अपित कर दिये और अपना सर्वोत्तम हमे भेट कर दिया। अब इससे अधिक की माग उनसे हम कर ही क्या सकते हैं?” यह उदारता ही क्रोपाटकिन के सपूर्ण जीवन की कुजी थी।

विलायत में रहते हुए क्रोपाटकिन की मैत्री वहाँ के सर्वश्रेष्ठ विचारकों तथा कार्यकर्ताओं से हो गई थी। उनमें से कितने ही उनके प्रशासक थे। हिडमैन, बरनार्ड शा, लैन्सबरी, एडवर्ड कारपेटर, नैविनसन और ब्रेल्स-फोर्ड प्रभाति से उनके सबध बहुत निकट के थे। जब क्रोपाटकिन ७० वर्ष के हुए, तो उनके अभिनदन के लिए आयोजित एक सभा में बरनार्ड शा ने कहा था—“मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतने वर्ष तक हम लोग गलत रास्ते पर चलते रहे हैं, और क्रोपाटकिन का रास्ता ही ठीक था।” तपस्थियों तथा विचारकों की विचारधारा बहुत धीरे-धीरे काम करती है। क्रोपाटकिन ने अपनी वाणी तथा लेखनी द्वारा जो महान कार्य किया, उसने केवल इंग्लैण्ड ही नहीं, फ्रास, इटली, स्विटजरलैण्ड तथा यूरोप के अन्य देशों के विचारकों को भी प्रभावित किया और जो विचार उन दिनों नवीन प्रतीत होते थे, वे आज सार्वजनिक बन गये हैं।

सन् १९१७ की स्सी-क्राति के बाद क्रोपाटकिन ने स्वदेश लौटना उचित समझा। तब वे ७५ वर्ष के हो चुके थे फिर भी उनके मन में युवकों-जैसा उत्साह था। पेट्रोग्रेड में ६० हजार आदमियों ने उनका स्वागत किया और रूसी सरकार के प्रधान केरेन्स्की भी उनके स्वागतार्थ उपस्थित थे। चूंकि क्रोपाटकिन का विश्वास किसी भी सरकार में नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं किया। वैसे केरेन्स्की के साथ उनके सबध अच्छे थे, पर लेनिन के हाथ में शक्ति पहुँचने पर क्रोपाटकिन सर्वथा उपेक्षा के ही पात्र बन गये !

क्रोपाटकिन के अन्तिम दिनों की एक ज्ञाँकी एमा गोल्डमैन के आत्मचरित 'लिविंग माइ लाइफ' में मिलती है। उन्होने लिखा है—“रूस पहुँचने पर मुझे कम्युनिस्टों ने बार-बार विश्वास दिलाया था कि क्रोपाटकिन तो बड़े आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और उन्हे न भोजन-वस्त्र की कमी है, न किसी अन्य वस्तु की। पर जब मैं क्रोपाटकिन के घर पहुँची तो मामला इसके विपरीत ही पाया। क्रोपाटकिन, उनकी पत्नी सोफी तथा लड़की एलैक्जेडरा, तीनों एक कमरे में रहते थे और वह कमरा भी काफी गरम नहीं था तथा पास के कमरे इतने ठड़े थे कि उनका तापमान शून्य से भी नीचे था। उन्हे जो भोजन मिलता था वह बस जीवित रहने भर के लिए पर्याप्त था। जिस सहकारी समिति से उन्हे राशन मिलता था, वह टूट चुकी थी और उसके मेम्बर जेल भेज दिये गए थे। मैंने सोफी से पूछा—“गुजर-बसर कैसे होती है?” उन्होने उत्तर दिया—“हमारे पास एक गाय है और बगीचे में भी कुछ पैदा हो जाता है। साथी लोग बाहर से कुछ भेज देते हैं। अगर पीटर (क्रोपाटकिन) बीमार न होते और उन्हे अधिक पूष्टिक भोजन की जरूरत न होती तो हम लोगों का काम चल जाता।”

जार्ज लैन्सबरी इन्हीं दिनों रूस गये हुए थे। उन्होने एमा गोल्डमैन से कहा था—“मुझे तो यह बात असभव दीखती है कि सोवियत सरकार के उच्च पदाधिकारी क्रोपाटकिन जैसे महान् वैज्ञानिक को इस प्रकार भूखो मरने देंगे। हम लोग इंग्लैण्ड में तो इस प्रकार के अनाचार को अस्त्य समझेंगे।”

क्रोपाटकिन उन दिनों अपनी अन्तिम पुस्तक 'नीतिशास्त्र' लिख रहे थे। किताबों के खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कलार्क या टाइपिस्ट रखने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे; इसलिए अपने ग्रथ की पाण्डु-लिपि उन्हे खुद ही तैयार करनी पड़ती थी। भोजन भी उन्हे पुष्टिकर नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी कमजोरी बढ़ती जाती थी और एक धुँधले दीपक की रोशनी में उन्हे अपने ग्रथ की रचना करनी पड़ती थी।

जब क्रोपाटकिन मरणासन्न हुए तो अवश्य लेनिन ने मास्को से सर्वश्रेष्ठ

डाक्टर और भोजन इत्यादि की सामग्री भेजी थी और यह आदेश भी दे दिया था कि क्रोपाटकिन के स्वास्थ्य के समाचार उनके पास बराबर भेजे जाय। जीवन के अन्तिम दिनों में जिसे दमघोटू वातावरण में रहने के लिए मजबूर किया गया, उसकी मृत्यु के समय इतनी चिन्ता का अर्थ ही क्या हो सकता था? ८ फरवरी, १९२१ को क्रोपाटकिन का देहान्त हो गया। लेनिन की सरकार ने सरकारी तौर पर उनकी अन्त्येष्टि करने का विचार प्रकट किया, जिसे उनकी पत्नी तथा साथी-सगियों ने तुरत अस्वीकार कर दिया। अराजकवादियों के मजदूर सघ के भवन से उनके शव का जुलूस निकला, जिसमें २० हजार मजदूर थे। सर्दी इतने जोरों की थी कि बाजे तक वर्फ के कारण जम गये। लोग काले झड़े लिये हुए थे और चिल्ला रहे थे—“क्रोपाटकिन के सगी-साथियों को, अराजकवादी बन्धुओं को जेल से छोड़ो!”

सोवियत सरकार ने डिमिट्रोव का छोटा-सा घर क्रोपाटकिन की विधवा पत्नी को रहने के लिए और उनका मास्को वाला मकान क्रोपाटकिन के मित्रों तथा भक्तों को दे दिया, जहा उनके कागज-पत्र, चिट्ठिया तथा अन्य वस्तुएं सुरक्षित रही। सोफी १९३० तक जीवित रही और क्रोपाटकिन के नाम पर स्थापित म्यूजियम की रक्षा करती रही। इसके बाद वह सग्रहालय भी छिन्न-भिन्न कर दिया गया। पर स्वाधीनता का यह अद्वितीय पुजारी युग-युगान्तर तक अभर रहेगा। उसका व्यक्तित्व हिमालय के सदृश महान और आदर्शवादिता गौरीशकर शिखर की तरह उच्च है।

—बनारसीदास चतुर्वेदी

सूची

भूमिका	४
प्रिस क्रोपाटकिन • रेखा-चित्र	१०
१. क्राति की भावना	२५
२. क्रातिकारी सरकार	३६
३. नीति और जीवन	५१
४. अराजकता सिद्धान्त और आदर्श	९५
५. जेल और उसका नैतिक प्रभाव	१३३
६. कानून और सत्ता	१५३
७. सबका सुख	१७९
८. जेल से भागना	१९१



क्रांति की भावना

: १ :

क्रांति की भावना

मानव-समाज के जीवन में ऐसे अवसर आया करते हैं, जब क्रान्ति एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, जब वह पुकार-पुकारकर कहती है कि वह अवश्यम्भावी है। हर तरफ नये विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जो प्रकाश में आकर लोगों के जीवन में लागू होने के लिए जबर्दस्ती अपना मार्ग ढूढ़ निकालते हैं। जिन लोगों का स्वार्थ पुरानी व्यवस्था को कायम रखने में ही सिद्ध होता है, उनकी अकर्मण्यता इन विचारों का विरोध करती है। पूर्व संस्कारों और लोक-परम्परागत रुद्धियों के श्वासरोधक वातावरण में उन लोगों का दम घुटा करता है। राज-व्यवस्था के माने हुए विचार, सामाजिक सामजिक्य के नियम और नागरिकों के राजनैतिक तथा आर्थिक वातों में पारस्परिक व्यवहार—इनमें से कोई भी उस अशान्त समालोचना के आगे खड़े नहीं रह सकते, जो बैठकखाने में, सार्वजनिक अड्डों में, दार्शनिकों के लेखों में और रोजमर्रा की बातचीत में उनकी जड़ काटा करती है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थाएँ टूटने-फूटने लग जाती हैं। हमारा सामाजिक भवन एसी स्थिति में रहने योग्य नहीं रह जाता। वह उन अकुरों को भी, जो उसकी टूटी दीवारों के भीतर या उनके चारों ओर उगते हैं, रोकता है—विकसित नहीं होने देता।

एक नये जीवन की आवश्यकता प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रतिष्ठित नैतिकता के साधारण विवान, जो अबतक अधिकाश लोगों के जीवन को

परिचालित करते रहे हैं, अब पर्याप्त नहीं जान पड़ते। जो बात पहले उचित लगती थी, वह अब चिल्ला-चिल्लाकर अपना अनौचित्य प्रकट करती मालूम होती है। कल की नैतिकता आज असह्य अनीति दिखाई देती है। पुरानी रुद्धियों और विचारों का सधर्ष समाज की प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक कुटुम्ब के बीच प्रज्वलित हो उठता है। बेटा बाप से लड़ बैठता है। जो बात बाप को अपने सम्पूर्ण जीवन में बिलकुल स्वाभाविक ज्ञात होती रही है, वही बात बेटे को बीमत्स जान पड़ती है। पुराने अनुभव से जो बाते माताएं अपनी बेटियों को सिखाती हैं, बेटिया उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती है। धनी और अधिकार-प्राप्त तथा चैन की वशी बजानेवाली श्रेणियों में जो कलंक की बाते उत्पन्न हुआ करती हैं, शक्तिशालियों के कानून के नाम पर अथवा उनकी सुविधाओं की रक्षा के लिए जो जुर्म किये जाते हैं, सर्वसाधारण की आत्मा दिन-दिन उनके विरुद्ध होती जाती है। जो लोग न्याय की विजय के लिए लालायित रहते हैं अथवा जो लोग नवीन विचारों को काम में लाना चाहते हैं, उन्हे शीघ्र ही यह मालूम हो जाता है कि इस समय समाज जिस प्रकार सगठित है, उसमें उनके उद्धार, मनुष्यतापूर्ण और नवजीवन सचारक विचार सफल नहीं हो सकते। उन्हे क्रान्ति की एक ऐसी आधी की आवश्यकता दिखलाई देने लगती है, जो समाज के समस्त सड़े-गले अशों को उड़ा ले जाय, जो अपने पवित्र पवन से आलसी हृदयों में स्फूर्ति भर दे और मानव-समाज में श्रद्धा, आत्म-न्याग तथा वीरता के भावों का सचार कर दे, जिन भावों के द्विना समाज पतन और दुर्गुणों में डूबकर बिलकुल छिन्न-भिन्न हो जाता है।

जब लोग धन कमाने के लिए पागलों की तरह उतावले हो जाते हैं, जब फाटकेवाजी का ज्वार-भाटा आता है, जब बड़े-बड़े व्यापारों का आकस्मिक पतन होता है, जब उत्पादन के अन्य अंशों का क्षणभगुर प्रसार होता है, जब लोग दो-ही-चार वर्षों में अगणित धनराशि बटोर लेते हैं और उननी ही शीघ्रता ने उसे सो बैठते हैं, तब ऐसे अवसरों पर यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि हमारी आर्थिक मस्थाएं, जो उत्पादन और विनियम का

क्राति की भावना

नियन्त्रण करती हैं, समाज को सुख-समृद्धि देने से, जैसीकि उनसे आशा की जाती है, बहुत दूर है। वे उसका ठीक विपरीत फल पैदा करती है। वे शान्ति और सुव्यवस्था के स्थान मे अशान्ति और गडबडी उत्पन्न करती है, सुख-समृद्धि के स्थान मे दरिद्रता और अरक्षा के भाव पैदा करती है, भिन्न-भिन्न स्वार्थों मे मेल पैदा करने के स्थान मे युद्ध उत्पन्न करती है। वे धन-शोषकों और मजदूरों मे आपस ही मे स्थायी युद्ध पैदा कर देती है। मानव-समाज दो प्रतिद्वन्द्वी भागो मे विभक्त हो जाता है। साथ ही प्रत्येक भाग सहस्रो छोटे-छोटे भागो मे विभाजित हो जाता है, जो आपस मे निर्दयतापूर्ण सग्राम बराबर जारी रखते हैं। इन सग्रामो से ऊबकर तथा इन सग्रामो से उत्पन्न हुए दुख-दैन्य से ऊबकर समाज कोई नई व्यवस्था ढूँढ़ निकालने के लिए दौड़ पड़ता है। वह सम्पत्ति के अधिकार के नियमो, उसके उत्पादन तथा विनियम के नियमो और उनसे उत्पन्न होनेवाले आर्थिक सम्बन्धो को एकदम नये सिरे से ढालने के लिए जोर-जोर से पुकारने लगता है।

सरकार की मशीन, जिसपर वर्तमान व्यवस्था की रक्षा का भार होता है, अपना काम करती रहती है, परन्तु उसके घिसे हुए चक्को के प्रत्येक चक्कर मे वह फिसलकर बन्द होने लगती है। उसका चलना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जाता है, जिससे उसके प्रति अस्तोष बराबर बढ़ता जाता है। प्रतिदिन यही आवाज सुनाई देती है कि 'इसको दुर्स्त करो', 'इसको सुधारो'। सुधारकगण कहते हैं—“युद्ध, आर्थिक व्यवस्था, टैक्स, अदालतें, पुलिस—प्रत्येक वस्तु का नये सिद्धातो के अनुसार पुन सगठन करो, फिर से ढालो।” यह बात सभी जानते हैं कि चीजों को फिर से बनाना—अकेली किसी चीज को फिर से ढालना—असभव है, क्योंकि समस्त वस्तुएँ एक-दूसरे से सबधित हैं, अत सभी वस्तुओं को एक साथ तोड़कर बनाना होगा। तब यह सवाल उठता है कि समाज का, जबकि वह दो विरोधी भागो मे विभक्त है, पुनर्निर्माण कैसे किया जाय? असतुष्ट लोगो को सतुष्ट करने से और भी नये असतुष्ट पैदा हो जायगे।

इस समय शासक-संस्थाओं की दशा बड़ी विचित्र होती है। वे सुधार करने में अशक्त होती है, क्योंकि खुल्लम-खुल्ला सुधार का अर्थ होता है क्रांति का रास्ता खोलना। साथ ही वे इतनी नपुसक होती है कि वे खुल्लम-खुल्ला सुधारों का विरोध भी नहीं कर सकती। फल यह होता है कि वे मामूली-से सुधार करती हैं, जिनसे सतोष उत्पन्न होने के स्थान में और भी असतोष बढ़ता है। ऐसे परिवर्तन के अवसरों पर प्रतिभाशून्य व्यक्तियों का, जिनके हाथ में राज्य-नौका का परिचालन होता है, एक ही उद्देश्य हुआ करता है। वह है भावी महान् उलट-पलट के पूर्व धन बटोरकर अपना धर भर लेना। चारों ओर से आक्रमण होने पर वे बड़े अनाडीपन से अपना बचाव करते हैं। वे इधर-उधर की टाल-मटोल और एक के बाद दूसरी भयकर भूले किया करते हैं। शीघ्र ही वे अपने बचाव की अन्तिम कड़ी को काट देते हैं। सरकारी लोगों की निजी अयोग्यता से सरकार की प्रतिष्ठा उपहास के जल में डूब जाती है।

ऐसे अवसरों पर क्रांति की आवश्यकता होती है। क्रांति एक सामाजिक आवश्यकता हो जाती है। ऐसे अवसर स्वयं ही क्रांतिकारी होते हैं।

जब हम बड़े-बड़े इतिहासकारों की पुस्तके पढ़ते हैं तो उनमें मुख्य-मुख्य क्रांतिकारी विप्लवों की उत्पत्ति और विकास के वृत्तातों में 'क्रांति के कारण' शीर्षक के अन्तर्गत क्रांति की घटनाओं के ठीक पूर्व का बड़ा रोमाचकारी वृत्तात मिलता है। इन वृत्तातों में लोगों की दुर्दशा, सर्वव्यापी सकट के भाव, सरकार को परेशान करनेवाले कानून-कायदे, समाज के बड़े-बड़े दुर्गुणों और कल्कों का नग्न भड़ाफोड़, नये विचारों के प्रचलित होने के लिए छटपटाहट और पुरानी व्यवस्थाओं के समर्थकों द्वारा उनका दमन, इत्यादि सभी वाते वर्णित होती हैं। इस चित्र को देखकर प्रत्येक मनुष्य को दृ विश्वास हो जाता है कि इन अवसरों पर क्रांति सचमुच में अवश्यम्भावी थी। विप्लव को छोड़-कर और कोई मार्ग ही नहीं था।

उदाहरण के लिए नन् १७८९ के पहले फ्रास की दशा ले लीजिये। इतिहासकार उस दशा का कैसा वर्णन करते हैं! इतिहासकारों का वर्णन

पढ़कर आपको ऐसा मालूम होगा, मानो किसान लोग नमक के कर के विरुद्ध, दशाश-कर के विरुद्ध, और जमीदारों के लगान के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं, जिसकी आवाज आपके कानों में आ रही है। उस वृत्तात् को पढ़कर जान पड़ता है कि किसान लोग जमीदारों, महन्तों, एकाधिपत्य रखनेवाले व्यापारियों और सरकारी अहलकारों के विरुद्ध घृणा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि लोग अपने नागरिक अधिकारों के छिन जाने का रज कर रहे हैं और बादशाह को गालिया दे रहे हैं। वे रानी को बुरा-भला कहते हैं, वे मन्त्रियों की कार्रवाई पर विक्षुब्ध हैं और लगातार चिल्ला रहे हैं कि करों का बोझ असह्य है, मालगुजारी बहुत है, फसल की दशा बहुत खराब है, जाड़ा बहुत जोर का है, खाद्यसामग्री बहुत महगी हो गई है, व्यापार का एकाधिपत्य रखनेवाले बड़े लालची हैं, ग्रामीण वकील किसानों की फसल खा जाते हैं, गाव का चौकीदार छोटा-भोटा नवाब बना बैठा है, यहा तक कि डाकखाने का इन्तजाम भी ठीक नहीं है और उसके कर्मचारी बड़े आलसी हैं। थोड़े शब्दों में यो कहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को यही शिकायत है कि कोई भी चीज ठीक-ठीक काम नहीं करती। हर स्थान पर लोग यही कहते नजर आते हैं—“यह अधिक दिन नहीं चल सकता, इसका बड़ा भयानक अन्त होगा।”

परन्तु इन शातिपूर्ण दलीलों और क्राति या विप्लव के बीच एक बड़ी चौड़ी खाई है। यह वही खाई है जो अधिकाश मनुष्यों में कहने और करने में या विचार और इच्छा में हुआ करती है। परन्तु यह खाई कैसे भरती है? यह कैसे सभव है कि जो लोग कलतक शातिपूर्वक हुक्का पीते समय अपने दुर्भाग्य पर झीका करते थे और स्थानीय पटवारी और दारोगा को गालिया दिया करते थे, परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हीं पटवारी और दारोगा को अदब से झुककर सलाम किया करते थे—यह कैसे सभव है कि वे ही आदमी दो-चार दिन बाद इस योग्य हो गए कि वे अपने हँसिये और धारदार गडासे लेकर उन्हीं प्रभुओं के किलो पर, जो केवल एक दिन पहले ऐसे भयकर दिखाई देते थे, हमला करने लगे! जिन लोगों की पत्तिया उन्हे कायर

कहा करती थी, वे ही एक दिन मे ऐसे बीर बन गए कि गोलों की वर्षा और गोलियों की बौछार मे धुसकर अपने अधिकारों को जीतने के लिए कदम बढ़ाने लगे। यह किस जादू के बल पर हुआ? शब्द जो मुख से निकलकर हवा मे विलीन हो जाया करते थे, कार्य मे कैसे परिणत हो गए?

इसका उत्तर बहुत सहज है।

कर्म—अल्पाश लोगों का अविरल, अविश्राम कर्म ही ऐसे परिवर्तन ला देता है। साहस, लगन और त्याग की भावना, ऐसी ही सक्रामक वस्तुएँ हैं, जैसी कायरता, अधीनता और आतक।

यह कर्म क्या रूप धारण करेगा? यह प्रत्येक रूप धारण कर सकता है। वास्तव मे परिस्थिति, स्वभाव और उपलब्ध उपायों के अनुसार, इस कर्म के बड़े विभिन्न रूप हुआ करते हैं। कभी इस कर्म का रूप दुखान्त होता है तो कभी हास्यास्पद। लेकिन वह रूप सदा बड़ा दुस्साहसिक हुआ करता है। यह कर्म कभी सामूहिक रूप धारण करता है, कभी केवल व्यक्तिगत। कर्म की यह नीति किसी भी उपलब्ध उपाय को नहीं भूलती। असतोष फैलाने या उसे प्रकट करने मे, शोषणकारियों के प्रति धृणा उत्पन्न करने मे, सरकार की कमजोरियों का पर्दाफाश करने तथा उसका मजाक उडाने मे, और सबसे अधिक, वास्तविक दृष्टातों के द्वारा लोगों के साहस को जागृत करने तथा उनमे क्राति की भावना फैलाने के लिए कर्म की यह नीति किसी भी सार्वजनिक घटना को नहीं छोड़ती।

लोगो मे सुल्लम-खुल्ला विप्लव करने और सड़को आदि मे उग्र प्रदर्शन करने का साहस उत्पन्न होने के पूर्व, किसी देश मे जो क्रातिकारी परिस्थिति उत्पन्न हुआ करती है, वह कुछ अल्पसंख्यक लोगो के कर्म का नतीजा है। यह अल्पसंख्यक लोग अपने कर्मों से लोगो मे स्वतंत्रता और साहस के उन भावों को उत्पन्न कर देते हैं, जिनके बिना कोई भी क्राति आगे नहीं बढ़ सकती।

क्राति मे सर्व-साधारण पहले भाग नहीं लेते। साहसी पुरुष, जो कोरे शब्दों ने कभी ननुष्ट नहीं होते और सदा उन शब्दों को कार्य मे परिणत करने

का अवसर ढूढ़ा करते हैं, ईमानदार एवं न्यायनिप्ठ व्यक्ति, जिनकी मनसा, वाचा, कर्मणा, एक ही धुन है तथा जो अपने सिद्धातों के विरुद्ध चलने की अपेक्षा जेल, निर्वासन और मृत्यु को अधिक पसद करते हैं, और निर्भीक आत्माएँ, जो यह जानती हैं कि सफलता के लिए हिम्मत करना जरूरी है— ये तीनों ही क्रांति के एकाकी सैनिक हैं जो सबसे पहले समर-भूमि में कूदते हैं। इनके कूदने के बहुत पीछे सर्व-साधारण में इतनी जागृति उत्पन्न होती है कि वे खुल्लम-खुल्ला क्रांति का झड़ा उठा कर अपने स्वत्वों की प्राप्ति के लिए हथियार ग्रहण करके अग्रसर हों।

इस समस्त असतोष, बातचीत और सिद्धातों के बाद-विवाद के बीच में किसी एक व्यक्ति का अथवा समूह का कोई क्रांतिकारी कार्य उठ खड़ा होता है, जो लोगों की प्रवल उच्चाकाक्षाओं को मूर्त्तिमान बना देता है। सभव है कि आरम्भ में सर्व-साधारण उस काम से बिल्कुल उदासीन रहे। विचक्षण और सचेत लोग तुरन्त ही ऐसे कामों को 'पागलपन' कह देते हैं। वे कहते हैं— 'ये पागल लोग, ये उन्मत्त व्यक्ति, प्रत्येक चीज को सकट में डाल देगे।'" इसलिए यह भी सम्भव है कि आरम्भ में सर्व-साधारण इन विचक्षण पुरुषों ही का अनुगमन करे।

ये विचक्षण और सतर्क व्यक्ति खूब हिसाब लगाया करते हैं। वे हिसाब लगाते हैं कि सौ, दो सौ या तीन सौ वर्पों में उनकी पार्टी ससार भर को जीत लेगी, लेकिन बीच ही में यह अप्रत्याशित घटना घुस पड़ती है। अवश्य ही उन विचक्षण व्यक्तियों को जिस बात की आशा नहीं होती, उसीको वे अप्रत्याशित समझते हैं। जिस किसी को भी इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान और साधारण बुद्धि है, वह यह बात भली-भाँति जानता है कि क्रांति के सिद्धातों का प्रोपेगेण्डा एक-न-एक दिन कार्य-रूप में अवश्य ही प्रकट हो जाता है। यह दिन सिद्धातवादियों के सोचे हुए कार्य करने के दिन से बहुत पहले ही आ जाता है। जो हो, ये सचेत सिद्धातवादी इन पागलों पर खूब बिगड़ते हैं। वे उन्हे जाति से बाहर कर देते हैं और कोसा करते हैं, भगर ये पागल आदमी लोगों की सहानूभूति प्राप्त कर लेते हैं। सर्व-साधारण

छिपे-छिपे उनके साहस की प्रशंसा करते हैं। इन पागलों की नकल करने-वाले लोग पैदा हो जाते हैं। जिस सख्ती में क्राति के अग्रणी लोग जेलों और कालेपानी आदि को जाते हैं, उसीके अनुपात में अन्य लोग उनका कार्य जारी रखते हैं। अवैध प्रतिवाद, विप्लव और प्रतिहिंसा के कार्य बढ़ते चले जाते हैं।

अब ऐसी स्थिति पहुँच जाती है कि जब उदासीनता असभव हो जाती है। जिन लोगों ने आरम्भ में कभी यह पूछने का कष्ट भी नहीं उठाया कि 'ये पागल आदमी क्या चाहते हैं, उन्हे भी मजबूर होकर इन पागलों की चिन्ता करनी पड़ती है। उन्हे उनके विचारों पर बहस करनी पड़ती है और उनके अनुकूल या प्रतिकूल पक्ष ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे कार्यों के द्वारा जिनसे लोगों का ध्यान स्वामर्ख्वाह आकर्षित होता है, नये विचार लोगों के दिलों में घर करते हैं, और नये अनुयायी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का एक कार्य जितना प्रोपेगेण्डा कर देता है, उतना हजारों परचों से नहीं होता।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह लोगों में क्राति की भावना उत्पन्न करता है और वह उनमें दुस्साहस का अकुर उगाता है। पुरानी व्यवस्था (सरकार) अपनी पुलिस, अपने मजिस्ट्रेट और अपनी फौज-फाटे के बल पर एकदम अचल और अजेय दिखाई पड़ती थी। वह ऐसी अचल और अभेद्य दिखाई पड़ती थी, जैसे बेस्तिले का दुर्ग उस नि शस्त्र जन-समूह को अभेद्य दिखाई देता था, जो उसकी तोपे चढ़ी हुई ऊँची दीवारों के नीचे एकत्रित हुआ था, मगर गीध ही यह मालूम पड़ जाता है कि मौजूदा सरकार में वह शक्ति नहीं है, जिसकी लोग कल्पना करते थे। केवल एक ही साहसिक कार्य सरकार की सपूर्ण मशीन को दो-ही-चार दिन में उलट-पुलट डालने के लिए काफी हुआ। सरकार का भारी-भरकम भवन कापने लगा। एक अन्य विप्लव में एक समूचे सूबे में गदर मच गया। सरकारी फौज ने, जो अवृतक बड़ी प्रभावोत्तादिनी दीख पड़ती थी, केवल एक मुट्ठी भर किसानों के सामने जिनके पास केवल डडे और पत्थर थे, पीठ फेर दी। लोगों ने देखा कि दैत्य उतना भयकर नहीं है, जितना वे समझते थे। उन्हे यह भी अस्पष्ट-सा दीखने लगा कि इस

प्रकार की दो-चार साहस-पूर्ण चेष्टाएँ इस दैत्य को मार गिरायेगी । अब लोगों के मन मे आशा उत्पन्न होती है । यह बात भूल न जानी चाहिए कि क्रोध और क्षोभ लोगों को क्राति की ओर ले जाता है और आशा—विजय की आशा—ही सदा क्रातियों कराया करती है ।

सरकार इसका विरोध करती है, वह दमन करने के लिए पागल हो उठती है, मगर जहाँ पहले सरकार का दमन अत्याचार-पीडितों की शक्ति को नष्ट कर देता था, अब सनसनीसूर्ण अवसरो पर वह एकदम विपरीत फल पैदा करता है । अब दमन से क्राति के अन्य कार्यों—व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही—को प्रोत्साहन मिलता है । अब उससे विद्रोही लोग वीरता की ओर अग्रसर होते हैं । इस प्रकार क्रातिकारी घटनाएँ बड़ी शीघ्रता से एक के बाद दूसरी घटती हैं, वे सर्वव्यापी हो जाती हैं और उनका विकास होता है । जो लोग अबतक क्राति के विरोधी और उदासीन थे, वे अब उसमे सम्मिलित हो जाते हैं, जिनसे वह और भी मजबूत हो जाती है । यह सर्वव्यापी गडबडी सरकार मे और शासक तथा अधिकार-प्राप्त श्रेणियों मे भी घुस जाती है । उनमे से कुछ लोग इस बात का उपदेश देते हैं कि दमन को अन्तिम सीमा तक चलाना चाहिए, दूसरे लोग कुछ रियायते करने के पक्ष मे होते हैं और अन्य कुछ लोग इस आशा मे अपने अधिकार भी त्यागने की घोषणा करते हैं कि लोगों के क्राति के भावों को शात करके वे फिर उनपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे । सरकार और अधिकार-प्राप्त लोगों की एकता भी टूट जाती है ।

शासक वर्ग भयकर प्रतिक्रिया द्वारा (अर्थात् लोगों के मौजूदा अधिकारों को भी छीनकर) भी अपनी रक्खा करने की चेष्टा करते हैं । मगर अब इतनी अधिक देर हो चुकी है कि ये सब बाते बेकार होती हैं । इससे सधर्व और भी अधिक कटु और भयकर हो जाता है इनके सामने दिखाई पड़ने वाली क्राति और भी अधिक खूनी हो जाती है । इसके विरुद्ध शासक-वर्ग जो छोटी-से-छोटी रियायत भी करते हैं, तो उससे क्राति के भाव और भी अधिक जाग उठते हैं, क्योंकि यह रियायत बहुत देर मे की जाती है और लोग यह समझते हैं कि उन्होने इसे लडाई मे जीता है । साधारण लोग, जो पहले छोटी-से-छोटी

रियायत पर ही सतुष्ट हो जाते, अब प्रत्यक्ष देखने लगते हैं कि उनके शत्रु के पैर उखड़ रहे हैं, उन्हे अपनी विजय दिखाई पड़ने लगती है। उन्हे अनुभव होता है कि उनका साहस बढ़ रहा है। जो आदमी पहले दुख-दारिद्र्य के नीचे पिसे हुए थे, और चुपके-चुपके ठड़ी सासे भरकर ही चुप रह जाते थे, वे ही अब गर्व के साथ सर ऊँचा उठाकर सुन्दर भविष्य की विजय के लिए निकल पड़ते हैं।

अन्त में क्रांति जागृत हो उठती है। उससे पहले का सधर्व जितना ही अधिक भयानक और कड़ुवा होता है, क्रांति भी उतनी ही भयानक और कड़ुवी होती है।

क्रांति कौन-सा खब धारण करेगी, यह वात निस्सदेह उन घटनाओं के समूह पर निर्भर करती है, जो इस विष्वव की बाढ़ के आगमन को निश्चय करते हैं। मगर एक वात पहले से ही कही जा सकती है कि वह उन क्रांतिकारी कार्यों के जोर के अनुसार होती है, जो विभिन्न प्रगतिशील दल क्रांति की तैयारी के प्रारम्भ पर दिखलाया करते हैं।

कोई पार्टी अपने सिद्धान्तों को खूब अच्छी तरह प्रकट करती है। वह एक कार्यक्रम भी पेश करती है, जिसे पूरा करने की उसकी इच्छा है। वह उनके लिए भाषणों और परच्चो आदि के द्वारा खूब जोरदार प्रचार भी करती है, मगर यदि उमने अपने विचारों को कार्यों द्वारा खुल्लम-खुल्ला खुलेआम प्रकट नहीं किया, यदि उसने अपने प्रधान शत्रुओं के विरुद्ध कुछ नहीं किया, यदि उमने उन संस्थाओं पर आक्रमण नहीं किया, जिन्हे वह नप्ट करना चाहती है, यदि उमका वल केवल उमके सिद्धान्तों ही में परिमित है—क्रिया में नहीं, यदि उसने क्रांति के भाव उत्पन्न करने में कुछ सहायता नहीं दी; अथवा यदि उमने उन भावों को उन वातों के विरुद्ध नहीं फैलाया, जिनपर वह क्रान्ति के समय आक्रमण करना चाहती है, तो वह पार्टी बहुत कम प्रसिद्ध होती है, क्योंकि उम दल की आकाशाए रोजमर्रा के क्रांतिकारी कार्यों के न्यून में प्रकट नहीं हुई है और इन क्रांतिकारी कार्यों का ही प्रकाश दूर-दूर गी झोपटियों तक नहीं पहुँचता है। वह पार्टी इसलिए प्रसिद्ध नहीं

होती कि वह सड़क पर इकट्ठी होनेवाली भीड़ मे नहीं घुलती-मिलती, क्योंकि वह लोक की लोकप्रिय पुकारो मे अपने को प्रकट नहीं करती ।

इस पार्टी के सबसे चलते-पुर्जे लेखको को उनके पाठक यही समझते हैं कि वे ऊँची श्रेणी के विचारशील विद्वान हैं, मगर उनमे न तो काम करने वाले व्यक्तियो की-सी योग्यता है और न उनकी-सी इज्जत । जिस दिन क्राति भड़क उठती है, उस दिन सर्व-साधारण इन बड़े-बड़े सिद्धान्तवादियो का अनुगमन न करके, उन लोगो की सलाह के अनुसार चलते हैं, जिनके सिद्धान्त तो इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, परन्तु जिनको उन्होने कार्य करते देखा हैं ।

जिस दिन काम करने का दिन आता है, जिस दिन सर्व-साधारण क्रान्ति के लिए धावा बोलता है, उस दिन उस पार्टी की बात सबसे अधिक सुनी जाती है, जिसने सबसे अधिक हिम्मत और दुस्साहस दिखाया है । मगर जिस पार्टी मे इतना साहस नहीं है कि वह अपने विचारो को क्रातिकारी तैयारी के जमाने मे क्रातिकारी कार्यों द्वारा प्रकट करती, जिस पार्टी मे व्यक्तियो को तथा जन-समूहो को प्रोत्साहित करने और आत्म-त्याग के भावो से उन्हे प्रेरित करने की शक्ति नहीं है, जिस पार्टी मे यह ताकत नहीं है कि वह लोगो मे अपने विचारो को कार्य-रूप मे प्रेरित करने के लिए अदम्य इच्छा उत्पन्न कर सके (यदि यह इच्छा उन लोगो मे पहले से उत्पन्न होती, तो वह जन-साधारण के क्राति मे सम्मिलित होने के पहले ही कार्य-रूप मे परिणत हो गई होती), जो पार्टी यह नहीं जानती कि वह अपने झण्डे को लोकप्रिय कैसे बनावे या अपनी इच्छाओ को किस प्रकार दूसरो पर प्रकट करके समझा सके, ऐसी पार्टी को अपना कार्यक्रम पूरा करने की बहुत-ही थोड़ी आगा है । देश के क्रियाशील दल उसे ढकेलकर एक ओर डाल देगे ।

ये सब बाते हमे क्राति के पूर्ववर्ती समय के इतिहास से मालूम होती हैं । फ्रास के राजतत्र को नष्ट करने के पूर्व वहा के मध्यम श्रेणी के क्रातिकारी इन बातो को अच्छी तरह समझते थे और उन्होने एकतन्त्री शासन के विरुद्ध क्राति की भावना को जाग्रत करने के लिए कोई उपाय उठा नहीं रखा । अठारहवीं सदी के फ्रासीसी किसान जमीदारो के अधिकार

उठा देने के प्रश्न के अवसर पर इन्हे मन-ही-मन समझते थे और जब इन्टर-नेशनल ने शहर के मजदूरों में, मजदूरी करनेवाले के स्वाभाविक शत्रुओं अर्थात् पूँजीपतियों के, जिनके हाथ में उत्पादन और कच्चे माल का एकाधिपत्य है, विरुद्ध क्रांति के भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की, तब उसने भी इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार ही कार्य किया।

: २ :

क्रांतिकारी सरकार

आज की मौजूदा सरकारे विलकुल खत्म कर दी जाय, ताकि स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व केवल खोखले शब्द-मात्र न रहकर वास्तविक रूप धारण कर सके। अबतक जितनी भी तरह की सरकारे बनाई गई हैं, वे केवल अत्याचार करने का एक नया ढोग सावित हुई हैं और इसलिए उन सबके बजाय समूहों का एक नवीन सगठन कायम किया जाय—इन बातों से कोई भी आदमी, जिसमें थोड़ी-सी भी अकल और अल्प मात्रा में भी क्रांति की भावना विद्यमान हो, इन्कार नहीं करेगा। इन निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आदमीको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी आँखे खोलकर स्पष्ट देख सकता है कि आजकल की सब सरकारे दोषपूर्ण हैं और उनमें सुधार करना असभव है। जहातक सरकारों के उलटने का सवाल है, सबको मालूम है कि यह काम विशेष समय पर आसानी से किया जा सकता है। कभी-कभी तो ऐसे भीके आ जाते हैं जब क्रांतिकारी जन-समूहों की एक आवाज के पहले ही भरकारे वताशे के महलों की तरह अपने आप ही ढह जाती है।

सरकार को उलट देना—मध्य वर्ग के क्रांतिकारियों का वस यही अन्तिम उद्देश्य है; पर हमारे लिए तो वह सामाजिक क्रांति की सिर्फ शुरुआत है।

जहा एक दफा शासन की मशीन बिगड़ी, अधिकारी-वर्ग अस्त-व्यस्त होकर किकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया और सिपाहियों का अपने अफसरों से विश्वास उठ गया। एक शब्द में, जब एकबार सरमायेदारों की सारी सेना नष्ट कर दी गई, तब हमारा महान् विनाशकारी कार्य प्रारम्भ होगा—यानी उन सब व्यवस्थाओं को तहस-नहस कर देना, जो राजनैतिक और आर्थिक गुलामी की जजीरों को मजबूत किये हुए थी। एक दफा जब हमे कार्य करने की स्वतंत्रता मिल गई हो तब क्रातिकारियों का अगला कदम क्या होना चाहिए ?

इस प्रश्न का उचित उत्तर केवल अराजकवाद ही देता है—“कोई सरकार नहीं !” वाकी सब लोग कहते हैं—“क्रातिकारी सरकार”—और उनमें आपस में भेद केवल शासन की व्यवस्था-विशेष के ऊपर है। उनमें से कुछ कहते हैं कि राज्य का शासन-प्रबन्ध बालिग मताधिकार द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में हो, जबकि दूसरे लोग क्रातिकारी तानाशाही के पक्ष में हैं।

क्रातिकारी सरकार ! जो लोग सामाजिक क्राति और सरकार के वास्तविक अर्थों को जानते हैं, उनको ये दो शब्द साथ-साथ बड़े अजीब जँचते हैं। असल में ये दोनों परस्पर-विरोधी और एक-दूसरे के लिए घातक हैं। ‘स्वेच्छाचारी सरकारे’ हमने बहुत देखी है—सरकार का तो मतलब ही यह है कि वह क्राति के विरोध में प्रतिक्रियात्मक शक्तियों का साथ दे और स्वेच्छाचारिता की ओर बढ़ती रहे। लेकिन ‘क्रातिकारी सरकार’ जैसी कोई चीज तो अभी तक हमारे देखने में नहीं आई। और उसका कारण स्पष्ट है कि क्राति का मतलब है हिंसा द्वारा पूजी और वर्गों की मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेकना और नैतिक धारणाओं को बदल डालना—और ये ही चीजे हैं जो ‘सरकार’ की विल्कुल विरोधी और विपरीत हैं, क्योंकि सरकार के पर्याय हैं ‘स्थापित व्यवस्था’ और ‘पुरातनवाद’, यानी आज की मौजूदा व्यवस्था को कायम रखना और स्वाधीनतापूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नितान्त अभाव। फिर भी हम लोग इस सीग-वाले खरगोश की बात सुनते चले आ रहे हैं, मानो ‘क्रातिकारी सरकार’

ऐसी ही आसान और सामान्य चीज हो—जैसी राजसत्ता, साम्राज्य और पोपडम !

यह कोई अचम्भे की बात नहीं कि मध्यवर्ग के तथा-कथित क्रातिकारी ऐसा कहते हैं। हम लोग भली-भाति जानते हैं कि क्राति से उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है अपने प्रजातन्त्र राज्य को सहारा देना और उनका उद्देश्य उन ऊँचे-ऊँचे पदों को हथियाना है जो अवतक राजभक्तों के हाथों में थे। हृद हुई तो उनका क्राति से मतलब होगा राज्य और धर्म का गठबंधन तोड़कर एक को दूसरे की रखैल बना देना—यानी धर्म की सपत्ति को राज्य को सौंप देना। अन्त में इसका मतलब होगा इसी सपत्ति का भावी शासकों द्वारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल। शायद वे जनमत-संग्रह या और कोई इसी तरह की भी बात कहते हों, लेकिन क्रातिकारी समाजवादी भी ऐसे विचारों के प्रतिपादक हो सकते हैं—इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं—या तो उन्होंने अपने दिमागों में इकतरफा विचार—विना उनको पूरी तरह समझे हुए—साहित्य से अथवा उस इतिहास से जो मध्यवर्ग के विचारों की हा-मे-हा मिलाने के लिए लिखा जाता है—भर लिये हैं—या वास्तव में वे क्राति चाहते ही नहीं, वावजूद इसके कि बातचीत वे उसीकी करते रहते हैं। वे मौजूदा व्यवस्थाओं की सिर्फ ऊपरी लीपापोती से सनुष्ट हो जायगे, वशतें कि सत्ता उनके हाथ में आ जाय। फिर वे मनुष्य-रूपी जानवर को भविष्य में मनुष्ट कर लेंगे। वे आजकल शासकों का विरोध डसलिए करते हैं कि उनकी जगह खुद ले सके। इन लोगों के साथ हम वहस नहीं करना चाहते। डसलिए हम उन्हींसे कहेंगे, जो ईमानदारी के साथ भ्रम में फँसे हुए हैं।

प्रारम्भ में हम क्रातिकारी मरकार के प्रथम रूप को लें, जिसे निर्वाचित सरकार कहते हैं।

हम मान लेते हैं कि बादशाह की ताकत अभी हाल ही में उलट दी गई है और पृज्ञों के पश्चात्पातियों की फौज परास्त हो गई है। हर जगह जोग है, मार्व-जनिक रायों की चर्चा है और आगे बढ़ने की डच्छा भी। नये-नये विचार आग

आ रहे हैं। बड़े-बड़े परिवर्तनों की जरूरत महसूस हो रही है। आवश्यकता है तुरन्त कुछ करने की, ताकि नई जिन्दगी शुरू की जा सके। लेकिन वे इस समय कर क्या रहे हैं? चुनाव के लिए जनता का आह्वान! फिर वे तुरन्त ही एक सरकार निर्वाचित करके उसको सब काम सौंपेंगे, वे काम जो हम सब-को—प्रत्येक को—अपनी स्वेच्छा से करने चाहिए।

यही तो पेरिस मे १८ मार्च, १८७१ के बाद हुआ था। हमारे एक मित्र ने हमे सुनाया था, “मैं आजादी के उन सुखप्रद क्षणों को कभी नहीं भूलूँगा। पेरिस के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की भारी भीड़ मे गामिल होने के लिए मैं भी अपने कमरे से नीचे उत्तर आया था। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों की चर्चा कर रहा था। व्यक्तिगत झङ्गटों और निजी कार्यों को सब भूल गए थे—खरीद-फरोख्त की कोई सोचता भी न था—सब भविष्य की ओर बढ़ने को तन-मन-आत्मा से उत्सुक और लालायित थे। इस सार्वजनिक जोश की लहर मे मध्यवर्ग के आदमी भी वह गए थे और एक नई दुनिया को देख कर प्रसन्न थे। वे सब कह रहे थे—‘अगर सामाजिक क्राति करना ही है, तो तुरन्त कर दीजिये—सपूर्ण सपत्ति सार्वजनिक कर दीजिये—हम सब तैयार हैं।’ क्राति के सब सरजाम वहा मौजूद थे, जरूरत थी सिर्फ उन्हे काम पर लगाने की। जब मैं रात को घर लौट कर आया तो मैंने सोचा—‘आखिर मानव-समाज कितना सुन्दर है! हम उसे जानते ही न थे। अबतक तो उसकी निन्दा ही हुई है।’ उसके बाद हुए चुनाव। कम्यून के मेम्बर चुने गए और फिर धीरे-धीरे सारा उत्साह और कार्य करने की इच्छा विल्कुल समाप्त हो गई। हरएक आदमी अपने नित्य-प्रति के अंगों मे यह कहकर व्यस्त हो गया—‘हमारे ऊपर अब ईमानदार सरकार है। हमारे बजाय वह काम करेगी।’ उसके बाद जो कुछ हुआ वह सबको मालूम है।”

बजाय इसके कि जनता खुद कुछ करती, आगे बढ़ती और एक नवीन व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाती, उसने अपने शासकों पर विश्वास करके उन्हे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अधिकार सौंप दिया। चुनावों का यह पहला अनिवार्य नतीजा था। अब हम देखें कि उन शासकों ने क्या किया, जिन्हे

सबने विश्वास करके गढ़ी पर विठला दिया था ।

कम्यून के विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मार्च १८७१ के चुनाव अभूतपूर्व ईमानदारी से हुए थे । आम जनता ने अपने सर्वश्रेष्ठ आदमी और वास्तविक क्रातिकारियों को चुनने के लिए इतना उत्साह कभी नहीं प्रदर्शित किया था । सब प्रसिद्ध क्रातिकारी भारी बहुमत से निर्वाचित हुए—डॉकोविन्स, ब्लैकिस्टसे, इण्टरनेशनलिस्ट—तीनों क्रातिकारी पार्टियों के प्रतिनिधि कम्यून की कौसिल में चुने गये थे । किसी चुनाव में इससे बेहतर सरकार आ ही नहीं सकती थी ।

लेकिन इन सबका नतीजा क्या निकला ? इन्हे नागरिक भवन के भीतर बैठकर पुरानी सरकारों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के अनुसार काम करना पड़ा और उस बबत इन उत्साही क्रातिकारियों और मुधारकों को अपना नपु-सकत्व और अपनी लाचारी महसूस हुई । वावजूद उनकी हिम्मत और उनके पीछे जनता की सद्भावना के, वे पेरिस की रक्षा का भी प्रबन्ध नहीं कर सके । अब आदमी इसके लिए उन व्यक्तियों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में दोष उन व्यक्तियों का नहीं था, वर्तिक उस प्रणाली का था ।

वास्तव में वालिग मताधिकार द्वारा चुनाव ईमानदारी से हो, तो हृद-से-हृद ऐसे आदमी चुने जा सकते हैं, जो जनता के औसत आदमी की तत्कालीन राय का प्रतिनिधित्व करते हो । विप्लव के प्रारम्भ में इस औसत आदमी के दिमाग में अपने उद्देश्य की बहुत ही अस्पष्ट रूप-रेखा रहती है और उसको कार्यान्वित करने के तरीके के बारे में वह विलुप्त अनभिज्ञ रहता है । काग ! राष्ट्र अथवा कम्यून का बहुमत आन्दोलन के पहले केवल इस बात को समझ पाता कि शासन-व्यवस्था को उलटने के बाद क्या करना है । अगर सरकारों में विश्वास रखनेवालों की उन स्वप्न-दर्शियों की यह कल्पना सच हो जाती, तो कभी भी खूनी क्राति होती ही नहीं । उस स्थिति में जहा राष्ट्र की अविकाश जनता अपने इरादों को पकट कर देनी, वस बाकी लोग सुशी से उसे मान लेते । लेकिन ऐसा होता नहीं, घटनाए उम तरह घटती नहीं । आम जनता के स्थिति को पूरी तरह

समझने के पूर्व ही क्राति हो जाती है और जिन व्यक्तियों को भली-भाति मालूम है कि उसके बाद क्या होना चाहिए, वे बहुत ही अल्पसंख्यक होते हैं। जन-साधारण के मस्तिष्क में तो अबतक केवल अपने मनोवाचित उद्देश्य की साधारण रूप-रेखा ही रहती है। न उनको यह मालूम होता है कि लक्ष्य की ओर आगे कैसे बढ़े और न उनको उस दिशा में ही विश्वास होता है। व्यावहारिक हल तबतक नहीं मिल पाता और स्पष्ट हो पाता, जबतक कि परिवर्तन प्रारम्भ नहीं हो जाता। वह हल तो क्राति की उपज होगा, उसे कार्यशील जनता ही खोजेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह हल विलकुल निरर्थक होगा—थोड़े-से व्यक्तियों के मस्तिष्क इस प्रयत्न में हमेशा नितात असफल रहेगे, ऐसा हल तो केवल जनता के जीवन से ही उद्भूत हो सकता है।

वालिंग मताधिकार में जो स्वाभाविक बुराइया है, उन्हे यदि दूर भी कर दिया जाय तो भी उसके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की यही उपर्युक्त स्थिति होगी। वे अपनेको इसी हालत में पायगे, थोड़े-से व्यक्ति जो इस समय की क्रातिकारी भावनाओं के सच्चे प्रतिनिधि हैं, अपनेको उन आदमियों के बीच में विलकुल दबा हुआ पायगे जो भूतकाल के क्रातिकारी विचारों और मौजूदा व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। ये सच्चे क्रातिकारी, जिनकी उपस्थिति जनता के बीच में अत्यन्त आवश्यक है, खासकर क्राति के मौके पर, जनता को आन्दोलित करने के लिए और पुरानी व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए आज अपनेको सभा भवन के अन्दर बन्द पाते हैं। और वहाँ वे करते क्या रहते हैं? नरम दलवालों से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए निष्फल वहस और अपने दुश्मनों को अपने मत का बनाने का असफल प्रयत्न! जबकि उन लोगों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण कराने का केवल एक ही रास्ता है, यानी उन विचारों को कार्य-रूप में परिणत कर देना। इस तरह यह सरकार एक विधान मण्डल मात्र रह जाती है और उसमें मध्यवर्ग के विधान मण्डल की सभी बुराइया घुस बैठती है। क्रातिकारी सरकार बनने के वजाय वह उल्टी

क्राति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है और अत में जनता को उसे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार उन व्यक्तियों को ही पदच्युत करना पड़ता है, जिन्हे वे कलतक अपना प्रतिनिधि मानने में गौरव अनुभव कर रहे थे।

लेकिन उन्हे हटाना इतना आसान नहीं होता। नई सरकार, जिसने शीघ्रता से एक नवीन शासन-व्यवस्था कायम कर ली है, ताकि वह अपना प्रभुत्व बढ़ा सके और अपनी आज्ञाएं पालन करा सके, आसानी से हटना नहीं जानती। वह अपनी प्रभुता को बनाये रखने के लिए अत्यन्त उत्सुक होने के कारण उससे चिपट जाती है, और इसमें उसे शवित मिलती है उस बड़ी संस्था—राज्य—से जो अभीतक विल्कुल नष्ट नहीं हुई। वह सरकार जनता की शक्ति का मुकाबला करने की ठान लेती है और उस हालत में उसे हटाने का केवल एक तरीका रह जाता है—यानी हथियारों की मदद से दूसरी क्राति कर दी जाय और उन्हीं व्यक्तियों को उखाड़ फेका जाय, जिनपर जनता ने आशाएं बाध रखी थी।

अब आप देखते हैं कि क्रातिकारी दल में ही फूट पड़ गई। वैसे ही देरी करके वहुत-सा वहुमृल्य समय नष्ट हो चुका था, अब क्राति की शक्ति उन आपसी झगड़ों में नष्ट होने लगती है जो नये शासन के समर्थकों और विरोधियों में चलते हैं। यह सब हुआ क्यों? क्योंकि हमने इस तथ्य को नहीं समझा कि नई जिन्दगी के लिए एक नवीन व्यवस्था की आवश्यकता होती है और पुरानी संस्थाओं से चिपके रहने से क्राति असम्भव है; और क्योंकि यह बात हमारी अक्ल में नहीं आई कि क्रान्ति और सरकार दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं, चाहे वे कोई भी रूप धारण करे। उनका भाष-साथ चलना असम्भव है, और यह कि अराजकवाद के बाहर क्रांति नाम की कोई चीज है ही नहीं।

और यही हालत 'क्रातिकारी सरकार' के उम दूसरे रूप की है, जिसे 'तानाशाही' (अधिनायकत्व या डिक्टेंटरियम) कहते हैं।

जो उनरे क्रान्ति के मार्ग में, जब वह अपने को निर्वाचित सरकार के

अधीन छोड़ देती है, आते हैं, वे इतने स्पष्ट हैं कि क्रातिकारियों का एक पूरा दल ही उस तरीके को बिल्कुल त्याज्य समझता है। ये लोग जानते हैं कि विद्रोही जनता चुनावों द्वारा केवल वैसी ही सरकार पा सकती है जो पुरानी व्यवस्था की प्रतिनिधि होगी और जो जनता के पैरों में लोहे की जजीर साबित होगी और यह ऐसे मौके पर, जब उसे सामाजिक क्राति करनी है यानी जब उसे सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक पुनर्जीवन प्राप्त करना है। इसलिए वे नियमानुकूल सरकार के विचारों को फालतू समझते हैं—कम-से-कम उस समय तक के लिए जब कानून के ही विरुद्ध विद्रोह है। और वे क्रातिकारी तानाशाही का समर्थन करते हैं।

वे कहते हैं, “जो पार्टी सरकार को उखाड़ देगी, वही उसकी जगह ले लेगी। वह ताकत हथियाकर जोश से काम करना शुरू करेगी और विद्रोह को सफल बनाने के लिए आवश्यक साधन जुटायगी। पुरानी व्यवस्थाओं को वह नष्ट कर देगी और देश की रक्षा का प्रबन्ध करेगी। और वे व्यक्ति, जो इस पार्टी का प्रभुत्व नहीं मानेगे, अथवा जो सरकार की आज्ञाएँ—जो क्रान्ति की प्रगति के लिए आवश्यक हैं—मानने से इन्कार करेगे—फिर चाहे वे जनता के या मध्यवर्ग के आदमी हो—उनके लिए वस फासी का तत्त्वा है।” अब भी फासी। देखिये ये भावी क्रातिकारी कैसी बाते करते हैं। ये शताब्दी की उस महान् घटना (फ्रास की राज्यक्राति) के केवल पतनकाल का ही इतिहास जानते हैं—इतना सारा ज्ञान उसके विषय में पिछलगुओं के व्याख्यानों तक ही सीमित है।

पर हम अराजकवादियों के लिए तो तानाशाही—चाहे वह एक व्यक्ति की हो या एक पार्टी की, अन्तत वह एक ही चीज है—सदा के लिए त्याज्य है। हम जानते हैं कि क्रान्ति और सरकार साथ-साथ चल ही नहीं सकते। चाहे सरकार को कुछ भी नाम दिया जाय—तानाशाही, बाद-शाही अथवा विधान मण्डल, क्राति को तो वह नष्ट करेगी ही। हमारी पार्टी की शक्ति और उसके विचारों की सचाई इस सूत्र में है, “कोई भी अच्छी अथवा स्थायी चीज बिना जनता की स्वतन्त्र स्वेच्छा के नहीं हो सकती और

प्रत्येक सरकार उस स्वेच्छा को नष्ट नहीं करती है।” इसलिए हममें से सर्वश्रेष्ठ भी यदि उस महान् मशीन (यानी सरकार) के सचालक हो जाय और यदि हमारे विचारों की कार्यरूप में परणति होने के पहले, जनता द्वारा जाच-पड़ताल न हो गई हो, तो एक हफ्ते के भीतर ही हम फासी के तख्ते पर भेजे जाने के योग्य हो जायगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक तानाशाही का—चाहे वह सद्विचारों से कितनी ही प्रेरित हो—अन्तत भत्तलब होता है सब क्रातिकारी आन्दोलनों का खात्मा। हम यह भी जानते हैं कि यह तानाशाही का विचार केवल सरकार की प्राचीन प्रतिष्ठा और उपासना की निष्टप्त उपज है, जिसने धार्मिक उपासना की भाति सदा ही गुलामी की जजीरे मजबूत की है।

लेकिन इस बक्त हम अराजकवादियों से बात नहीं कर रहे। इस समय तो हमारा निवेदन है सरकारी क्रातिकारियों से, जो अपनी पुस्तकों के इकतरफा विचारों को पढ़कर गुमराह हो गए हैं और भूल से अन्धकार में पड़ गए हैं और इस प्रश्न को केवल अच्छी तरह समझना चाहते हैं।

पहले एक साधारण बात ही ले। जो व्यक्ति तानाशाही का पक्ष-समर्थन करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे इस तरह उन आदमियों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं जो आगे चलकर उन्हींका गला काटेंगे। अच्छा हो कि रॉब्सपियर का एक वाक्य उसके प्रगसक याद रखें। मैडर ने जब उस से तानाशाही के बारे में कहा, तो रॉब्सपियर ने जो सिद्धात तानाशाही का विरोधी न था, उत्तर दिया, ‘लेकिन आप अच्छी तरह समझ ले ब्रीसट डिक्टेटर बन वैठेगा, हा, ब्रीसट जीरोडिन पार्टीका चालाक सदस्य, जो जनता की समानता की भावनाओं का जवर्दस्त दुर्मन था, सम्पत्ति का प्रवल समर्थक था (यद्यपि वह कभी इसे चोरी भी कहता था) और जो बिना किसी रहम के हीबट मैरट तथा अन्य नरमदली जैकोविन्स को कारागार में ढाल देता !

यह बात भन् १७९२ में कही गई थी। तब फ्रास में तीन साल से क्राति थी। वास्तव में बादगाहत यहा उन समय नहीं रही थी, उसे केवल दफनाना

शेष था, सामन्तशाही का युग खत्म हो चुका था। इस समय भी जब क्राति अबाध रूप से आगे बढ़ रही थी, ब्रीसट जैसे क्राति-विरोधी के तानाशाह बनने की सबसे अधिक सम्भावना थी। इसके पहले सन् १७८९ में तानाशाह बनने की सबसे अधिक सम्भावना किसकी थी? उस समय मिराबो को शासन का प्रधान मान लिया गया होता। उसी मिराबो के हाथों, जिसने अपनी वक्तृत्व कला को राजा के हाथ बेच दिया था, शासन-अधिकार सौप दिये गए होते, यदि उस समय विद्रोही जनता ने अपनी सत्ता न जमा दी होती और उसके बाद उसने निरन्तर अपने अकुश मार कर पेरिस अथवा सूबों में बनी प्रत्येक सरकार को न तोड़ दिया होता।

लेकिन सरकार में अन्ध-विवास तानाशाही के समर्थकों को इतना अन्धा बना देता है कि जब जनता गुलामी की जजीरे तोड़ने में सलग्न हैं तो वे बजाय इसके कि जनता को बैसा करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दे, उसके ऊपर नये ब्रीसट अथवा नैपोलियन लाद देना पसन्द करते हैं।

राजा के पुन स्थापन और लुई फिलिप के समय की गुप्त सभाओं के कारण तानाशाही के पक्ष में विचार और भी दृढ़ हो गए। मध्यवर्ग के प्रजातन्त्रवादियों ने मजदूरों की सहायता से बादशाहत को उखाड़ने और प्रजातन्त्र घोषित करने के लिए कई षड्यन्त्र रचे थे। वे नहीं जानते थे कि फास में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित होने के पहले कितने महान आमूल परिवर्तन करने होगे। वे समझ वैठे थे कि सिर्फ एक षड्यन्त्र द्वारा वे बादशाहत को उलटकर ताकत हथिया लेंगे और फिर तुरन्त प्रजातन्त्र घोषित कर देंगे। तीस साल से अधिक समय तक ये गुप्त सभाएं दृढ़ निष्ठा अत्यधिक उत्साह और प्रेरणा से निरन्तर कार्य करती रही। अगर १८४८ के विद्रोह के बाद प्रजातन्त्र स्थापित हो सका, तो उसका श्रेय इस तीस साल के प्रचार को ही है। बिना उसके प्रजातन्त्र स्थापित होना असम्भव था।

इन गुप्त सभाओं का उद्देश्य था कि शक्ति हाथ में लेकर प्रजातान्त्रिक

तानाशाही स्थापित कर देगे। लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। और यह सदैव की भाति अवश्यम्भावी था, क्योंकि राजतन्त्र को पड़यन्त्र आमूल नप्ट नहीं कर सकते। यह ठीक है कि पड़यन्त्रकारियों ने उसके पतन की तंयारिया कर दी थी। उन्होंने जनता में प्रजातांत्रिक विचार फैला दिये थे और उनके गहींदों के कारण ही जनता ने प्रजातन्त्र को अपना आदर्श बनाया था। लेकिन जिस अन्तिम चोट ने निव्वय रूप से मध्यवर्ग तरा रक्षित राजा को उखाड़ फेका, वह गुप्त सभाओं के कार्यों से कहीं अधिक महान् और शक्तिशाली था—वह था जनता-जनार्दन का प्रयत्न।

नतीजा भवको मालूम है। जिन व्यक्तियों ने राजगाही के पतन के लिए प्रयत्न किये थे, वे शासन-सत्ता से बहुत दूर फेक दिये गए। अन्य व्यक्ति, जो अपनी चालाकी से इन पड़यन्त्रों से दूर रहे थे, जो नरम दल के नाम से प्रसिद्ध थे और जो शासन-सत्ता के लेने के मौके की वाट जोह रहे थे, आगे आ गए और उन्होंने उस ताकत को अपने हाथों में ले लिया जिसके ऊपर पड़यन्त्रकारी आशा लगाये बँठे थे। वे पत्रकार, वकील और निपुण वक्ता जो भाषण दें-देकर यश कमा रहे थे—जब भच्चे प्रजातन्त्रवादी या तो हथियार बना रहे थे या जेलों में मड़ रहे थे—अब आगे आ गए और ताकत अपने हाथ में ले ली। जनता ने उनमें से कुछ का, जो सुप्रसिद्ध थे, जयघोष किया और शेष ने वैसे ही अपने को आगे कर लिया और वे केवल इसलिए नेता स्वीकार कर लिये गए क्योंकि उन्होंने हर आदमी से हर बात में सहमत होने के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया था।

यह कहना फिजूल है कि यह भव इसलिए हुआ कि काम करनेवाली पार्टी में व्यावहारिक व्यक्तियों की कमी थी और भविष्य में दूसरे लोग उसमें अधिक नफल हो सकेंगे। नहीं, कदापि नहीं। यह तो एक उतना ही अचल निव्वान है जितने कि आकाश के नक्षत्रों का संचालन करनेवाले नियम, ति जो पार्टी बाम करती है वह अवश्य ही एक और फेक दी जायगी और कूटनीतिज्ञ और फालतू बातें करनेवाले ताकत हथियार लेंगे। वे हमेशा जनता के दीच में अधिक विजापिन होते हैं। उनको बोट भी ज्यादा

मिल जाते हैं—उसे मत-गणना कहिये या और कुछ, चुनाव या जय-धोष—और वास्तव में हमेशा ऐसे मौको पर केवल जय बोलने को चुनाव का नाम दे दिया जाता है। सब आदमी इन व्यक्तियों की जय बोलने लगते हैं। और सबसे अधिक जय वे बोलते हैं जो पहले क्राति के विरोधी थे और जो इस भमय बिल्कुल नाचीज फालतू आदमियों को चुनाव के लिए खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार इस जय-जयकार में वे व्यक्ति शासक स्वीकार कर लिये जाते हैं जो वास्तव में या तो आन्दोलन के दुश्मन हैं या उसके प्रति बिल्कुल उदासीन।

उस व्यक्ति ने, जो औरों से कही अधिक षड्यन्त्रों की इस प्रणाली का जनक था और जिसने जिन्दगी भर जेल में रहकर क्राति की आराधना का मूल्य चुकाया था, मृत्यु से पहले ये शब्द कहे थे, “न हमे ईश्वर चाहिए और न शासक।” इन शब्दों में सम्पूर्ण कार्यक्रम निहित है।

क्रातिकारी सरकारों की नपुसक गुप्त सभाए सरकार को उलट कर उभका स्थान ले लेगी, यह एक ऐसी कल्पना है कि इसके गढ़े में वे सब क्रातिकारी सस्थाए, जो १८२० से मध्यम श्रेणी के प्रजातत्रवादी व्यक्तियों के बीच उठी थी, गिर पड़ी। इतिहास की घटनाए हमें बतलाती है कि यह कितनी बड़ी भ्रान्ति है। ‘नवीन इटली’ नाम की पार्टी की प्रजातत्रवादी गुप्त सभाओं ने कितनी लगन, उत्साह और आत्मोत्सर्ग से काम किया था। वे सब महान कार्य, वे त्याग, जो इटली के नवयुवकों ने किये थे और जिनके सामने रूस के क्रातिकारी नवयुवकों के त्याग भी फीके पड़ जाते हैं—आस्ट्रिया के किलों में सहमत्रों की लागे और हजारों को फासी—इन सबके बावजूद क्या हुआ? आखिर मे शासन-सत्ता मध्यवर्ग के और राजघराने के कुछ चालाक, धृत व्यक्तियों के हाथ में पहुच गई।

और यह अवश्यम्भावी है, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शासन-व्यवस्था का बिल्कुल खात्मा करना गुप्त सभाओं अथवा क्रातिकारी सस्थाओं के बूते का काम नहीं। उनका महान् कार्य और उद्देश्य तो जनता के मस्तिष्क को क्राति के लिए तैयार कर देना है। जब जनता तैयार

हो गई और परिस्थितिया अनुकूल हो गई, तब सत्ता को आखिरी धक्का दिया जाता है, और यह आखिरी धक्का वह दल नहीं देता, जिसने आन्दोलन चलाया था, वरन् जन-साधारण—जो उस दल से बिल्कुल बाहर थे—देते हैं। ३१ अगस्त को पेरिस की जनता ब्लैंकी की बात भी सुनना नहीं चाहती थी। चार दिन बाद ब्लैंकी ने सरकार के पतन की घोषणा की, लेकिन तबतक आन्दोलन ब्लैंकी अथवा उसके अनुयायियों के हाथ में नहीं रहा था। जनता के लाखों ही आदमियों ने मिलकर उस व्यक्ति को ग़हीं से उतारा था और उन धूर्तों को जामक चुना था, जिनके नाम दो साल से उनके कानों में गूज रहे थे। जब विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित होनेवाली होती है, जब आन्दोलन की लहर चारों ओर फैल जाती है और जब उसकी सफलता प्राय निश्चित हो जाती है, तब हजारों ही ऐसे व्यक्ति, जो आन्दोलन के प्रभाव से बिल्कुल अछूते थे, आन्दोलन में शामिल होने के लिए ऐसे ही आ टपकते हैं जैसे ठीक समय पर गिर्द श्मशान-भूमि में लाशों के लिए डकट्ठे हो जाते हैं। ये व्यक्ति अन्तिम प्रयत्न में सहयोग देते हैं। लेकिन उसके बाद वे अपना नेता सच्चे और पक्के पड़यत्रकारियों में से नहीं, वरन् ढुल-मुल यकीन व्यक्तियों में से चुनते हैं और तब पड़यत्रकारी, जिनके दिमाग में अब भी तानाशाही के पक्ष में विचार भरे हैं, जान-बूझकर अपने इन दुश्मनों को ही शासन-सत्ता सींपने का उपक्रम करते हैं। यदि यह सबव जो अभी हमने कहा है राजनीतिक क्रातियों अथवा विद्रोहों के बारे में सच है, तो उससे भी अधिक सच यह उस क्राति के विषय में है, जिसे हम चाहते हैं, यानी सामाजिक क्राति। सरकार को—एक शक्तिशाली और अधिकृत संस्था को—किसी भी रूप में स्थापित होने देने के मानी हैं, क्राति के कार्य का तुरन्त खात्मा कर देना। यह सरकार कोई हितकर काम तो कर नहीं सकेगी, उल्टे दुराइयों की हड़ कर देगी।

क्राति से हमारा तात्पर्य क्या है? उनके मानी यह नहीं है कि शासकों में परिवर्तन कर देना। उसका वास्तविक अर्थ है नामाजिक सम्पत्ति के ऊपर जनता का अधिकार, उसके मानी हैं उन सब शक्तियों को नष्ट कर

देना, जो अबतक मनुष्य-समाज की प्रगति मे वाधक रही है। लेकिन क्या यह महान् आर्थिक क्राति एक सरकार के द्वारा निकाले हुए आर्डीनेन्सो द्वारा हो सकती है? हम पिछली शताब्दी मे देख चुके हैं कि पोलैण्ड के क्रातिकारी तानाशाह कौशसको ने व्यक्तिगत गुलामी को बन्द करने की आज्ञा निकाल दी थी और उस आज्ञा के अस्सी वर्ष बाद तक वह प्रथा जारी रही थी। हम महान् शक्तिशाली कनवेशन, जिसे उसके प्रशासक 'भयकर कनवेशन' भी कहते हैं, को भी देख चुके हैं। उस कनवेशन ने जागीरदारो की जब्त की हुई जमीन को प्रत्येक आदमी को बराबर-बराबर बाटने का आदेश दिया था। अन्य आदेशो की तरह यह भी कागजो मे पड़ा सड़ता रहा, क्योंकि अमल मे लाने के लिए यह आवश्यक था कि देहातो का शोषित समाज एक बिल्कुल नई क्राति करे, और क्रातिया कभी सरकारी आदेशो से नहीं होती। जनता सामाजिक धन तथा साधनो को अपने हाथ मे ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसको चाहे कुछ भी करने की आजादी हो। उस महान् परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि जनता गुलामो की आदतो को, जिनकी वह अबतक अस्ति रही है, कर्ता छोड़ दे और वह अपनी इच्छा से विना किसी आज्ञा का इन्तजार किये आगे बढ़ चले। तानाशाही, चाहे वह कितनी ही समीक्षाओ से प्रेरित हो, इस चीज का विरोध करेगी और इसलिए तानाशाही के लिए यह बिल्कुल असम्भव है कि वह क्राति को रत्ती भर भी आगे बढ़ा सके।

और जब कोई सरकार, चाहे वह एक आदर्श क्रातिकारी सरकार ही क्यो न हो, जनता मे कोई नई लहर पैदा नहीं कर सकती और हमारे उस महान् विध्वस-कार्य मे बिल्कुल सहायक नहीं हो सकती, तो पुनर्संगठन के कार्य मे, जो विध्वस के बाद प्रारम्भ होगा, उससे और भी कम आशा की जा सकती है। सामाजिक क्राति के फलस्वरूप जो आर्थिक क्राति होगी, वह इतनी महान् और गम्भीर होगी, वह सम्पत्ति और विनियम की मौजूदा व्यवस्थाओ मे इतने परिवर्तन करेगी कि किसी मनुष्य के लिए यह असम्भव है कि वह विभिन्न सामाजिक संस्थाओ

का—जो भावी समाज में स्थापित होगी, विस्तृत वर्णन कर सके। इन नई सामाजिक संस्थाओं का विस्तृत व्यौरा केवल जनता की सामूहिक शक्ति ही दे सकती है। व्यक्तिगत पूजी के खत्म होते ही जो तरह-तरह की आवश्यकताएँ और परिस्थितिया उपस्थित होगी, उनका मुकाबला केवल सम्पूर्ण जनता के सयुक्त विचार ही कर सकते हैं। कोई भी वाहरी शक्ति उस में केवल वावक ही न होगी, बल्कि उससे घृणा और झगड़े उत्पन्न होगे।

लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम 'क्रांतिकारी सरकार' की इस माया को, जो कई दफा झूठी और इतनी महगी सावित हो चुकी है, सदा के लिए तिलाजलि दे दें। अब भी समय है कि हमें सब राजनीति-शास्त्र के इस तत्त्व को स्वीकार कर ले कि सरकारों का क्रांतिकारी होना असम्भव है। कुछ व्यक्ति कनवेशन की मिसाल देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो थोड़े-से कार्य कनवेशन ने किये थे—और वे बहुत क्रांतिकारी भी नहीं थे—वे केवल उस जनता के किये हुए कामों के ऊपर सिर्फ सरकारी मुहर-से थे जो उस समय प्रत्येक सरकार को पद-दलित कर रही थी। जैसा कि विक्टर ह्यूगो ने कहा है—रॉब्सपियर को डाण्टन ने हटाया, मारेट ने डाण्टन की गद्दी ली और वाद में खुद मारेट को सीमोर-डेन के लिए जगह खाली करनी पड़ी—और ये व्यक्ति उस समय के उत्साही विद्रोहियों के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे। वास्तव में बनवशन भी उससे पहले और उसके वाद की बनी हुई सब सरकारों की भाति ही जनता के कार्य में वावक ही सिद्ध हुआ था।

इतिहास इस दिशा में जो तथ्य हमें बतलाता है, वे इतने अकाट्य हैं और भरकार के क्रांतिकारी होने की अमम्भवता और उनके हानिकर फल इतने स्पष्ट हैं कि यह समझना भी मुश्किल मालूम होता है कि अपने को साम्यवादी कहनेवाला एक वर्ग-विशेष सरकार के पक्ष में विचार कैसे रख सकता है। लेकिन इसका कारण स्पष्ट है। वह यह कि अपने को साम्यवादी कहनेवाले इन व्यक्तियों की, और हमारी, क्रांति के विषय में विल्कुल निन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। मध्यवर्ग के प्रजातन्त्रवादियों की भाँति उनके लिए सामाजिक

नीति और जीवन

क्राति तो सुदूर भविष्य की चीज है, जिसके विषय में उनकी राय में अभी सोचना भी व्यर्थ है। उनके मस्तिष्क में जो कल्पना है यद्यपि उसके स्पष्ट करने की हिम्मत उनमें नहीं है, तथापि वह तो बिल्कुल भिन्न है। वह कल्पना यह है स्विट्जरलैण्ड अथवा सयुक्त राज्य अमरीका की तरह की सरकार की स्थापना, और फिर समाज के लिए कुछ आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं को राज्य के लिए जब्त कर लेना। उनका आदर्श बिस्मार्क के आदर्श से कुछ मिलता-जुलता है। वह जन-साधारण की साम्यवादी आकांक्षाओं और मध्य वर्ग की पदलालसा के बीच अग्रिम समझौता है। वास्तव में उनकी इच्छा तो अवश्य रहती है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति जनता के हाथ में आ जाय, लेकिन ऐसा करने की उनमें हिम्मत नहीं। इसलिए उसे वे अगली शताब्दी के लिए टाल देते हैं और दुःख के पहले ही दुश्मन से सुलह की बातचीत शुरू कर देते हैं।

: ३ :

नीति और जीवन

मानवीय विचार का इतिहास हमे पेण्डुलम के झूलने का स्मरण दिलाता है, जिसके झूलने में शताब्दिया लग जाती है। चिरकालीन निद्रा के बाद जब जागरण का समय उपस्थित होता है तो मानवीय विचार अपने को उन शृखलाओं से मुक्त कर डालता है, जिन शृखलाओं से शासक, कानून-पेशावाले और धर्म-न्याजकों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बड़ी सावधानी से आवेदित कर रखा है।

वह शृखलाओं को छिन्न-भिन्न कर डालता है। उसे अबतक जो कुछ गिक्षाएं मिली हैं, उनकी वह तीव्र आलोचना करता है, और जिन धार्मिक राजनीतिक, कानून-सम्बन्धी तथा सामाजिक पक्षपात्रों विचारों में होकर वह अकुरित एव पल्लवित हुआ है, उनकी शून्यता को वह नग्न रूप में प्रकट कर देता है। वह नवीन मार्गों पर चलकर अनुसधान करता है, नवीन आविष्कारों से हमारे ज्ञान को वर्द्धित करता है और नूतन विज्ञान की सृष्टि

करता है। किन्तु विचार के बद्धमूल शब्द—सरकार, विधि-निर्माता और पुरोहित—फिर शीघ्र ही अपनी पराजय को भूलकर आगे आ जाते हैं। क्रमग्रन्थ वे अपनी विखरी हुई शक्तियों को एकत्र करते हैं और अपने धर्म-विश्वास तथा नियम-विधान को नूतन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हैं। इसके बाद विचार और चरित्र की दासता से लाभ उठाकर, जिसको उन्होंने स्वयं बड़ी ही निपुणता के साथ जनता में पैदा किया है तथा समाज की असगठित व्यवस्था, कुछ लोगों के आलस्य, कुछ के लोभ और बहुतों की सर्वोत्तम आशाओं से लाभ उठाकर, वे चुपचाप फिर अपने कार्य को—सबसे पहले शिक्षा द्वारा बच्चों पर अधिकार जमा कर—ग्रहण कर लेते हैं।

बच्चे की आत्मा दुर्बल होती है। उसे भय दिखाकर बाध्य करना सहज है। वे ऐसा ही करते हैं। वे बच्चे को भीरु बना डालते हैं और तब वे उसे नरक की यत्रणाओं के किस्से बतलाते हैं। वे उसके सामने पापियों के कष्ट और निष्ठुर ईश्वर की प्रतिहिसा का चित्र चिरि त करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण वे क्राति की भयकरताओं और क्रातिकारियों के कुछ अत्याचारों का वर्णन करके बच्चे को शाति और व्यवस्था का समर्थक बनाने की चेष्टा करते हैं। पुरोहित वालक को विधि-विधानों से अभ्यस्त बनाता है, जिससे कि वह 'ईश्वरीय नियम' का अच्छी तरह पालन कर सके। वकील 'ईश्वरीय कानून' के बारे में बार-बार चर्चा करता है, जिससे मानवीय कानूनों का अच्छी तरह पालन किया जा सके।

आत्म-समर्पण के इस अभ्यास के कारण, जिससे हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं, भावी पीढ़ी के विचार में भी वही टेढ़ापन रह जाता है, जो दास-मुलभ होने के साथ-साथ शासनात्मक भी होता है, क्योंकि प्रभुता और दासता नाथ-साथ चलती है।

तन्द्रालभता के इस सक्रमण काल में नीति-ज्ञान पर कदाचित ही विवेचना होती है। धार्मिक अनुष्ठान और न्याय-विषयक पाखड़ उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। लोग किसी बात की समालोचना नहीं करते, बल्कि अभ्यास

और उदासीनता के कारण वस्तु-स्थिति को ज्यो-केन्त्यो रूप में स्वीकार कर लेते हैं। चिराचरित नीतिनिष्ठा के विश्व कुछ बोलने का उनमें साहस नहीं होता। वे इस बात की पूरी चेष्टा करते हैं कि जो-कुछ वे अपने मुँह से कहते हैं, उसके अनुकूल उनका आचरण प्रतीत हो।

मनुष्य में जो कुछ सत्, महान्, उदार या स्वतत्र था, उसपर क्रमण काई लगने लगती है और उसपर उसी तरह जग लग जाता है, जिस तरह काम में आनेवाली छुरी पर। मिथ्या उस समय धर्म बन जाता है और एक साधारण बात कर्तव्य बन जाती है। जो लोग सुख-चैन से जीवन व्यतीत करते हैं, उनका ध्येय होता है—चाहे जैसे हो, अपने को धनवान बनाना, आये हुए अवसरों से लाभ उठाना, अपनी बुद्धि, उत्साह और शक्ति का पूर्ण रूप से मनमाने उद्देश्य के लिए उपयोग करना। गरीब लोगों का ध्येय भी यही बन जाता है, क्योंकि उनका आदर्श भी तो यही होता है कि मध्यम श्रेणी जैसा अपने को प्रदर्शित करे। इसके बाद शासक और न्यायकर्ता, धर्म-याजक और धनी तथा मध्यम श्रेणी का अध पतन इतना धृणास्पद हो उठता है कि पेण्डु-लम दूसरी ओर झूलने लगता है।

धीरे-धीरे युवक सम्प्रदाय अपने को इन बन्धनों से मुक्त कर डालता है। वह अपने पूर्व-निश्चित विचारों को दूर फेक देता है और प्रत्येक विषय की समालोचना करने लगता है। चिन्तन-शक्ति जाग्रत होती है, पहले तो थोड़े लोगों में, इसके बाद अज्ञात रूप से जनता तक पहुँच जाती है। फिर आवेग उत्पन्न होता है और उसका परिणाम होता है क्राति।

प्रत्येक बार नीति-निष्ठा का प्रश्न उपस्थित होता है। ‘मैं इस पाखड़पूर्ण नीति-निष्ठा के सिद्धातों का अनुसरण क्यों करूँ?’—धार्मिक भय से मुक्त मस्तिष्क में यह प्रश्न उपस्थित होता है। कोई नीति-निष्ठा बाध्यतामूलक क्यों होनी चाहिए?

जीवन के प्रत्येक अवसर पर लोगों के सामने जो नैतिक भावना उपस्थित होती है, उसका कारण बतलाने की वे चेष्टा करते हैं, यद्यपि वे स्वयं उसे नहीं समझते। और जवतक वे यह समझते रहेंगे कि यह नैतिकता की भावना

केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है, और जबतक वे पशु-जगत या पाषाण-जगत का अध्ययन नहीं करते, तबतक इसे समझने के लिए वे इसकी व्याख्या कर भी नहीं सकेंगे, किन्तु उपर्युक्त अवसर उपस्थित होने पर वे इसका उत्तर ढूढ़ते हैं।

यदि हम यह कहने का साहस करें, तो कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित नीति-निष्ठा अथवा यो कहिये कि पाखड़ का, जिसने उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, आधार जितना ही अधिक क्षीण होगा, उतना ही अधिक समाज का नैतिक धरातल ऊँचा उठेगा। ठीक ऐसे समय में ही, जबकि लोग प्रचलित नीति-निष्ठा की आलोचना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, नैतिक भावना की सबसे अधिक उन्नति होती है। इसी समय इसका विकास होता है, उत्थान होता है और इसमें विशुद्धता आती है।

वर्षों पहले रूस के युवकों को इसी प्रश्न ने अत्यधिक विश्वव्य कर दिया था। “मैं नीति-भ्रष्ट बनूगा！” — एक निहिलिस्ट युवक अपने मित्र के पास आता और उससे कहता। इस प्रकार उसने अपने उन विचारों को कार्यरूप में परिणत कर दिखाया, जिनके कारण उसे चैन नहीं मिलता था। “मैं नीति-भ्रष्ट बनूगा, और मुझे ऐसा क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वाइविल की ऐसी शिक्षा है? किन्तु आखिर वाइविल भी तो वेवलोनियन और हिन्दू जाति की परम्परागत कथाओं का—जो कथाएं होमर के पद्म-जैसे या इस समय भी वास्क के पद्म और मगोलिया की कथाओं का जैसा सग्रह हो रहा है वैसा—सग्रह मात्र है। तो क्या मैं भी अपने मन की स्थिति को पूर्व की अद्वैत-सम्य जातियों जैसी बना लू? क्या मुझे इसलिए सदाचारी बनना चाहिए कि दार्शनिक काण्ट ने बताया है कि मेरे अन्तर्रतम से एक रहस्यमय आदेश होता है और वह मुझे सदाचारी बनने के लिए कहता है? किन्तु इसी आदेश का मेरे कार्यों के ऊपर उस आदेश की अपेक्षा विशेष प्रभुत्व क्यों हो, जो आदेश समय-समय पर मुझे मद्य-पान के लिए प्रेरित करता है? ‘इच्छर’ या ‘दैव’ जैसे शब्द भिर्फ़ इमलिए गढ़े गए हैं कि उनके द्वारा हम अपने अज्ञान को छिपा नहें।

“या शायद मुझे इसलिए सदाचारी बनना चाहिए कि दार्शनिक वैन्यम ने मुझे बताया है कि यदि मैं एक पथिक को, जो नदी में गिर पड़ा है, खड़ा होकर डूबते हुए देखने की अपेक्षा स्वयं डूबकर बचा लूँ, तो इसमें मुझे अधिक आनन्द प्राप्त होगा ? या शायद इसलिए कि मुझे ऐसी ही शिक्षा मिली है, क्योंकि मेरी मां ने मुझे नीति-ज्ञान की शिक्षा दी थी ? तो क्या मैं गिरजाघर में जाकर और घुटने टेककर उपासना करूँ, राजमहिषी का अभिवादन करूँ, न्यायकर्ता के सामने—जिसे मैं एक दुरात्मा के रूप में जानता हूँ—माथा टेकूँ, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी माताओ—भोलीभाली अबोध माताओ—ने हमें इस तरह की बहुत-सी झूठ-मूठ की बाते सिखलाई हैं ?

“मैं भी, और लोगों के समान ही पूर्व-स्स्कारों से विजित हूँ। मैं इन स्स्कारों से अपने को मुक्त करने की चेष्टा करूँगा। यद्यपि नीति-भ्रष्टता मेरे लिए विरक्तिजनक होगी, तथापि मैं अपनेको जवरदस्ती उसी प्रकार नीति-भ्रष्ट बनाऊँगा, जिस प्रकार लड़कपन में मैंने बलपूर्वक अपने को अन्धकार, गिरजाघर, भूत-प्रेत और मृतक के भय से मुक्त किया था, जिन सबसे भय करना मुझे सिखलाया गया था।

“धर्म द्वारा जिस साधन का दुरुपयोग हुआ है, उसे भग करना नीति-विरुद्ध होगा, मैं ऐसा करूँगा और वह इसलिए कि सदाचार के नाम पर पाखड़ का जो बोझ हमारे ऊपर लाद दिया गया है, उससे अपनी रक्षा करूँ।”

रूस के युवकों ने जब पुराने जमाने के कुसस्कारों का परित्याग किया था, और निहिलिस्ट या अनार्किस्ट (अराजकवादी) दर्शन का झड़ा फहराया था, उस समय वे इसी ढंग से तर्क-वितर्क किया करते थे। किसी भी प्रभुता के सामने घुटने नहीं टेकना, चाहे वह कितनी ही सम्माननीय क्यों न हो, किसी भी सिद्धात को तबतक ग्रहण नहीं करना जबतक कि वह बुद्धि द्वारा प्रमाणित न हो।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने पूर्वजों के उपदेश को रहीं की टोकरी में फेककर और नीति-ज्ञान की सारी पद्धतियों को जलाकर निहिलिस्ट युवकों ने अपने बीच नैतिक आचारों का एक ऐसा केन्द्र बना लिया, जो उन सब

वातो से कही श्रेष्ठ था, जिनका आचरण उनके पूर्वजों ने 'धर्म वाक्य', 'अन्त - करण', 'अन्तरात्मा का आदेश' या 'परोपकारिता से लाभ' इन सब वातों के अधीनस्थ होकर किया था, किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व कि 'मैं सदाचारी क्यों बनूँ?' हम यह देखें कि यह प्रश्न ठीक तौर से रखा गया है या नहीं। आइये, हम पहले मानवीय क्रिया के उद्देश्य का विश्लेषण करें।

मनुष्य अच्छा या बुरा काम क्यों करता है, इसका कारण जब हमारे पूर्वज बतलाना चाहते थे, तो वे बहुत ही सीधे ढग से काम लिया करते थे। अबतक भी इस प्रकार की कैथोलिक सप्रदाय की कई मूर्तियां पाई जाती हैं, जिनसे इस विषय की व्याख्या पर प्रकाश पड़ता है। एक मनुष्य रास्ते से होकर जा रहा है। उसे इस वात की विल्कुल खबर नहीं है कि वह अपने दाये कधे पर एक शैतान को और दाये कधे पर एक देवदूत को वहन किये हुए है। शैतान उसे पापकर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यदि देवदूत का आदेश ग्रहण करके वह धर्मनिष्ठ बना रहता है तो अन्य तीन देवदूत उसे पकड़कर स्वर्ग ले जाते हैं। इस प्रकार सब शुभाशुभ कर्मों की व्याख्या, वडे-ही अच्छे ढग से हो जाती है।

रूस की बुड्ढी धाइया, जो इस प्रकार की कहानियों की खान होती है, आपको बतायगी कि बच्चे के कुरते के गले का बटन खोले बिना उन्हे विछोने पर नहीं सुलाना चाहिए। गर्दन के नीचे एक गरम स्थान खाली छोड़ देना चाहिए, जहां रक्क क देवदूत सुख से आश्रय ग्रहण कर सके। ऐसा न करने पर शैतान सौते हुए बच्चे को भी पीड़ा पहुंचायगा।

इस प्रकार की सरल भावनाएं अब लुप्तप्राय हो रही हैं, किन्तु यद्यपि पुराने शब्द लुप्त हो रहे हैं, फिर भी उनका जो वास्तविक भाव है, वह पहले के समान ही बना हुआ है।

सुनिक्षित व्यक्ति अब भूत-प्रेत या शैतान में विश्वास नहीं करते; किन्तु उनको भावनाएँ हमारी धाइयों की अपेक्षा अधिक युक्तिसंगत नहीं कही जा सकती। दर्शन-शास्त्र के नाम पर बाहरी तड़क-भड़क के शब्दों में वे शैतान और देवदूतों को छिपा देते हैं। आवृन्दिक भमय में वे 'र्धेतान' न कहकर इसे

‘इन्द्रिय लालसा’ या ‘मनोविकार’ कहते हैं। देवदूत के बदले ‘अन्त करण’ या ‘आत्मा’ शब्द का व्यवहार होता है, किन्तु मनुष्य की क्रियाओं को इस समय भी दो विरोधी तत्त्वों के बीच होनेवाले संग्राम का परिणाम बताया जाता है और मनुष्य ठीक उसी मात्रा में धर्मनिष्ठ समझा जाता है, जिस मात्रा में इन दो तत्त्वों में से एक—आत्मा या अन्त करण—दूसरे तत्त्व—इन्द्रिय लालसा या मनोविकार—पर विजय प्राप्त करता है।

जब अग्रेज दार्शनिकों ने और उनके बाद विश्वकोष के निर्माताओं ने इन आदिम भावनाओं के विरुद्ध यह दृढ़तापूर्वक कहना शुरू किया कि शैतान या देवदूत के साथ मानवीय कार्य का कोई सबध नहीं है, और मनुष्य के सब कार्य—शुभ या अशुभ, हितकर या अहितकर—सिर्फ़ एक ही अभिप्राय से उत्पन्न होते हैं, और वह अभिप्राय है सुखोपभोग की कामना, तो उस समय हमारे बाप-दादों को कितना आश्चर्य हुआ होगा, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

सपूर्ण धार्मिक समाज ने और खासकर धर्मव्वजियों के विभिन्न दलों ने इसे ‘दुर्नीति’ कहकर चिल्लाना शुरू किया। चिन्तनशील विद्वानों पर अपमानों की बौछार होने लगी और उन्हें जाति-वहिष्कृत कर दिया गया। इसके एक शताब्दी बाद जब बैन्थम, जॉन स्टुअर्ट मिल, चरनिस्मेस्की तथा अन्य वहुत-से दार्शनिकों ने इसी तत्त्व का प्रतिपादन करना शुरू किया, और जब इन मनीषियों ने यह दृढ़तापूर्वक कहना और सिद्ध करना शुरू किया कि अहवाद या भोग की वासना ही हमारी समस्त क्रियाओं का वास्तविक अभिप्राय है, तो उनके ऊपर अभिशाप की वर्षा छिगुणित रूप में होने लगी। मौनावलम्बन का षड्यन्त्र रचकर उनकी रचनाओं को वर्जित कर दिया गया, और रचयिताओं के प्रति स्थूल-नुद्दि व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया गया। किन्तु उन्होंने जिस सिद्धात का प्रतिपादन किया था, उससे बढ़कर अधिक सत्य और क्या हो सकता है?

एक आदमी ऐसा है, जो एक बालक के मुख का अन्तिम ग्रास छीनकर खा जाता है। उसके सबध में प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि वह एक भयानक

स्वार्थपरायण मनुष्य है और एकमात्र स्वार्थपरता के भाव से ही वह उत्प्रेरित होता है।

अब एक ऐसे आदमी को लीजिये, जिसे प्रत्येक व्यक्ति धर्मनिष्ठ समझता है। वह स्वयं भूखा और नगा रहकर भूखों को अन्न और नगों को वस्त्र प्रदान करता है। नीतिपरायण व्यक्ति अपने धर्म-सवधी अपलापो की पुनरावृत्ति करते हुए फौरन् यह कह बैठेगे कि उक्त मनुष्य का अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम आत्मोत्सर्ग की सीमा पर पहुँच गया है, और वह स्वार्थ-परायण व्यक्ति की अपेक्षा एक सपूर्ण भिन्न मनोद्वेग के आदेशानुसार आचरण करता है। किन्तु कुछ हो, विचार करने के बाद हमें शीघ्र ही इस बात का पता चल जायगा कि दोनों प्रकार के कार्यों में मनुष्य-जाति के लिए परिणाम की दृष्टि से चाहे कुछ भी अन्तर् क्यों न हो, किन्तु दोनों का उद्देश्य एक ही है। वह उद्देश्य है सुखोपभोग का सन्धान। जिस मनुष्य ने स्वयं नगा रहकर दूसरे को अपना वस्त्र दे दिया, उसे यदि ऐसा करने में आनन्द नहीं मिलता तो वह इस काम को नहीं करता। यदि उसे बालक के हाथ से रोटी छीनने में आनन्द मिलता, तो वह भी ऐसा ही करता, किन्तु यह काम उसके लिए विरक्तिजनक था। उसे दान करने में आनन्द मिलता है, इसलिए वह दान करता है। जिन शब्दों का अर्थ बहुत दिनों से प्रचलित हो गया है, उनका नये अर्थ में उपयोग करने में यदि भ्रम नहीं हो, तो यह कहा जा सकता है कि दोनों ही दशाओं में उक्त मनुष्यों ने अपने अहकारजनित मनोद्वेग से प्रेरित होकर कार्य किया था। कुछ लोगों ने ठीक ऐसा ही कहा है, और इस विचार को प्रवानता देने तथा इस भावना को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिए उसे इस रूप में रखा है, जिसमें वह चमत्कारपूर्ण प्रतीत हो और साथ ही इस मिथ्या भावना का अन्त कर दाले कि इन दो क्रियाओं के अभिप्राय भिन्न-भिन्न हैं। उनका अभिप्राय एक ही है, और वह ही मुख्य का मन्दान अथवा दुःख का परिहार। ये दोनों बातें एक ही हैं।

दृष्टान् के लिए मवसे अधम दुर्गत्मा को लीजिये। थेरस जैसा नराधम, जो पेंतीमहजारपेरिम-निवामियों की हत्या कर डालता है, अथवा एक हत्यारा

जो संपूर्ण परिवार की इसलिए हत्या करता है कि जिससे वह व्यभिचार-पक्ष में अपने को निमग्न कर सके। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उस क्षण में यशा या अर्थ की कामना उनकी अन्य सब कामनाओं को दबा देती है, यहाँ तक कि यह कामना, यह दूसरी पिपासा, उनकी दया और करुणा तक को कुछ समय के लिए बिनष्ट कर देती है। अपनी प्रकृति की वासना को तृप्त करने के लिए वे स्वतं प्रेरित भाव से कार्य करने लगते हैं। अच्छा, अब प्रबल मनोविकार की बात छोड़कर एक ऐसे तुच्छ व्यक्ति को लीजिये, जो अपने मित्रों को धोखा देता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने हाथ फैलाता है, और अपने वाक-चातुर्य या धूर्तता से कुछ-न-कुछ ऐठ लेता है। एक ऐसे मालिक को लीजिये, जो अपने नौकरों को इसलिए ठगता है, जिससे वह अपनी पत्नी या प्रेमिका के लिए जवाहरात खरीद सके। चाहे किसी भी तुच्छ दुरात्मा को ले लीजिये। वह जो कुछ करता है, अपने मनोविकार के आदेशानुसार। वह अपनी इन्द्रिय-लालसा की तृप्ति चाहता है, या ऐसी वस्तु से भागना चाहता है जिससे उसे कष्ट पहुँचे।

इस प्रकार के तुच्छ दुरात्माओं के साथ हम ऐसे व्यक्ति की तुलना करने में लज्जा बोध करते हैं, जो अत्याचार-पीड़ितों को मुक्त करने के लिए अपने अस्तित्व तक का बलिदान कर देता है और रूस के एक निहिलिस्ट की भाँति फासी के तख्ते पर चढ़ जाता है। इन दो प्रकार के जीवनों का परिणाम मानवता की दृष्टि से जितना ही अधिक विभिन्न होता है, उतना ही हम एक की ओर आकृष्ट होते हैं और दूसरे की ओर से विरक्त बने रहते हैं।

यदि आप एक ऐसी शहीद स्त्री से, जो फासी पर झूलने जा रही हो, उसके फासी के मच्च के पास पहुँचते समय, बाते करे, तो वह आपको बतायगी कि वह अपने जीवन या मृत्यु का विनियम उस तुच्छ दुरात्मा के जीवन से नहीं करना चाहती, जो अपने मजदूरों के बेतन से पैसे चुराकर अपनी जीविका निर्वाह करता है। उसे अपने जीवन में, महान् शक्तिशाली अत्याचारियों के साथ सग्राम करने में अत्यधिक आनन्द मिलता है। इस सग्राम के सिवा और सबकुछ, मध्यम श्रेणी के समस्त आनन्द और कष्ट उसे कितने

हेय, कितने क्लातिजनक, कितने शोचनीय प्रतीत होते हैं ! वह आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेगी—“तुम जीवन धारण नहीं करते, बल्कि अकर्मण्य बनकर धास-फूस की तरह उगते हो, मैंने प्रकृत जीवन धारण किया है ।”

यहाँ हम मनुष्य के सुचिन्तित और सचेतन कार्यों की चर्चा कर रहे हैं । फिलहाल हम उन वातों की चर्चा नहीं करते, जिन्हे हम मनुष्य के अचेतन कार्य कहते हैं, जो कार्य यत्रवत् होते रहते हैं और जिनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा भाग होता है । मनुष्य जो कार्य सुचिन्तित और सचेतन रूप में करता है, उसमें वह सदा ऐसी वातों की खोज करेगा, जिनसे उसे आनन्द मिले ।

एक व्यक्ति जो मद्य सेवन करके प्रतिदिन अपनेको पशु की दशा में अवृप्ति कर रहा है, वह ऐसा इसलिए करता है कि उसे मद्य में जो स्नायविक उत्तेजना प्राप्त होती है, वह उत्तेजना उसे अपनी मासपेशियों से प्राप्त नहीं हो सकती । दूसरा आदमी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, आनन्ददायक मालूम होने पर भी वह शराब नहीं पीता, और वह ऐसा इसलिए करता है, जिससे वह अपने विचारों की नूतनता और शक्तियों की प्रचुरता को कायम रख सके, और वह अन्य आनन्दों का उपभोग कर सके, जिन्हे वह मादकता की अपेक्षा विशेष वाढ़नीय समझता है । किन्तु उस समय उसका आचरण क्या वैसा ही नहीं होता, जैसा उस सुस्वादु भोजन के प्रेमी का, जो भोज में नाना प्रकार के व्यजनों पर दृष्टिपात करके किसी एक व्यजन का, जिसे वह बहुत पसंद करता है, परित्याग कर देता है, ताकि वह दूसरे व्यजन को, जिसे वह पहले की अपेक्षा विशेष पसंद करता है, यथेष्ट ग्रहण कर सके ?

जब एक स्त्री अपना अन्तिम ग्रास किसी आगन्तुक को दे देती है, जब वह अपने शरीर पर के चिथडे उतारकर दूसरी स्त्री को, जिसे सर्दी लग रही हो, तन ढकने के लिए दे देती है और स्वयं जहाज के डेक पर खड़ी-खड़ी सर्दी से ठिठुरती रहती है तो वह ऐसा इमलिए करती है कि उसे स्वयं अपने भूखे रहने या सर्दी से ठिठुरने की अपेक्षा दूसरे भूखे मनुष्य को देखकर अथवा नर्दी से ठिठुरती हुई दूसरी स्त्री को देखकर विशेष कष्ट का अनुभव होगा ।

वह एक ऐसी पीड़ा से बचना चाहती है, जिसकी गुरुता वे ही लोग समझ सकते हैं, जिन्होने इसे महसूस किया है ।

गुयाऊ नामक लेखक ने अपनी पुस्तक में एक ऐसे आस्ट्रेलिया-निवासी मनुष्य का दृष्टात दिया है, जो अपने मन में इस धारणा का पौष्ण करते रहने के कारण क्षीण होता जा रहा था कि उसने अवतक अपने कुटुम्बियों की मृत्यु का बदला नहीं लिया है । वह अपनी भीस्ता का खयाल करके दिन-दिन कृश और म्लान होता जा रहा था और जबतक उसने प्रतिर्हिंसा का कार्य पूरा नहीं कर लिया, तबतक उसकी जान-मे-जान न आई । वह इस प्रकार का प्रतिर्हिंसा-मूलक कार्य क्यों करता है—जो कार्य कभी-कभी वीरत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है ? इसीलिए न, कि जिस धारणा के कारण उसका मन अभिभूत हो रहा है, उससे वह मुक्त हो जाय और उस आन्तरिक शाति को प्राप्त करे, जिससे चरम सुख की प्राप्ति होती है ?

जिस समय बन्दरों का एक दल अपने मे से एक को शिकारी की ओट से गिरता हुआ देखता है और उस शिकारी के तम्बू को धेर लेता है तथा बन्दूक का भय दिखाने पर भी मरे हुए बन्दर की लाश का दावा करता है, और आखिर उस दल का मुखिया खेमे के भीतर चला जाता है, पहले शिकारी को भय दिखाता है, फिर उससे अनुनय-विनय करता है और अन्त मे अपने विलाप द्वारा उसे लाश को दे देने के लिए राजी करता है, तत्पश्चात् बन्दरों का दल आर्तनाद करता हुआ अपने मृत साथी को जगल मे ले जाता है । उस समय ये बन्दर अपने जीवन की सुरक्षा की अपेक्षा करुणा की जो बलवती भावना है, उसका अनुगमन करते हैं । उनकी यह भावना अन्य सब भावनाओं को परास्त कर देती है, यहा तक कि उन्हे अपने जीवन तक मे कोई आकर्षण नहीं रह जाता, जबकि उन्हे इस बात का निश्चय नहीं रहता कि वे अपने मृत साथी को पुनरुज्जीवित कर सकेंगे या नहीं । उनकी यह भावना इतनी निदारुण हो उठती है कि उन बेचारे पशुओं को उससे मुक्त होने के लिए सबकुछ करना पड़ता है ।

जिस समय चीटिया हजारों की सख्ता मे जलती हुई बाँबी, जिसमे

किसी नर-पशु ने आग लगा दी है, की ज्वालाओं की ओर बड़े वेग से अग्रसर होती है और अपने अडे-वच्चों को बचाने के लिए सैकड़ों की सख्ति में विनष्ट हो जाती है, उस समय अपनी सत्तान की रक्षा की जो आकाश्का है, उसका ही वे अनुपालन करती है। अपने जिन वच्चों को उन्होंने बड़े यत्न से—इतना अधिक यत्न, जितना वहुत-सी स्त्रिया भी अपनी सत्तान के लिए नहीं करती होगी—पाला है, उन्हें बचाने के लिए वे अपना सबकुछ खतरे में डाल देने को तैयार हो जाती है।

सुख का सन्धान और दुःख का परिहार, यही जीव-जगत के कार्यों की मल-रेखा है (या नियम, जैसाकि कुछ लोग कहेंगे)।

इस प्रीतिकर वस्तु के सन्धान के बिना जीवन तक असभव हो जायगा। शरीर के अवयव छिन्न-भिन्न हो जायगे और जीवन का अन्त हो जायगा।

इस प्रकार चाहे मनुष्य के कार्य या उसके कार्यों की मूलरेखा कुछ भी क्यों न हो, मनुष्य जो कुछ करता है, अपनी प्रकृति की कामना के आदेशानुसार करता है। अत्यत विरागजनक कार्य भी उसी प्रकार कर्ता की व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार अनुष्ठित होते हैं, जिस प्रकार साधारण या अत्यत आकर्षक कार्य। मनुष्य जैसा चाहे, वैसा उसे करने दो, वह वही काम करेगा जिसमें उसे आनन्द मिले और ऐसे कार्य से, जिसमें उसे पीड़ा हो, विरत रहेगा।

यह एक सुप्रमाणित तथ्य है। जिसे हम 'स्वार्थवाद का सिद्धात' कहते हैं, उसीका यह सार-तत्त्व है। अच्छा, तो क्या इस परिणाम पर पहुँचने से हमारी अवस्था कुछ अच्छी हुई है? हा, जरूर हुई है। हमने सत्य पर विजय प्राप्त की है और एक ऐसे पूर्व-स्स्कार को नष्ट कर डाला है, जो सब स्स्कारों का मूल कारण है। जितने भौतिक दर्शन हैं, उनका मानवीय सबव इस परिणाम के अन्दर आ जाता है। तो क्या इससे यह परिणाम निकलता है कि मनुष्य के जितने कार्य होते हैं वे सब निरपेक्ष होते हैं, जैसाकि कुछ लोगों ने निष्पर्य निकाला है? अब हमें इसी बात पर विचार करना है।

हम इस बात पर विचार कर चुके हैं कि मनुष्य के कार्यों का (उनके मुचिन्तित और सचेतन कार्यों का—अचेतन अभ्यासों के सबव में हम आगे

चलकर विचार करेगे) एक ही उद्गम-स्थान होता है। पाप और पुण्य, भक्ति और क्षुद्र दुष्टता, आकर्षक और विरागजनक कार्य, सबका एक ही उद्गम-स्थान होता है। इन सबका लक्ष्य होता है सुख का सन्धान, दुःख के परिहार की कामना। इस विचार के समर्थन में कितने ही तथ्य प्रभाणस्वरूप उपस्थित किये जा सकते हैं और उनपर सक्षिप्त रूप में पहले विचार हो चुका है।

जो लोग अब भी धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित हो रहे हैं, उनका इस व्याख्या पर चीत्कार करना आसानी से समझा जा सकता है। इसमें अलौकिक के लिए कोई स्थान ही नहीं है। यह अमर आत्मा के सिद्धात का खड़न करता है। यदि मनुष्य अपनी प्रकृति की आवश्यकताओं के अनुसार आचरण करता है, यदि वह एक 'सचेतन स्वय-चालित यत्र' है, तो फिर अमर आत्मा क्या वस्तु है? वह अमरता क्या चीज ह, जिसकी अन्तिम शरण वे लोग लेते हैं, जिन्होने अपनी जिदगी में बहुत ज्यादा दुःख भोगे हैं और सुख बहुत कम, और जो परलोक में अपने अभावों के मोचन का स्वप्न देख रहे हैं?

यह समझना आसान है कि जो लोग रूढियों और पूर्व-सस्कारों में पले हैं, और जिन्हे विज्ञान पर, जिसने उन्हे बहुधा धोखा दिया है, बहुत कम विश्वास है, जो लोग विचार की अपेक्षा भावना द्वारा परिचालित होते हैं, वे शुभाशुभ कर्म की इस व्याख्या को क्यों अग्राह्य कर देते हैं? इसका कारण यही है कि यह व्याख्या उनकी अन्तिम आशा से उन्हे वच्चित कर देती है।

पाप और पुण्य में भेद बताने के लिए यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान धर्म-शास्त्रकारों ने ईश्वरीय अनुप्रेरणा की शरण ली है। उन्होने देखा कि मनुष्य, चाहे वह सभ्य हो या वर्वर, पडित हो या मूर्ख, सरल हो या कुटिल, इस बात को वरावर जानता है कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा—खासकर जब वह कोई बुरा कर्म करता है तब तो वह उसे अवश्य ही जानता है। इस साधारण बात की कोई व्याख्या उन्हे मालूम नहीं पड़ी, इसलिए उन्होने इस-का कारण 'ईश्वरीय अनुप्रेरणा' बताया। रहस्यवादी दार्शनिकों ने इसे अन्त करण या एक रहस्यपूर्ण 'आदेश' का सकेत बताया है, परन्तु इसमें नाम-परिवर्तन के सिवा पहली व्याख्या से और कोई भेद नहीं है। इन दोनों

मे किसीकी भी समझ मे यह सरल और उल्लेखनीय वात नहीं आई कि सामूहिक रूप से रहनेवाले पशु भी मनुष्य के समान ही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे के सबध मे उनकी भावना ठीक मनुष्य-जैसी ही होती है। मछली, कीट, पक्षी और स्तन्यपायी जीवों की प्रत्येक श्रेणी मे जो सर्वोत्तम विकसित प्राणी होते हैं, वे ठीक मनुष्य के अनुरूप होते हैं।

चीटियो के सबध मे अत्यत सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले वैज्ञानिक प्लोरेल ने अपने चिरकालिक अनुभव के आधार पर दिखाया है कि एक चीटी, जिसका पेट शहद से भरा हुआ है, जब खाली पेटवाली दूसरी चीटियो से मिलती है, तो वे चीटिया उससे भोजन मागती है। इन छोटे-छोटे कीटो मे, जिनका पेट भरा हुआ होता है, यह कर्तव्य समझा जाता है कि वे अपने पेट का कुछ भोजन उगल दे, जिससे उनके भूखे भाइयो की तृप्ति हो। इन चीटियो से पूछिये कि उसी वाँची की दूसरी चीटियो को, जबकि एक चीटी को अपना हिस्सा मिल चुका है, भोजन नहीं देना क्या उचित होता ? वे अपनी कियाओ से, जिनका अभिप्राय समझने मे कोई भूल नहीं हो सकती, यह स्पष्ट बता देगी कि ऐसा करना विल्कुल गलत होगा। इस प्रकार के स्वार्थ पर चीटी के साथ अन्य जातियो के शत्रुओ की अपेक्षा कठोरतर बर्ताव किया जायगा। यदि दो भिन्न-भिन्न जातियो के बीच सग्राम होते समय इस प्रकार की कोई घटना हो तो चीटिया लड़ना बन्द करके अपने स्वार्थी साथी पर टूट पड़ेगी। यह बात प्रयोग से सिद्ध हो चुकी है, इसमे सन्देह के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

अपने वागीचे मे रहनेवाली गौरेया से पूछिये कि अनाज के दाने छोटे जाने पर अपने समाज के और सब गौरेयो को नोटिम देना उसके लिए उचित है या नहीं, ताकि वे सब भी वहा पहुँचकर भोजन मे शामिल हो सके ? उनसे पूछिये कि अपने पडोन की गौरेयो के घोसले से एक पुआल चुराकर एक दूसरे गौरेया ने, जिसे वह चोर पक्षी आलस्य के कारण खुद जाकर संग्रह नहीं कर सकता था, क्या उचित किया है ? वे सब गौरेया उस डाकू पक्षी

पर आक्रमण कर उसे चोच से मार-मारकर यह उत्तर देगी कि उसने बहुत बुरा काम किया है ।

पहाड़ी चूहों से पूछिये कि क्या उनकी जाति के एक पहाड़ी चूहे के लिए यह उचित है कि वह अपने तहखाने के भडार मे उसी स्थान के रहनेवाले अपने जाति-भाइयों को नहीं धुसने दे ? वे उस कजूस चूहे के साथ सब प्रकार से लड़-झगड़कर यह बता देंगे कि ऐसा करना बहुत ही अनुचित है ।

एक जगली आदमी से पूछिये कि उसके दल के किसी व्यक्ति के तम्बू मे—जिस समय वह उपस्थित न हो—भोजन करना क्या उचित है ? तो वह उत्तर देगा कि यदि वह आदमी अपना भोजन स्वयं ही प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए ऐसा करना बहुत ही अनुचित है । परन्तु यदि वह थका हुआ हो या उसके लिए भोजन का अभाव हो तो उसे जहा भोजन मिले, वहा ग्रहण कर लेना चाहिए, किन्तु ऐसी दशा मे उसके लिए यह अच्छा होगा कि वह अपनी टोपी या छुरी या रस्सी का एक टुकड़ा वहा छोड़ दे, जिससे बाहर गया हुआ शिकारी जब लौटकर आये, तो उसे इस बात का पता चल जाय कि उसका कोई वन्धु वहा आया था—कोई चोर या डाकू नहीं । इससे वह इस परेशानी से बच जायगा कि उसकी अनुपस्थिति मे उसके खेमे के पास शायद कोई डाकू या लुटेरा तो नहीं आया ।

इस प्रकार की हजारो बातें कही जा सकती हैं, बल्कि पूरी कितावे लिखी जा सकती हैं, जिनसे यह मालूम होगा कि मनुष्यों तथा पशुओं मे अच्छे और बुरे की भावनाएं किस प्रकार एक समान होती हैं ।

उस चीटी, पक्षी, चूहे अथवा जगली आदमी ने काण्ट के दर्गन या धर्मचार्यों के धर्मोपदेश नहीं पढे । यदि आप एक क्षण के लिए इन बात पर विचार करें कि इस भावना के अन्दर कौन-सा रहस्य छिपा हुआ है तो आपको प्रत्यक्ष मालूम हो जायगा कि चीटियों, चूहों, ईसाइयों या नास्तिक सदाचारियों में जो कुछ अच्छा समझा जाता है, वह यह है कि जिससे उनकी जाति के सरक्षण मे लाभ पहुँचे, और जिससे उनकी जाति के सरक्षण मे हानि पहुँचे, वह बुरा समझा जाता है । केवल व्यक्ति के सरक्षण के लिए नहीं—

जैसाकि वैन्यम और मिल ने कहा है—बल्कि सपूर्ण जाति के सरक्षण के लिए जो अच्छा है, दरअसल वही अच्छा है।

इस प्रकार भले और बुरे की भावना के साथ धर्म या रहस्यपूर्ण अन्त-करण का कोई सबध नहीं है, प्राणियों में स्वत इसका वीज निहित रहता है। धर्म-स्स्थापक, दार्गनिक और सदाचारपथी जब ईश्वरीय या आध्यात्मिक सजा की बात बताते हैं तो वे उसी बात को अन्य रूप में कहते हैं, जिसका आचरण प्रत्येक चीटी और गौरैया अपने क्षुद्र समाज में करती है।

क्या यह समाज के लिए लाभदायक है? यदि हा, तब तो यह अच्छा है। क्या यह हानिकारक है? यदि हा, तो यह खराब है। निम्नतर प्राणियों में यह भावना बहुत ही सकुचित हो सकती है, उनकी अपेक्षा उच्चत प्राणियों में यह अधिक विकसित हो सकती है; पर उसका मूलतत्त्व बराबर एक समान ही बना रहता है।

चीटियों में उनकी बाँबी से बाहर इस भावना का विस्तार नहीं होता। सामाजिक रीति-नीति तथा सदाचरण के कुल नियम उस बाँबी की चीटियों तक ही परिमित रहते हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं। एक बाँबी की चीटियां किसी दूसरी चीटी को, सिवा अपवाद की दशाओं में (जैसे, दोनों पर एक समान ही विपत्ति पड़ी हो), अपनी जाति की नहीं समझेगी। इसी प्रकार एक स्थान में रहनेवाली गौरैया यद्यपि परस्पर एक-दूसरे की सहायता विशेष रूप से करेगी तथापि किसी दूसरे स्थान की गौरैया के साथ, जो उनके स्थान में आने का साहस करे, जान पर खेल कर लड़ेगी। एक जगली आदमी किसी दूसरे दल के जगली आदमी को एक ऐसा मनुष्य समझेगा, जिसके प्रति उसके दल की रीति-नीति लागू नहीं हो सकती। उसके हाथ कोई चीज बेचना भी जायज है; चूंकि बेचने का अर्थ ही है खरीदार को न्यूनाधिक रूप में ठगना, और विक्री में कोई-न-कोई जरूर ठगा जाता है—बेचनेवाला या खरीदार। किसी-किसी जगली जाति का आदमी अपने दलवालों के हाथ कोई चीज बेचना अपराध समजता है, उन्हे वह बिना किसी गिनती के ही दे देता है। सभ्य मनुष्य—जनकि वह यह भगजता है कि अपने तथा गनुप्य-जाति के साथारण-

से-साधारण व्यक्ति के बीच घनिष्ठ सबध है, और यह सबध पहली बार के देखने से प्रत्यक्ष नहीं होता—सपूर्ण मानव-जाति, यहातक कि पशुओं के प्रति भी, एकता के सिद्धातों का विस्तार करेगा। माना कि सम्य मनुष्य की यह भावना अत्यत विस्तृत होती है; किन्तु उसका मूल आधार एक समाज से बना रहता है।

दूसरी ओर अच्छे या बुरे की भावना बुद्धि या अर्जित ज्ञान की मात्रा के अनुसार बदलती रहती है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं होती जो बदली न जा सके।

जगली आदमी इस बात को बहुत ठीक (अर्थात् अपनी जाति के लिए लाभदायक) समझ सकता है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता को, जबकि वे समाज के लिए भार-स्वरूप हो, चट कर जाय। वह समाज के लिए यह भी लाभदायक समझ सकता है कि वह अपने नवजात बच्चों की हत्या कर डाले और प्रत्येक परिवार में सिर्फ दो या तीन बच्चों को रहने दे, जिससे मात्र तीन वर्ष तक बच्चे को दूध पिला सके और उन्हें अधिक-से-अधिक लाड-प्यार कर सके।

आधुनिक समय में विचारों में परिवर्तन हो गया है। जीवन-धारण के जो साधन प्रस्तर-युग में थे, वे अब नहीं रहे। इस समय का सम्य मनुष्य उस जगली परिवार की स्थिति में नहीं है, जिसे दो बुराइयों में से एक को चुन लेना पड़ता था—या तो वह अपने वृद्ध माता-पिता को चट कर जाय, या फिर सारे परिवार को काफी पुष्टिकर भोजन नहीं दे सके और शीघ्र ही अपने वृद्ध माता-पिता और बच्चों को खिलाने में असमर्थ हो जाय। पहले हमें कुछ समय के लिए अपनेको उस युग में ले जाना चाहिए, जिसे हम कदाचित ही अपने मन में ला सकते हैं। तब हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय जैसी अवस्थाएँ थीं, उनमें अर्द्ध-सम्य मनुष्य का इस प्रकार तर्क करना ठीक हो सकता था। विचार-प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है। जाति के लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक—इस सबध में हमारा जो अनुमान है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, किन्तु उसका मूल आधार एक ही रहता है।

यदि हम जीव-जगत के सपूर्ण दर्शन को एक ही वाक्य में कहना चाहे, तो हम देखेंगे कि चीटी, पक्षी, चूहा और मनुष्य—सब एक बात पर सहमत हैं। सपूर्ण जीव-जगत को ध्यानपूर्वक देखने से जिस नीति-ज्ञान का बोध होता है, उसे हम थोड़े शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं—“दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा उनकी जैसी अवस्था में होने पर तुम स्वयं अपने साथ किया जाना पसंद करोगे।”

और इस नीति-विज्ञान में यह भी कहा गया है—“इस बात पर ध्यान रखो कि यह सिर्फ एक सलाह है, किन्तु इसके साथ ही यह समाज के प्राणियों के दीर्घ अनुभव का परिणाम है। सामाजिक प्राणियों में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, इस सिद्धात पर कार्य करना एक अभ्यास जैसा हो गया है। बिना इसके कोई भी समाज कायम नहीं रह सकता। बिना इसके कोई भी जाति प्राकृतिक बाधाओं पर, जिनके विरुद्ध उसे समाप्त करना पड़ता है, विजय प्राप्त नहीं कर सकती।”

क्या सचमुच यही साधारण सिद्धात सामाजिक जीव-जन्तुओं और मानव-स्थाओं के निरीक्षण से उत्पन्न होता है? और यह सिद्धात किस प्रकार अभ्यास के रूप में परिणत होता है और निरन्तर विकसित होता रहता है? हमें अब इस बात पर विचार करना है। अच्छे और बुरे की भावना मानव के अन्दर ही मौजूद रहती है। मनुष्य—चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, या उसकी भावनाएं पक्षपात और व्यक्तिगत स्वार्थ से कितनी ही म्लान क्यों न हो गई हो—उसी बात को अच्छा समझता है जो समाज के लिए लाभदायक है। समाज के लिए जो हानिकारक हो, उसे वह बुरा समझता है।

किन्तु यह धारणा कहा से उत्पन्न होती है, जो वहुधा इतनी अस्पष्ट हुआ करती है कि अनुभूति से उसे पृथक समझना कठिन हो जाता है? इस प्रकार के लाखों मनुष्य हैं, जिन्होंने मानव-जाति के संबंध में कभी कुछ सोचा ही नहीं। उनका जान मुस्यत अपनी जाति या परिवार तक ही सीमित रहता है। राष्ट्र को वे कदाचित ही जानते हैं, मानव-जाति

को तो और भी कम जानते हैं। फिर यह किस प्रकार सभव हो सकता है कि वे मानव-जाति के लिए जो शुभ हो, उसे लाभदायक समझें, या अपने सकीर्ण आत्म-परायण स्वार्थों के होते हुए भी अपने वश के साथ भी एकता की अनुभूति प्राप्त करें?

सभी युगों के मनीषी विद्वानों ने इस तथ्य पर विशेष रूप से विचार किया है, और इस समय भी विचार कर रहे हैं। हम भी इस विषय पर अपना विचार प्रकट करते हैं। किन्तु इस प्रसग में हम यह भी कह देना चाहते हैं कि यद्यपि इस तथ्य की व्याख्याएं भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, पर स्वयं तथ्य के सबध में कोई विवाद नहीं रह जाता। और यदि हमारी व्याख्या सच्ची न हो, अथवा वह अपूर्ण हो, तो भी यह तथ्य मानव-जाति के प्रति अपने परिणामों के साथ ज्यो-का-त्यो बना रहेगा। सूर्य के चारों ओर ग्रह-नक्षत्र क्यों धूमते हैं? इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करने में हम असमर्थ हो सकते हैं, किन्तु फिर भी नक्षत्रों के धूमने में कोई अन्तर नहीं पड़ता और उनमें से एक पर, यानी पृथ्वी पर, हम विद्यमान हैं।

धार्मिक व्याख्या के सम्बन्ध में हम जिक्र कर चुके हैं। धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि भगवान् द्वारा अनुप्राणित होकर ही मनुष्य भले-बुरे की तथा पाप-पुण्य की पहचान करता है। उसका काम यह नहीं है कि वह इस बात का अनुसंधान करे कि क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक। उसका काम है केवल अपने स्तष्टा के आदेश का पालन करना। इस व्याख्या पर, जो असम्य युग के भय और अज्ञान का परिणाम थी, हम कुछ विशेष कहना नहीं चाहते। इसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ते हैं।

कुछ लोगों ने इस तथ्य की व्याख्या कानून द्वारा करने की चेष्टा की है। उनका कहना है कि कानून ने ही मनुष्य में न्याय और अन्याय तथा सद् और असद् का ज्ञान विकसित किया है। पाठक इस व्याख्या के संबंध में स्वयं विचार कर सकते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि कानून ने केवल मनुष्य की सामाजिक अनुभूतियों का उपयोग-मात्र किया है। कानून ने नैतिक उपदेशों के बीच में ऐसी बातें घुसेड़ दी हैं, जो शोषण करनेवाले अत्यं जन-समुदाय के

लिए लाभजनक हो; पर जिनके अनुसार आचरण करने में साधारण मनुष्य की प्रकृति इनकार करती है। कानून ने न्याय की भावना को विकसित करने के बदले उसे और भी विकृत कर दिया है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें।

उपर्योगितावादियों की व्याख्या पर भी रुकने की जरूरत नहीं। वे इस बात को मान लेते हैं कि मनुष्य स्वार्थवश नैतिक दृष्टि से कार्य करता है; पर वे यह भूल जाते हैं कि मनुष्य के अन्दर अपनी संपूर्ण जाति के प्रति एकता की भावना मौजूद रहती है, चाहे उसका मूल कारण कुछ भी क्यों न हो। उपर्योगितावादियों की व्याख्या में कुछ सत्य अवश्य है, किन्तु यह संपूर्ण सत्य नहीं है।

अठारहवीं शताब्दी के विचारशील विद्वानों के सामने हम इस बात के लिए क्रृणी हैं कि उन्होंने नैतिक चित्तवृत्ति के आदि कारण का कम-से-कम आशिक रूप में तो अनुमान किया था।

ऐडम स्मिथ ने 'नैतिक चित्तवृत्तियों का सिद्धांत' (दी श्योरी आव मोरल सेन्टिमेण्ट्स) नामक पुस्तक में नैतिक चित्तवृत्ति के सच्चे मूल कारण पर प्रकाश डाला है। वह रहस्यपूर्ण धार्मिक अनुभूतियों में इसका सन्धान नहीं करता, वह इसे सिर्फ समवेदना की अनुभूति में पाता है।

आप एक मनुष्य को किसी वच्चे को पीटते हुए देखते हैं। आप यह जानते हैं कि पीटे जानेवाले वच्चे को कप्ट पहुंचता है। आपकी कल्पना-शक्ति आपके अन्दर वही पीड़ा उत्पन्न कर देती है, जो पीड़ा उस वच्चे को दी गई है, या उस वच्चे के आंसू तथा उसका पीड़ित चेहरा आपको कप्ट की अनुभूति करा देते हैं। और यदि आप भीरु नहीं हैं तो आप उस नर-पशु पर—जो वच्चे को पीट रहा है—दूट पड़ते हैं और उस वच्चे का उद्धार करते हैं।

इस उदाहरण से ही प्राय समस्त नैतिक चित्तवृत्तियों की व्याख्या हो जाती है। आपकी कल्पना-शक्ति जितनी ही प्रत्यर होगी, उतनी ही कुशलता के नाय आप अपने मन में इस बात का चित्र चित्रित कर सकते हैं कि पीड़ित होने पर किसी प्राणी का अनुभव कैसा होता है और इसके अनु-

रूप ही आपका नैतिक ज्ञान गहरा और कोमल होगा। जितना ही अधिक आप अपनेको दूसरे मनुष्य की स्थिति में रखेगे, उतना ही अधिक आप उसकी पीड़ा का, उसके अपमान का, उसके प्रति किये गए अन्याय का, अनुभव करेगे, और उसी मात्रा में आपके अन्दर कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी, जिससे आप पीड़ा, अपमान या अन्याय का निवारण कर सके। अवस्थाओं द्वारा, अपने आसपास के लोगों की वजह से, या अपने विचारों की प्रगाढ़ता के कारण आप अपने विचार और कल्पना-शक्ति से प्रेरित होकर जितना ही अधिक कार्य करेगे, उतना ही अधिक नैतिक उच्छ्वास आपमें उत्पन्न होगा और उतना ही अधिक आप उसके अभ्यस्त हो जायगे।

ऐडम स्मिथ ने अनेक दृष्टान्त देकर अपनी पुस्तक में इसी सिद्धान्त पर प्रकाश डाला है। अपनी युवावस्था में उसने इस पुस्तक की रचना की थी, किन्तु उसकी यह कृति उसकी वृद्धावस्था की रचना ‘राजनैतिक अर्थशास्त्र’ की अपेक्षा कही अच्छी है। धार्मिक पक्षपात से मुक्त होकर उसने मानव-प्रकृति के भौतिक तथ्यों में नीति-ज्ञान की व्याख्या का अनुसन्धान किया था, और यही कारण है कि सरकारी और गैर-सरकारी लोगों ने धार्मिक पक्षपात के कारण एक शताब्दी तक इस पुस्तक को वर्जित करके रखा।

ऐडम स्मिथ की एकमात्र भूल यही थी कि उसने इस वात को नहीं समझा था कि सहानुभूति की यह भावना मनुष्यों के समान जानवरों में भी पाई जाती है।

समाज में रहनेवाले सभी जानवरों में एकता की भावना विशेष रूप में दीख पड़ती है। गरुड़ पक्षी गौरेयों को निगल जाता है और भेड़िया पहाड़ी चूहे को चट कर जाता है। किन्तु गरुड़ और भेड़िये शिकार खेलने में अपनी-अपनी जाति की सहायता करते हैं। गौरेया और पहाड़ी चूहे शिकार करनेवाले पशु-पक्षियों के विरुद्ध इस प्रकार आपस में मेल कर लेते हैं कि उनमें जो बोदा होता है, वही शिकारी के चगुल में फँसता है। पशु-समाज में जीवन-संग्राम की होड़—जिसका गुणगान जासक दल प्रत्येक अवसर

पर करता रहता है, जिससे हम लोगों की उन्नति रुक जाय—की अपेक्षा यह एकता विशेष महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक नियम है।

जब हम पशु-जगत का अध्ययन करते हैं और अपने मन में इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं कि प्रत्येक प्राणी प्रतिकूल अवस्थाओं और अपने शत्रुओं के विरुद्ध जीवन-सग्राम जारी रखता है, तब हमें इस बात का अनुभव होता है कि पशु-समाज में एकता और समानता के सिद्धात जितने ही अधिक विकसित होते हैं और उनसे वह जितना अधिक अभ्यस्त होता है, उतना ही उसे इस बात का मौका मिलता है कि वह कठिनाइयों और शत्रुओं के विरुद्ध सग्राम करके विजयी हो और जीवित रहे। समाज का प्रत्येक अग समाज के दूसरे अग के साथ अपनी एकता को जितने ही सम्यक् रूप में अनुभव करता है, उतने ही पूर्ण रूप में उन सब में दो गुणों का विकास होता है। वे दो गुण हैं—साहस और स्वतन्त्र वैयक्तिक नेतृत्व। और यहीं सब प्रकार की प्रगतियों के मुख्य कारण है। इसके विपरीत, किसी पशु-समाज या क्षुद्र पशु-दल में एकता की यह अनुभूति जितनी कम होगी, उतना ही अधिक उसमें प्रगति के दो कारणों का—साहस और वैयक्तिक नेतृत्व का—ह्रास होता जायगा। इस एकता के भाव का ह्रास या तो चीजों के विलक्षुल ही अभाव से अथवा उनके बहुत ज्यादा होने से उत्पन्न होता है। अन्त में ये दो गुण सर्वथा लुप्त हो जाते हैं, और समाज क्षीण होकर अपने शत्रुओं के सामने परास्त हो जाता है। विना पारस्परिक विश्वास के कोई सग्राम सम्भव नहीं है। साहस, वैयक्तिक नेतृत्व अथवा एकता के विना विजय प्राप्त नहीं हो सकती—पराजय निश्चित है।

वहुसंख्यक दृष्टान्तों द्वारा हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार पशु और मानव-जगत में पारस्परिक सहायता का नियम प्रगति का नियम है, और किस प्रकार सहायता और उसके साथ-साथ साहस और वैयक्तिक नेतृत्व से उस श्रेणी की जीत होती है, जो इसका अभ्यास करने में विनेप सामर्थ्य रखती है।

अब हम एकता की उस अनुभूति को कल्पना करें, जो युग-युगान्तर

से—जबसे इस भूमडल पर पशु-जीवन का प्रारम्भ हुआ—काम कर रही है। हम इस बात की कल्पना करें कि किस प्रकार यह अनुभूति क्रमशः अभ्यास के रूप में परिणत हो गई और वशानुक्रम द्वारा सूक्ष्मतर जीवों से उनके वशजों में—कीट, पक्षी, सरीसृप, पशु और मनुष्य में—सचारित हो गई, और तब हम नैतिक भावना के आदि कारण को हृदयगम कर सकेंगे, जो पशुओं के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार भोजन या उसे पचाने की इन्द्रिय-विशेष।

नैतिक अनुभूति का यही मूल कारण है। इस महान् प्रश्न पर यद्यपि हमने सक्षेप में विचार किया है, किन्तु जो कुछ कहा गया है, वह यह दिखलाने के लिए काफी है कि इसमें कोई रहस्य या भावुकता की बात नहीं है। व्यक्ति का जाति के साथ एकता का जो यह सम्बन्ध है, वह यदि न होता, तो पशु-राज्य का न तो विकास हुआ होता, और न वह अपनी वर्तमान पूर्णता पर पहुंचता। पृथ्वी पर रहनेवाले सबसे प्रगतिशील प्राणी भी इस समय जल के ऊपर तैरनेवाले कीटाणुओं की तरह सूक्ष्मवीक्षण यत्र से भी कठिनता से देखे जाते। किन्तु क्या उनका अस्तित्व भी सम्भव था? क्योंकि धुद्र कोपों की आदिम समष्टि क्या इस सग्राम में एकता का उदाहरण नहीं है?

इस प्रकार पशु-राज्य का निष्पक्ष दृष्टि से निरीक्षण करने पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जहा समाज का अस्तित्व है, वहा यह सिद्धान्त अवश्य पाया जायगा—“दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा उसी अवस्था में तुम अपने साथ किया जाना पसद करते हो।”

पशु-जगत के विकास का जब हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि उपर्युक्त सिद्धान्त ने, जिसका सारांश एक शब्द ‘एकता’ में दिया गया है, पशु-राज्य के विकास में जितना काम किया है, उतना उन सब उपयोगिताओं ने नहीं किया जो व्यक्तिगत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच होनेवाले सग्राम के फल-स्वरूप उत्पन्न हुई हैं।

यह प्रत्यक्ष है कि मानव-समाज मे यह एकता और भी विशेष मात्रा मे पाई जाती है। बन्दरो के समाज मे भी हमे इस व्यावहारिक एकता का उल्लेखनीय दृष्टान्त दीख पड़ता है। मनुष्य ने तो इस दिशा मे एक कदम और आगे बढ़ाया है। इस एकता के कारण ही मनुष्य, प्राकृतिक वाधाओ के होते हुए भी, अपनी क्षुद्र जाति को सुरक्षित रखने मे तथा अपनी बुद्धि को विकसित करने मे समर्थ हुआ है। जगली मनुष्यो के उन समाजों का, जो इस समय भी प्रस्तर-युग से आगे नही बढ़े हैं, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से हमे इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार एक ही समाज के मनुष्य परस्पर एकता का अभ्यास करते हैं।

यही कारण है कि व्यावहारिक एकता कभी रुकती नही, मानव-इतिहास के सबसे खराब समय मे भी वह कायम रहती है, यहातक कि जब प्रभुत्व, दासता और शोषण की क्षण-स्थायी अवस्थाओ के उत्पन्न हो जाने से एकता का सिद्धान्त अस्वीकृत हो जाता है, उस समय भी वहुत-से लोगो के विचारो मे वह कायम रहती है और दूषित स्थायो के विरुद्ध उसकी प्रवल प्रतिक्रिया क्रान्ति के रूप मे होती है। यदि ऐसा न हो तो समाज का अन्त ही हो जाय।

बहुसत्यक मनुष्य और पशुओ मे यह अनुभूति वर्तमान रहती है और एक अभ्यास के रूप मे इसे कायम रहना ही चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जो मन मे बराबर उपस्थित रहता है, चाहे क्रिया मे उसकी निरन्तर उपेक्षा ही क्यो न हो रही हो।

इसमे हमे पशु-जगत के सम्पूर्ण विकास का स्पष्ट आभास मिलता है। यह विकास वहुत दिनो से चला आ रहा है। इसे करोडो वर्ष बीत चुके। यदि हम इससे मुक्त होना चाहे, तो भी नही हो सकते। मनुष्य के लिए अपने दो हाथो और दो पांचो से जानवरो की तरह चलने का अभ्यास करना सहज हो सकता है, किन्तु इस नैतिक अनुभूति से मुक्त होना सहज नही।

ध्यानेन्द्रिय वा स्पर्थेन्द्रिय के बोध की तरह नैतिक बोध भी हमारे अन्दर एक प्रकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कानून और धर्म ने भी इस सिद्धान्त

का उपदेश दिया है, किन्तु विजेता, शोषणकर्ता और पुरोहितों के लाभ के लिए अपने आदेशों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से ही उन्होंने इस सिद्धान्त की चोरी की है। एकता के इस सिद्धान्त के बिना, जिसकी न्यायशीलता के सब लोग कायल हैं, वे मनुष्यों के मन पर अपना अधिकार ही किस प्रकार जमा सकते थे?

कानून और धर्म ने इस सिद्धान्त का लवादा अपने ऊपर ओढ़ लिया है—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अधिकारी अपने को बलवानों के विश्वदुर्बलों का रक्षक बताकर अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करते हैं।

कानून, धर्म और शासन का परित्याग करके मनुष्य-जाति उस नैतिक सिद्धान्त को पुन ग्राप्त कर सकती है, जो उससे छीन लिया गया है। उसे फिर से ग्राप्त करना सलिए आवश्यक है कि मनुष्य उसकी समालोचना कर सके, और उसे उन विकारों से मुक्त कर सके, जिनसे पुरोहित, न्याय-कर्ता और शासक ने उसे विपाक्त बना डाला है और इस समय भी बना रहे हैं।

“दूसरे के साथ वैमा ही व्यवहार करो, जैसा तुम अपने साथ किया जाना पसन्द करते हो”, यही तो अराजकता का मौलिक सिद्धान्त है और तबतक कोई अपनेको अराजकवादी (अनाकिस्ट) क्योंकर समझ सकता है, जबतक कि वह इस सिद्धान्त के अनुसार आचरण न करे?

हम लोग अपने ऊपर किसीका शासन नहीं चाहते। क्या इसी बात से हम इस तथ्य की घोषणा नहीं करते कि हम किसीपर शासन नहीं करना चाहते? हम किसीसे ठगा जाना पसन्द नहीं करते। हम वरावर सत्यशील बनना चाहते हैं। क्या इसी बात से हम यह घोषणा नहीं करते कि हम किसी को धोखा देना नहीं चाहते, हम सदा सत्य (सम्पूर्ण सत्य, एकमात्र सत्य ही) बोलने की प्रतिज्ञा करते हैं? हम यह नहीं चाहते कि हमारे परिश्रम की कमाई हमसे कोई चुरा ले, तो क्या हम बात से हम यह घोषणा नहीं करते कि हम दूनरों के परिश्रम की कमाई के प्रति आदर-भाव रखते हैं?

हम यिस हफ़्ते ने यह दावा कर सकते हैं कि हमारे साथ तो एक प्रकार

का व्यवहार हो और हम दूसरों के साथ बिल्कुल दूसरे ढग से व्यवहार करें ? इस प्रकार की भावना के विरुद्ध हमारा समानता का ज्ञान विद्रोह कर वैठता है ।

परस्पर के व्यवहार में समानता और इससे उत्पन्न होनेवाली एकता, यही पशु-जगत का सबसे बढ़कर शक्तिशाली शस्त्र है, जिससे उसे जीवन-सग्राम में सहायता मिलती है। समानता ही न्याय है ।

अपने को अराजकवादी घोषित करके हम इस बात की पहले घोषणा कर देते हैं कि हम दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना नहीं चाहते, जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने साथ किया जाना पसन्द नहीं करते । हम अब इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे, जिसके कारण हममें से कुछ लोगों ने अपनी शक्ति, चालाकी या योग्यता का इस ढग से उपयोग किया है, जिस ढग से उक्त गुणों का अपने प्रति प्रयोग किये जाने पर हम बेहद नाराज हो उठेंगे । सब बातों में समानता, जो न्याय का पर्यायवाची शब्द है, यही सक्रिय अराजकता है । इससे हम सिर्फ कानून, धर्म और प्रभुता—इस त्रिमूर्ति के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा नहीं करते, बल्कि अराजकवादी बनकर हम ठगी, धूर्तता, शोषण, भ्रष्टता, पाप—एक शब्द में असमानता—के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, जो हमारे हृदय में कानन, धर्म तथा गासन ने डाल दी है । वे जिस ढग से कार्य करते हैं, जिस ढग से विचार करते हैं, उसके विरुद्ध हम युद्ध की घोषणा करते हैं । शासित, वचित, शोषित और दूषित—ये सबसे बढ़कर हमारे समानता के ज्ञान पर आधात पहुँचाते हैं । समानता के नाम पर हम इस बात के लिए कृतसकल्प हैं कि समाज में कोई स्त्री-पुरुष भ्रष्ट, शोषित, वचित और शासित रूप में न रह जाय ।

अबतक हम मनुष्य के सचेतन-विवेचनायुक्त कार्यों की—ऐसे कार्यों की, जिन्हे वह जान-वृद्धकर करता है—चर्चा करते आये हैं; किन्तु हमारे इस सचेतन जीवन के साथ-साथ एक अचेतन जीवन भी है, जो बहुत ही व्यापक है । प्रात काल में हम किस प्रकार की पोशाक पहनते हैं; यह

जानते हुए भी कि रात में कोट का एक बटन खो गया है, हम बटन लगाने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ को हमने खुद हटाकर अलग कर दिया है, उसे लेने के लिए हाथ फैलाने की चेष्टा करते हैं—यह देखकर ही हमें अपनी इन क्रियाओं में उस अचेतन जीवन का आभास मिल सकता है, और हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अस्तित्व में इसका कितना बड़ा स्थान है ।

दूसरों के साथ हमारा जो सम्बन्ध है, उसमें तीन-चौथाई भाग इस अचेतन जीवन का है । हम जिस प्रकार बोलते हैं, हँसते हैं, वाद-विवाद में उत्तेजित हो जाते हैं, या शान्त रहते हैं, हमारे ये सब काम अनिच्छाकृत होते हैं । ये हमारे अभ्यास के परिणामस्वरूप हैं, जिसे हमने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है, अथवा चेतन या अचेतन रूप में पाया है ।

हम लोग दूसरों के साथ जिस प्रकार का आचरण करते हैं, वह इस प्रकार अभ्यासगत हो जाता है । कोई जैसा अपने साथ व्यवहार किया जाना पसन्द करता है, वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना, मनुष्य के लिए तथा समस्त सामाजिक प्राणियों के लिए अभ्यास-सा बन जाता है । यह अभ्यास इतना बद्धमूल हो जाता है कि मनुष्य अपने-आप से यह पूछता तक नहीं कि उसे ऐसी अवस्थाओं में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए । अवस्था-विशेष में, या किसी जटिल विषय में, अथवा किसी शक्ति-शाली मनोविकार के आवेश में आकर मनुष्य आगा-पीछा सोचने लगता है और उसके मस्तिष्क के विभिन्न भागों में संग्राम-सा होने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क एक जटिल चीज़ है, जिसके विभिन्न भाग एक निश्चित सीमा तक एक-दूसरे से विलकुल स्वाधीनतापूर्वक कार्य करते हैं । जब इस प्रकार की घटना होती है तो मनुष्य अपनी कल्पना में अपने विरोधी मनुष्य के स्थान में अपनेको रखकर अपने-आप से पूछता है कि क्या वह अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना पसन्द करेगा, वह अपनेको उस व्यक्ति से, जिसकी प्रतिष्ठा या स्वार्थ पर वह क्षति पहुचानेवाला था, ज़ितना ही

अधिक अभिन्न समझेगा, उतना ही अधिक नीतियुक्त उसका निर्णय होगा। या यह भी हो सकता है कि उसका कोई मित्र आ जाय, और उससे कहे—“अपनेको उसके स्थान में कल्पना कर लो। जैसा तुमने उसके साथ व्यवहार किया है, वैसा ही व्यवहार यदि तुम्हारे साथ किया जाता तो क्या तुम सहन करते ?” बस, इतना ही काफी है।

इससे यह सिद्ध होता है कि हम समानता के सिद्धान्त के नाम पर उसी अवस्था में अपील करते हैं, जब हम स्वयं सभय में पड़ जाते हैं, और फी-सदी ९९ अवसरों पर हम अभ्यास के कारण नीतिसंगत आचरण करते हैं।

यह प्रत्यक्ष है कि अबतक हमने जो कुछ कहा है, उसमें किसी प्रकार के आदेश देने की चेष्टा नहीं की है। हमने केवल इस बात का निर्देश कर दिया है कि पशु-जगत और मनुष्य-समाज में किस प्रकार घटनाएं हुआ करती हैं।

प्राचीनकाल में मनुष्य को नीति-ज्ञान की शिक्षा देने के लिए धर्म-विकारीण नरक का भय दिखलाया करते थे। परिणाम-स्वरूप लोग उल्टे और नीति-भ्रष्ट बन जाते थे।

जज लोग उन सामाजिक सिद्धान्तों के नाम पर, जिन्हे उन्होंने समाज से चुरा लिया है, कैद, वैत और फासी की सजा की धमकी देते हैं, और वे उन्हे नीति-भ्रष्ट कर डालते हैं। फिर भी जब यह कहा जाता है कि जज लोग भी पुरोहितों की तरह इस मानव-समाज से उठ जायगे तो अधिकारी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इससे तो समाज को बड़ा खतरा है।

किन्तु हम जजो और उनके दण्डों की उपेक्षा करने से डरते नहीं। हम सब प्रकार के आदेशों की, यहा तक कि सदाचार के दायित्व की भी, उपेक्षा करते हैं। हम यह कहने से डरते नहीं कि—“तुम जो कुछ करना चाहते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो,” क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि अधिकाश मनुष्यों का जिस अनुमात में ज्ञान बढ़ेगा और जिस पूर्णता के नाय वे वर्तमान वर्त्वनों से अपनेको मुक्त करेंगे, उसी अनुमात में वे समाज के लिए सदा लाभदायक दिया में कार्य करेंगे, ठीक वैसे ही, जैसे हम लोग

पहले ही यह विश्वास कर लेते हैं कि बच्चा किसी दिन अपने दो पांवो से चलेगा, न कि चारों हाथ-पैरों से, क्योंकि माता-पिता से उसका जन्म हुआ है और वह मनुष्य-जाति का है ।

हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि सलाह दे। सलाह देते समय हम इतना और कहते हैं—“यदि तुम्हारा अपना अनुभव और समीक्षा तुम्हे यह नहीं बतलावे कि यह सलाह मानने योग्य है तो इस सलाह का कोई मूल्य न होगा ।”

हम जब किसी युवक को झुकते हुए और अपनी छाती तथा फेफड़ो को सिकोड़ते हुए देखते हैं तो हम उसे सलाह देते हैं कि वह सीधा हो जाय, अपने मस्तक को ऊँचा रखे और छाती को तानकर चले । हम उसे यह सलाह देते हैं कि वह अपने फेफड़ो को हवा से भरे और जोर-जोर से सास ले, क्योंकि क्षय रोग से बचने का यही सर्वोत्तम उपाय है । किन्तु इसके साथ ही हम उसे शरीर-विज्ञान की भी शिक्षा देते हैं, जिससे वह फेफड़ो की क्रियाए समझ सके और अपने लिए ऐसी चाल-ढाल चुन ले, जिसे वह सर्वोत्तम समझता है ।

नीति के सम्बन्ध में भी हम इतना ही कर सकते हैं । हमें सलाह देने भर का अधिकार है, इसके साथ-साथ हम इतना और कहते हैं—“यदि यह सलाह तुम्हे अच्छी लगे तो इसके अनुसार कार्य करो ।”

किन्तु यद्यपि हम प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि वह अपनी समझ के अनुसार कार्य करे और समाज को यह अधिकार बिल्कुल नहीं देते कि वह किसी व्यक्ति को समाज-विरोधी कार्य करने के लिए किसी भी रूप में दण्ड दे, तथापि जो बात अच्छी लगे, उससे प्रेम करने और जो बात बुरी लगे, उससे घृणा करने की जो क्षमता हमसे मौजूद है, उसे हम छोड़ते नहीं । प्रेम करना और घृणा करना, ये दो अस्त्र हमारे पास हैं, क्योंकि जो लोग घृणा करना जानते हैं, वही यह भी जानते हैं कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है । हम इस क्षमता को अपने में कायम रखते हैं और यदि केवल इस क्षमता से ही प्रत्येक पशु-समाज में भी नैतिक भावनाओं

का विकास कायम रहता है, तो फिर यह मानव-जाति के लिए और भी पर्याप्त होगा ।

हम सिर्फ एक बात चाहते हैं । वर्तमान समाज में इन दो भावनाओं के विकास में—प्रेम-भाव तथा धृणा-भाव में—जो सब वस्तुएँ वाधा पहुँचाती हैं, उन्हे अलग कर दिया जाय, उन सब वस्तुओं को छाटकर दूर कर दिया जाय, जो हमारी न्याय-बुद्धि को विकृत कर देती है—अर्थात् राज्य, धर्म-चार्य, न्यायाधीश, पुरोहित, शासक और शोषक ।

आज जब हम किसी जैक नामक हत्यारे को एक-एक करके गरीब और दुखिनी स्त्रियों की हत्या करते देखते हैं तो सबसे पहले हममें धृणा की भावना उत्पन्न होती है । यदि हमें वह उस दिन मिल गया होता, जिस दिन उसने उस स्त्री की, जिससे उसने सराय में रहने और खाने-पीने का खर्च मांगा था, हत्या की थी, तो हम उसके (जैक के) सिर में गोली मार देते, और इस बात पर विल्कुल विचार नहीं करते कि उसे गोली मारने की अपेक्षा उस सराय के मालिक की गोली मारना कहीं अच्छा होता ।

किन्तु जब हम उसकी कलक-कथाओं की याद करते हैं, जिसके कारण उसकी यह दुर्गति हुई है, जब हम उस अन्धकार के विषय में सोचते हैं, जिसमें उसे विचरण करना पड़ता है, जब हम उन चित्रों के विषय में विचार करते हैं, अथवा उन अश्लील पुस्तकों के बारे में, जिनके कारण उसके मन में बार-बार बुरे भाव उदित हुए हैं और उन विचारों का खयाल करते हैं, जो मूर्खतापूर्ण पुस्तकों से उसे प्राप्त हुए हैं, तो हमारी भावना कुछ और ही हो जाती है । और किसी दिन जब हम यह सुनते हैं कि जैक का मुकदमा किसी ऐसे जज के यहाँ हो रहा है, जिसने इतनी अधिक सख्त्या में निष्ठुरतापूर्वक स्त्री, पुरुष और बच्चों की हत्याएँ की हैं, जितनी हत्याएँ जैक-जैसे और कितने ही लोगों ने मिलकर भी न की होगी—यदि हम उसे इस प्रकार के किसी पागल के हाथों में देखते हैं, उस समय जैक के प्रति हमारी सारी धृणा काफ़ूर हो जाती है । उस समय हमारी यह धृणा भीर और पाखंडी समाज तथा उसके माने हुए प्रतिनिधियों के प्रति धृणा में परिवर्तित हो जाती है । कानून के

नीति और जीवन

नाम पर जो बहुसंख्यक कलकजनक कार्य किये जाते हैं, उनके समर्थन के कुकृत्य नगण्य प्रतीत होते हैं। इन कानून-जनित कलको से ही हम व्यूगा करते हैं।

वर्तमान समय में हमारी भावनाएं बरावर विभाजित-विच्छिन्न बनी रहती हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि हम न्यूनाधिक जात या अज्ञात रूप से इस समाज के प्रोत्साहक हैं। हम धृणा करने का साहस नहीं करते। क्या हम प्रेम करने का साहस करते हैं? शोषण और दासता पर जो समाज अवस्थित होता है, उसमें मानवीय प्रकृति का अध पतन होता है।

किन्तु दासता के लुप्त हो जाने पर हम अपने अधिकारों को पुन ग्राप्त करेगे। हम अपने अन्दर इतनी शक्ति अनुभव करेगे, जिससे हम जटिल अवस्थाओं में भी धृणा और प्रेम कर सके।

अपने दैनिक जीवन में हम सहानुभूति या विद्वेष की अनुभूति को स्व-तन्त्र रूप में प्रकट करते हैं, और प्रत्येक क्षण हम ऐसा करते रहते हैं। हम लोग नैतिक शक्ति से प्रेम करते हैं तथा नैतिक दुर्बलता और कायरता से धृणा करते हैं। प्रत्येक क्षण में हमारे शब्द, हमारी मुखाकृति और हमारी मुस्कराहट हमारे उस आनन्द को प्रकट करती है, जो आनन्द हमे मानव-जाति के लिए हितकर कार्यों को—जिन कार्यों को हम अच्छा समझते हैं—देखकर होता है। प्रत्येक क्षण हमारी मुखाकृति और हमारे शब्द हमारी उस धृणा को प्रकट करते हैं, जो धृणा हम भीरता, ठगविद्या, घड़्यन्त्र और नैतिक निर्बलता के प्रति प्रकट करते हैं। हम उस समय भी अपनी विरक्ति प्रकट करते हैं, जब दुनियावी शिक्षा के प्रभाव में आकर हम अपनी धृणा को उन मिथ्या रूप हम लोगों के बीच समानता का सम्बन्ध स्थापित होते ही लुप्त हो जायगे।

अच्छे और दुरे की भावना को एक निश्चित धरातल पर कायम रखने और एक को दूसरे से परिचित रखने के लिए इतना ही काफी है। यह भावना उस समय और भी अधिक प्रभावशाली हो जायगी, जब समाज में जज या पुरोहित नहीं रह जायगे, जब नैतिक सिद्धान्तों की वाध्यता नष्ट हो जायगी।

और जब वे समान स्थिति के मनुष्यों के बीच केवल पारस्परिक सम्बन्ध के रूप में समझे जायगे।

इसके सिवा जितना ही अधिक यह सम्बन्ध स्थापित होगा, उतनी ही उच्चतर नीतिक भावना समाज के अन्दर उदित होगी। इसी भावना का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं।

अवतक हमने जो विश्लेषण किया है, उसमें सिर्फ समानता के सरल सिद्धान्त बताये गए हैं। हमने विद्रोह किया है और दूसरों को भी उन लोगों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आमन्त्रित किया है, जिन्होंने अपना यह अधिकार मान रखा है कि वे अपने साथ जैसा व्यवहार किया जाना प्रसन्न करते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करे। हमने उन लोगों के विरुद्ध भी विद्रोह किया है, जो स्वयं तो ठगा जाना, शोषित किया जाना, दूषित किया जाना या बुरा व्यवहार किया जाना नहीं चाहते; किन्तु दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हमने कहा है कि मिथ्या-भाषण और पाशविकता घृणाजनक है, किन्तु ये चीजे घृणोत्पादक इसलिए नहीं हैं कि वे स्मृतियों के विरुद्ध हैं, बल्कि इसलिए कि इस प्रकार का आचरण ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के मन में समानता के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है, जिसके लिए समानता एक निरर्थक शब्दमात्र नहीं है। और सबसे बढ़कर यह उन लोगों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है, जो विचार करने और कार्य करने में सच्चे अराजकबादी है।

यदि ये सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट सिद्धात जीवन में काम में लाये जाय तो इसका परिणाम होगा एक उच्च नीतिज्ञान। इस नीतिज्ञान में उन सब वातों का समावेश हो जायगा, जिनकी शिक्षा बहुत पुराने जमाने से हमें नीतिनिष्ठों ने दी है।

समानता के सिद्धात में नीतिनिष्ठों की शिक्षाओं का सार है, किन्तु इसके सिवा हममें और कुछ भी है, और यह और कुछ, व्यक्ति के प्रति सम्मान है। अपनी समानता सम्बन्धी नीति-विज्ञान की या अराजकता की धोषणा करके हम उस अधिकार को मानने से इन्कार करते हैं, जिसका नीति-

निष्ठो ने वराबर दावा किया है। वह अधिकार है किसी आदर्श के नाम पर व्यक्ति को अगहीन करना। हम स्वयं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इस अधिकार को विल्कुल नहीं मानते।

हम व्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनता को मानते हैं। हम उसके लिए जीवन की प्रचुरता तथा उसकी समस्त प्रतिभाओं का स्वतन्त्र विकास चाहते हैं। हम उसके ऊपर लादना कुछ भी नहीं चाहते। इस प्रकार हम उस सिद्धात पर पहुँचते हैं, जिस सिद्धात को फोरिये ने धार्मिक नीतिज्ञान के विरोध में रखते हुए कहा था—“मनुष्य को विल्कुल स्वतन्त्र छोड़ दो। उसे अगहीन मत बनाओ, क्योंकि धर्म उनको वहुत-कुछ अपग—जरूरत से ज्यादा अपग—बना चुका है। उनके मनोद्वेगों से भी मत डरो। स्वतन्त्र समाज में ये खतरनाक नहीं होते।”

यदि आप स्वयं अपनी स्वाधीनता का परित्याग न करें, यदि आप स्वयं अपने आपको दूसरों द्वारा गुलाम न बनने दे और यदि आप किसी व्यक्ति के प्रचण्ड और समाज-विरोधी मनोद्वेग का समान रूप में अपने प्रचण्ड—समाज के लिए उपयोगी—जोश द्वारा विरोध करे तो आपके लिए स्वतन्त्रता से डरने की कोई बात नहीं रह जायगी।

हम किसी भी आदर्श के नाम पर व्यक्ति को अगहीन करने की भावना क्रा परित्याग करते हैं, हम अपने लिए सिर्फ़ इतना ही सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हमें जो-कुछ अच्छा या बुरा मालूम हो, उसके प्रति हम स्पष्टरूप से अपनी सहानुभूति और विरक्ति प्रकट करे। एक मनुष्य अपने मित्रों को धोखा देता है। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, ऐसा करना उसका स्वभाव है। अच्छा, तो यह हमारा स्वभाव है—हमारी यह प्रवृत्ति है—कि हम ज्ञाठ बोलनेवालों से धृणा करे। चूंकि यह हमारा स्वभाव है, इसलिए हमें स्पष्टरूप में ऐसा करना चाहिए। हम दौड़कर उसे न छाती से लगावे और न उससे हाथ मिलावे, जैसाकि आजकल कभी-कभी किया जाता है। हमें अपने सक्रिय मनोद्वेग के द्वारा उसके मनोद्वेग का प्रचण्ड रूप में विरोध करना चाहिए।

हमें सिर्फ़ इतना ही करने का अधिकार है। समाज में समानता के

सकता। जिस तरह फूल खिलने पर मुरझाकर सूख जाता है, उसी प्रकार यदि दान करते हुए उसके भी जीवन का अन्त हो जाय तो कुछ भी हर्ज़ नहीं। यदि जीवन में रस है, तो वह, ऊपर चढ़ेगा ही।

शक्तिशाली बनो। मानसिक आवेग तथा बौद्धिक शक्ति के उच्छ्वास से अपने को परिप्लावित कर दो, तभी तुम अपनी बुद्धि, अपने प्रेम और अपनी क्रियाशक्ति का दूसरो में प्रचार कर सकोगे। सब नैतिक गिक्षाओं का सार यही है।

सच्चे नीतिनिष्ठ पुरुष की जिस बात की मनुष्य-समाज प्रशासा करता है, वह है उसकी शक्ति—उसके जीवन का बाहुल्य, जो उसे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अपनी बुद्धि, अपनी अनुभूति, अपनी क्रियाशक्ति दूसरे को प्रदान करे और बदले में कुछ भी न चाहे।

प्रबल चिन्ताशील व्यक्ति, जो बौद्धिक जीवन से भरपूर बना रहता है, स्वभावत अपने भावों को बाटना चाहता है। विचार करने में क्या आनन्द मिल सकता है, जबतक कि वे विचार दूसरो तक पहुँचाये न जा सके? जो लोग मानसिक दृष्टि से दरिद्र होते हैं, वे ही अत्यन्त कष्ट से ढूढ़ निकाले हुए भावों को यत्नपूर्वक छिपाते हैं, ताकि वे उसपर अपने नाम की छाप लगा सकें, किन्तु परिपक्व बुद्धिवाले मनुष्य अपने भावों को लेकर उच्छ्वसित हो उठते हैं, और वे उन्हे दोनों हाथों से वितरण करते हैं। यदि वे अपने विचारों का भागी दूसरों को नहीं बना सकते और यदि वे उन्हे चारों दिशाओं में विकीर्ण नहीं कर सकते तो उन्हे अपना जीवन कष्टप्रद प्रतीत होता है, क्योंकि इस दान में ही उनका जीवन है।

यही बात अनुभूति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। हम अपने लिए पर्याप्त नहीं हैं—“हमारे पास जितने आंसू हैं, वे हमारे निजी कष्टों से कही अधिक हैं (यानी वे दूसरों के कष्टों के लिए भी बहाये जाने चाहिए), और हमारे जीवन के लिए जितना आनन्द उचित होना चाहिए, उसकी अपेक्षा हममें कही अधिक आनन्द-उपभोग की क्षमता है।” गुयाऊ ने इन दो परित्यों में हमारे नीतिशास्त्र का सार निचोड़कर रख दिया है। एकाकी

मनुष्य दुखी और अशान्त बना रहता है, क्योंकि वह अपने विचारों और अनुभूतियों में दूसरों को शामिल नहीं कर सकता। जब हम किसी महान् आनन्द का अनुभव करते हैं तो हमारी यह इच्छा होती है कि हम दूसरों को यह बतावे कि हम जिन्दा हैं, हम अनुभव करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम जीवन धारण करते हैं, हम जीने के लिए संग्राम करते हैं, हम युद्ध करते हैं।

इसके साथ ही हम इस बात की भी आवश्यकता अनुभव करते हैं कि हम अपनी इच्छा-शक्ति का—अपनी सक्रिय शक्ति का—प्रयोग करें। वहु-सख्यक मनुष्यों के लिए कार्य करना एक आवश्यक वस्तु हो जाता है। यह आवश्यकता इतनी बड़ी होती है कि जब असगत दशाओं के कारण स्त्री-पुरुष किसी लाभदायक कार्य से विच्छिन्न हो जाते हैं तो वे कोई ऊटपटाग कार्य या व्यर्थ के दायित्व ढूढ़ निकालते हैं, जिससे अपनी सक्रिय शक्ति के लिए वे क्षेत्र प्रस्तुत कर सकें। वे किसी सिद्धात, धर्म या सामाजिक कर्तव्य का आविष्कार करते हैं, जिससे वे अपने मन को यह विश्वास दिला सकें कि वे कोई लाभदायक कार्य कर रहे हैं। जब वे नाचते हैं तो परोपकार के लिए। जब वे कीमती पोशाक पहनकर अपनी बर्बादी करते हैं तो इसलिए कि वे अपने सम्भ्रान्त कुल की स्थिति को कायम रख सकें। जब वे कुछ नहीं भी करते हैं तो सिर्फ़ सिद्धात के लिए।

गुयाऊ ने लिखा है—“अपने साधियों को सहारा देना हमारे लिए आवश्यक है। मानव-समाज द्वारा जो गाड़ी बड़ी कठिनता से खीची जा रही है, उसमें हम भी कन्धा लगा दे, हर हालत में हम उसके इर्द-गिर्द मढ़-राते रहे।” सहारा पहुचाने की यह आवश्यकता इतनी बड़ी होती है कि यह सब सामाजिक प्राणियों में पाई जाती है, चाहे उनकी स्थिति कितनी ही निम्न क्यों न हो। प्रतिदिन राजनीति में जो विशाल शक्ति का अपव्यय होता है, वह इसके सिवा और क्या है कि मानवता की गाड़ी को सहारा दिया जाय, या कम-से-कम उसके चारों ओर घूमा जाय।

‘इच्छा-शक्ति की उर्वरता’ कार्य करने की पिपासा जब अनुभूति की

दरिद्रता से युक्त होती है और बुद्धि सृष्टि करने में अक्षम होती है तो उससे नेपोलियन या विस्मार्क जैसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के पाण्डित्याभिमानी व्यक्ति संसार को जवर्दस्ती पीछे की ओर घसीटकर ले जाने की चेष्टा करते हैं। दूसरी ओर यदि मानसिक उर्वरता विकसित अनुभूति से शून्य होती है तो उसके फलस्वरूप ऐसे अहकारी साहित्यिक और वैज्ञानिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, जो केवल ज्ञान की प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं। अन्त में यह जान रखना चाहिए कि यदि अनुभूति को पथ-प्रदर्शित करने के लिए बुद्धि का अभाव होगा तो इससे उस स्त्री-जैसे व्यक्ति उत्पन्न होगे, जो किसी नरपति के लिए, जिसे वह तन-मन-प्राण से प्रेम करती है, अपना सब-कुछ न्योछावर कर देने को तैयार रहती है।

यदि जीवन को वस्तुत सफल बनाना है तो बुद्धि, अनुभूति और इच्छाव्यक्ति में सामजस्य स्थापित करना चाहिए। जीवन की प्रत्येक दिशा की यह उर्वरता ही जीवन है और इसीका नाम जिन्दगी है। इस जीवन के एक क्षण के लिए, जिन्होने एक बार भी इसकी ज्ञानी प्राप्ति कर ली है, वे अपने धास-फूस की तरह बढ़नेवाले कितने ही वर्ष प्रदान कर देते हैं। इस प्रचुर जीवन के बिना मनुष्य समय से पहले ही वृद्ध हो जाता है। वह एक नपुसक प्राणी बन जाता है। वह उस पौधे के समान है, जो फूलने के पहले ही सूख जाता है।

“इस जीवन को, जिसमें जिन्दगी है ही नहीं और जो सडी-गली चीजों से परिपूर्ण है, धता बताओ।” एक युवक बोल उठता है—वह सच्चा युवक, जिसमें जीवन-रस उच्छ्वसित हो रहा है, जो जीवित रहना चाहता है और जो अपने चारों ओर जीवन को वितरण करना चाहता है। प्रत्येक अवसर पर जब समाज का पतन होता है तो इस प्रकार के युवकों के बाक्रमण से प्राचीन आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्वरूप छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, जिससे नवजीवन की उत्पत्ति के लिए स्थान हो। यदि इस संग्राम में कितन ही नवयुवक जेत रहे तो इनकी कोई चिन्ता नहीं। फिर भी जीवन-रस का तो संचार होता ही रहता है, क्योंकि यौवन के अस्तित्व का अर्थ है पुण्यित

नीति और जीवन

होना, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों न हो। नवयुवक इस बात की फ़िक्र नहीं करता कि उसके कार्यों का नतीजा क्या होगा, और चाहे जो भी मन्दिराम हो, नवयुवक उसके लिए खेद नहीं करता।

मानव-जीवन के वीरत्वपूर्ण अवसरों की बात जाने दीजिये, यदि हम मनुष्य के दैनिक जीवन पर ही विचार करे तो क्या अपने आदर्श से विच्छिन्न होकर रहना भी कोई जिन्दगी है?

इन दिनों अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य आदर्श के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं। इसका कारण समझना कठिन नहीं है। इस 'आदर्श' शब्द का सरल-हृदय मनुष्यों को धोखा देने के लिए इतना अधिक दुरुपयोग हुआ है कि इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी अवश्यम्भावी है और साथ ही लाभप्रद भी है। हम भी यह चाहते हैं कि 'आदर्श' शब्द के, जो इतना अधिक कल्पित और दूषित हो चुका है, स्थान में कोई नया शब्द रखा जाय, जो नवीन भावों के अनुकूल हो।

किन्तु शब्द चाहे कुछ भी क्यों न हो, असल बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य का उसका अपना आदर्श होता है। बिस्मार्क का भी अपना निजी आदर्श था—चाहे वह आदर्श कितना ही विचित्र क्यों न था—यानी तलवार के बल पर शासन। यहा तक कि प्रत्येक असभ्य व्यक्ति का भी अपना आदर्श होता है, चाहे वह आदर्श कितना ही अघम क्यों न हो।

किन्तु इन लोगों के सिवा ऐसे मनुष्य भी हैं, जिन्होंने उच्चतर आदर्श की कल्पना की है। पशुवत् जीवन से वे सत्तुष्ट नहीं हो सकते। दासता, मिथ्याभाषण, विश्वासघात, घड्यन्त्र, मानवीय सम्बन्ध में असमानता—इन सब बातों से उन्हें घृणा होती है। वे स्वयं दासवत्, मिथ्याभाषी, घड्यन्त्रकारी और दूसरे पर प्रभुत्व करनेवाले क्योंकर हो सकते हैं? यदि मनुष्यों में परस्पर का सम्बन्ध अच्छा हो तो जीवन कितना सुन्दर बन सकता है, इसका आभास उन्हें मिल जाता है। वे अपनेमें इस बात की क्षमता का अनुभव करते हैं कि वे उन लोगों के साथ अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हो सकते हैं, जिनके साथ उनका सम्पर्क हो। उनके मन में

एक ऐसी भावना का जन्म होता है, जिसे हम आदर्श कहते हैं।

यह आदर्श कहां से आता है? एक तो वंशानुक्रम से और दूसरे जीवन की धारणाओं से। किस प्रकार इसका गठन होता है? हम लोग यह नहीं जानते। अधिक-से-अधिक हम इसकी कहानी न्यूनाधिक सत्य रूप में अपने आत्म-चरित में वर्णन कर सकते हैं। पर यह एक यथार्थ तथ्य है—परि-वर्तनशील और प्रगतिशील है, बाह्य प्रभावों से प्रभावित होता है, किन्तु बराबर सजीव बना रहता है। यह आदर्श विशेषत वह अचेतन अनुभूति है, जिससे अधिक-से-अधिक परिमाण में प्राणशक्ति और आनन्द प्राप्त हो सकता है।

जीवन सबल, उर्वर और सबेदनशील तभी हो सकता है, जब आदर्श की अनुभूति के अनुसार काम किया जाय। इस अनुभूति के विश्व कार्य कीजिये और आपको अपना जीवन झुका हुआ—जबनत—मालूम पड़ेगा। उसकी सजीवता नष्ट हो जायगी। अपने आदर्श के प्रति यदि आप सच्चे नहीं बने रहेगे तो अन्त में आपकी इच्छा-शक्ति और क्रियात्मक शक्ति को लकवा भार जायगा। फिर आप शीघ्र अपनी जीवन-शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और आप खो बैठेगे अपने निर्णय की उस स्वच्छन्दता को, जिसे आप पहले जानते थे। आपका जीवन टूट जायगा—भग्न हो जायगा।

यदि आप मनुष्य को स्नायु और मस्तिष्क-सम्बन्धी केल्डो का, जो स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं, सम्मिश्रण समझ ले तो फिर इन बातों में कोई रहस्य नहीं रह जायगा। आपके अन्दर जो विभिन्न अनुभूतिया समाम कर रही हैं, उनके बीच द्विविधा में पड़े रहिये; फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके अवयवों का सामजस्य नष्ट हो जाता है। इच्छा-शक्ति के बिना आप रोगी बन जायगे। आपके जीवन की प्रगाढ़ता कम हो जायगी। फिर आप समझीते करने की फिक्र करेंगे; पर क्या ऐसे समझीतों से जिन्दगी बापस आ सकती है? फिर आप कभी पूर्ण, सुदृढ़, सबल व्यक्ति नहीं बन सकेंगे, जैसे आप उस समय थे, जबकि आपके कार्य मस्तिष्क की आदर्श भावनाओं के अनुकूल होते थे।

ऐसे युग भी आते हैं, जब नैतिक भावनाओं में पूर्णतया परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य यह अनुभव करता है कि जिस बात को उसने नीतियुक्त समझा था, वह धोर नीति-भृष्टता है। उदाहरणार्थ, कोई प्रथा, जो परम्परा से नीतिमूलक समझी जाती रही है, अब स्पष्टतया नीतिभृष्ट मालूम पड़ती है। दूसरे उदाहरणों में हम ऐसी नैतिक पद्धति पाते हैं, जो किसी श्रेणी-विशेष के स्वार्थ के लिए बनाई गई हो। उस समय हम उन्हे अलग फेक देते हैं और “नीतिमत्ता का अन्त कर डालो” यह आवाज उठाते हैं। उस समय नीति-विरुद्ध कार्य करना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

हमें ऐसे युगों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे युग समालोचना के युग हैं। वे इस बात के निभ्रन्ति लक्षण हैं कि समाज में चिन्तन-शक्ति कार्य कर रही है, उच्चतर नीतिनिष्ठा काम करने लग गई है। यह नीतिमत्ता क्या होगी, उसकी हमने सूत्र-रूप में व्याख्या की है, और इसके लिए हमने मनुष्य और पशु-जीवन के अध्ययन को अपना आधार माना है।

हमने नीतिज्ञान के उस रूप को देखा है, जो इस समय भी जनता और विचारशील लोगों के भावों में आकार धारण कर रहा है। इस प्रकार के नीति-ज्ञान में आदेश जारी नेहीं किये जायगे। यह सदा के लिए किसी अमूर्त भावना के अनुसार व्यक्तियों को साचे में ढालना अस्वीकार कर देगा, क्योंकि यह उन्हे धर्म, कानून या सरकार द्वारा अगहीन नहीं बनाना चाहता। यह व्यक्ति के लिए पूर्ण और सर्वांग-सम्पन्न स्वाधीनता देगा। यह तथ्यों का एक सरल विवरण—एक विज्ञान होगा। और यह विज्ञान मनुष्य से कहेगा—“यदि तुम अपनी आन्तरिक शक्ति से परिचित नहीं हो, यदि तुम्हारी शक्तिया सिर्फ इसी बात के लिए पर्याप्त है कि तुम अपने निस्तेज और अपरिवर्तनशील जीवन को बिना किसी गंभीर झोक के, कायम रख सको, तो न्यायानुकूल समानता के सरल सिद्धातों पर अपनेको सलग्न रखो। समानता के सम्बन्ध से तुमको अपनी दुर्बल शक्तियों के अनुसार यथासभव अधिक-से-अधिक आनन्द मिलेगा।

“किन्तु, अगर तुम्हे अपने भीतर जवानी की ताकत महसूस होती है, अगर तुम जीते रहना चाहते हो, अगर तुम निर्दोष, सर्वाग्रपूर्ण और उभरती हुई जिंदगी का आनन्द लेना चाहते हो—यानी अगर तुम उन सर्वोच्च आनन्दों को जानना चाहते हो, जिनकी कोई भी जीवित प्राणी आकाशा कर सकता है—तो मजबूत बनो, महान् बनो और जो कुछ भी तुम करो, उसमे दृढ़ता से काम लो ।

“अपने चारो तरफ जीवन के बीज बोओ । खबरदार ! अगर तुम धोखा दोगे, झूठ बोलोगे, पड़्यत्र रचोगे, चकमा दोगे, तो तुम उससे खुद अपने-आपको पतित करोगे—अपने-आपको छोटा बनाओगे, पहले से अपनी कमज़ोरिया कबूल करोगे और तुम्हारी हालत जनानखाने के उस गुलाम की तरह होगी, जो हमेशा अपनेको अपने मालिक से छोटा समझता है । अगर तुम्हे यही बाते भाती हैं, तो इन्हीको करो, लेकिन उस हालत मे लोग तुम्हे नाचीज, धृणा-स्पद और कमज़ोर समझेगे, और तुम्हारे साथ वैसा ही वर्ताव करेगे । तुम्हारी ताकत का कोई सबूत न होने के मानी यह होगे कि जनता तुम्हे करुणा का पात्र समझेगी—केवल करुणा का पात्र, वस !

“जब तुम खुद अपने-आप अपनी शक्तियों को पगु बनाते हो तो दुनिया को दोष मत दो । इसके खिलाफ अपनेको शक्तिशाली बनाओ और अगर तुम्हे कही कोई अन्याय दिखाई दे और तुम उसे अन्याय या अधर्म मानते हो—चाहे वह जीवन का कोई अन्याय हो, विज्ञान का कोई झूठ हो, या किसीपर किसीका किया हुआ जुल्म हो—तो तुम उस अन्याय, उस झूठ या उस जुल्म के खिलाफ उठकर बगावत करदो ।

“सधर्ष करो, ताकि सारी दुनिया सुखी और खुशहाली से भरा-पूरा जीवन विता सके । विश्वास रखो कि इस सधर्ष मे तुम्हे वह आनन्द मिलेगा, जो और कोई बात तुम्हे नहीं दे सकती ।”

नीतिशास्त्र आपको जो-कुछ बतला सकता है, वह सिर्फ इतना ही है । इसे मानना या न मानना आपकी इच्छा पर निर्भर है ।

: ४ :

अराजकता : सिद्धान्त और आदर्श

ऐसे लोगों की सख्त्या अब भी काफी है जो यह खयाल करते हैं कि अराजकता भविष्य के सबध में स्वप्नों का सग्रह-मात्र है, और उसका उद्देश्य वर्त्तमान सम्यता का विघ्वस करना है, चाहे यह विघ्वस का प्रयत्न, वे-समझे-बूझे ही किया जा रहा हो। इस प्रकार के विचार जो लोग रखते हैं, उनके पक्षपात पूर्ण स्कारो के आधार को स्पष्ट कर देने के लिए हमें बहुत छोटी-छोटी बातों पर विचार करना होगा। इनपर सक्षेप में विचार करना मुश्किल है।

कुछ समय से अराजकवादियों की चर्चा इतनी अधिक होने लगी है कि जनता के एक भाग ने आखिर हमारे सिद्धातों का अध्ययन करना और उनकी विवेचना करना शुरू कर दिया है। कभी-कभी लोगों ने इसपर विचार करने का भी कष्ट उठाया है, और इस समय हमने कम-से-कम इस बात को तो लोगों से मजूर करा लिया है कि अराजकवादियों का भी कोई आदर्श है, बल्कि लोग यहा तक कहने लगे हैं—“मनुष्य-समाज में सब देवता-ही-देवता थोड़े हैं। इसलिए अराजकवादियों का आदर्श समाज के देखे इतना अधिक ऊँचा और इतना अधिक सुन्दर है कि वह सर्वथा अव्यवहार्य है।”

किन्तु क्या मेरे लिए किसी दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ कहना आडम्बर-पूर्ण न होगा, जबकि हमारे समालोचकों के अनुसार हमारे आदर्श सुदूर भविष्य के स्वप्न-मात्र हैं? क्या अराजकता इस बात का दावा कर सकती है कि उसका कोई दर्शन है, जबकि यही स्वीकार नहीं किया जाता है कि साम्यवाद का भी कोई दर्शन है? इसीके सबध में यथासभव पूर्ण स्पष्टता के साथ उत्तर देने जा रहा हूँ। पहले मैं प्राकृतिक विज्ञान से कुछ मौलिक सिद्धात लेकर शुरू करता हूँ, इस उद्देश्य से नहीं कि हम उनसे अपने सामाजिक भावों का निर्णय करें, बल्कि इस बजह से कि प्राकृतिक दृष्टातों के द्वारा, हम अपने प्रश्नों पर आसानी के साथ प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि उसके तथ्य गणित

इत्यादि विज्ञानों के द्वारा सत्य सिद्ध किये जा सकते हैं और उलझे हुए मानव समाज के दृष्टातों द्वारा ऐसा करना बहुत कठिन है।

भौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में इस समय हमें एक विशेष उल्लेखनीय बात यह दीख पड़ती है कि विश्व के तथ्यों के सम्बन्ध में और उनकी सपूर्ण भावनाओं में गम्भीर परिवर्तन हो रहा है।

एक समय ऐसा था, जब मनुष्य यह समझता था कि पृथिवी विश्व-ब्रह्माड के मध्य में स्थित है। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह और नक्षत्र हमारी इस पृथिवी के चारों ओर घूमते हैं। यह पृथिवी, जिसपर मनुष्य का वास है, मनुष्य के लिए सृष्टि का केन्द्र है। वह स्वयं—अपने ग्रहमण्डल का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण—अपनी सृष्टि का विशिष्ट जीव है। सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों की सृष्टि उसीके लिए हुई है—ईश्वर का सारा ध्यान उसीकी ओर प्रवर्तित होता है, जो उसके छोटे-से-छोटे कार्यों पर भी दृष्टि रखता है, उसके लिए सूर्य की गति को रोक देता है और मनुष्य-जाति के अपराधों का दंड देने या पुण्यों का फल देने के लिए ग्रामों या नगरों पर वर्षा या वज्र गिराता है। सहस्रों वर्ष तक मनुष्य ने विश्व को इसी रूप में समझ रखा था। सोलहवीं शताब्दी में सभ्य मानव-जाति की समस्त भावनाओं में एक महात् परिवर्तन उत्पन्न हुआ, जबकि यह सिद्ध कर दिया गया कि पृथिवी विश्व-ब्रह्माड का केन्द्र न होकर सौर-मण्डल में बालू के एक कण के समान है,—अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह बहुत छोटी है, और सूर्य यद्यपि हमारी इस क्षुद्र पृथिवी की अपेक्षा बहुत बड़ा है, फिर भी वह असत्य नक्षत्रों में, जिन्हे हम आकाश में प्रकाशमान और आकाशगंगा में श्रेणीवद्ध देखते हैं, एक नक्षत्र-मात्र है। इस असीम विशालता के सामने मनुष्य कितना तुच्छ और उसका आडम्बर कितना उपहासजनक मालूम पड़ता है। उस युग के समस्त दर्गनशास्त्र तथा समस्त सामाजिक और धार्मिक भावनाओं पर सृष्टि-क्रम के इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक विज्ञान, जिसकी वर्तमान उन्नति पर हम गर्व करते हैं, उस समय से ही शुरू होता है।

किन्तु इस समय समस्त विज्ञानों में उससे भी कहीं बढ़कर एक प्रगाढ़

परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम और भी दूरव्यापी होगे, और अराजकता इस क्रम-विकास की अनेक अभिव्यक्तियों में से एक अभिव्यक्ति है।

गत शताब्दी के ज्योतिष-शास्त्र की किसी रचना को ले लीजिये। आप उसमें हमारे इस क्षुद्र ग्रह—पृथिवी—को विश्व-नहाड़ के केन्द्र में नहीं पायेगें; किन्तु आपको पग-पग पर एक केन्द्रीय नक्षत्र—सूर्य—की कल्पना मिलेगी, जो अपने शक्तिशाली आकर्षण से हमारे नक्षत्र-जगत् पर शासन करता है।

इस केन्द्रीय स्थान से एक शक्ति विकीर्ण होती है, जो ग्रहों की गति का परिचालन करती है और सौर-जगत् के सामजस्य को अक्षुण्ण बनाये रखती है। केन्द्रीय राशि से उत्पन्न होने के कारण ये नक्षत्र मानो उससे मुकुलित हुए हो। उनकी उत्पत्ति इस राशि से हुई है, इस ज्योतिषमान नक्षत्र के कारण उनकी गतियों में सामजस्य रहता है, उनकी कक्षाएँ एक-दूसरे से नियमित दूरी पर रहती हैं, और उनमें जीवन रहता है, जो जीवन उन्हे अनुप्राणित और उनके वहिर्भाग को विभूषित करता है। जब किसी विक्षोभ के कारण उनकी गति में वाधा पड़ती है, और वे अपनी कक्षाओं से विचलित हो जाते हैं, उस समय यह केन्द्रीय ग्रह सौर मण्डल में फिर से शृखला उत्पन्न कर देता है। वह उसके अस्तित्व को निश्चित और चिरस्थायी बनाता है।

किन्तु यह भावना भी अन्य भावनाओं के समान अब लुप्त हो रही है। सूर्य तथा अन्य वडे-वडे ग्रहों पर अपने ध्यान को केन्द्रित करने के बाद ज्योतिषी लोग सब अत्यत छोटे-छोटे ग्रहों का, जो विश्व को परिपूर्ण कर रहे हैं, अध्ययन करने लगे हैं। उन्होंने यह पता लगाया है कि ग्रहों और नक्षत्रों के बीच जो स्थान है, वे सभी दिशाओं में छोटे-छोटे द्रव्यों के समूह से परिपूर्ण और अतिक्रमित होते रहते हैं। ये द्रव्य पृथक् रूप में अदृश्य और अत्यन्त सूक्ष्म हैं, किन्तु सामूहिक रूप में सर्वशक्तिमान हैं।

ये ही अत्यत सूक्ष्म वस्तुएँ द्वात् गति से अनन्त अवकाश के बीच होकर दौड़ती रहती हैं। उनमें प्रत्येक स्थान में निरन्तर सधर्व, एकत्रीकरण और विश्लेषण होता रहता है। आधुनिक ज्योतिषी इन्हीं वस्तुओं को, उनकी गति-विधियों को, जो अपने अशों को अनुप्राणित करती हैं, और उनके संपूर्ण साम-

जस्य को, सौर-मडल की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। आगे चलकर यह भी हो सकता है कि पृथिवी का गुरुत्वाकर्षण इन्हीं सूक्ष्म वस्तुओं की अशृखल और असबद्ध गतिविधियों का (अणुओं के कम्पन का, जो सब दिशाओं में व्यक्त होता है) परिणाम समझा जाय। इस प्रकार केन्द्र, शक्ति का उद्गम-स्थान, जो आरम्भ में पृथिवी से सूर्य तक स्थानान्तरित हुआ था, अब विकीर्ण और विस्तृत मालूम पड़ता है। यह सर्वत्र है, और किसी एक खास जगह में नहीं है। ज्योतिष-शास्त्र के द्वारा हम यह देखते हैं कि सौर-मडल की रचना अत्यत सूक्ष्म वस्तुओं को लेकर होती है, जिस शक्ति द्वारा सौर-मडल का नियमन होता है, वह शक्ति स्वयं इन्हीं सूक्ष्म वस्तुओं के समुदायों में सधर्ष होते रहने का परिणाम है। नक्षत्र-मडल में सामजस्य इसलिए बना रहता है कि यह एक योजना है, उन असर्व गतियों का परिणाम है, जो परस्पर एकत्र, पूर्ण और साम्यभाव धारण करती रहती है।

इस नवीन भावना के साथ-साथ विश्व का सपूर्ण स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। ससार पर किसी शक्ति द्वारा शासन होने की धारणा, पूर्व-निश्चित नियम तथा पूर्व-निश्चित सामजस्य, लुप्त हो जाते हैं, और उनका स्थान ग्रहण कर लेता है वह सामजस्य, जिसका आभास फौरिये को मिला था, और जो असर्व वस्तुओं की विश्रृखल और असबद्ध गतियों का परिणाम है। इन असर्व वस्तुओं में प्रत्येक की गति पृथक्-पृथक् है और वे सब एक-दूसरे के साथ सामजस्य रखती हैं।

केवल ज्योतिष-शास्त्र में ही यह परिवर्तन हो रहा हो, सो बात नहीं। समस्त शास्त्रों के सिद्धात में विना किसी अपवाद के यह परिवर्तन हो रहा है, चाहे वे शास्त्र प्रकृति के अध्ययन से सबध रखते हों, या मानव-अध्ययन से।

भौतिक विज्ञान में ताप, चुम्बक-शक्ति और विद्युत की सत्ता लुप्त हो जाती है। उन दिनों यदि कोई जडवादी उत्पत्त या विद्युन्मय शरीर के मम्बन्ध में कुछ कहता है तो वह इनमें किसी अचेतन समह को नहीं देखता, जिसमें किसी अन्नात शक्ति को जोड़ने की आवश्यकता हो। वह इस शरीर में और

उसके चतुर्दिक् स्थान में उन अत्यत छोटे-छोटे अणु-परमाणुओं की गति और कम्पन को जानने का प्रयत्न करता है, जो सब दिशाओं में प्रचड़ वेग से दौड़ते रहते हैं, जिनमें स्पदन, गति और जीवन होता है, और जो अपने स्पदन, आधात और जीवन से उष्मा, प्रकाश, चुम्बक या विद्युत उत्पन्न करते हैं। सेन्ड्रिय जीवन (Organic Life) से सबवं रखनेवाले विज्ञान में जाति और उसके विभिन्न रूपों की भावना का स्थान व्यक्ति के विभिन्न रूपों की भावना ग्रहण कर रही है। वनस्पति शास्त्रवेत्ता और जन्तुविद्याविद् व्यक्ति का, उसके जीवन का तथा उसने अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपने को जो बना लिया है, उसका अध्ययन करते हैं। शुष्कता या आर्द्धता, सर्दी या गर्मी, पोषण की प्रचुरता या दरिद्रता, तथा वाह्य परिस्थिति की क्रिया के प्रति उसकी जो न्यूनाधिक सवेदनशीलता होती है और उसकी प्रक्रिया से उसमें जो परिवर्त्तन उत्पन्न होते हैं, उनसे जातियों की उत्पत्ति होती है, और जातियों के परिवर्त्तन इस समय जीवशास्त्रवेत्ता के लिए परिणाम-मात्र है—प्रत्येक व्यक्ति में पृथक्-पृथक् जो परिवर्त्तन हुए है, उसीकी समष्टि है। व्यक्ति के अनुसार ही जाति होगी। व्यक्तियों के ऊपर उनकी परिस्थिति का, जिन परिस्थितियों में वे रहते हैं, असर्व प्रभाव पड़ता है और उनमें से प्रत्येक अपने-अपने ग से अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपनेको बनाता है।

इस समय जब कोई शरीर-शास्त्रवेत्ता किसी वृक्ष या प्राणी के जीवन के सम्बन्ध में कुछ कहता है तो उसका लक्ष्य किसी एक अदृश्य व्यक्ति पर न होकर एक समुदाय पर, असर्व पृथक्-पृथक् व्यक्तियों की जीव-समष्टि पर, होता है। वह अग्निवर्द्धक, विषयपरायण स्नायविक इन्द्रियों के सघ की चर्चा करता है, जो आपस में एक-दूसरे से घनिष्ठता से मिली हुई है और एक-दूसरे की कुशलता या अकुशलता का परिणाम अनुभव करती है, किन्तु प्रत्येक का अपना जीवन अलग-अलग होता है। अवयवों के प्रत्येक भाग की रचना स्वतन्त्र क्षुद्र कोपों द्वारा हुई है, जो आपस में मिलकर अपने अस्तित्व के प्रतिकूल दशाओं के विरुद्ध संग्राम करते हैं। व्यक्ति भी सघों का एक विश्व है, वल्कि यो कहना चाहिए कि वह स्वयं एक सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माद्वारा है।

समष्टिभूत प्राणियों के इस विश्व में शरीर-शास्त्रवेत्ता को स्नायु-केन्द्र, मास-तन्तु और रक्त के स्वतन्त्र कोष दीख पड़ते हैं। वह उन असत्य श्वेत रक्त-कणों को पहचानता है, जो जीवाणुओं से सक्रान्त गरीर के अगों में आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करने के लिए प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं, वल्कि आधुनिक काल में उसे सूक्ष्म कोष में स्वतन्त्र अवयव देख पड़ते हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना पृथक् जीवन होता है जो स्वयं अपने अस्तित्व पर दृष्टि रखता है और दूसरों के साथ मिलकार तथा समूह बनाकर उसे प्राप्त करता है।

सक्षेप में हम यो कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इन्द्रियों का विश्व है, प्रत्येक इन्द्रिय कोषों का विश्व है और प्रत्येक कोष अत्यन्त छोटे-छोटे कोषों का विश्व है; और इस जटिल विश्व में समग्र की कुशलता प्रत्येक सूक्ष्मतम अणु की कुशलता की समष्टि पर सम्पूर्णतया निर्भर करती है। इस प्रकार जीवन के सिद्धान्त में ही सम्पूर्ण क्रान्ति उत्पन्न हो जाती है, 'किन्तु खासकर मनोविज्ञान में ही यह क्रान्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है।

अभी हाल तक मनोविज्ञानवेत्ता मनुष्य को एक सम्पूर्ण अविभाज्य प्राणी बताया करते थे। धार्मिक परम्परा के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए, वे मनुष्यों को भला और वुरा, बुद्धिमान और मूर्ख, स्वार्थी और परोपकारी की श्रेणी में गिना करते थे। अठारहवीं शताब्दी के जडवादी भी आत्मा की तथा उसके अविभाज्य अस्तित्व की सत्ता मानते थे।

किन्तु इस समय यदि कोई मनोविज्ञानवेत्ता इस तरह की बाते करे, तो उसके सम्बन्ध में हम क्या कहेंगे? आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता मनुष्य में पृथक् गुणों तथा स्वतन्त्र प्रवृत्तियों का समूह पाता है, जो आपस में एक समान होती है, अपना कार्य स्वतन्त्र रूप में करती है, परस्पर साम्यभाव रखती है और वरावर एक-दूसरे का विरोध करती रहती है। समष्टि रूप में मनुष्य अपनी योग्यताओं का, अपनी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों, मस्तिष्क-कोषों और स्नायु-केन्द्रों का परिणाम-मात्र है, जो परिणाम सदा परिवर्तनशील होता है। ये सब

एक-दूसरे के साथ इस प्रकार घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है कि उनमें प्रत्येक की प्रतिक्रिया अन्य सबों पर होती रहती है, किन्तु उनका अपना पृथक् जीवन होता है, और वे किसी केन्द्रीय—अवयव—आत्मा के अधीनस्थ नहीं होते।

इस प्रकार आप देखेगे कि इस समय सम्पूर्ण प्रकृति-विज्ञान में एक गम्भीर परिवर्तन हो रहा है। यह वात नहीं है कि इस समय छोटी-छोटी वातों तक का विश्लेषण हो रहा है, जिनकी पहले उपेक्षा की गई थी। नहीं! ये तथ्य कुछ नए नहीं हैं, किन्तु उनपर विचार करने की प्रणाली का इस समय क्रम-विकास हो रहा है। यदि हमें कुछ शब्दों में इस प्रवृत्ति का लक्षण बताना हो तो हम कह सकते हैं कि यदि पूर्वकाल में विज्ञान ने परिणामों और वडे-वडे अकों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया था, तो इस समय वह अत्यत छोटे-छोटे अकों के अध्ययन का प्रयत्न करता है, जिसके जोड़ से उन अकों की रचना हुई है और जिसमें वह इस अतरण समष्टि के साथ-साथ स्वतंत्रता और व्यक्तित्व पाता है।

मानवी वृद्धि को प्रकृति में जो सामजस्य दीख पड़ता है, और जो साम-जस्य दृश्यों की स्थिरता का प्रतिपादन-मात्र है, उसे आधुनिक वैज्ञानिक इस समय जितना अधिक समझ रहा है, उतना पहले उसने कभी नहीं समझा था, किन्तु अब आधुनिक वैज्ञानिक उसकी व्याख्या करते हुए यह नहीं कहता कि यह सामजस्य किसी वृद्धिमान आदमी ने किसी पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार निश्चित किया है।

जिसे लोग 'प्राकृतिक नियम' कहा करते थे, वह घटनाओं के बीच एक निश्चित सबध के सिवा और कुछ नहीं है, जिस सबध को हम क्षीण-रूप में देखते हैं, और प्रत्येक 'नियम' कारण-सबधी घटना का 'अस्थायी रूप' धारण करता है, अर्थात्—यदि अमुक दशाओं में अमुक घटना हो, तो उसके परिणाम-स्वरूप अमुक घटना होगी। घटना से बाहर कोई भी नियम नहीं है—प्रत्येक घटना अपनी परस्परी घटना पर नियमन करती है, किसी नियम पर नहीं।

जिसे हम प्रकृति का सामजस्य कहते हैं, उसमें कोई भी वात पूर्व-कल्पित नहीं होती। नघर्ष और सग्राम की भावना इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त

है। इस प्रकार की घटना शताब्दियों तक वर्तमान रहेगी, क्योंकि जिस योजना की, साम्यावस्था की यह धौतक है, उसे स्थापित होने में शताब्दिया लगी है; किन्तु इस प्रकार की कोई दूसरी घटना एक क्षण से भी अधिक नहीं ठहरेगी, यदि उस प्रकार का क्षणस्थायी साम्य एक क्षण में ही उत्पन्न हुआ होगा। हमारे सौर-मडल के ग्रह यदि प्रतिदिन आपस में टकराते नहीं, न एक-दूसरे को नष्ट करते हैं, और लाखों वर्ष तक कायम रहते हैं, तो इसका कारण यह है कि वे उस साम्यावस्था का निर्दर्शन करते हैं, जिसे असत्य अन्ध-शक्तियों के परिणामस्वरूप स्थापित होने में लाखों शताब्दिया लग गई है। ज्वालामुखी के आधातो से यदि महादेशों का निरन्तर ध्वस नहीं होता रहता है, तो इसका कारण यह है कि एक-एक कण को लेकर उनकी रचना में हजारों शताब्दिया लग गई है, तब वे अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुए हैं। किन्तु विजली एक क्षण के लिए ही स्थायी होगी, क्योंकि यह साम्यावस्था के क्षणिक भेद का—शक्ति के आकस्मिक पुनर्वितरण का—निर्दर्शन है।

इस प्रकार सामजस्य एक क्षणस्थायी समाधान के रूप में प्रतीत होता है, जो समस्त शक्तियों के बीच स्थापित हो चुका है और जो एक सामयिक योजना-मात्र है। और यह योजना केवल एक शर्त पर ही हर सकती है। वह शर्त है इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहना। परस्पर-विरोधी क्रियाओं के परिणाम का वह प्रतिक्षण निर्दर्शन करती है। इनमें किसी भी एक शक्ति की क्रिया में वाधा पड़ने से सामजस्य लुप्त हो जाता है। शक्ति अपने परिणाम को सचित करेगी, उसे प्रकाश में आना ही पड़ेगा, वह अपनी क्रिया का अवश्य प्रयोग करेगी, और यदि अन्य शक्तियां इसकी अभिव्यक्ति में वाधा पहुचायगी तो डससे उसका लोप नहीं होगा, बल्कि वर्तमान व्यवस्था को उलट-पलट करके तथा सामजस्य नष्ट करके एक नए प्रकार की साम्यावस्था ढूढ़ निकालने और एक नवीन योजना की रचना के लिए कार्य करने में उम्का अन्त हो जायगा। ज्वालामुखी का विस्फोट इसी रूप में होता है। ज्वालामुखी की रुकी हुई शक्ति स्तम्भित लावाओं को भंग करके—जिनके कारण वह अपने गैस को, लावा को, तापोज्ज्वल

भस्म को, बाहर नहीं फेक सकती थी—नष्ट हो जाती है। मानव-समाज की क्रान्तिया भी इसी तरह की होती है।

मानव-समाज से सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञान में भी इसके साथ ही-साथ समान रूप में रूपान्तर हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास राज्यों का इतिहास होने के बाद राष्ट्रों का और फिर इसके बाद व्यक्तियों के अध्ययन का इतिहास बन जाता है। इतिहासकार यह जानना चाहता है कि राष्ट्र किस प्रकार के मनुष्यों द्वारा गठित हुआ था, उनका रहन-सहन कैसा था, उनके विश्वास क्या थे, उनकी जीविका के साधन क्या थे, समाज का कौन-सा आदर्श उनके सामने परिलक्षित था और उक्त आदर्श तक पहुँचने के लिए उनके पास साधन क्या थे? और इनसब गवित्यों की क्रिया से, जिनकी पहले उपेक्षा की गई थी, वह महान् ऐतिहासिक घटना की व्याख्या करता है।

इसी प्रकार वह विज्ञानवेत्ता, जो व्यवस्था-शास्त्र का अध्ययन करता है, अब किसी विधिवद्व विधान से सन्तुष्ट नहीं होता। मानव-जाति-विज्ञान-वेत्ता के समान वह उन स्थायों का मूल कारण जानना चाहता है, जो एक के बाद दूसरी स्थापित होती है। वह युग-युगान्तर के उनके क्रम-विकास का अनुगमन करता है, और इस अध्ययन में वह स्थानीय रीति-नीति, रस्म-रिवाज-सम्बन्धी कानून—जिसके द्वारा अज्ञात जनता की रचनात्मक प्रतिभा सब काल में प्रकट हुई है—और इन रीति-रिवाजों की अपेक्षा लिखित कानून पर बहुत कम ध्यान देता है। इस दिशा में एक सम्पूर्ण नूतन विज्ञान का सम्पादन हो रहा है। यह विज्ञान अवतक की निश्चित भावनाओं को, जिन्हे हमने स्कूल में ग्रहण किया था, उलट-पलट देगा और इतिहास की उसी रूप में व्याख्या करेगा, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या किया करता है।

अर्थशास्त्र, जो प्रारम्भ में राष्ट्रों के धन का अध्ययन समझा जाता था, इस समय व्यक्तियों के धन का अध्ययन बन गया है। वह इस बात के जानने की कम चिन्ता करता है कि अमुक राष्ट्र का विदेशी वाणिज्य विस्तृत है

या नहीं, वह इस बात का आश्वासन चाहता है कि किसान या श्रमजीवी की झोपड़ी मेरोटी का अभाव तो नहीं है। वह प्रत्येक द्वार पर जाता है, चाहे वह राज-प्रासाद हो, या गरीब की कुटिया, और वह धनी तथा दरिद्र दोनों से प्रश्न करता है—आपके प्रयोजन और विलास-सम्बन्धी आवश्यकताओं की कहा तक पूर्ति हुई है?

जब वह यह देखता है कि प्रत्येक राष्ट्र के अधिकाश लोगों की अत्यन्त जरूरी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तो वह अपने-आपसे उसी प्रकार प्रश्न करने लगता है, जिस प्रकार एक गरीर शास्त्रवेत्ता किसी पौधे या पशु के सम्बन्ध मे प्रश्न करता है—“ऐसे कौन-से उपाय हैं, जिनसे सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साथ ही शक्ति का कम-से-कम क्षय हो? समाज किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को और फलत सब लोगों को अधिक-से-अधिक सन्तोष की गारटी दे सकता है?” अर्थ-विज्ञान का रूपान्तर इसी दिशा मे हो रहा है, और अबतक एक साधारण घटना के रूप मे, जिसका अर्थ अल्पसंख्यक धनी सम्प्रदाय के स्वार्थ के लिए किया जाता था, रहकर यह एक वास्तविक विज्ञान—मानव-समाज का शारीर-जास्त्र—बनता जा रहा है।

इस प्रकार जबकि एक नवीन दर्शन का, ज्ञान के एक नवीन दृष्टि-कोण का, सृजन हो रहा है, हम यह देख सकते हैं कि समाज के सम्बन्ध मे एक विभिन्न धारणा—प्रचलित धारणा से सर्वथा विभिन्न—इस समय निर्मित हो रही है। अराजकता के नाम पर समाज के अतीत और वर्तमान जीवन की एक नवीन व्याख्या की जा रही है, और इसके साथ-साथ हमे उसके भविष्य के सम्बन्ध मे भी पूर्वाभास मिलता है। भूत और भविष्य दोनों का अर्थ उसी भावना से किया जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञान की उपर्युक्त व्याख्या मे प्रकट हुई है। अतएव अराजकता एक नवीन दर्शन-शास्त्र के उपादान के रूप मे प्रतीत होती है, और यही कारण है कि अराजकवादियों का आघुनिक समय के महान् विचारणील विद्वानों और कवियों के साथ अनेक विषयों के सम्बन्ध मे सम्पर्क होता रहता है।

असल बात तो यह है कि जिस मात्रा में मानवीय बुद्धि अल्पसच्चयक पुरोहित, सेनापति और जजो के—जो सब अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं और जिस प्रभुत्व को वेतनभोगी वैज्ञानिकों द्वारा स्थायी बनाने की कोशिश की जाती है—भावो से अपनेको मुक्त कर पाती है, उसी मात्रा में समाज की एक ऐसी धारणा उत्पन्न होती है, जिसमें इन शासक अल्प-सम्प्रदायों के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इस प्रकार का समाज पहले की पीढ़ियों के परिश्रम से सचित सामाजिक पूजी पर अपना अधिकार जमाता है, अपना सगठन इस प्रकार करता है, जिससे इस पूजी का उपयोग सबके स्वार्थों के लिए हो, और शासक अल्प-सम्प्रदायों के अधिकार को पुनर्स्थापित किये विना अपने को स्थापित करता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की क्षमताओं, मानव-प्रकृतियों और व्यक्तिगत शक्तियों का समावेश होता है। यह किसीको भी अपने वहिंगत नहीं रखता। यह सग्राम और विवाद के लिए भी आह्वान करता है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि विवाद के समय में, जबतक स्वतन्त्रतापूर्वक यह विवाद होता रहा और अधिकारियों ने किसीका पक्ष ग्रहण नहीं किया, मानव-प्रतिभा की उच्चतम उडान हुई, और इससे महान् उद्देश्य सिद्ध हुए थे। अतीत की सचित निवि में समाज के सब लोगों के समान अधिकार को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए यह शासक और शासितों में, प्रभुत्व करनेवाले और जिन लोगों पर प्रभुत्व किया जाता है उनमें, तथा शोषण करनेवाले और जिनका शोषण किया जाता है उनमें, कोई भेद नहीं मानता, और अपने बीच एक प्रकार की सामजस्यपूर्ण सुसगति स्थापित करने का प्रयत्न करता है। उसका यह प्रयत्न मनुष्यों को किसी प्रभुत्व के अधीनस्थ करने के लिए नहीं होता, जो प्रभुत्व मिथ्या रूप में समाज का प्रतिनिधि मान लिया जाता है और न एकरूपता स्थापित करने के लिए होता है, बल्कि सब लोगों को स्वतन्त्र रूप में विचार करने, स्वतन्त्र रूप में कार्य करने और स्वतन्त्र रूप में मिलने-जुलने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए होता है।

यह व्यक्तित्व का चरम विकास चाहता है, और इसके साथ ही यह भी

चाहता है कि व्यक्ति के स्वेच्छा-सम्मिलन का उसके सब रूपों में, सब मात्राओं में और समस्त कल्पनीय उद्देश्यों के लिए उच्चतम विकास हो। इस प्रकार के सम्मिलनों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है; किन्तु उनके साथ स्थायित्व के उपादान भी रहते हैं, और वे निरन्तर नवीन रूप धारण करते रहते हैं, जो सब लोगों की बहुसंख्यक आकाशाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त होते हैं।

ऐसे समाज में, जिसे पूर्वनिश्चित कानून द्वारा स्थायी आकार धारण करनेवाले नियम अप्रीतिकर मालूम पड़ते हैं, और जो विभिन्न शक्तियों तथा प्रत्येक प्रकार के प्रभावों के बीच परिवर्तनशील और नैमित्तिक साम्य में सामजस्य की खोज करता है, ये शक्तिया मनुष्य के पराक्रम को अग्रसर करती है और ये शक्तिया प्रगति के मार्ग में तथा स्वच्छ प्रकाश में अपनेको स्वतन्त्रतापूर्वक विकसित करने और एक-दूसरे के भार में समता कायम रखने में अनुकूल सिद्ध होती है।

आदर्श समाज की यह भावना नई नहीं है। इसके विपरीत जब हम लोकप्रिय सम्भावनाओं—जैसे फिरके, ग्राम-समाज, पेशों के सघ—और मध्य-युग की प्रयम अवस्था के नगर-समाज के इतिहास का विज्ञेयण करते हैं, तो हमें इस भावना के अनुसार समाज के गठन के लिए वही लोकप्रिय प्रवृत्ति दीख पड़ती है। यह प्रवृत्ति स्वेच्छाचारी अल्पसंख्यकों द्वारा वरावर शृखलित होती रहती है। सभी लोकप्रिय आन्दोलनों पर इसकी छाप न्यूनाधिक रूप में लगी हुई थी। नवी जताव्दी में हम इन्हीं भावों को धार्मिक भाषा में, जो उस समय प्रचलित थी, स्पष्ट रूप में व्यक्त पाते हैं। दुर्भाग्यवश पिछली जताव्दी के अन्त तक यह आदर्श धार्मिक भावना से कलुषित बना रहा। अब आधुनिक काल में समाज की भावना, जो सामाजिक घटनाओं के निरीक्षण से निश्चित हुई है, अपने आच्छादन से मुक्त हुई है।

इस आधुनिक समय में ही समाज का यह आदर्श, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने-आप पर शासन करता है, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पहलुओं में एक-भाय ही दृढ़ हुआ है। यह आदर्श समर्पितवाद की

आवश्यकता के आधार पर हमारे सामने उपस्थित होता है, जो हमारे आधुनिक समाज पर उसके वर्तमान स्वरूप और उत्पादन द्वारा लाद दिया गया है।

वास्तव में आज हम इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि जबतक आर्थिक दासता कायम है, तबतक स्वतन्त्रता की चर्चा करना व्यर्थ है। “स्वाधीनता की चर्चा मत करो, दरिद्रता ही दासता है,”—व्यर्थ का सिद्धान्त नहीं है, यह समूचे वर्तमान साहित्य से छन-छनकर निकल रहा है। यह उन लोगों को भी अपने साथ बहाये लिये जाता है, जो दूसरों की दरिद्रता पर जीवन धारण करते हैं, और यह उनकी उस शेखी को भी दूर करता है, जिसके बल पर पहले वे शोषण करने के अपने अधिकार का दावा करते थे।

सारे ससार के लाखों साम्यवादी इस बात से सहमत हैं कि पूजी-पतियों के सामाजिक दोहन का वर्तमान रूप बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। पूजीपति स्वयं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पूजीवाद का अन्त होना ही चाहिए, इसीलिए वे पहले के समान इसका समर्थन करने का साहस नहीं कर सकते। अब उनका एकमात्र तर्क, जो हमारे सामने पेश किया जाता है, यही है—“तुमने इससे अच्छी किसी चीज का आविष्कार नहीं किया है।” किन्तु सम्पत्ति के वर्तमान रूप के घातक परिणामों के वे अस्वीकार नहीं कर सकते, और न सम्पत्ति पर अपने अधिकार का औचित्य ही सिद्ध कर सकते हैं। जबतक उन्हे कार्य करने की स्वतन्त्रता मिलेगी, तबतक वे इस अधिकार का उपयोग करेंगे, किन्तु वे किसी भावना के आधार पर इसे अवस्थित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यह सहज ही समझा जा सकता है।

उदाहरण के लिए पेरिस शहर को लीजिये। कितनी ही शताब्दियों में इसका निर्माण हुआ है। यह समग्र राष्ट्र की प्रतिभा का फल है। बीस या तीस पीढ़ियों के परिश्रम का परिणाम है। इस नगर के श्रमजीवी निवासी इसे सुसज्जित करने, परिष्कृत करने, इसका पोषण करने तथा इसे विचार

और कला का केन्द्र बनाने के लिए प्रतिदिन परिश्रम करते हैं। ऐसे किसी निवासी के सामने कोई दावे के साथ यह कैसे कह सकता है कि पेरिस की सड़कों को सुशोभित करनेवाले राजप्रासाद न्यायत उन लोगों के ही हैं जो आज कानून उनके मालिक बने बैठे हैं, जबकि वे सब मिलकर उन प्रासादों को मूल्यवान बनाते हैं और बिना उनके उनका मूल्य कुछ भी नहीं रह जायगा ?

जनता के जो उपदेशक हैं, उनके कौशल से इस प्रकार की मिथ्या भावना कुछ समय तक कायम रखी जा सकती है। श्रमजीवियों का वृहत् समुदाय इस सम्बन्ध में ध्यान तक नहीं देता, लेकिन ज्योही विचारशील लोगों का एक अल्पसंख्यक दल इस प्रश्न को लेकर आनंदोलन करने लगेगा और इसे जनता के सामने उपस्थित करने लगेगा, उस समय इसके परिणाम के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जायगा। उस समय लोकमत का यही उत्तर होगा—“लूट द्वारा ही इन्होंने यह सब धन सचित कर रखा है !”

इसी प्रकार किसानों को यह क्योंकर विश्वास कराया जा सकता है कि मध्यम श्रेणी के लोगों की जो जमीन है, वह उस जमीन के मालिक की है, जिसका उसपर कानूनी दावा है, जबकि एक किसान अपने आस-पास की तीस मील जमीन के हरएक टुकड़े का इतिहास हमें बता सकता है ? इसके सिवा उसे इस बात का क्योंकर विश्वास कराया जा सकता है कि राष्ट्र के लिए यह लाभप्रद है कि अमुक महाशय अपने उद्यान के लिए कई बीघे जमीन रखे, जबकि उनके पड़ोसी वहुसंख्यक किसान उस जमीन को जोतने के लिए खुशी से तैयार हो जायगे ?

और किसी कारखाने में काम करनेवाले मजदूर या खान में काम करनेवाले खनक को यह किस प्रकार यकीन दिलाया जा सकता है कि कारखाना और खान न्यायत उन लोगों की हैं, जो उनके वर्तमान मालिक हैं, जबकि मजदूर और खनक सरकार के उस कलक, धूसखोरी, लूट-खसोट और कानून-संगत चोरी को साफ-साफ देख रहे हैं, जिनकी बदीलत बड़ी-बड़ी व्यापारिक और ओद्योगिक सम्पत्ति अर्जित की जाती है ?

असल बात तो यह है कि जनता ने अर्थशास्त्रियों द्वारा दिखाये गए कुतकों में कभी विश्वास किया ही नहीं। इस प्रकार के कुतर्क इसलिए ही उपस्थित किये जाते हैं कि उनसे शोषणकर्त्ताओं के अधिकारों की पुष्टि हो, न कि जिनका शोषण हो रहा है, उनके मत में परिवर्त्तन हो। किसान और श्रमजीवियों ने दुख से उत्पीड़ित तथा धनिक श्रेणी के समर्थन से वचित होने के कारण वस्तु-स्थिति को ज्यो-का-त्यो छोड़ दिया, सिवा इसके कि उन्होंने समय-समय पर विद्रोह द्वारा अपने अधिकारों का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है। और यदि श्रमजीवियों ने कभी यह सोचा हो कि एक दिन ऐसा आवेगा, जब पूजी पर व्यक्तिगत अधिकार होने से सब लोगों को लाभ होगा और उसे धनागार में परिणत करके सब लोग उसके भागी होंगे, तो उनका यह भ्रम अन्य बहुत-से भ्रमों के समान ही नष्ट हो रहा है। श्रमजीवी इस वास्त को महसूस कर रहे हैं कि वे अपने उत्तराधिकार से च्युत कर दिये गए हैं और तबतक च्युत बने रहेंगे, जबतक वे अपने मालिकों की सम्पत्ति का—जो सम्पत्ति उनके प्रयत्नों से अर्जित की गई है—छोटे-से-छोटा भाग हड्डताल या विद्रोह करके छीन न ले। इसका अर्थ यह है कि अपने मालिक की सम्पत्ति का वह थोड़ा-सा भाग प्राप्त करने के लिए उन्हें गोली की वर्षा नहीं तो क्षुधा की यन्त्रणा तो अपने ऊपर लेनी ही पड़ेगी और कैद का सामना करना पड़ेगा।

किन्तु वर्तमान प्रथा की एक और बहुत बड़ी बुराई अधिकाधिक रूप में प्रकट हो रही है और वह यह कि सम्पत्ति पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार होने से जीवन के लिए और उत्पादन के लिए जो सब वस्तुएँ आवश्यक हैं—जमीन, घर, भोजन और औजार—वे चन्द आदमियों के हाथ में एक बार चले जाने से, उन प्रयोजनीय वस्तुओं के उत्पादन में, जिनसे सब लोगों का कल्याण होता है, बराबर बाधा पहुचती रहेगी। श्रमजीवी स्पष्ट रूप में यह अनुभव करता है कि हमारी वर्तमान औद्योगिक क्षमता सब लोगों को प्रचुर परिमाण में आवश्यक वस्तुएँ दे सकती है; लेकिन इसके साथ ही वह यह भी देखता है कि किस प्रकार सरकार और पूजीवाद

की प्रथा सार्वजनिक कल्याण पर विजय प्राप्त करने के मार्ग में सब तरह से बाधा पहुंचा रही है ।

भौतिक समृद्धि के लिए जितना उत्पादन आवश्यक है, उससे अधिक उत्पादन करने की बात तो दूर रही, हम लोग काफी मात्रा में ही उत्पादन नहीं कर पाते । जब एक किसान व्यवसायियों के उपचन और उद्यान पर, जिसके चारों ओर जज और घुड़सवार पहरा देते हैं, लालसा-भरी दृष्टि से देखता है, जब वह उन स्थानों को फसल से भरपूर देखने का स्वप्न देखता है, उस समय वह इस बात को जानता है कि इन स्थानों में खेती करने से उन ग्रामों में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं रहेगी, जिनके निवासी सूखी रोटियों पर गुजर करते हैं ।

खान में काम करनेवाला मजदूर, जिसे मजबूर होकर सप्ताह में तीन दिन बेकार रहना पड़ता है, उस लाखों ठन कोयले के सम्बन्ध में सोचता है, जिसे वह खान से निकाल सकता है और जिसकी उसे अपनी गरीब घर-गृहस्थी के लिए सख्त जरूरत है ।

एक मजदूर, जिसका कारखाना वन्द हो जाता है और जो काम की खोज में गलियों की खाक छानता फिरता है, अपने समान ही इंट पाथनेवालों को बेकार देखता है, जबकि पेरिस की जनसख्या का एक पचमाश गदी झोपड़ियों में रहता है, वह मोचियों को इस बात की शिकायत करते भुनता है कि काम नहीं है, जबकि बहुसख्यक लोगों को जूते की जरूरत है । इसी प्रकार के और भी कितने ही दृष्टात् दिये जा सकते हैं ।

साराश यह कि कुछ अर्थशास्त्रियों को अत्यधिक उत्पादन पर निवन्ध लिखने और अत्यधिक उत्पादन को प्रत्येक औद्योगिक सकट का कारण बताने में आनन्द मिलता है; किन्तु यदि उनसे कहा जाय कि फ्रास में उत्पन्न होनेवाली ऐसी किसी चीज का नाम तो बताइये, जो सम्पूर्ण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त परिमाण में उत्पन्न होती हो, तो वे बगले स्थाकने लगेंगे । निश्चय ही यह अनाज नहीं है, क्योंकि देश को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है । यह शराब भी नहीं है, किसान बहुत थोड़ी मात्रा

मेरे शराब पीते हैं। शराब के बदले मेरे वेफल के आसव का व्यवहार करते हैं और नगर-निवासियों को दूषित वस्तुओं पर सन्तोष करना पड़ता है। यह घर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब भी लाखों आदमियों को बहुत ही रही झोपड़ियों मेरहना पड़ता है, जिनमे केवल एक या दो खिड़कियां होती हैं। यह अच्छी या बुरी पुस्तके भी नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रामवासियों के लिए पुस्तके अब भी विलासिता की वस्तु समझी जाती है। सिर्फ़ एक चीज़ आवश्यकता से अधिक परिमाण मेरउत्पन्न की जाती है, वह है बजट को चट कर जानेवाला व्यक्ति। परन्तु राजनैतिक अर्थशास्त्रियों के व्याख्यानों मेरइस प्रकार के वाणिज्य-द्रव्य का जिक्र नहीं किया जाता, यद्यपि वाणिज्य-द्रव्य के सारे गुण इन व्यक्तियों मेरमौजूद होते हैं, और ये सबसे ऊँची कीमत देनेवाले के हाथ अपनेको बेच डालने के लिए बरावर तैयार रहते हैं।

जिसे अर्थशास्त्री लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन कहते हैं, वह उन मजदूरों की क्रय-शक्ति के परे उत्पादन है, जो पूजीवाद और सरकार द्वारा दरिद्र बना दिये गए हैं। इस प्रकार का आवश्यकता से अधिक उत्पादन वर्तमान धनमूलक उत्पादन का घातक लक्षण है, क्योंकि श्रमजीवी अपने वेतन से उन चीजों को खरीद नहीं सकते, जिन्हे उन्होंने उत्पन्न किया है। इसके साथ ही वे उस वेकार जन-समुदाय को परिपुष्ट करते हैं, जो उनके परिश्रम की कमाई पर जीवन धारण करता है।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का मूल तत्त्व ही यह है कि श्रमजीवी जिस वस्तु को उत्पन्न करता है, उसका वह कभी उपभोग नहीं कर सकता, और उसकी कमाई पर जिन्दगी बसर करनेवालों की सख्ता दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। जितना ही जो देश औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील होता है, उतनी ही ऐसे लोगों की सख्ता बढ़ती जाती है। इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होता है कि देश के उद्योग-धर्घों को उस दिशा मेरप्रवर्तित करना पड़ता है, जिस दिशा मेरसब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बदले कुछ थोड़े-से लोगों को, एक निश्चित समय मेर, अधिक-से-अधिक क्षण-स्थायी लाभ होता है। कुछ लोगों के पास यदि आवश्यकता से अधिक

वस्तु होगी, तो अवश्य ही यह दूसरों की दरिद्रता पर ही हो सकती है, और चाहे जिस उपाय से अधिकतर सख्त्य में लोगों की दुरवस्था कायम रखनी होगी, जिससे ऐसे लोग बने रहे, जो अपनी क्षमता से उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं के कुछ अश में ही अपनेको बेच दे । विना इसके धन का व्यक्तिगत सचय असम्भव है ।

हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के ये लक्षण ही उसका मूलतंत्र है । विना इन लक्षणों के यह कायम रह ही नहीं सकती, क्योंकि भूख की ज्वाला से विवश हुए विना कौन ऐसा होगा, जो अपनी श्रमशक्ति को जितना उसमें उत्पन्न करने की क्षमता है, उससे कम मूल्य में बेचने के लिए तैयार हो जाय ?

और इस व्यवस्था के जो ये विशेष लक्षण हैं, उनसे ही उसकी बुराई सिद्ध हो जाती है ।

जबतक इंग्लैण्ड और फ्रास शिल्प और उद्योग-धरों में सबसे आगे बढ़े हुए थे और उनके बीच अन्यान्य राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और जबतक पड़ोसी राष्ट्र उनका ऊन, उनका सूती माल, उनका रेशम, उनका लोहा तथा यन्त्र और विलासिता के सारे सामान इतने मूल्य पर खरीदा करते थे, जिससे वे अपने इन खरीदारों के धन से मालामाल हो सके, तबतक तो मजदूरों को यह आशा दिलाकर खुश किया जा सकता था कि उन्हें भी लूट के माल में अधिक-से-अधिक हिस्सा मिलेगा, किन्तु ये दशाएं अब लुप्त हो रही हैं । पिछड़े हुए राष्ट्र भी अब सूती कपड़ा, ऊन, रेशम, कल-पुज़े और विलासिता के सामान उत्पन्न करने लगे हैं । कई प्रकार के व्यवसायों में तो वे आगे भी बढ़ गये हैं । वे वाणिज्य-व्यवसाय और शिल्प के अग्रदृतों के साथ केवल सुदूर विदेशों में ही नहीं, बल्कि उन अग्रदृतों के अपने देशों में भी प्रतियोगिता कर रहे हैं । कुछ वर्षों के अन्दर जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, इटली, अमरीका, रूस और जापान भी महान् उद्योग-प्रधान देश बन गये हैं । मैक्सिको, डिजीज, यहा तक कि सर्विया भी प्रगतिशील हो रहे हैं, और यदि जापान का अनुकरण करते हुए चीन भी ससार के बाजारों के लिए माल तैयार करने लगे, तो क्या होगा ?

इसका परिणाम यह हुआ है कि औद्योगिक सकट, जो अब वार-बार होने लगे हैं और जो अधिक समय तक कायम रहते हैं, बहुत-से व्यवसायों के लिए दीर्घस्थायी बनते जा रहे हैं।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के अन्दर सब एक सूत्र में ग्रथित और सब एक साथ मिले हुए हैं और सब मिलकर औद्योगिक और व्यवसाय-सम्बन्धी प्रणाली का—जिसके अन्दर हम लोग रह रहे हैं—पतन अवश्यम्भावी बना रहे हैं। इस प्रणाली की अवधि अब कुछ वर्षों की ही है—शताब्दियों की नहीं। इसके लिए अब समय की अपेक्षा है, और जरूरत है इस बात की कि मौका आते ही हम इसपर जोरदार आक्रमण कर दें। आलसी लोग इतिहास का निर्माण नहीं करते, वे तो उसे सहन करते हैं।

इसी कारण सम्य राष्ट्रों में शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय यह भाग पेश करता है कि पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा सचित समस्त सम्पत्ति समाज को लौटा दी जाय। भूमि, खान, कारखाना, वासगृह और आवागमन के साधनों पर सर्व-साधारण का अधिकार होना चाहिए, यही इन प्रभुत्वशाली दलों का मूलमन्त्र बन गया है। धनी और शक्तिशाली लोगों का प्रिय अस्त्र—दमन—अब विद्रोह की भावना की विजयशील प्रगति को अवरुद्ध करने में कुछ नहीं कर सकता। और यदि लाखों श्रमजीवी शक्ति-प्रयोग द्वारा सत्ताधारियों के हाथ से जमीन और कल-कारखाने छीन लेने के लिए बगावत नहीं कर बैठते हैं तो विश्वास रखिये कि इसका कारण इच्छा का अभाव नहीं है। वे अनु-कूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं—ऐसे अवसर की, जैसा सन् १८४८ में उपस्थित हुआ था। उस समय वे अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा सहायता प्राप्त करने की आशा से वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का विघ्वस करना आरभ कर देंगे।

जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन किया है, वे एक मत से इस बात का समर्थन करते हैं कि समाज समस्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करके सब लोगों को, जहातक उत्पादन का सम्बन्ध है, इस बात का विश्वास दिला सकता है कि प्रतिदिन चार या पांच घंटे तक शारीरिक

परिश्रम करने के बदले उन्हें प्रचुर परिमाण में वस्तुएं मिल सकेगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति बालकपन से ही इस बात को सीख ले कि वह जो भोजन करता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस पुस्तक को पढ़ता है, आदि चीजे कहा से आईं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्दर ऐसी आदत डाले कि वह अपने मानसिक श्रम के साथ-साथ किसी प्रकार के व्यवसाय में शारीरिक परिश्रम भी करे, तो समाज सहज ही इस कार्य को पूरा कर सकेगा। इसके सिवा एक बात और भी है, वह यह कि निकट-भविष्य में चीजों की पैदावार और भी सरल ढग से हो सकेगी। यदि सब लोग मिलकर काम करें, तो सभ्य समाज थोड़े परिश्रम से ही कितना पैदा कर सकता है और उसके द्वारा कितने महान् कार्य सम्पादित हो सकते हैं, इसकी कल्पना करने से ही हम समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में कितनी भयकर क्षति हो रही है। दुर्भाग्यवश उस ऋग्यात्म-विद्या ने, जिसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है, परिश्रम की मितव्यिता पर, जो उसका मूलतत्व होना चाहिए, कभी विचार तक नहीं किया है।

हमारे वर्तमान कल-पुर्जे और साधन-सयुक्त साम्यवादी समाज में धन की सम्भावना में कोई सन्देह नहीं रह गया है। सन्देह तभी उत्पन्न होते हैं, जब विचारणीय प्रश्न यह होता है कि क्या ऐसे समाज का अस्तित्व ही सकता है, जिसमें मनुष्य के कार्य राज्य के नियन्त्रण के अधीन न हो; सार्व-जनिक कल्याण के लिए क्या यह आवश्यकता नहीं है कि यूरोपीय सम्प्रदाय अपनी उस थोड़ी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बलिदान करे, जिसे उसने वर्तमान ज्ञानव्दी में इतना अधिक बलिदान करके फिर से प्राप्त किया है? साम्यवादियों में एक दल का यह विश्वास है कि राज्य की बलिवेदी पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बलिदान किये विना इस प्रकार का परिणाम असम्भव है। दूसरा दल—जिसमें हम लोग शामिल हैं—इसके विपरीत यह विश्वास करता है कि राज्य को उठा देने, व्यक्ति द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने, स्वतन्त्र समझीता और सम्मिलन करने और विलकुल स्वतन्त्र सघ द्वारा

ही हम साम्यवाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है हमारे सामाजिक उत्तराधिकार पर सर्वसाधारण का अधिकार और सम्पत्ति के उत्पादन में सब लोगों का समान भाग ।

यही प्रश्न है, जो इस समय अन्य सब प्रश्नों को गौण बना रहा है । साम्यवाद को इसे अवश्य ही हल करना पड़ेगा, चाहे इसमें उसके समस्त प्रथल भले ही खतरे में पड़ जाय और उसका बाह्य विकास पगु हो जाय ।

अब हम सावधानी के साथ इसका विश्लेषण करेंगे ।

यदि प्रत्येक साम्यवादी अपने विचारों को पूर्वकाल की ओर ले जाय, तो अवश्य ही उसे वे सब मत्सर याद आ जायगे, जो उस समय उसके मन में उदित हुए थे, जबकि पहले-पहल उसन यह धारणा की थी कि पूजीवादी प्रथा और भूमि तथा धन पर व्यक्तिगत अधिकार—इन दोनों का नष्ट किया जाना आवश्यक हो गया है ।

यही भावना आज उस मनुष्य में उत्पन्न होती है, जो पहले-पहल यह सुनता है कि राज्य, उसके कानून, प्रबन्ध, शासन और केन्द्रीकरण की सम्पूर्ण प्रथा का उच्छेद ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक हो गया है, और एक के विना दूसरे का उच्छेद असम्भव है । हमारी सम्पूर्ण शिक्षा—जो धर्म और राज्य द्वारा दोनों के स्वार्थों पर ध्यान रखकर दी गई है—इस भावना पर विन्द्रोह कर बैठती है ।

पर क्या इस वजह से उसकी सत्यता में कुछ कमी आ सकती है ? अपनी मुक्ति के लिए हमें कितने ही पक्षपातों की वलि देनी पड़ी थी । राज्य में विश्वास भी एक प्रकार का पक्षपात है । क्या हम इस मत्सर की वलि न देकर इसे जीवित रखेंगे ? यदि मनुष्य अपनी सृष्टि के आदिकाल से ही वरावर समाज में रहा है, तो राज्य भी सामाजिक जीवन का एक रूप है, और जहातक यूरोप के समाजों का सम्बन्ध है, यह बहुत ही आधुनिक है । राज्यों के स्थापित होने के पूर्व भी हजारों वर्षों तक मनुष्य रहा करते थे । भैसिडोनिया और रोम के साम्राज्य निर्मित होने के पूर्व यूनान और रोम का अस्तित्व था और हम आधुनिक यूरोपवासियों के लिए तो आधुनिक राज्यों

का प्रारम्भ सिर्फ सोलहवी शताब्दी से ही होता है। मध्यकालीन स्वतन्त्र समाज की सम्पूर्ण पराजय हो जाने के बाद ही सैनिक, न्यायकर्ता, जमीदार और पूजीपतियों की वह पारस्परिक बीमा कम्पनी कायम हो सकी, जिसे हम राज्य कहते हैं।

सोलहवी शताब्दी में ही स्थानीय स्वाधीनता, स्वतन्त्र सम्मिलन एवं संगठन और सब प्रकार के स्वाधीन सघों के भावों पर, जिनके वे ही सब अधिकार थे जो इस समय द्वारा अपहृत हो चुके हैं, घातक आघात पहुंचाया गया था। इसी समय जब धर्म और राजकीय शक्ति के बीच मैत्री हुई और उसने उसी सम्मान का अन्त कर डाला, जो सघ के सिद्धान्त पर अवस्थित थी, जिसका अस्तित्व नवी से पन्द्रहवी शताब्दी तक वर्तमान था और जिसने यूरोप में मध्ययुग के स्वतन्त्र नगरों का महान् युग उत्पन्न किया था।

हम उन साधनों को अच्छी तरह जानते हैं, जिनके द्वारा ईश्वर, जमीदार, पुरोहित, व्यापारी, न्यायकर्ता, सैनिक और राजा की इस सम्पत्ति ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सब प्रकार के स्वतन्त्र सघों—ग्राम्य समाज, वणिक-सघ और भ्रातृ मण्डल—और मध्ययुग के नगरों को नेस्तनाबूद करके ही यह आधिपत्य स्थापित किया गया था। ग्राम्य समाज की भूमि को और वणिक-सघों की सम्पत्ति को जब्त करके ऐसा हुआ था। मनुष्यों के बीच के सभी प्रकार के स्वतन्त्र समझौते को पूर्ण रूप में कठोरता के साथ रोककर ऐसा किया गया था। धर्म और राज्य ने हत्या, लौहचक्र, फासी के तख्ते और तलवार के बल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके बाद वे 'प्रजा' के एक ऐसे असम्बद्ध समूह पर राज्य करने में समर्थ हुए, जिसमें परस्पर किसी प्रकार की प्रत्यक्ष एकता नहीं थी।

अभी थोड़े दिन हुए, जबसे हमने आपस में मिलने-जुलने के उस अधिकार को, जिसका किसान और कारीगर लोग मध्ययुग में स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग किया करते थे, संग्राम और विद्रोह द्वारा फिर से जीतना शुरू कर दिया है।

और, अबतक यूरोप में ऐसी हजारों स्वाधीन संस्थाएं स्थापित हों चुकी हैं, जहां लोग आपस में मिलकर अध्ययन करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिल्प, वाणिज्य, विज्ञान, कला, साहित्य आदि की चर्चा करते हैं, दुर्बली और असहायों का पोषण करते हैं, इस प्रकार के शोषण का प्रतिरोध करते हैं, मनोरजन करते हैं, गम्भीर कार्य करते हैं, आत्म-नुष्ठि और आत्म-त्याग करते हैं, और इसी प्रकार के अन्य बहुत-से कार्य करते हैं, जिनसे मनुष्य का जीवन क्रियात्मक और चिन्ताशील बनता है। इस प्रकार की समितियों को हम देश के कोने-कोने में—राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में—स्थापित होते हुए देखते हैं। इनमें कुछ तो गुलाब के फूल के समान क्षणस्थायी होती हैं तो कुछ दस-बीस वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाये रहती हैं। ये सभी—अपने प्रत्येक दल, मडल, शाखा या विभाग की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए—परस्पर सघबद्ध होने, अपने में तथा सीमान्त के बाहर के राष्ट्रों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं। वे सभ्य मनुष्यों के समस्त जीवन को एक ऐसे जाल से आच्छादित करने की चेष्टा करती हैं, जिसके फैदे एक-दूसरे से सम्बद्ध और बुने हुए होते हैं। इनकी सख्त्या कई हजारों तक पहुंच चुकी है; उनके अनुयायी लाखों की सख्त्या में होगे—यद्यपि अभी पचास वर्ष से भी कम ही हुए होगे, जबकि धर्म और राज्य ने इनमें से इनें-गिने का ही अस्तित्व सहन करना आरम्भ किया था—वहुत ही कम का।

इन समितियों ने सब कहीं राज्य के कार्यों पर दखल जमाना शुरू कर दिया है, और ये एक केन्द्रीभूत राज्य के स्थान पर स्वयसेवकों की स्वतंत्र क्रिया स्थापित करने का प्रयत्न करती है। इंग्लैण्ड में हम देख रहे हैं कि चोरी के विरुद्ध रक्षा करने के लिए बीमा कम्पनियां स्थापित हो रही हैं, समुद्र टट की रक्षा, भूमि की रक्षा के लिए स्वयसेवक-समितियां स्थापित हो रही हैं, जिन्हें राज्य अपने अगूठे के नीचे रखने का प्रयत्न करता है, जिससे वे जनता पर प्रभुत्व करने की साधन बन जाय, यद्यपि शुरू में उनका उद्देश्य था बिना सरकारी सहायता के कार्य करना। यदि धर्म और राज्य का हस्त-

क्षेप नहीं होता, तो स्वतन्त्र समितियों का अवतक शिक्षा के विशाल क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया होता। और, सारी कठिनाइयों के होते हुए भी, इन्होंने इस क्षेत्र पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है और अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डाला भी है।

जब हम इन संस्थाओं की प्रगति को देखते हैं, जो राज्य का—जो सब प्रकार से अपने आधिपत्य को काथम रखना चाहता है—अस्तित्व और उसका विरोध होते हुए भी हुई है, और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार ये स्वाधीन संस्थाएं सब बातों पर आक्रमण कर रही हैं और केवल राज्य द्वारा ही उनके विकास में बाधा पहुँच रही है, तो उस समय हम यह मानने के लिए वाध्य होते हैं कि आधुनिक समाज में एक शक्तिशाली प्रवृत्ति है और एक छिपी हुई शक्ति मौजूद है। तब हम अपने-आपसे यह प्रश्न करते हैं, यदि पाच, दस, या बीस वर्ष बाद—समय की कोई बात नहीं है—जमीदारों, महाजनों, पुरोहितों, न्यायकर्ताओं और सैनिकों की एक-दूसरे को सहायता पहुँचानेवाली बीमा कम्पनियों को श्रमजीवी लोग विद्रोह करके नष्ट कर देने में सफल हो जावे; यदि जनता चन्द महीने के लिए अपने भाग्य की मालिक बन जाय, और उस धन पर दखल करले जिसकी उत्पत्ति उसके द्वारा हुई है और स्वत्व की दृष्टि से जो धन उसका है, तो क्या वे सचमुच उस खून चूसनेवाले राज्य को फिर से स्थापित करने लगें? या वे इसकी अपेक्षा आपस के समझौते और प्रत्येक स्थान की विभिन्न और परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार साधारण से लेकर जटिल तक का संगठन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जिससे उम धन को वे अपने अधिकार में कर सकें, एक-दूसरे की जीवन-रक्षा की गारंटी करे और जीवन के लिए जो आवश्यक हो, उसका उत्पादन करे?

क्या वे वर्तमान गतावृद्धि की सर्वप्रधान प्रवृत्ति, निष्केन्द्रीकरण, स्वराज्य और स्वतन्त्र इकरारनामे का अनुमरण करेंगे, अथवा वे इस प्रवृत्ति के विरुद्ध चलंकर विनष्ट आधिपत्य को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे?

गिक्षित मनुष्य इस विचार मात्र पर काप उठते हैं कि कोई दिन ऐसा

भी हो सकता है, जब समाज में न्यायकर्ता, पुलिस या जेल के अधिकारी न हो ।

किन्तु साफ बात तो यह है कि क्या आपको इनकी उत्तरी जरूरत है, जितनी सड़ी-भली किताबों में आपको बताई गई है ? और यह ध्यान रहे कि ये पुस्तके उन वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई है, जो साधारणतः यह बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि उनसे पहले क्या लिखा गया है, पर जो अधिकाश में जनता की तथा उसके वर्तमान दैनिक जीवन की विलकुल उपेक्षा करते हैं ।

यदि हम बिना किसी भय के सिर्फ बेरिस की गलियों में ही नहीं, जहाँ पुलिस के आदमी भरे रहते हैं, किन्तु खासकर देहाती लोगों के घूमने-फिरने के स्थान में, जहाँ कदाचित् ही कोई राहगीर मिलता है, विचरण कर सकते हैं, तो क्या पुलिस की बदौलत ही हमारी रक्षा होती है ? या ऐसे लोगों के अभाव के कारण, जो हमें लूटना या हमारी हत्या करना पसन्द करते हैं ? मैं उस व्यक्ति की बात नहीं करता, जो लाखों रुपये अपनी जेब में डाले घूमता है । इस प्रकार का व्यक्ति ऐसे स्थानों में भी जल्द लूटा जाता है, जहाँ पुलिसवालों की सख्त्या काफी होती है । नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कहता हूँ, जो आत्म-रक्षा के लिए भय करता है, न कि अपनी थैली के लिए, जिसमें अन्यायोपार्जित सिक्के भरे हुए हैं । क्या उसका भय वास्तविक है ? इसके सिवा क्या अनुभव ने हमें हाल ही में यह सिद्ध करके नहीं दिखा दिया है कि हत्यारे जैक ने लद्दन की पुलिस की अंखों के सामने ही अपने सारे कारनामे किये थे, और वह अपने हत्या-कर्म से तभी बाज आया, जबकि खुद ह्वाइटचेनल की जनता ने उसका पीछा करना शुरू किया ?

अपने साथ रहनेवाले नागरिकों के साथ हमारा रोज-रोज का जो सम्बन्ध होता है, उसमें क्या आप समझते हैं कि वस्तुतः न्यायकर्ता, जेल के अधिकारी और पुलिस के कारण ही समाज-विरोधी कार्य बढ़ने नहीं पाते ? न्यायकर्ता, जो सदा सूखार बना रहता है, क्योंकि उसपर कानून का नक्षा

छाया हुआ है, अभियोग लगानेवाला, पुलिस को सबर देनेवाला, पुलिस के गुप्तचर तथा इसी श्रेणी के और लोग, जो अदालतों के इर्द-गिर्द मड़राया करते हैं और किसी प्रकार अपना पेट पालते हैं, क्या ये लोग समाज में व्यापक रूप से दुर्भागिति का प्रचार नहीं करते ? मामलो-मुकदमों की रिपोर्टें पढ़िये, पदों के अन्दर नजर डालिये, अपनी विश्लेषक बुद्धि को अदालतों के बाहरी भाग तक ही परिमित न रखकर भीतर ले जाइये, और तब आपको जो-कुछ मालूम होगा, उससे आपका मन बिलकुल भन्ना उठेगा ।

क्या कैदखाने—जो मनुष्य की समस्त इच्छा-शक्ति और चरित्र-शक्ति का नाश कर डालते हैं, जिनकी चहारदीवारी के भीतर इतने कुकर्म बन्द हैं, जितने संसार के किसी स्थान में नहीं हैं—हमेशा अपराधों के विश्व-विद्यालय नहीं रहे हैं ? क्या न्यायकर्ता की अदालत कूरता का स्कूल नहीं है ? इसी प्रकार और भी समझिये ।

- जब हम यह कहते हैं कि राज्य और उसके विभिन्न अग उठा दिये जाय, तो हमसे बराबर यही कहा जाता है कि हम ऐसे समाज का स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें हमारी अपेक्षा दरअसल बहुत अच्छे लोगों का वास होगा । किन्तु नहीं, हजार बार नहीं । हमारा कहना सिफ्ऱ इतना ही है कि इन सस्थाओं द्वारा मनुष्य को और भी बदतर नहीं बनने देना चाहिए ।

बेन्थम की बहुत पुरानी सलाह का अनुसरण करते हुए यदि आप कानूनी बल-प्रयोग के घातक परिणामो—प्रत्यक्ष और खासकर अप्रत्यक्ष परिणामो—पर विचार करने लग जाय, तो टाल्सटाय के समान, हम सबके समान, आप भी कानूनी वाध्यता के प्रयोग से धृणा करने लग जायगे, और आप कहने लगेंगे कि समाज के प्राप्त हजारों अन्य साधन हैं, जिनसे वह समाज-विरोधी कार्यों का प्रतियेव कर सकता है । यदि आज वह उन साधनों को उपेक्षा कर रहा है, तो इसका कारण यह है कि धर्म और राज्य द्वारा शिक्षा दिये जाने के कारण हमारी भीखता और उदासीनता की भावना हम इस विषय को स्पष्ट रूप से नहीं देखने देती । जब कोई वालक अपराध करता है, तो उसे दण्ड देना कितना सहज होता है; इसमें किसी प्रकार के

वाद-विवाद के लिए स्थान ही नहीं होता । एक मनुष्य को फासी पर लटका देना भी कितना आसान है—खासकर जब जल्लाद मौजूद है, जिसे प्रत्येक फासी के लिए एक निश्चित रकम दी जाती है—और इससे हमें अपराधों के कारण पर विचार करने से छुटकारा मिल जाता है ।

यह अक्सर कहा जाता है कि अराजकवादी भावी स्वप्नलोक में विचरण करते हैं, और वर्तमान घटनाओं पर दृष्टि नहीं देते । किन्तु वात यह है कि हम इन घटनाओं को खूब अच्छी तरह देखते हैं और उनके असली रूप में देखते हैं, और यही कारण है कि हम अपने चारों तरफ के पक्षपातरूपी जंगल में कुलहाड़ा लेकर चलते हैं ।

कल्पना-राज्य में विचरण करना तथा मनुष्यों को वे जैसे हैं, उससे अच्छा समझना तो दूर रहा, हम उन्हे वास्तविक रूप में देखते हैं, और यही कारण है कि हम दृढ़तापूर्वक यह कहते हैं कि अच्छे-से-अच्छे मनुष्य भी प्रभुता के प्रयोग से दरअसल खराब बना दिये जाते हैं । ‘शक्ति-सतुलन’ और ‘अधिकारियों पर नियन्त्रण’ का सिद्धान्त महज ढोग है, और इसका आविष्कार उन लोगों द्वारा किया गया है, जिन्होंने जनता को, जिसे वे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, यह विश्वास कराने के लिए कि जनता स्वयं अपना शासन कर रही है, सत्ता को अपने हाथ में कर लिया है । हम मनुष्यों को जानते हैं, और इसीलिए हम उन लोगों से, जो यह स्थान करते हैं कि विना शासक के मनुष्य एक-दूसरे को निगल जायगा, कहते हैं कि “आप उस राजा की तरह तर्कं करते हैं, जिसने सीमान्त पर भेज दिये जाने पर पुकारकर कहा—‘मेरे विना भेरी दीन प्रजा की क्या दशा होगी’ ? ”

बहा ! यदि मनुष्य उसी प्रकार का श्रेष्ठ प्राणी होता, जैसाकि प्रभुत्व के उपासक हमें बताना पसन्द करते हैं, यदि हम वस्तुस्थिति से अपनी आँखों को मूँदकर, उनके समान ही स्वप्न और मायालोक में अवस्थान करते और यह समझते कि जो अपनेको सत्ताधारी समझते हैं, वे सचमुच श्रेष्ठ प्राणी हैं, तो शायद हम भी उनके समान ही आचरण करते और शासकों के विशेष गुणों में विश्वास करते ।

यदि सत्ताधारी सज्जन सचमुच इतने बुद्धिमान और जनहितेषी होते, जैसेकि उनके प्रशंसक उन्हे बताया करते हैं, तो हम कितनी सुन्दर सरकार और पितृवत् पालन करनेवाले रामराज्य का निर्माण कर सकते ! इस प्रकार के राज्य में मालिक श्रमजीवी के प्रति अत्यान्चारी न बनकर उसका पिता बन जाता ! कारखाना आनन्द का प्रासाद बन जाता, और वहा श्रमजीवियों का शारीरिक ह्रास कभी नहीं होता । न्यायकर्ता में इतनी क्रूरता नहीं होती कि वह जिस व्यक्ति को जेल भेजता, उसकी स्त्री और बच्चों को वर्षों तक भूख और विपत्ति की ज्वाला में तपाकर अन्त में किसी दिन घुल-घुलकर मरने देता । सरकारी वकील अपनी वक्तृत्व शक्ति की करामात दिखाने के अपूर्व सुख के लिए अभियुक्त के सिर का गाहक नहीं बनता; और न कही हम जेलर या जल्लाद को जज के आदेशानुसार कार्य करते देखते, जिनमें खुद इतना साहस नहीं होता कि वे अपने आरा दिए गए दण्ड को स्वयं कार्य-रूप में परिणत करे ।

ओह ! ज्योही हम इस बात को मान लेगे कि जो लोग शासन करते हैं, वे श्रेष्ठ श्रेणी के जीव होते हैं, और साधारण मनुष्यों की दुर्बलताओं का उन्हे कदाचित् ही, या विलकुल, ज्ञान नहीं होता, उस समय हम कितने सुन्दर रामराज्य की कल्पना कर सकेंगे, कितना मनोहर स्वप्न देख सकेंगे ! उस समय इतना ही काफी होगा कि पुरोहिती ढग से वे एक-दूसरे पर नियन्त्रण रखें, और राष्ट्रीय दुर्घटनाओं का इलाज कागजी धोड़े दौड़ाकर करदें । आश्चर्य की बात तो यह है कि चुनाव के समय उसी साधारण जन-समूह द्वारा उनका मूल्य आका जाता है, जिसे आपस के व्यवहार में वे विलकुल मूर्ख समझते हैं, किन्तु जब उसे (जनसमूह को) अपने मालिकों का निर्वाचित करना पड़ता है, तो उस समय वे साक्षात् ज्ञान की मूर्ति बन जाते हैं ।

शासक-वर्ग द्वारा जितने शासन-विज्ञान की कल्पना की गई है, उन सबमें इसी प्रकार की खामखयाली वातें भरी पड़ी हैं; किन्तु हमारा मनुष्य-सम्बन्धी ज्ञान हमें बतला रहा है कि मनुष्य इतना मूर्ख नहीं है कि वह इस

प्रकार का स्वप्न देखता रह जाय । शासक और शासितों के गुणों का माप करने के लिए हमारे पास दो तुलादण्ड नहीं हैं, हम यह जानते हैं कि हम भी दोषशूल्य नहीं हैं, और हमसे से अच्छे-से-अच्छे व्यक्ति भी प्रभुता के प्रयोग से शीघ्र दूषित बन सकते हैं । हम मनुष्यों को, जैसा वह है, उसी रूप में लेते हैं, और यही कारण है कि हम एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य पर शासन किया जाना नापसन्द करते हैं, और अपनी शक्ति भर—शायद वह काफी जोरदार नहीं है—इस प्रकार के शासन का अन्त कर डालने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु इसे नष्ट कर देना ही पर्याप्त नहीं है । हमें यह भी जानना चाहिए कि निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में विचार न करने के कारण ही जनता समस्त क्रान्तियों में भटकती रही है । विघ्वस के बाद पुनर्निर्माण का भार उसने मध्यम-श्रेणी के लोगों के ऊपर छोड़ दिया, जिन्हें अपने उद्देश्य को चरितार्थ करने के सम्बन्ध में यथार्थ धारणा नहीं थी, और फलत जिन्होंने अपने लाभ के लिए शासन का पुनर्गठन किया ।

यही कारण है कि अराजकता जब सत्ता के समस्त स्वरूपों का विघ्वस करने लगती है, जब यह कानूनों को रद्द कर देने और जिस साधन द्वारा कानून जनता पर लादे जाते हैं, उसे उठा देने के लिए कहती है, जब यह धर्मयाजकों की समस्त संस्था को मानने से इन्कार करती है, और आपस में स्वतंत्रता-पूर्वक समझौता करने का उपदेश देती है, तब वह इसके साथ-साथ सामाजिक रीति-रस्म के मूल्यवान अश को कायम रखने और विस्तृत करने का भी प्रयत्न करती है, क्योंकि विना इसके कोई भी मानव या पशु-समाज कायम नहीं रह सकता । अराजकता सिर्फ यही चाहती है कि सामाजिक रीति-रस्म चंद लोगों के अधिकार द्वारा कायम न होकर सब लोगों के सम्मिलित कार्य द्वारा कायम रखे जाय ।

समाज के लिए समाजतन्त्रमूलक रीति-रस्म और संस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके द्वारा आर्थिक कठिनाइयों का समाधान होता है, बल्कि इसलिए भी कि ये उन सामाजिक रीति-नीतियों को कायम रखती हैं, और उन्हें विकसित करती हैं जिनके द्वारा मनुष्यों का

परस्पर मिलना-जुलना होता है। इनके द्वारा मनुष्यों के बीच इस प्रकार का सबध स्थापित होना चाहिए जिससे व्यक्ति का स्वार्थ समष्टि का स्वार्थ समझा जाय। ऐसा होने से ही मनुष्य आपस में विभवत न होकर एक हो सकते हैं।

जब हम अपने मन में यह प्रश्न करते हैं कि मानव या पशु-समाज में किस उपाय द्वारा एक निश्चित नैतिक सतह कायम रखी जा सकती है, उस समर्थ हमें तीन ही उपाय दीख पड़ते हैं, समाज विरोधी कार्यों का दमन, नैतिक शिक्षा और पारस्परिक सहायता का अभ्यास। और चूंकि ये तीनों परीक्षा की कसौटी पर कसे जा चुके हैं, इसलिए उनके परिणामों से हम उनके सबध में विचार कर सकते हैं।

जहा तक दमन की व्यर्थता का संबध है, यह तो वर्तमान समाज की अव्यवस्था और क्राति की आवश्यकता, जिसे हम सब लोग चाहते हैं या अवश्यभावी समझते हैं, द्वारा पर्याप्त रूप में सिद्ध हो रहा है। अर्थनीति के क्षेत्र में जवरदस्ती का परिणाम औद्योगिक दासता आ है, और राजनैतिक क्षेत्र में इसका परिणाम राज्य की गुलामी। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों में पहले जो सब बवन थे, वे अब विच्छिन्न हो गये हैं, और राष्ट्र एक केन्द्रीय सत्ता के प्रति आज्ञाकारी प्रजावर्ग के असंबद्ध समूह के सिवा और कुछ नहीं रह गया है।

बल-प्रयोग की प्रथा ने वर्तमान समस्त राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों की सृष्टि करने में काफी सहायता ही नहीं पहुँचाई है, बल्कि समाज की नैतिक सतह को ऊँचा उठाने में इसने अपनी संपूर्ण असमर्थता का भी प्रमाण दिया है। यह उस नैतिक सतह को भी कायम रखने में समर्थ नहीं हुई है, जहा तक समाज पहले ही पहुँच चुका था। यदि कोई उपकारी देवदूत हमारी आँखों के सामने उन सब अपराधों को प्रत्यक्ष कर दिखाये जो सभ्य समाज में प्रतिदिन, प्रति मिनट अज्ञान के पद्मे में, या स्वयं कानून के सखण में ही हुआ करते हैं, तो समाज उस भयानक अवस्था को जानकर काप उठेगा। सबसे बड़े राजनैतिक अपराधों के करनेवाले—जैसे,

नेपोलियन तृतीय, अथवा, सन् १८७१ में समाजतत्र के पतन के बाद मई महीने के खूनी सप्ताह के अपराधी—बेदाग वच जाते हैं। शताब्दियों तक दमन-नीति का प्रयोग किया गया है, और यह इतनी बुरी तरह असफल हुई है कि यह हमें एक ऐसी अन्धकारपूर्ण तग गली में ले गई है, जिससे हम तभी बाहर निकल सकते हैं, जब हमारे एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में सत्तात्मक अतीत की सस्थाओं की जड़ में कुठाराघात करने के लिए कुठार हो।

नैतिक शिक्षा की जो महत्ता है, खासकर उस नैतिक शिक्षा की, जो अज्ञात रूप से समाज के अन्दर फैलती रहती है, और हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के तथ्यों और घटनाओं पर जो आलोचना करता और भाव प्रकट करता है, उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है उसे हम अवश्य मानते हैं, किन्तु यह शक्ति एक ही दशा में समाज के लिए कारगर हो सकती है, और वह यह कि सस्थाओं के आचरण के परिणामस्वरूप जो बहुत-सी परस्पर-विरोधी अनैतिक शिक्षाएँ उत्पन्न होती हैं, उनके साथ उसका सघर्ष न हो।

इस प्रकार सघर्ष होने से उसका प्रभाव शून्य या हानिकारक होता है। ईसाई धर्म के नीतिज्ञान को लीजिये, फासी पर लटकनेवाले प्रभु ईसा के नाम पर जो नैतिक उपदेश दिये जाते हैं, उससे बढ़कर और किस उपदेश का लोगों के मन पर असर पड़ सकता था, और ईसा के बलिदान में जो कवित्व है, सूली देनेवालों को क्षमा कर देने में जो महत्ता है, उसकी रहस्यमयी शक्ति का कितना प्रभाव पड़ सकता था? फिर भी धर्म की अपेक्षा सस्था ही अधिक शक्तिशालिनी सिद्ध हुई। इसके बाद शीघ्र ही ईसाई धर्म, जो साम्राज्यवादी रोम के विरुद्ध एक क्रान्ति था, रोम द्वारा ही विजित हुआ, और ईसाई धर्म ने उसके सिद्धान्त, रीति-नीति और भाषा को ग्रहण कर लिया। ईसाई धर्म ने रोम के कानून को अपना समझकर अपना लिया। इस प्रकार राज्य से मिलकर वह इतिहास में समस्त अर्द्ध-समाज-तन्त्रवादी सस्थाओं का भयकर शत्रु बन गया, हालांकि आरम्भ में ईसाई

धर्म इन संस्थाओं का समर्थक था ।

क्या एक क्षण के लिए भी हम यह विश्वास कर सकते हैं कि नैतिक उपदेश में, जिसका पोषण सार्वजनिक शिक्षा-विभाग के मन्त्रियों के गश्ती-पत्रों में हुआ करता है, वह सृजन-शक्ति होगी, जो सृजन-शक्ति ईसाई धर्म में नहीं थी ? और सच्चे सामाजिक मनुष्यों का मौखिक उपदेश कर ही क्या सकता है, जबकि उसके विरुद्ध सरकारी तथा पूजीपतियों की उन संस्थाओं के 'उपदेश' की प्रतिक्रिया होती रहती है, जिनका आधार समाज-विरोधी सिद्धान्त है ?

अब तीसरी चीज जो बाकी रह जाती है, वह है संस्था, जिसकी क्रिया इस रूप में हो, जिससे सारे सामाजिक कार्य अभ्यास और सहज-बुद्धि की अवस्था में हो जाय । यह तीसरा साधन—जैसा कि इतिहास से सिद्ध है—कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ, दुधारी तलवार के रूप में इसने कभी कार्य नहीं किया और इसका प्रभाव क्षीण तभी हुआ है जब रीति-रस्म अचल और जड़ीभूत बनकर धर्म के रूप बन गये, जब उन्होंने व्यक्ति से कार्य करने की सारी स्वतंत्रता छीनकर उसके व्यक्तित्व को लुप्त कर देने का प्रयत्न किया, और इस प्रकार मनुष्य को उस धर्म के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए विवश किया, जो जड़ीभूत बन जाने के कारण उन्नति का शत्रु बन गया था ।

असल बात तो यह है कि अतीतकाल में उन्नति का जो मूल तत्त्व था, या मनुष्य जाति की नैतिक और बौद्धिक उन्नति का साधन था, उसका कारण है, पारस्परिक सहायता का अभ्यास और वे रीति-रस्म, जो मनुष्यों की समानता को मानते थे और जिन रीति-रस्मों ने उन्हे उत्पन्न करने तथा खर्च करने के लिए मानव-समाज को एक साथ मिलाकर परस्पर की सहायता के लिए एकता के सूत्र में ग्रथित कर दिया था, और उन्हे सघवद्व करके यह बता दिया था कि अपनेमें से नियुक्त किये गए पत्रों के सिवा और किसी दूसरे जज को वे अपने विवाद का निर्णयिक न माने ।

प्रत्येक अवसर पर, जब सर्वसाधारण की प्रतिभा से इन संस्थाओं की उत्पत्ति हुई (जब कुछ समय के लिए उक्त प्रतिभा थोड़ी देर के लिए भी स्वतंत्र

हुई है) और जब इन संस्थाओं का विकास एक नई दिशा में हुआ है, तब समाज की नैतिक सतह, उसका भौतिक कल्याण, उसकी स्वतंत्रता, उसकी बौद्धिक प्रगति और उसकी मौलिकता एक कदम आगे बढ़ गई है। इसके विपरीत प्रत्येक अवसर पर इतिहास के पृष्ठों में यह देखा गया है कि विदेशी विजय से या परम्परा से प्रामाणिक माने जानेवाले पक्षपातपूर्ण विचारों के कारण जब-जब मनुष्य समाज शासक और शासित, धनी और श्रमिक में अधिकाधिक विभक्त होता गया है, तब-तब समाज की नैतिक सतह में ह्रास होता गया और जनता की आर्थिक दशा खराब होती गई, जिससे चन्द लोगों के हाथ में धन इकठ्ठा हो गया और युग की भावना पतनोन्मुख हो गई।

इतिहास हमें यही शिक्षा देता है, और इस शिक्षा से हमने स्वतंत्र समाज-तत्त्ववादी संस्थाओं में विश्वास करना सीखा है, जिससे शासन द्वारा अध-पतित समाज का उत्थान हो।

इस समय हम साथ रहते हुए भी एक-दूसरे को नहीं जानते। हम चुनाव के दिन सभाओं में एकत्र होते हैं, उम्मीदवारों के मिथ्या या कल्पित उद्देश्यों को सुनते हैं और फिर अपने घर वापस लौट जाते हैं। सार्वजनिक हित से सबध रखनेवाले जितने प्रश्न हैं, उनकी चिन्ता सरकार को रहती है, यह देखना एकमात्र सरकार का ही काम होता है कि हम अपने पडोसी के स्वार्थ में खलल न पहुँचावे, और यदि सरकार यह काम नहीं कर सके, तो इस बुराई के प्रतिकार के लिए वह हमें डड़ दे।

हमारा पडोसी भूख से भर जाय, या वह अपने बच्चों की हत्या कर डाले, इसमें दखल देना हमारा काम नहीं। यह काम पुलिस के आदमियों का है। हम लोग कदाचित ही एक-दूसरे को जानते हैं। हमें एक करने का कोई साधन नहीं होता। इसके विपरीत हमें विलग करने के लिए ही सब साधन भौजूद रहते हैं। और कोई उपाय न देखकर हम सर्वशक्तिमान (पहले यह ईश्वरथा, अब सरकार है) से यह याचना करते हैं कि वह यथाशक्ति समाज-विरोधी दुष्कृत्यों को चरम-सीमा पर पहुँचने से रोके।

समाजतत्त्ववादी समाज में इस प्रकार का विलगाव, वाह्य शक्ति में इस

प्रकार का विश्वास, कायम नहीं रह सकता। समाजतत्रवादी सस्थाओं का निर्माण पार्लमेंट या म्यूनिसिपैलिटी नामधारी व्यवस्थापिका सभाओं के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। यह काम सपूर्ण समाज का होगा, इसका स्वाभाविक विकास होगा और बृहत् जन-समुदाय की रचनात्मक बुद्धि का यह परिणाम होगा। समाजतत्रवाद ऊपर से लादा नहीं जा सकता। यदि सपूर्ण समाज का अनवरत और दैनिक सहयोग इसे धारण न करे, तो यह चन्द महीनों के लिए भी कायम नहीं रह सकता। यह स्वतत्र होकर ही रह सकता है।

जनता मे जो हजारों नित्य के साधारण कार्य हुआ करते हैं, उनके बीच अनवरत सयोग स्थापित किये विना यह कायम नहीं रह सकता। स्थानीय जीवन की सृष्टि किये विना—जिसमे छोटे-से-छोटा जन-समूह, थोड़े-से घर, गली, मुहल्ले और समाज स्वतत्र हो—यह कायम नहीं रह सकता। यदि इसके द्वारा समाज मे उसकी आवश्यकताओ—जीवन की आवश्यकताओ, विलासिता, अध्ययन और आमोद-प्रमोद के साधन—की पूर्ति के लिए सहस्रों सस्थाओं का जाल न बिछ जाय, तो फिर इसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार की सस्थाए सकीर्ण और स्थानीय बनकर नहीं रह सकती। उनका झुकाव अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर होगा (जैसा कि विद्वत् परिषद, साइकिलिस्ट क्लब, लोकोपकारिणी सस्थाए तथा इसी प्रकार की अन्य सस्थाओं का हुआ करता है)।

समाजतत्रवाद द्वारा जो सामाजिक रीति-नीति—आरम्भ मे चाहे वह आशिक ही क्यों न हो—जीवन मे उत्पन्न होगी, वह एक ऐसी शक्ति होगी, जो सामाजिक रीति-नीति के मल तत्त्व को कायम रखने और विकसित करने मे समस्त दमनात्मक साधनों की अपेक्षा विशेष क्षमताशाली सिद्ध होगी।

सामाजिक संस्था का यही स्वरूप है, जिसमें हम सामजस्य की भावना का विकास चाहते हैं और जिस भावना को हमारे ऊपर लाद देने का काम घर्म और राज्य ने अपने ऊपरले लिया है, किन्तु उसका परिणाम कितना

शोचनीय हुआ है, यह हम भलीभाति जानते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि समाजतत्रवाद और अराजकता दोनों एक साथ नहीं चल सकते, उनके इस कथन का उत्तर हमारी इन बातों में है। आप देखेगें कि वे दोनों एक-दूसरे के आवश्यक अग हैं। व्यक्तित्त्व का—व्यक्ति की मौलिकता का—शक्ति-शाली विकास तभी हो सकता है, जब भोजन और घर की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाय, जब जीवन धारण करने के लिए प्रकृति की शक्तियों के विरुद्ध हमारा सग्राम सहल हो जाय, और जब मनुष्य का सारा समय दैनिक जीवन की तुच्छ बातों में ही न लग जाय। ऐसा होने पर ही उसकी बुद्धि, उसकी कलात्मक सुरुचि, उसकी उद्भावनी शक्ति और उसकी प्रतिभा स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती है और महान् कार्यों के लिए प्रयत्न कर सकती है।

वैयक्तिक विकास और स्वतंत्रता के लिए समाजतत्रवाद सर्वोत्तम आधार है; पर यह वह व्यक्तित्वाद नहीं है, जो मनुष्य को स्वार्थ के लिए सबके विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्प्रेरित करता है—व्यक्तित्वाद का यही रूप अबतक जाना गया है—वल्कि यह मनुष्य की योग्यता, उसकी मौलिकता के श्रेष्ठ विकास, उसकी बुद्धि, भावना और इच्छाशक्ति के महत्तम सुफल की पूर्ण वृद्धि का द्योतक है।

जब हमारा आदर्श इस प्रकार का है तो फिर हमें इस बात की चिन्ता ही क्या है कि हमारा यह आदर्श शीघ्र चरितार्थ नहीं हो सकता।

हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम समाज का विश्लेषण करके, विकास के किसी निश्चित समय में, उसकी विशेष प्रवृत्तियों का पता लगाये और उनका स्पष्ट वर्णन करें। फिर इसके बाद हम उन लोगों के साथ, जो हमारे जैसे ही विचार रखते हैं, इन प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करें। और फिर आज से ही, खासकर क्रान्ति के युग में स्थाओं तथा उन कुसस्कारों के, जिनके कारण इन प्रवृत्तियों के विकास में वाधा पहुंचती है, विघ्वस के लिए कार्य करना शुरू कर दे। वस, शान्तिपूर्ण या क्रान्तिकारी उपायों से हम इतना ही कर सकते हैं। हम यह जानते हैं कि इन प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य

करते हुए हम समाज की प्रगति में सहायता पहुंचाते हैं। जो लोग इनका प्रतिरोध करते हैं, वे प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। फिर भी लोग अक्सर यह कहा करते हैं कि क्रमशः सफर तय करना चाहिए, और वे निकटतम स्थान तक पहुंचने के उद्देश्य से कार्य भी करते हैं, और तब वे उस पथ को ग्रहण करना चाहते हैं, जो उन्हे वहाँ तक ले जाता है जिसे वे पहले की अपेक्षा उच्चतर आदर्श मानते हैं।

किन्तु इस प्रकार तर्क करने का अर्थ मेरी समझ में, मानव-प्रगति के वास्तविक स्वरूप को समझने में भूल करना है, और एक ऐसी फौजी उपमा का प्रयोग करना है, जो यहा मौजू नहीं होती। मनुष्य-जाति गेद-जैसी लृद्धकनेवाली कोई वस्तु नहीं और न यह मार्च करनेवाला सैन्यदल है। यह एक सम्पूर्ण दस्तु है, जिसका क्रम-विकास एक साथ ही लाखों के समूह में—जिनसे यह बनी हुई है—होता रहता है। इसके लिए यदि आप कोई उपमा चाहे, तो यह उपमा सेन्द्रिय जीवों के विकास के नियमों में मिलेगी, न कि किसी अनेतर गतिशील वस्तु में।

बात यह है कि समाज के विकास का प्रत्येक रूप उन सब बुद्धिमान मनुष्यों की कार्यवाही का परिणाम है, जिनको लेकर वह समाज गठित हुआ है। इसपर लाखों मनुष्यों की इच्छा-शक्ति की छाप लगी रहती है। अतएव वीसवीं शताब्दी में, विकास का क्रम चाहे कुछ भी हो, समाज की यह भावी स्थिति स्वाधीन भावों की जाग्रति का परिणाम प्रकट करेगी, जो जाग्रति इस समय हो रही है। और वीसवीं शताब्दी की स्थाओं पर इस आन्दोलन का प्रभाव कितनी गहराई के साथ पड़ेगा, यह इन वातों पर निर्भर करेगा कि कितने मनुष्यों ने आज परम्परा से माने जानेवाले पूर्व-स्स्कारों का परित्याग किया है, पुरानी स्थाओं पर आक्रमण करने में कितनी शक्ति सर्व की है, जनता पर कहा तक प्रभाव डाला है और जनता के चित्त पर स्वतन्त्र समाज का आदर्श कितनी स्पष्टता के साथ अकित किया है।

श्रमजीवियों और किसानों की प्रारम्भिक बुद्धि को सभी दलों ने—इसमें सरकार में विद्यास रखनेवाला साम्यवादी दल भी शामिल है—वरावर जात

या अज्ञात रूप में दलगत विनयानुशासन द्वारा दबाया है। केन्द्रीय संस्थाओं और कमेटियों द्वारा प्रत्येक विषय में आदेश दिया जाता है, और स्थानीय संस्थाओं का काम है उन आदेशों का पालन करना, 'जिससे संस्था की एकता को खतरा न पहुँचे।' एक शब्द में, सम्पूर्ण शिक्षा, सम्पूर्ण मिथ्या इतिहास इसी उद्देश्य से लिखा गया है, अर्थगत्व के सम्पूर्ण समझ में न आनेवाले अर्द्ध-विज्ञान का इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विस्तार किया गया है।

जो लोग इन जर्जर चालों को तोड़ने के लिए कार्य करेंगे, जो इस बात को जानेंगे कि व्यक्तियों और जन-समूहों की प्रारम्भिक भावना को किस प्रकार समुचित किया जाता है, जो उनके पारस्परिक सम्बन्ध में स्वतंत्र समझदारी के सिद्धान्त के आधार पर जीवन की सृष्टि करने में समर्थ होंगे, जो इस बात को समझेंगे कि वैचित्र्य—यहा तक कि सघर्ष भी—जीवन है और एकरूपता मृत्यु, वे भावी शताव्दियों के लिए ही नहीं, वल्कि शीघ्र ही आनेवाली कान्ति के लिए हम लोगों के समय के लिए कार्य करेंगे।

हमें स्वाधीनता के खतरों और दुरुपयोगों से डरने की जरूरत नहीं। जो लोग कुछ नहीं करते, उन्हींसे कोई भूल नहीं होती। जो लोग सिर्फ आज्ञा पालन करना जानते हैं, वे भी उतनी ही, या उनकी अपेक्षा अधिक, भूले करते हैं जो अपनी बुद्धि और सामाजिक शिक्षा के अनुसार अपना मार्ग आप ढूँढ निकालने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर्श—यदि परिस्थिति के कारण, जिसमें एकता की भावना पर संस्थाओं द्वारा पर्याप्त रूप में जोर नहीं दिया जाता, गलत रूप में समझा जाय—तो वह अवश्य ही व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के कार्य करा सकता है, जो मनुष्यता की सामाजिक भावनाओं के प्रतिकूल हो। यदि हम मान भी ले कि ऐसा होता ही है, तो क्या इसी कारण स्वतंत्रता के सिद्धान्त को धता बताई जा सकती है? तो क्या इसी कारण उन प्रभुओं का उपदेश मान लिया जाय जो लोगों को विचलित होने से रोकने के लिए स्वतंत्र प्रेस पर संन्तर कायम करते हैं, और एकरूपता तथा विनयानुशासन वा भाव बनाये रखने के लिए प्रगतिशील दलों का गला घोटते हैं? सन् १९९३ में प्रतिक्रिया की विजय को

निश्चित बनाने के लिए यहीं तो किया गया था।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जब हम समाज-विरोधी कार्य होते देखे तो सिर्फ यहीं किया जाना चाहिए कि 'प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए और ईश्वर सबके लिए' इस सिद्धान्त को हम तिलाजलि दे दें, और किसीके भी सामने इस प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में हम जो-कुछ सोचते हैं उसे साहस-पूर्वक साफ-साफ कह डाले। इससे सधर्ष उत्पन्न हो सकता है; किन्तु सधर्ष ही तो जीवन है। इस सधर्ष से हम उन कार्यों को जितनी खूबी से समझ सकते हैं, उतनी खूबी के साथ पुराने जमे हुए विचारों के प्रभाव में रहकर कदापि नहीं समझ सकते।

यह प्रत्यक्ष है कि जनता के मन में उत्पन्न होनेवाली इतनी गम्भीर क्राति केवल भाव-राज्य तक ही सीमित नहीं रह सकती, कार्यक्षेत्र तक उसका विस्तार होना निश्चित है। यहीं कारण है कि नवीन भावों के कारण सब देशों में, सभी सभव दशाओं में, कितने ही विद्रोहात्मक कार्य उद्दीपित हुए हैं; पहले पूजीवाद और राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का विद्रोह, फिर सामूहिक विद्रोह—हड़ताल और श्रमजीवियों का विद्रोह—दोनों ही मनुष्य के मन और उसके कार्य में जनता के विद्रोह यानी क्राति के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बात में साम्यवाद और अराजकता दोनों ही ने क्रम-विकासवाद के मार्ग का अनुसरण किया है, जो किसी महान् जनन्यण विद्रोह के सन्निकट होने पर भावनाओं की शक्ति द्वारा सपन्न होता है। यहीं कारण है, जिससे केवल अराजकता के ऊपर ही विद्रोहात्मक कार्यों का सारा दायित्व मढ़ना भूल है। जब हम वर्तमान गतावृद्धि के प्रथम २५ वर्षों के विद्रोहात्मक कार्यों का सिंहावलोकन करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि विद्रोहात्मक कार्य सब दलों की ओर से किये गए थे।

सम्पूर्ण यूरोप में हम श्रमजीवियों और किसानों के कितने ही विद्रोह पाते हैं। हड़ताल, जिसे किसी समय 'करवद्ध प्रार्थना का युद्ध' समझा जाता था, इस समय सहज ही क्राति का रूप धारण कर लेती है और कभी-कभी तो विद्रोह के रूप में वह अत्यत व्यापक हो उठती है। नई और पुरानी दुनिया में हम दर्जनों

की सम्या में हड्डतालियों के विद्रोह को क्राति के रूप में परिणत होते हुए पाते हैं।

यदि आप इन लोगों के समान ही यह चाहते हैं कि व्यक्ति की सपूर्ण स्वतंत्रता और फलतः उसके जीवन का आदर किया जाय, तो आपको अवश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के ऊपर शासन किये जाने के सिद्धात का विरोध करना होगा, चाहे उसका रूप कुछ भी क्यों न हो, और आपको वाध्य होकर अराज-कंता के सिद्धांतों को ग्रहण करना पड़ेगा, जिन्हें अवतंक आपने ठुकराया है। फिर आपको हमारे साथ समाज के उन स्वरूपों का सन्वान करना पड़ेगा, जिनसे वह आदर्श चरितार्थ हो सके, और उन सब हिसात्मक कार्यों का अन्त ही जाय, जिनके कारण आपका क्रोध उत्तेजित हो उठता है।

: ५ :

जेल और उसका नैतिक प्रभाव

ससार में आर्थिक समस्या और राज-समस्या के बाद जो सबसे महत्त्व-पूर्ण प्रश्न है, वह है समाज-विरोधी कार्यों का नियन्त्रण। न्याय करने का सिद्धात ही सदा अधिकारों और मुविधाओं को उत्पन्न करनेवाला रहा है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही भगठित अधिकारों के ठोस पत्थर पर स्थित है, इसलिए जो लोग समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? यह एक ऐसी समस्या है, जिसके अन्तर्गत राज्य और शासन की सपूर्ण महान् समस्या छिपी हुई है।

अब वह समय आ गया है, जब यह प्रश्न उठाया जाय कि क्या मृत्यु-दण्ड देना या जेलखाने की सजा देना उचित है? सजा देने के दो उद्देश्य होते हैं— एक तो समाज-विरोधी कार्यों का रोकना, दूसरे अपराधी का मुक्तार करना। क्या यसमान दउपद्रविति से इन लोगों द्वारा की सिद्धि होती है?

ये प्रश्न दट्टे गहन हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पर न केवल सहनी अभाग

कैदियों का सुख-दुख और उन अभागों के बेबस स्त्री-वच्चों का ही सुख-दुख निर्भर करता है, बल्कि समस्त मानव-समाज का सुख-दुख भी इसी उत्तर पर निर्भर है। किसी एक व्यक्ति के साथ जो कुछ अन्याय किया जाता है, अन्त में सपूर्ण मानव-समाज को उसका अनुभव करना पड़ता है।

मुझे फ्रास में दो जेलखानों और रूस में कई जेलखानों की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला है। जीवन की अनेक परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर मुझे डड-विधान की सपूर्ण समस्या का अध्ययन करना पड़ा है। अतः मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं खुल्लम-खुल्ला ससार को यह बता दूँ कि ये जेलखाने क्या हैं? यह जरूरी मालूम पड़ता है कि मैं उनके सबध में अपने निरीक्षण और उन निरीक्षणों के परिणाम ससार के सामने प्रकट कर दूँ।

जो व्यक्ति एक बार जेल हो आता है, वह फिर लौटकर पुन वही पहुँच जाता है। यह बात अवश्य भावी है। सरकारी आकड़े इसे सिद्ध करते हैं। फ्रास के फौजदारी शासन की वार्षिक रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये। आपको मालूम हो जायगा कि जूरी द्वारा सजा पाये हुए व्यक्तियों में से आधे और पुलिस अदालत में मामूली जुर्मों के लिए सजा पानेवाले व्यक्तियों में कूँ लोगों को उनके अपराध की शिक्षा जेलखाने में मिली है।

जिन लोगों पर खून के मुकदमे चलते हैं, उनमें से आधे तथा चोरी के मुजरिमों में दो-तिहाई, दूसरी बार के अपराधी होते हैं। केन्द्रीय जेलों से—जो कैदियों को सुधार करनेवाली सम्पत्ति जाती है—जो कैदी रिहाई पाते हैं, उनमें से एक-तिहाई छूटने के बारह महीने के भीतर ही फिर लौटकर जेल पहुँच जाते हैं।

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है, वह यह कि एक कैदी जब दूसरी बार जेल पहुँचता है, तो उसका अपराध उसके पहले अपराध से अधिक गुरुतर होता है। यदि पहले उसे मामूली उठाईगीरी के लिए सजा मिलती है, तो दूसरी बार वह अधिक बुस्साहसपूर्ण चोरी के लिए पकड़ा जाता है। यदि पहली बार वह माधारण भार-पीट के लिए जेल जाता है, तो दूसरी बार वह खून के

अपरा मे हाजिर किया जाता है। अपराध-तत्त्व के समस्त लेखक इस विषय पर सहमत हैं। यूरोप मे पुराने अपराधियों की समस्या एक महत्त्व-पूर्ण समस्या बन गई है। आप जानते हैं कि फ्रास इस समस्या को कैसे हल करता है? वह उन्हे पश्चिमी अफ्रीका के केअन नामक कालेपानी मे भेजकर उनका एकदम अस्तित्व मिटा देता है। केअन मे ये कैदी वुखार से पीड़ित होकर मर जाते हैं। जहाज-यात्रा मे ही कितनों की जीवन-यात्रा समाप्त हो जाती है।

आजतक जेलखानों मे जितने सुधार किये गए हैं, भिन्न-भिन्न जल-प्रणालियों के जितने प्रयोग किये गए हैं, उन सबके होते हुए भी उनका फल एक ही निकला है। आप लोग दड़ देने का चाहे जो तरीका अरितयार करे, मगर मौजूदा कानूनों के खिलाफ जुर्मों की सख्त्या न तो घटती है और न बढ़ती है। रूस मे कोडो की मार की सजा और इटली मे मृत्यु का दड़ उठा दिया गया, मगर उन दोनों स्थानों मे हत्याओं की संख्या ज्यो-की-त्यो बनी रही। जजो की निर्दयता बढ़े या घटे, दण्ड-विधान मे जो चाहे परिवर्त्तन हो, मगर जुर्म कहे जानेवाले कामों की सख्त्या एक-सी बनी रहती है। उसमे जो परिवर्त्तन होता है, वह कुछ अन्य कारणों से होता है, जिनका मे आगे चलकर वर्णन करूँगा। दूसरी ओर जेलखाने के शासन मे चाहे जितने परिवर्त्तन किये जाय, मगर दूसरी बार जुर्म करनेवालों की सख्त्या भी नहीं घटती। वह तो अवश्यभावी है। यह जरूर ही होकर रहेगी। कारण यह है कि जिन गुणों के द्वारा मनुष्य समाज मे रहने के योग्य बनता है, जेलखाना उन समस्त गुणों को एकदम नष्ट कर देता है। कैदखाना मनुष्य को एक ऐसा जीव बना देता है, जो अपने जीवन के अन्तिम काल तक वारम्बार इसी जीवित कन्विस्तान मे लौटकर पहुँच जाता है। 'दण्ड-विधयक-प्रणाली को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए?' इस प्रश्न का केवल एक ही जवाब हो सकता है, और वह है—'कुछ नहीं।' कैदखाने मे कुछ सुधार हो ही नहीं सकता। केवल कुछ महत्त्वहीन सुधारों को छोड़कर जेलखानों की कुछ भी उन्नति नहीं की जा सकती। उसके लिए तो केवल एक ही उपाय है—वह है जेलखानों को नष्ट कर देना।

मैं तो यह प्रस्ताव करूँगा कि प्रत्येक जेलखाने का इंचार्ज एक-एक पेस्टालोज्जी मुकर्रर कर दिया जाय। पेस्टालोज्जी एक मशहूर स्विस-शिक्षक था। वह घर से निकले हुए आवारा लड़कों को लेकर पालता था और उन्हे गिक्षा देकर उत्तम नागरिक बना देता था। मैं तो यह भी कहूँगा कि आजकल के जेल के पहरेदारों में जो भूतपूर्व सैनिक और पुलिसमैन हुआ करते हैं उनको अलग करके उनके स्थान में साठ पेस्टालोज्जी नियत कर दिये जाय। यह महान् स्विस-शिक्षक तो निश्चय ही जेल का पहरेदार बनने से इन्कार कर देगा, क्योंकि जेलों का आधारभूत सिद्धात ही गलत है। वह लोगों की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। जबतक आप लोगों की स्वतंत्रता हरण करते रहेगे, तबतक आप उनका सुधार नहीं कर सकते। आप केवल 'पुराने पापी' अपराधियों की ही सृष्टि करते रहेगे। मैं यह बात आगे सिद्ध करूँगा।

पहली बात तो यही ले लीजिये कि कोई भी अपराधी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसे जो सजा मिली है, वह न्यायोचित है। केवल यह बात ही हमारी न्याय-प्रणाली को कल्कित सिद्ध करती है। जेल में किसी कैदी या किसी बड़े भारी जुआचोर से बात कीजिये। वह कहेगा—“हम छोटे-छोटे जुआचोर पकड़कर यहा भेज दिये जाते हैं, परन्तु बड़े-बड़े जुआचोर मजे में स्वतंत्र धूमते हैं, और साधारण जनता उनकी इज्जत करती है।” आप जानते हैं कि बहुत-सी ऐसी बड़ी-बड़ी कपनिया मौजूद हैं, जो केवल गरीबों का आखिरी पैसा लूटने के लिए ही बनी है, और जिनके सस्थापकगण कानून के फदे से बचते हुए इन गरीबों के पैसों को लूटकर अलग हो जाते हैं। आप ऐसी कम्पनियों के लिए क्या जवाब देगे? अश (गेयर) निकालनेवाली अनेकों कम्पनियों, उनके झूठे नोटिसों और भारी जुआचोरियों की बातें हम सब जानते हैं। ऐसी दशा में हम लोग कैदी को इसके सिवा क्या जवाब दे सकते हैं कि वह सच कहता है?

अयवा एक दूसरे आदमी को ले लीजिये। उसने पैसों की एक गुललक चुराई है। वह कहता है—“मैं काफी चालाक न था, वस इतनी ही बात थी।” आप उसके इस कथन का क्या जवाब देगे? क्योंकि आप जानते हैं कि अनेकों

बड़ी-बड़ी जगहों में कैसे-कैसे काड़ हुआ करते हैं। बड़े-बड़े भयकर काढ़ों का भड़ाफोड़ होने पर आप देखते हैं कि बड़े-बड़े अपराधी भी अक्सर 'निरपराध' कहकर छूट जाते हैं। हम लोगों ने कितनी बार कैदियों को यह कहते सुना होगा—“बड़े चोर तो वे हैं, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ कैद कर रखा है, हम लोग तो छोटे चोर हैं।” जब आप यह जानते हैं कि बड़े-बड़े व्यापारों और उच्च आर्थिक मामलों में बड़ी-बड़ी जुआ-चोरिया हुआ करती हैं, जब आप यह जानते हैं कि धनी समाज का केवल-मात्र आधार प्रत्येक सभव उपाय से 'हाय पैसा, हाय पैसा' चिल्लाना है, तब भला बताइये कि आप कैदियों के उपर्युक्त कथन में मीन-मेख कैसे कर सकते हैं? ससार में ईमानदार (धनिकों की परिभाषा के अनुसार ईमानदार) और अपराधी लोग रोज़ ही हजारों सशयात्मक व्यापार किया करते हैं। यदि आप उन सब व्यापारों की परीक्षा करेंगे, तो आपको विश्वास हो जायगा कि जेलखाने अपराधियों के लिए नहीं हैं, बल्कि वे मूर्खों के लिए हैं। चालाक अपराधी सदा कानून की गिरफ्त के बाहर रहकर भजा किया करते हैं, भगर बेचारे कम चालाक कानून के पजे में फँसकर जेल की हवा खा जाते हैं। यह तो हुई जेल के बाहर की दशा। अब रही जेल के भीतर की दशा, सो उसके लिए अधिक कहना फिजूल है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वह कैसी है। चाहे खाने के सबध में हो, चाहे रियायतों के सबध में हो, अमरीका से एगिया तक आपको कंदी वही एक बात कहते हुए मिलेंगे—“सबसे बड़े चोटे हम नहीं हैं, बल्कि वे हैं, जिन्होंने हमें यहा कैद कर रखा है।”

वेकारी के दुष्परिणामों को मभी जानते हैं। काम से मनुष्य को आराम मिलता है। लेकिन काम-गाम भी तो भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र आदमी का काम होता है, जिसे वह अपने व्यक्तित्व का अरा समझता है और दूसरा एक गुलाम का काम होता है, जो उसकी आत्मा का पतन करता है। कंदी लोग जो काम करते हैं, वह अनिच्छापूर्वक किया जाता है। वह केवल और अधिक दउ के डर में किया जाता है। वे लोग जो काम करते हैं, उसमें उनके मस्तिष्क की परिष्ट वा उपयोग नहीं होता, इसलिए उन्‌का मृणमंड़ ४

कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता। इसके अलावा उनकी मेहनत की जो मजदूरी उन्हे मिलती है, वह भी इतनी कम, कि जिससे उनका काम भी उन्हे एक प्रकार का दड़ दिखलाई देता है।

मेरे अराजकवादी (अनार्किस्ट) मित्र क्लैरबू के जेलखाने मे सीप के बटन बनाते थे। उन्हे दस घटे की कठिन मेहनत की मजदूरी बारह सेट मिलती थी। इन बारह सेटो मे से भी चार सेट सरकार अपने पास जमा कर लेती थी। इस कठिन मेहनत और तुच्छ वेतन को देखकर आप उन अभागे कैदियों की निराशा का सहज ही अनुभान कर सकते हैं। हफ्ते भर के हाड़-तोड़ परिश्रम के बाद जब उन्हे ५६ सेट वेतन मिलता है, तो उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि “वे लोग, जिन्होने हमे यहा—जेल मे—बन्द कर रखा है, असली चोटे हैं, हम नहीं।”

जेल के कैदी का बाहरी ससार के समस्त जीवन से सबध टूट जाता है। ऐसी दशा मे उसमे सर्वसाधारण की भलाई के निमित्त कार्य करने की प्रेरणा कैसे उत्पन्न हो सकती है? जिन लोगो ने जेलखाने की पद्धति बनाई है उन्होने अपनी निर्दयता को सुन्दर रूप देने के लिए कैदी का समाज से सब सपर्क तोड़ दिया है। इलैण्ड मे कैदी के स्त्री-वच्चे उसे तीन मास मे एक बार देख सकते हैं। उन्हे जिस प्रकार पत्र लिखने की इजाजत है, वह एकदम बेहूदा है। समय-समय पर अधिकारी वर्ग मानव-स्वभाव की भी उपेक्षा करके कैदियों को चिट्ठी की जगह केवल एक छपे हुए फार्म पर ही दस्तखत करने की इजाजत देते हैं। किसी कैदी पर यदि कोई सबसे उत्तम प्रभाव पड़ सकता है, यदि कोई चीज उसके जीवन के अन्धकार मे प्रकाश की किरण ला सकती है, तो वह है जीवन का कोमल अशा, वह उसके सगे-सवधियों का प्रेम है, और हमारी मौजूदा जेल-प्रणाली मे इसीको बाकायदा रोका जाता है।

कैदी का जीवन शुष्क जीवन है। उसका स्रोत सदा एक-सा वहा करता है। उसमे न तो उत्साह और उच्छ्वास होता है, और न भाव-न्तरण। उसके हृदय की समस्त कोमल वृत्तिया शीघ्र ही बेकार हो जाती है। दक्ष कारीगर, जो अपने काम से बड़ा प्रेम रखते थे, उन्हे जेल मे रहकर अपने काम मे कोई

मज्जा नहीं आता । उनकी शारीरिक शक्ति भी धीरे-धीरे गायब हो जाती है ।

उनके दिमाग मे किसी बात पर लगातार ध्यान देने की शक्ति नहीं रह जाती । जेल मे रहकर कैदी का विचार उतनी तेजी से नहीं दौड़ता—कम-से-कम वह अब किसी चीज पर देर तक जम नहीं सकता । उनके विचारों की गभीरता जाती रहती है । मेरी समझ मे स्नायुविक शक्ति के हास का सबसे बड़ा कारण विभिन्नता की कमी है । साधारण जीवन मे हमारे दिमाग पर प्रतिदिन हजारों प्रकार की आवाजों और रसों की छाप पड़ा करती है, हजारों छोटी-छोटी बातें हमारी चेतना पर प्रभाव डालकर मस्तिष्क की शक्ति को बल प्रदान करती रहती है, परन्तु कैदी के दिमाग मे आधात करने के लिए ये कुछ भी नहीं होती । उसके हृदय पर छाप डालनेवाली बातें दो-चार ही होती हैं, जो सदा एक ही-सी हुआ करती है ।

जेलों मे अध पतन का एक और भी कारण है । हमारे माने हुए नैतिक नियमों के उल्लंघन का एक प्रधान कारण कहा जा सकता है—इच्छा-शक्ति की कमी । जेल के अधिवासियों मे अधिकाश वे लोग हैं, जिनमे इतनी दृढ़ इच्छा-शक्ति नहीं थी कि वे अपने लोभ को सवरण कर सकते, अथवा जो अपने क्षणिक आवेश को रोक सकते । जेलखानों मे, मठों (कॉनवेट) के समान मनुष्य की इच्छा-शक्ति को मार देने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है । उसे किसी भी बात में निर्वाचन की स्वतंत्रता नहीं है । जिन अवसरों पर वह अपनी इच्छा-शक्ति का उपयोग कर सकता है, वे बहुत कम और बहुत क्षणिक होते हैं । उसका समस्त जीवन पहले ही से कानून-कायदों से जकड़ा होता है । उसे उनकी धार के साथ वहना पड़ता है । उसे कठोर दड़ के भय से आज्ञा का पालन करना पड़ता है ।

ऐसी दशा मे जेल जाने के पूर्व कैदी मे थोड़ी-बहुत जो कुछ इच्छा-शक्ति होती है, वहा पहुँचकर वह भी गायब हो जाती है । जब वह जेल की दीवारों से छूटकर स्वतंत्र होगा और जीवन के अनेक प्रलोभन जादू की भाति उसके सामने आकर उपस्थित होगे, तब भला उसमे वह शक्ति कहा से आयगी जो उसके उन प्रलोभनों को रोक सके? यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने

नियन्त्रण करनेवालों के हाथ का खिलौना रहा है और उसकी तमाम अन्तः-शक्ति नष्ट कर दी गई है, तो किसी आवेशायुक्त झगड़े में वह शक्ति कहा से आयगी जो उसे रोक सके? मेरी समझ में केवल यही बात हमारे सपूर्ण दण्ड-विधान का—जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण पर स्थित है—सबसे भयकर कलक है।

सभी जेलों का एक ही सार है—व्यक्तिगत इच्छा को दबा देना। इसका आरम्भ कैसे हुआ, यह बात आसानी से समझ में आ सकती है। इसका उत्थान अधिकारियों की इस इच्छा से हुआ कि कम-से-कम पहरेदारों के द्वारा अधिक-से-अधिक कैदियों की देख-भाल की जा सके। जेल के अधिकारियों का आदर्श यह है कि केवल एक पहरेदार के द्वारा बिजली का बटन दबाते ही हजारों चलती-फिरती मशीने उठे, काम करे, खाये-पीये और सो रहे। फिर बजट में भी तो किफायत होनी ही चाहिए, मगर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि जेल से निकलने पर ये लोग, जो मशीन बना डाले जाते हैं, उस ढग के मनुष्य नहीं रह जाते, जैसे समाज चाहता है। जब कोई कैदी जेल से छूटकर आता है, तो पुराने साथी उसकी राह देखते हुए मिलते हैं। वे उसे बन्धुभाव से अपनाते हैं और वह पुन उसी धारा में पड़ जाता है जिसमें वह-कर पहली बार जेल पहुँचा था। छूटे हुए कैदियों की रक्षा के लिए जो सम्भाएँ होती हैं, वे कुछ नहीं कर सकतीं।

कैदी के पुराने साथी उसके लौटने पर उसका जैसा स्वागत करते हैं और रक्षण-संस्थाओं के उदारहृदय लोग उसका जैसा स्वागत करते हैं—इन दोनों में भी बड़ा भारी अन्तर है। भला, वताइये कि इन दोनों में से कौन उसे अपने घर पर निर्मनित करके कहेगा—“लो, यह तुम्हारे रहने के लिए कमरा है और यह है काम। तुम हमारे साथ एक मेज पर बैठो और कुटुम्बी की तरह रहो।” जेल से छूटा हुआ व्यक्ति मित्रता से बढ़ाये हुए हाथ को खोजता आता है, मगर समाज—जिसने उसे भरसक अपना शत्रु बनाया है और जिसने उसमें जेल के तमाम दोष उत्पन्न कर दिये हैं—उसे दुल्कार देता है। वह उसे सजा देकर पुनः अपराधी बना देता है।

अच्छे वस्त्रों का जो प्रभाव पड़ता है, उसे सब जानते हैं। यदि किसी जानवर को कोई चीज हास्यास्पद बना देती है, तो उसे भी अपने सजातीयों के सामने उपस्थित होने में लज्जा आती है। यदि किसी विल्ली को कोई काला और लीला रंग दे, तो वह अन्य विल्लियों के साथ मिलने-जुलने का साहस न करेगी, लेकिन मनुष्य जिन कैदियों को सुधारने का ढोग करता है, उन्हें पागलों के-से कपड़े पहनने को देता है।

अपने सपूर्ण बन्दी-जीवन में, कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसके प्रति उनके मन में धृणा होती है। जिन आदरसूचक बातों के मनुष्य-मात्र अधिकारी हैं, उनमें से एक भी कैदी के प्रति प्रदर्शित नहीं की जाती। वह तो एक अदद के—एक नम्बर के—समान है। उसके साथ नम्बर पड़ी हुई चीज जैसा व्यवहार किया जाता है। मनुष्य की सबसे महान् मानवी इच्छा है किसी दूसरे मनुष्य से बात करना। यदि कैदी अपनी इस इच्छा को पूरी करता है, तो वह जेल के नियमों को भग करता है। जेल जाने के पहले चाहे उसने कभी झूठ न बोला हो, या कभी धोखा न दिया हो, पर जेल में आकर वह तना अधिक झूठ बोलना और धोखा देना सीख जाता है कि वह उसके स्वभाव के अश हो जाते हैं।

जो लोग इस झूठ और दग्गावाजी के लिए तैयार नहीं होते उनके ऊपर बुरी बीतती है। यदि कोई व्यक्ति खाना-तलाशी को अपमानजनक समझता है, यदि किसी आदमी को जेल का भोजन वेस्वाद लगता है, यदि उसे फहरेदारों का तम्बाकू चुराकर बेचना चुरा मालूम होता है, यदि वह अपनी देटी अपने साथी को वाट देता है, यदि उसमें अभी इतना आत्म-सम्मान बाकी है कि उसे अपमान पर क्रोध आ जाय, यदि उसमें तनी ईमानदारी है कि वह नीचतापूर्ण ड्यूट्रो के प्रति विद्रोह कर सके, तो उसके लिए जेलखाना नरक बन जाता है। वह या तो काल-कोठरी में सड़ने के लिए भेज दिया जायगा, अन्यथा उसपर उसकी शक्ति से अधिक काम लाद दिया जायगा। जेल के नियमों की पावन्दी में जरा-सी भी भूल होने से उसे कड़ी-से-कड़ी सजा दी जायगी और एक सजा के बाद दूसरी सजा मिलती जायगी। अक्सर अत्या-

चारों के मारे वह पागल हो जाता है। यदि वह जीता-जागता जेलखाने के बाहर निकल आवे, तो समझ लीजिये कि वह बड़ा किस्मतवर है।

अखबारों में यह लिख देना कि जेलखाने के पहरेदारों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए और जेलर लोग भले आदमियों में से चुने जाने चाहिए—यह सब बहुत आसान है। आदर्श शासन-पद्धतियों के काल्पनिक विधान बनाने से बढ़कर आसान कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी आदमी ही रहेगा—चाहे पहरेदार हो या कैदी। जब इन पहरेदारों को अपना सम्पूर्ण जीवन इस कृत्रिम परिस्थिति में बिताने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो उन्हे उसका फल भी भुगतना पड़ता है। केवल मठों को छोड़कर और कही भी ओछे षड्यन्त्रों की ऐसी अधिकता नहीं रहती, जैसी जेलों में। ससार में और कही भी कलक की बातों और झूठे किस्सों का इतना विकास नहीं होता, जितना जेल के पहरेदारों में।

आप यदि किसी व्यक्ति को कोई शासन-अधिकार दे, तो वह अधिकार उसे पतित किये बिना नहीं रह सकता। वह व्यक्ति उस अधिकार का दुरुपयोग करेगा। यदि उसका कार्य-क्षेत्र सकुचित हुआ तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करने में और भी कुण्ठित होगा और वह अपनी शक्ति को और भी अधिक समझेगा। पहरेदारों को अपने दुरभनों के बीच में रहना पड़ता है, अत वे दयालुता के आदर्श नहीं बन सकते। कैदियों के गुट के विरोध में जेलरों का गुट हुआ करता है। जेल की स्थिति ही ऐसी है जो उन्हे ओछे स्वभाव का नीच अत्याचारी बना देती है। यदि आप उनके स्थान में पेस्टोलोज्जी को भी नियत कर दे, तो वह भी थोड़े दिन बाद जेल का पहरेदार ही बन जायगा।

कैदी के मन में समाज के प्रति विद्वेष के भाव शीघ्र ही जाग्रत हो जाते हैं। वह उन लोगों से, जो उसे पीड़ित करते हैं, घृणा करने का आदी ही जाता है। वह ससार को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक में वह स्वयं अपने को और अपने साथियों को समझता है और दूसरे में वह तमाम बाहरी दुनिया को समझता है। जेल के पहरेदारों और उसके अफसरों को वह दूसरे भाग का

प्रतिनिधि समझता है। ससार के समस्त मनुष्यों के खिलाफ—जो कोई भी जेल का कपड़ा नहीं पहनता उसके खिलाफ—कैदियों का क गुट बन जाता है। वह समझता है कि वे सब उसके शत्रु हैं, और उन शत्रुओं को धोका देने के लिए जो कुछ भी किया जाय, उचित है।

जैसे-ही कैदी जेल से छूटकर आता है, वैसे-ही वह अपने उपर्युक्त सिद्धान्त को कार्य में परिणत करने लगता है। पहले तो सभवत उसने बिना समझे बूझे अपराध किया था, मगर अब अपराध करना उसका सिद्धान्त बन जाता है। प्रसिद्ध लेखक जोला के शब्दों में उसकी एक यही धारणा होती है कि “ये ईमानदार आदमी कैसे वदमाश हैं !”

यदि कैदियों पर पड़नेवाले जेल के समस्त प्रभावों पर हम विचार करें तो हमें यह निश्चय हो जायगा कि वे मनुष्य को अधिकाधिक सामाजिक जीवन के अयोग्य बनाते हैं। दूसरी ओर इन प्रभावों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी नैतिक वृत्तियों को ऊपर उठा सके, या उसके जीवन में उच्च-भाव भर सके। इसके अलावा हम यह भी देख चुके हैं कि ये प्रभाव उसको अन्य अपराध करने से भी नहीं रोक सकते, इसलिए जिन उद्देश्यों के लिए ये उपाय बनाये गए हैं, उनमें से वे एक को भी पूरा नहीं करते।

इसलिए अब यह सवाल उठाना चाहिए कि “जो लोग कानून भग करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए ?” कानून से मेरा मतलब किताबी कानूनों से नहीं है। वे तो एक दुखदायी—अतीव दुखदायी भूतकाल की कप्टप्रद विरासत है। कानून से मेरा मतलब उन नैतिक सिद्धान्तों से है, जो हम लोगों में से प्रत्येक के हृदय पर अकित हैं।

एक समय था जब वैद्य या डाक्टरी का उद्देश्य केवल दवा देना-मात्र था। वैद्यों ने अधेरे में टटोल-टटोलकर अपने अनुभव से कुछ औपचिया जान ली थी। वे केवल उन्हींको देना जानते थे, मगर आजकल वैद्यों का दृष्टिकोण एकदम बदल गया है। आजकल उनका उद्देश्य केवल रोगों को अच्छा करना ही नहीं है, वल्कि रोगों को होने से रोकना है। आजकल सफाई ही सबसे अच्छी दवा समझी जाती है।

हम लोग अबतक जिसे अपराध कहते हैं, हमारी संतान उसे आगे चल-कर 'सामाजिक व्याधि' के नाम से पुकारेगी। हमें इस सामाजिक व्याधि के लिए भी वही करना पड़ेगा, जो हम शारीरिक व्याधि के लिए करते रहे हैं। इस रोग को होने से रोकना ही उसका सर्वश्रेष्ठ इलाज है। समस्त आधुनिक चिन्ताशील व्यक्ति, जिन्होने 'अपराधों' पर विचार किया है, इसी परिणाम पर पहुंचे हैं। इन व्यक्तियों के प्रकाशित किये हुए समस्त ग्रन्थों में इस बात का पूरा मसाला मौजूद है कि हम लोगों को उन लोगों के प्रति—जिन्हे समाज ने अबतक बड़ी कायरता से पगु बना रखा है, कैद कर रखा है या फासी पर लटका दिया है—एक नवीन भाव ग्रहण करना चाहिए।

समाज-विरोधी कार्यों के, जो अपराध के नाम से पुकारे जाते हैं, होने के कारण तीन प्रधान श्रेणियों के होते हैं। ये श्रेणिया सामाजिक, शरीर-धर्म-सम्बन्धी और भौतिक हैं। इनमें से मैं पहले अन्तिम कारण पर विचार करूँगा। यद्यपि इन कारणों का ज्ञान लोगों को कम है, लेकिन उनके प्रभाव में कोई सन्देह नहीं है।

जब हमारा कोई मित्र चिट्ठी लिखकर उसपर पता लिखे विना ही उसे डाकखाने में डाल देता है, तो हम कहते हैं, यह एक दुर्घटना है। यह तो ऐसी बात हुई जिसका पहले कभी खयाल ही नहीं किया था। मगर असली बात यह है कि मानव-समाज में ये दुर्घटनाएं, ये अप्रत्याशित बातें, वैसे ही नियमित रूप में हुआ करती हैं, जैसे वे घटनाएं, जिनका बहुत पहले से सौच-विचार किया जाता है। डाक में छोड़े जानेवाले विना पते लिखे हुए पत्रों की सख्त्या प्रतिवर्ष नियमित रूप से एक-सी रहती है, जिसे देखकर आश्चर्य होगा। उनकी सख्त्या में प्रतिवर्ष कुछ थोड़ी-बहुत घटी-बढ़ी हो सकती है, लेकिन यह घटा-बढ़ी बहुत ही थोड़ी होती है। इसका कारण लोगों का भुलक्कड़पन है। यद्यपि यह भुलक्कड़पन एक अनिश्चित-सी बात जान पड़ती है, लेकिन दरबसल वह भी ऐसे कड़े नियमों के अधीन है ही जैसे ग्रहों की चाल।

यही बात प्रतिवर्ष होनेवाली हत्याओं के लिए भी लागू है। पिछले वर्ष के आकड़ों को लेकर कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी कर सकता है कि

यूरोप के फला देश में इस वर्ष लगभग इतनी हत्याए होगी। यह भविष्यवाणी आश्चर्यजनक रूप से ठीक होती है।

हमारे कर्मों पर भौतिक कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूर्ण विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है, मगर यह मालूम हो गया है कि गर्मी में मार-पीट आदि के मामले अधिक होते हैं और जाड़ों में सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों की सख्ता अधिक रहती है। प्रोफेसर इनरिको फेरी ने ग्राफ-पेपर पर अपराधों की सख्ता की वक्ररेखा खीची है। यदि आप उस रेखा का ताप (टेम्परेचर) की वक्ररेखा के साथ मिलान करें, तो यह साफ दिखाई दे जायगा कि अपराधों की वक्ररेखा ताप की वक्ररेखा के साथ उठती-गिरती है। तब आपको यह मालूम हो जायेगा कि मनुष्य कितना अधिक मशीन के समान है। मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा-शक्ति का गर्व किया करता है। पर वह ताप की घटा-बढ़ी, आधी-पानी तथा अन्य भौतिक कारणों पर कितना निर्भर करती है। जब ऋतु अच्छी हो, फसल भी भरपूर हुई हो और गाववाले मजे में हो, तो अपने झगड़ों को मिटाने के लिए वे छुरी की शरण कम लेंगे, परन्तु जब ऋतु अच्छी न हो और फसल खराब हो, तो उस समय गाववाले चिन्तित होते हैं और झगड़ों का रूप अधिक भयकर हो जाता है।

शरीर-धर्म-सम्बन्धी कारण—जो मस्तिष्क की बनावट, पाचन-शक्ति और स्नायु-प्रणाली पर निर्भर करते हैं—निश्चय ही भौतिक कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। पैतृक शक्तियों और शारीरिक सगठन का हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की बड़ी खोजपूर्ण जाच हो चुकी है, इसलिए हम इनके महत्व का काफी सही अन्दाज लगा सकते हैं।

सेसारे लम्ब्रोसो का क्यन है कि जेल-अधिवासियों में अधिकाश के मस्तिष्क की बनावट में कुछ दोष होता है। इस बात को हम तभी स्वीकार कर सकते हैं, जब हम जेल में मरनेवालों के दिमागों और जेल के बाहर की दरिद्रता में बुरी तरह जीवन व्यतीत करके मरनेवालों के दिमागों की तुलना करे। उसने यह दिखलाया है कि निर्दयतापूर्ण हत्या करनेवाले व्यक्ति वे होते हैं जिनके दिमागों में कोई बड़ा दोष होता है। उसके इस कथन से हम सहमत

है, क्योंकि यह वात निरीक्षण द्वारा सिद्ध हो चुकी है। मगर जब लम्बोसो यह कहता है कि समाज को अधिकार है कि वह इन ऐपूर्ण मस्तिष्कवालों के विरुद्ध कार्रवाई करे, तब हम उसका कथन मानने को तैयार नहीं हैं। समाज को इस वात का कोई अधिकार नहीं है कि वह इन रोगी मस्तिष्कवालों को नष्ट करदे। हम मानते हैं कि जो लोग ये क्रूर अपराध करते हैं, वे करीब-करीब दुर्बुद्धि—सिडी-से—होते हैं। मगर सभी सिडी तो खूनी नहीं होते।

राजमहलों से लेकर पागलखानों तक अनेकों कुटुम्बों में आपको सिडी लोग मिलेंगे जिनमें वे सब लक्षण मौजूद हैं, जो लम्बोसो के अनुसार 'अपराधी सनकियों' में विशेषता से पाये जाते हैं। उनमें और फासी पर चढ़ने-वालों में यदि अन्तर है, तो केवल उस वातावरण का, जिसमें वे रहते हैं। दिमागी बीमारिया निश्चय ही हत्या करने की प्रवृत्ति को उकसा सकती है, मगर यह अवश्यम्भावी नहीं है कि वे ऐसा करे ही। प्रत्येक वात उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जिनमें मानसिक रोगी को रहना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में जितने तथ्य एकत्र हो चुके हैं, उनसे प्रत्येक समझदार आदमी यह आसानी से देख सकता है कि जिन लोगों के साथ अपराधी की भाँति व्यवहार होता है, उनमें से अधिकाश किसी-न-किसी रोग से पीड़ित है। इसलिए जरूरत इस वात की है कि होशियारी से उनका रोग दूर करके उन्हे अच्छा करने की कोशिश की जाय, न कि उन्हे जेलखानों में—जहाँ उनका रोग और भी बढ़ जाता है—ठेल दिया जाय।

अगर हम लोग स्वयं अपने ही विचारों का कड़ा विश्लेषण करे, तो हम देखेंगे कि समय-समय पर हमारे दिमागों में ऐसे अनेक विचार विजली की तेजी से दौड़ जाया करते हैं जिनमें दुष्कर्मों की नीब डालनेवाले कीटाणु छिपे रहते हैं। साधारणतः हम लोग इन विचारों को दुतकार देते हैं, लेकिन यदि हम ऐसी परिस्थिति में हो, जिनमें इन विचारों को अनुकूल प्रोत्साहन मिले, अथवा यदि हमारे अन्य भाव—जैसे प्रेम, दया, भ्रातृत्व-भाव आदि—इन क्रूर विचारों का प्रतिकार न करे, तो ये विचार भी हमें अन्त में अपराधों में ला घमीटेंगे। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि लोगों को जेल पहुँचाने में

तो हमारे शहरों के बड़े-बड़े महलों का एक पत्थर भी साबृत न बचता।

यह तो हुई समाज की निम्नतम सीढ़ी की बात, परन्तु अब यह देखिये कि सड़क पर पलनेवाले ये लड़के समाज के सबसे ऊपरवाली सीढ़ी पर क्या देखते हैं? उन्हे वहा सबेदना-शून्य और मूर्खतापूर्ण अव्याशी, सजी हुई दुकाने, धन का प्रदर्शन करनेवाला साहित्य, सपत्ति की तृष्णा उत्पन्न करनेवाली धन की उपासना और दूसरे के मत्थे आनन्द से मजा करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। वहा का मूल मत्र है—“धनवान् बनो! तुम्हारे मार्ग मे जो-कुछ रुकावट डाले, उसे नष्ट कर दो। जिन उपायों से जेल जाना पड़े, केवल उन उपायों को छोड़कर, इसके लिए तुम जो उपाय चाहो, काम मे लाओ।” शारीरिक मेहनत से वे यहातक घृणा करते हैं कि अधिक-से-अधिक वे जिमना-स्टिक कर लेंगे या टेनिस खेल लेंगे, मगर फावड़ा या आरा छूना उन्हे गुनाह है। उनमे कठोर मेहनती भुजाए निम्नता का चिन्ह समझी जाती है और रेशमी पोशाक उच्चता की निशानी मानी जाती है।

स्वयं समाज रोज ही ऐसे लोगों को उत्पन्न करता है जो ईमान-दारी से परिश्रम करके जीवन विताने के योग्य नहीं हैं और जिनमे समाज-विरोधी वासनाए भरी रहती हैं। जब उनके दुष्कर्मों के साथ उन्हे आर्थिक सफलता भी प्राप्त हो जाती है, तो यही समाज उनकी प्रशासा के गीत गाता है। और जब ये लोग ‘सफल’ नहीं होते, तो उन्हे जेल भेज देता है। जब सामाजिक क्रांति श्रम और पूजी के पारस्परिक सम्बन्ध को बदल देगी, जब काहिलों का नाम न रह जायगा, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सार्वजनिक भलाई के लिए काम करेगा, जब प्रत्येक बालक को उसकी आत्मा और मस्तिष्क के विकास के साथ-साथ हाथ से काम करना भी सिखाया जायगा, तब हमे जेलखानों, जल्लादों और जजों की जरूरत न रह जायगी।

मनुष्य तो अपने चारों ओर की परिस्थितियों का, जिनमे वह बढ़ता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, फल हुआ करता है। यदि वह अपने को सपूर्ण समाज का अंश समझने का आदी हो जाय, यदि वह यह समझने लगे कि अगर वह किसीको कुछ हानि पहुँचायेगा, तो उस हानि का असर

जेल और उसका नैतिक प्रभाव

अन्त में उसपर भी पड़ेगा, तो नैतिक सिद्धातों का उल्लंघन^{क्रूरतें द्वारा} कार्यों की सत्या बहुत कम रह जायगी।

आजकल जितने कार्य अपराध कहकर दडनीय समझे जाते हैं, उनमें से दो-तिहाई सपत्ति के विरुद्ध होते हैं। यदि लोगों का निजी सपत्ति रखने का अधिकार उठा दिया जाय, तो वे गायब हो जाय। अब रहे व्यक्तियों के शरीर पर होनेवाले अत्याचार। सो यह सिद्ध हो चुका है कि लोगों में जैसे-जैसे सामाजिक भाव बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे वे भी घटते जाते हैं। यदि हम इन अपराधों के फल पर आधात करने के बजाय उनके कारणों—उनकी जड़—पर ही हमला करे तो वे भी एकदम गायब हो जायगे।

अबतक दड की स्थाई—जो वकीलों को इतनी प्यारी है—चार सिद्धातों के मेल पर निर्भर थी, पहला वाइबिल का बदला लेने के सिद्धात, दूसरा मध्यकालीन शैतान का विश्वास, तीसरा आधुनिक वकीलों की डर उत्पन्न करने की नीति और चौथा सजा के द्वारा अपराधों को रोकने का विचार।

मैं यह नहीं कहता कि जेलखाने तोड़कर उनके स्थान पर पागलखाने बना दिये जाय। ऐसी दुष्ट बात मेरे हृदय से बहुत दूर है। पागलखाना भी तो एक तरह का जेलखाना है। कुछ उदार विचारवाले लोग कहते हैं कि जेल-खानों को ही कायम रखना ही चाहिए, मगर उनमें डाक्टरों और गिरफ्तारों को नियत कर देना चाहिए। मेरे विचार उनके इस सिद्धात से भी बहुत दूर है। असल में कैदियों को समाज में आजकल जिस चीज का अभाव है, वह है उनकी सहायता के लिए बढ़ाया हुआ हाथ। उन्हें समाज में कोई ऐसा नहीं मिलता जो वात्यावस्था से ही सरलतापूर्वक मित्रता का हाथ बढ़ाकर उनकी उच्च मानसिक वृत्तियों और आत्मा को विकसित करने में सहायता दे। शरीर की बनावट में दोष होने के कारण या खराब सामाजिक दशाओं के कारण, जिन्हे स्वयं समाज लाखों आदमियों के लिए उत्पन्न करता है, लोगों की इन उच्च मानसिक वृत्तियों के स्वाभाविक विकास में व्याधात पहुँचता है, और इसीलिए वे लोग अपराधी हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी

क्रांति की भावना

व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली जाय और उसे किसी भी काम को प सद करने या न करने का अधिकार न रह जाय, तो वह अपने मस्तिष्क और हृदय की उच्च वृत्तियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए डाक्टरो-वाला जेलखाना या पागलखाना मौजूदा जेलों से भी खराब होगा। मनुष्यों की उन बीमारियों का, जिन्हे हम अपराध कहा करते हैं, केवल-मात्र इलाज मानवी बन्धुत्व-भाव और स्वतंत्रता है।

नि सदैह प्रत्येक समाज में—चाहे वह कैसी ही उत्तमता से सगठित क्यों न हो—ऐसे मनुष्य अवश्य ही मिलेगे, जो आसानी से आवेश में आ जायगे और जो समय-समय पर समाज-विरोधी कार्य भी कर डालेगे, लेकिन इसे रोकने के लिए जरूरत है तो इस बात की कि उनके आवेश को स्वस्थ राह पर लगाया जाय, वे उसे दूसरे ढंग पर निकाल सके।

आजकल हम लोग बड़ा एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। निजी सपत्ति-प्रणाली ने हमारे पारस्परिक सबधों में एक आत्मरत व्यक्तिवाद उत्पन्न कर दिया है। हम एक-दूसरे को बहुत कम जानते हैं। हमें एक-दूसरे के सपर्क में आने के मौके बहुत कम मिलते हैं। किन्तु हम देख चुके हैं कि इतिहास में समष्टिवादी जीवन के उदाहरण—जिनमें लोग एक-दूसरे से अधिक-से-अधिक घनिष्ठता से बँधते हैं—मौजूद हैं, जैसे चीन का ‘सम्मिलित कुटुम्ब’ या कृषक-संघ। ये लोग एक-दूसरे को सचमुच जानते हैं। परिस्थितियों के दबाव से उन्हें एक-दूसरे को सासारिक और नैतिक सहायता देनी ही पड़ती है।

आदि काल में कौटुम्बिक जीवन समष्टिवाद के ग का था। वह अब लुप्त हो गया है। अब उसके स्थान में एक नये कौटुम्बिक जीवन का प्रादुर्भाव होगा जो समान आकाशाभोवाले आदमियों का कुटुम्ब होगा।

इस कुटुम्ब में लोगों को मजबूरन् एक-दूसरे को जानना पड़ेगा, एक-दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी और प्रत्येक अवसर पर उन्हें एक-दूसरे को नैतिक सहारा देना पड़ेगा। इस पारस्परिक अवलम्बन से अधिकाश समाज-विरोधी कार्य, जिन्हें हम आज देखते हैं, रुक जायगे।

लेकिन यह कहा जा सकता है कि फिर भी समाज में बहुत-से लोग ऐसे

जेल और उसका नैतिक प्रभाव

बने ही रहेगे—आप चाहे तो उन्हे रोगी कह सकते हैं—जो समाज के लिए खतरनाक होगे। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम लोग उनसे छुटकारा पा ले ? या कम-से-कम उन्हे औरों को हानि पहुँचाने से रोके ?

कोई भी समाज—चाहे कितना ही कम-समझ क्यों न हो—इस ऐसे ऊट-पटाग समाधान को मजूर नहीं करेगा। उसका कारण भी सुन लीजिये। पुराने जमाने में यह समझा जाता था कि पागलों पर शैतान आता था, इसलिए उनके साथ उसीके अनुसार वर्ताव भी किया जाता था, वे लोग जगली पशुओं की भाति जजीरों में जकड़कर अस्तबल की दीवारों में बाध दिये जाते थे। मगर महान् क्रातिकारी पाइनेल ने उनकी जजीरे खोलकर उनके साथ भाई की भाति व्यवहार करने की चेष्टा की। पागलों के रक्षकोंने कहा—“वे तुम्हे निगल जायगे !” मगर पाइनेल ने उनकी बातों की परवाह न की और साहसपूर्वक इन पागलों को अपनाया। फल यह हुआ कि वे लोग, जो पहले जानवर समझे जाते थे, वे सब पाइनेल के चारों ओर आकर एकत्रित होने लगे। इस प्रकार उन लोगों ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि चाहे मनुष्य की बुद्धि रोग से आच्छादित क्यों न हो गई हो, फिर भी मानव-स्वभाव के उत्तम अशो पर विश्वास करना ठीक है। इसके बाद पाइनेल का आन्दोलन सफल हो गया, और तभी से पागलों को जजीर में बाधना बन्द हो गया।

इसके बाद बेल्जियम के धील नामक एक छोटे ग्राम के किसानों ने कुछ और भी अच्छी बात निकाली। उन्होंने कहा—“तुम लोग अपने पागलों को हमारे यहां भेज दो। हम उन्हे पूरी स्वतंत्रता दे देंगे !” उन्होंने उन्हे अपने कुटुम्बों में शामिल कर लिया और उन्हे अपनी मेज पर स्थान दिया। वे मौके-मौके पर उन्हे अपने खेत जोतने में साथ ले जाने लगे और नाच-तमाशे में उन्हे सम्मिलित करने लगे। उनका कथन था—“हम लोगों के साथ खाओ, पियो और नाच-तमाशे में सम्मिलित हो। तुम्हारी तबीयत चाहे तो काम करो, या मैदान में दौड़ लगाओ। जो चाहो करो, तुम एकदम स्वतंत्र हो !” वस, बेल्जियम के किसानों का यहीं सिद्धात और यहीं प्रणाली थी।

मैं यह आरम्भिक काल की बात कहता हूँ। आजकल तो धील में पागलो का इलाज एक खासा पेशा हो गया है। जब कोई बात पैसे के लिए पेशा बना डाली जाती है तब उसमें कोई तत्त्व नहीं रह जाता। इस स्वतंत्रता ने जादू-कैसा असर किया। पागल लोग अच्छे हो गए। यहातक कि उन लोगों का, जिनका विकार असाध्य था, व्यवहार भी मधुर हो गया और वे कुटुम्ब के अन्य व्यक्तियों की भाति शासन मानने के योग्य हो गए। रुग्ण मस्तिष्क तो सदा अस्वाभाविक रीति से काम करता था, मगर उन लोगों का हृदय ठीक था। वे कहने लगे कि यह एकदम जादू की भाति था। लोग कहने लगे कि रोगियों का रोग-मोचन एक देवी और देवता की कृपा से शात हुआ था, मगर असल में देवी स्वतंत्रता देवी थी और देवता था खेतों का काम और भाईचारे का व्यवहार।

माड़स्ले कहता है—“पागलपन और अपराध के बीच में एक विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के एक सिरे पर स्वतंत्रता और वन्धुभाव ने अपना जादू कर दिखाया है, अत उसके दूसरे सिरे पर भी वे वैसा ही कर दिखायेंगे।”

जेलखाने समाज-विरोधी कर्मों को होने से नहीं रोक सकते। वे उन कार्यों की सत्या में वृद्धि करते हैं। वे जेलखाने उन लोगों का, जो उनमें जाते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते। जेलों में चाहे जितना सुधार किया जाय, वे सदा कैदखाने ही रहेंगे। उनका वातावरण मठों की भाति कृत्रिम ही रहेगा और वे कैदियों को उत्तरोत्तर सामाजिक जीवन के अयोग्य बनाते रहेंगे। जेलखाने अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते। वे समाज का पतन करते हैं। उनका नाम ही मिटा देना चाहिए। वे पाखड़पूर्ण उदारता-मिश्रित वर्वरता के अवशेष हैं।

जेलखाने मनुष्य की मक्कारी और कायरता के कीर्तिस्तम्भ हैं। काति का सबसे पहला कर्तव्य इन जेलों को तोड़ना होगा। स्वतंत्र आदमियों में, जिन्हे पारस्परिक सहायता देने की स्वाभाविक शिक्षा मिल चुकी है, तथा समतापूर्ण समाज में समाज-विरोधी कार्यों से डरने की आवश्यकता ही रह जायगी। बहुत बड़ी सत्या में इन कार्यों के होने का कोई कारण ही न

रह जायगा। जो थोड़े-बहुत कार्य वच रहेगे, वे आरम्भ ही में दवा दिये जायगे।

कुछ लोगों में बुराड़ियों की ओर प्रवृत्ति होती है। क्रांति के पश्चात् वर्तमान समाज उन्हे हम लोगों के सिपुर्द कर देगा तब यह हमारा काम होगा कि हम उन्हे अपनी उन प्रवृत्तियों का व्यवहार करने से रोक। यह देखा जा चुका है कि यदि समाज के सब लोग ऐसे अपराध करनेवालों के विश्वद्व सगठित हो जाय, तो ये अपराध आसानी से रोके जा सकते हैं।

यदि इन मामलों में हम लोग सफल न हो, तब भी बन्धुभाव और नैतिक सहायता ही उनके सुधार के क्रियात्मक उपाय रहेगे।

यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। इक्के-दुक्के लोग इसे करके दिखा चुके हैं। उस समय यह एक आम बात हो जायगी। वर्तमान दण्ड-प्रणाली की अपेक्षा, जो नये अपराधों के लिए घड़ी उपजाऊ भूमि है, ये उपाय समाज-विरोधी कार्यों से समाज की रक्षा करने में कही अधिक शक्तिशाली होगे।

: ६ :

कानून और सत्ता

“जब जनता अज्ञान के अधकार में होती है और आदमियों के दिमाग उलझे हुए होते हैं, तो कानूनों की सख्त्य बढ़ा दी जाती है और प्रत्येक कार्य शासन-व्यवस्था के सुपुर्द कर दिया जाता है। चूंकि हर कानून एक नई आति होती है, जनता कानून से उस चीज की आशा करती है, जो खुद उसके द्वारा, उसकी अपनी शिक्षा और जीवन से ही उद्भूत हो सकती है।”

ये वाक्य किसी क्रान्तिकारी के नहीं है, सुवारक के भी नहीं। ये शब्द है डिलोय नामक एक कानूनदा के, जिसने फ्रासीभी कानूनों को बनाया है। ये विचार उस आदमी के हैं जो खुद कानूनों का निर्माता और प्रशसक था। फिर भी ये शब्द हमारे समाज की अनियमित दणा का सच्चा चित्र खीचते हैं।

वर्तमान समाज मे जनता इस आशा मे रहती है कि उसके कष्टो का निवारण एक नये कानून के बनते ही हो जायगा । किसी अहितकर और कष्टदायक चीज को स्वयं बदल डालने के बजाय, जनता उसमे परिवर्त्तन करने के लिए कानून की माग करती है । यदि दो गावो के बीच सड़क अच्छी हालत मे नही है तो किसान कहता है, “देहाती सड़को को ठीक करने के लिए एक कानून बनना चाहिए ।” अगर एक जमादार अपने अधीनस्थ मजदूरो की गुलामी की मनोवृत्ति अथवा निर्जीव अवस्था का बेजा फायदा उठाकर उनमे से किसी एक की बेझज्जती कर देता है तो अपमानित व्यक्ति कहता है, “जमादारो को अधिक शिष्ट बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए ।” यदि कृषि अथवा व्यवसाय मे मन्दी है तो किसान और व्यापारी कहते है—“एक सरक्षण कानून की हमे आवश्यकता है ।” बडे-बडे व्यापारियो से लेकर एक छोटे बुलाहे तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नही, जिसको उसके बडे अथवा छोटे रोजगार की रक्खा के लिए कानून की जरूरत न हो । अगर मिल मालिक मजदूरी की दर घटा देता है, अथवा काम के घटे बढ़ा देता है, तो राजनैतिक नेता इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि इस प्रकार के सब अन्यायो को रोकने के लिए एक कानून बनना चाहिए । सक्षेप मे प्रत्येक चीज को ठीक करने के लिए वस एक कानून चाहिए । एक कानून पैशनो के लिए चाहिए, पागल कुत्तो को मारने के लिए भी एक कानून की दखार है, मनुष्य को नैतिकता सिखलाने के लिए एक कानून हो, और एक उन सब वुराइयो को भी दूर करने के लिए, जिनका कारण स्वयं मनुष्य की कायरता और काहिली है ।

इस मनोवृत्ति के कारण क्या है ? हमारी शिक्षा, जो वचपन से ही हमारी क्रान्ति की भावना को कुचलती रहती है और सदा सत्ता के आगे झुकना सिखाती है । हमारा यह समाज भी इसके लिए कम जिम्मेदार नही । जन्म से लेकर मृत्यु तक—हमारी शिक्षा, विकास, प्रेम, सम्बन्ध, मैत्री—सभी सामाजिक सम्बन्ध किसी-न-किसी कानून से नियमित होते है । फल यह हुआ है कि हम लोग गुमराह हो गए है और अगर यही स्थिति कायम रही

तो हम अपनी सब प्रेरक शक्तिया, यहातक कि अपना विवेक भी खो देंगे। आज तो हमारा समाज यह भी नहीं सोच पाता कि विना कानून के गासन के, प्रजातन्त्रीय सरकार और चद शासकों के बगैर, वह जीवित भी रह सकेगा कि नहीं। अगर समाज दासता के कारागार से मुक्त भी हो गया, तो उसका सबसे पहला कार्य हुआ—‘कारागार का पुनर्निर्माण’। फासीसी राज्यक्राति के बाद ‘स्वाधीनता का प्रथम वर्ष’ एक दिन से अधिक नहीं चल सका, क्योंकि उसकी घोषणा करने के दूसरे दिन ही जनता ने अपने को कानून और सत्ता के अधीन सौंप दिया।

सचमुच हजारों वर्षों से हमारे शासकों ने केवल एक ही बात हमारे कानों में डुहराई है—‘कानून का आदर करो—सत्ता की आज्ञा मानो।’ इसी बातावरण में माता-पिता अपने बच्चों को पालते हैं। स्कूल भी इन्हीं विचारों को पल्लवित करते हैं। कृत्रिम विज्ञान के विच्छिन्न भागों को बच्चों के सामने इस चालाकी से रखा जाता है कि मानव-जीवन के लिए कानून की आवश्यकता प्रकट हो। ‘कानून की आज्ञा मानना’ धर्म बना दिया जाता है। नैतिकता और अध्यापकों की आज्ञाओं को अभिन्न कहकर—उन्हें ‘दैवी’ कहार दिया जाता है। स्कूल में वह विद्यार्थी अच्छा माना जाता है जो कानूनों के अनुसार चलता है और कानून के खिलाफ बगावत करनेवालों का विरोध करता है।

इसके बाद जब ये बालक सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो समाज और साहित्य प्रत्येक क्षण उन्हीं धारणाओं को ढूढ़ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी का निरन्तर प्रवाह पत्थर में गड्ढा कर देता है। इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र की पुस्तकें इसी कानून के प्रति श्रद्धा से ही तो भरी हैं। और न्तो-और, भौतिक शास्त्र भी, जो दृष्टिगोचर वस्तुओं पर आधारित ज्ञान है, उसमें भी अर्थशास्त्र के कृत्रिम सिद्धान्तों का प्रवेश कर उसे इस कार्य में सहायक बना दिया गया है। इस प्रकार कानून के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए, समाज ने हमारे विवेक को ही भूल-भुलैयों में डाल दिया है। अखवार भी यही काम करते हैं। उनमें कोई भी लेख ऐसा

नहीं होता जो कानून के लिए आदर की शिक्षा न देता हो, फिर चाहे अगले कालम मे ही 'कानून' की निष्क्रियता के प्रमाण दीख पड़े और यह स्पष्ट हो जाय कि शासक कानून को किस प्रकार दलदल मे घसीटते हैं। इस सबका नतीजा यह हुआ है कि कानून की गुलामी एक गुण हो गया है। मुझे तो शक है कि शायद ही कोई ऐसा क्रातिकारी रहा होगा, जिसने अपने प्रारम्भिक जीवन मे कानूनों की 'रक्षा' की बात न की हो, और उसी सास मे 'कानून' के दोषों के विरुद्ध आवाज न उठाई हो—इस तथ्य को वे भूल जाते हैं कि ये दोष तो कानून के अवश्यम्भावी परिणाम हैं।

कला भी विज्ञान के साथ स्वर-मे-स्वर मिलाती है। मूर्तिकार, चित्रकार अथवा सगीतज्ञ अपनी कलम अथवा छेनी से कानून की रक्षा करते हैं और कानून के विरोध मे सिर उठानेवालों को दबाने के लिए सदा तत्पर और उत्सुक रहते हैं। कानून की देवी के लिए मन्दिर बनाए जाते हैं। तथाकथित क्रातिकारी उस देवी के पुजारियों पर हाथ उठाने से डरते हैं। और क्रान्ति किसी प्राचीन व्यवस्था को ढहाती है, तो ये क्रान्तिकारी एक नये कानून द्वारा ही उस क्रिया को पवित्र करते हैं।

जेमर्रा के व्यवहार को सचालित करने के लिए नियमों का यह अस्त-व्यस्त ढेर—जिसे हम कानून कहते हैं—हमे गुलामी, सामन्तशाही और राजशाही से विरासत मे मिला है। अब तो इसने उन पत्थर के दैत्यों का रूप ले लिया है, जिनके सामने मनूष्य की बलि दी जाती थी और जिनको असभ्य आदमी इस डर से स्पर्श भी नहीं करते थे कि कही उनके ऊपर वज्र न गिर पड़े।

कानून की यह नई उपासना मध्यवर्ग के हाथ में सत्ता आने के बाद—यानी फ्रास की राज्यक्राति के बाद—विशेष सफलतापूर्वक स्थापित हुई है। प्राचीन व्यवस्था मे आदमी कानून की चर्चा कम करता था। हा मौटेस्क्यू, बॉलटेयर, रूसो आदि अवश्य वादशाही स्वेच्छा के विरोध मे कानून का नाम लेते थे। उन दिनों राजा अथवा उसके दासों की आज्ञा मानना आवश्यक था अन्यथा सजा अथवा फासी थी। लेकिन क्राति के दौरान मे और उसके बाद

जब वकीलों के हाथ में शक्ति आई, तो उन्होंने कानून की पवित्रता स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया—इसीके ऊपर उनकी उन्नति निर्भर थी। मध्यवर्ग ने आप जनता के विद्रोह को रोकने के लिए कानून का ही सहारा लिया। जनता के क्रोध और क्षोभ से बचने के लिए धार्मिक पुजारियों ने तुरत ही इस कानून को पवित्र भी घोषित कर दिया। और अन्त में भोली-भाली जनता ने भी, वर्तमान व्यवस्था को पहले की हालत से बेहतर समझकर, स्वीकार कर लिया।

सम्पूर्ण स्थिति को भली-भाति हृदयगम करने के लिए हमें कल्पना द्वारा १८वीं शताब्दी में पहुंचना होगा। फ्रास की राज्यक्रान्ति से पूर्व की स्थिति तो सर्वविदित है। सामन्तों द्वारा निरीह जनता पर अनगिनत जुल्म ढहाये जाते थे। उस भयावह स्थिति में, वास्तव में किसान को इन शब्दों से बड़ी राहत मिली होगी—‘कानून के सामने सब वरावर हैं—प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को कानून की समान रूप से आज्ञा माननी चाहिए।’ गरीबों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। ‘अधिकार’ शब्द से वे अनभिज्ञ थे। अपने मालिक के अत्यन्त धूणास्पद और बाहियात कारनामों के विरोध में उन्हे कभी न्याय नसीब नहीं हुआ था, वस एक ही उपाय उनके पास था कि वे उसे मार डाले और स्वयं फासी पर चढ़ जाय। अब जनता ने देखा कि इस नई घोषणा द्वारा—चाहे सिद्धान्त में ही सही—उसके और मालिकों के अधिकार समान हैं। चाहे यह कानून कुछ भी हो, इसके द्वारा आज्ञा बधी थी कि मालिक और किसान के ऊपर इसका प्रभाव ऐमान रूप से पड़ेगा, न्यायाधीश के सामने गरीब और अमीर कानून के अनुसार वरावर होगे। आज हम जानते हैं कि यह आज्ञा कितनी थोथी थी। लेकिन उस जमाने में तो यह कदम उन्नति की ओर था। इस प्रकार न्याय की अर्चना की गई—उसी तरह जिस तरह कपट द्वारा सत्य की आराधना की जाय। यही कारण है कि जब भयभीत मध्यवर्ग के रक्षकों—रीब्सपियरों और डान्टनों ने रूसों और वॉल्टेयर प्रभृति लेखकों की रचनाओं का आश्रय लेकर घोषणा की कि ‘कानून का आदर करो—प्रत्येक के लिए कानून समान है’—तो

जनता ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। जनता का क्रातिकारी जोश अपने प्रचण्ड दुश्मनों से लडते-लडते लगभग शात हो गया था। इसलिए उसने कानून के जुए के आगे अपनी गर्दन झुका दी, ताकि वे सामन्तों की तानाशाही से तो बच सके।

मध्यवर्ग इस सिद्धान्त का विस्तार करता गया और इससे बेजा फायदा उठाता रहा। 'प्रजातन्त्रीय सरकार' और 'कानून का आदर' वस इन दो शब्दों में ही, मध्यवर्ग के युग—यानी १९वीं शताब्दी—का सम्पूर्ण दर्शन समाया हुआ है। मध्यवर्ग ने इन्हीं सिद्धान्तों का विद्यालयों के द्वारा प्रचार किया। अपने कला और विज्ञान को भी इसी कार्य में लगाया है। सक्षेप में अपने विश्वासों का प्रचार करने के लिए उसने कोई साधन अछूता नहीं छोड़ा। और यह सब इस वर्ग ने इतनी सफलतापूर्वक किया है कि आज गुलाम और पराधीन व्यक्ति अपने मालिकों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया कानूनों को सशोधित कर उनकी रक्षा करे, उन्हीं कानूनों को, जिन्हे इन स्वार्थी मालिकों ने स्वयं बनाया था।

लेकिन अब जमाना बदल रहा है, जनता कुछ समझने लगी है। हर जगह विद्रोह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जनता कानून की आज्ञा मानने के पहले सवाल करती है कि कानून बना कैसे? उसकी उपयोगिता क्या है? और इसके मानने की जरूरत क्या है? आज तो समाज के पवित्रतम आधारों की आलोचना हो रही है और उनमें सबसे पहली चोट इस कानून के ऊपर ही है।^५

कोई विवेकशील व्यक्ति यदि कानून के उद्गम की खोज करे तो उसे मालूम होगा कि असभ्य लोगों के डरों से उद्भूत देवता और उनके अलौ-किक होने की गारटी करनेवाले कुछ धूर्तं, स्वार्थी और चालाक पुजारी ही कानून की जड़ पर हैं। या फिर रक्तपात, तलवार और आग द्वारा विजय से कानून का प्रारम्भ हुआ। यदि कानून का जरा गहरा अध्ययन किया जाय, तो मालूम होगा कि वह मानव-समाज की भाति विकासशील नहीं, वरन् स्थिर है—मानव-समाज के विभिन्न परिवर्तनों के साथ सशोधित और

परिवर्तित होना कानून के लिए असम्भव है। अब जरा कानून की व्यवस्था के विकास का अध्ययन करें। बाइज़ैन्टान जैसो के अत्याचार, धार्मिक गुहाओं द्वारा दी गई यातनाएं, मध्ययुग के अमानुषिक अत्याचार, जल्लादों द्वारा जीवित मास का उतारना, लोहे की जजीरों, हथकड़ी, जेल की मनहूस कोठरियों, दुख, शाप और आँसू—इन सबने मिलकर कानून की व्यवस्था का पोषण किया है। आज भी पहले की भाति ही कानून हथकड़ी, बन्दूक और जेल के बल पर चल रहा है।

और कानून के प्रभाव को भी देख लीजिये। एक ओर है कैंदी—जिसे जानवर बना दिया गया है—उसकी सारी मनुष्यता और नैतिकता छीनकर उसे पिंजड़े का जन्म बना दिया गया है—और दूसरी तरफ है न्यायाधीश, जो मनुष्य के सम्पूर्ण स्वाभाविक गुणों को छोड़कर कानून की मसनूई दुनिया में विचरण कर रहा है। इसे जेल और फासी की सजा देने में ही आनन्द आरहा है, अपने निर्मम पागलपन में वह एक क्षण के लिए नहीं सोच पाता कि जिनको वह सजाए दे रहा है, उनकी नजरों में स्वयं उसका कैसा गहरा पतन हो गया है।

कानून बनानेवालों का एक बड़ा समुदाय पैदा हो गया है। वे कानून बनाते ही चले जाते हैं—एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते कि आखिर ये कानून हैं किसलिए? स्वच्छता के नियमों से नितान्त अनभिज्ञ होते हुए भी ये आज शहरों की सफाई के कानून बनाते हैं, कल फौज के लिए अस्त्र-शस्त्रों का कानून बनाते हैं—जब वे स्वयं इतना भी नहीं जानते कि बन्दूक क्या बला है। वे लोग जो स्वयं कभी एक दिन के लिए भी अध्यापक नहीं रहे, शिक्षा और अध्यापन के विषय में कानूनों की रचना करते हैं। इस प्रकार हर चीज के लिए कानून बनते चले जाते हैं—वस निर्माताओं का सिर्फ एक वात की ओर निरन्तर ध्यान बना रहता है—गरीबों के लिए जेल और फासी की व्यवस्था। और वास्तव में जिन लोगों को ये सजाए दी जाती हैं, वे इन कानून बनानेवालों से हजार दर्जे कम अनैतिक हैं।

कानून के परिणामों की अन्तिम कड़िया है जेलर, जो अपने सब

मानवीय भावों को दिन-प्रति-दिन छोड़ता जा रहा है, जासूस, जिसे शिकारी कुत्ता बना दिया गया है, और खुफिया पुलिस का आदमी, जो स्वयं से ही घृणा करने लगा है। चुगली को गुण मान लिया गया है और अष्टाचार व्यवस्थित कर दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य-समाज की सम्पूर्ण बुराइयों और कमजोरियों को सर्वर्धन और प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे कानून की विजय हो सके। हमें कानून के ये परिणाम स्पष्ट दीख रहे हैं और इसीलिए वजाय पुराने सिद्धान्त के निरर्थक रहने के कि “कानून का आदर करो” हम घोषणा करते हैं—“कानून और उसके सरजाम से घृणा करो।” “कानून की आज्ञा मानो”—इस कायरतापूर्ण वाक्य के स्थान पर हमारी आवाज है—“सब कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर दो।”

आप केवल एक बार मानव-समाज के ऊपर कानून के उपकारों और उसके नाम पर किये गए दुष्कृत्यों और अनाचारों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिये और फिर आपको निर्णय करने में देर न लगेगी कि सत्य क्या है।

यदि हम इतिहास देखें तो मालूम पड़ेगा कि कानून नैसर्गिक नहीं, वरन् आधुनिक युग की देन है। अनेक युगों तक विना किसी लिखित कानून के मनुष्य समाज का कार्य सुगमतापूर्वक चलता रहा—उन दिनों मन्दिरों के ऊपर खुदे हुए अक्षर भी नहीं थे। मानव-समाज के बीच आपसी सम्बन्धों का नियमन केवल रीति-रिवाजों द्वारा होता था और ये रीति-रिवाज निरन्तर व्यवहार में आने के कारण पवित्र हो गए थे, प्रत्येक व्यक्ति वचपन ही में इन्हे सीख लेता था—उसी तरह जिस तरह वह शिकार, खेती अथवा गोपालन द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करना सीखता था।

सम्पूर्ण मानव-समाज इस पुरातन युग में से गुजरा है और आज भी मानव-समाज के एक वडे भाग के पास कोई लिखित कानून नहीं है। इनमें प्रत्येक के पास अपने स्वयं के लोकसिद्ध रीति-रिवाज हैं, उसके कुछ सामाजिक व्यवहार हैं, जो उस जाति के आदमियों के बीच ठीक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए काफी हैं। हमारे सभ्य राष्ट्रों में भी, अगर हम वडे गहरों से

हटकर गावो मे जाय तो देखेंगे कि वहाके निवासियो के आपसी सम्बन्ध पुरानी और लोकसिद्ध रीतियो के आधार पर ही चलते हैं, व्यवस्थापिका सभाओं परा निर्मित कानून वहा फिजूल है। रूस, इटली, स्पेन के किसानों को—फ्रास और डरलैण्ड के भी अविकाश किसानों को—लिखित कानून की कोई कल्पना नहीं। यह कानून तो उनके जीवन मे निरर्थक ही आ टपकता है। उनके आपसी सम्बन्ध—और कभी-कभी तो ये बड़े जटिल होते हैं—सदा पुरानी रीतियो के अनुसार ही चलते हैं। और हम देख चुके हैं कि प्राचीन युग मे तो सम्पूर्ण मानव-समाज का इसी भाति मचालन होता था।

प्राचीन काल के समाज के रस्म-रिवाजो का यदि हम अध्ययन करें तो हमें दो भिन्न-भिन्न प्रकार की व्यवस्थाए दीखती हैं।

चूंकि मनुष्य स्वभावत सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसमें कुछ ऐसी आदतों और भावनाओं का विकास हो जाता है जो समाज को जीवित रखने और जाति के सवर्धन के लिए आवश्यक व लाभदायक है। यदि मनुष्य में सामाजिक भावनाओं का अभाव होता तो सम्मिलित जीवन ही असम्भव था। ये सामाजिक भावनाए कानूनो द्वारा नहीं आईं, वे तो कानूनो के जन्म के पहले की हैं, और न वे धर्म के कारण हैं—धर्मों के पूर्व भी वे थीं। ये सामाजिक भावनाए तो प्राणि-भाव मे विद्यमान हैं। वे स्वयं विकसित होती हैं, उसी भाति जिन तरह जानवरो में महज ज्ञान आ जाता है। वास्तव में ये सामाजिक भावनाए तो विकास के मिद्दान्त के अनुसार उद्भूत हैं, ताकि समाज अपने जीवन-सघर्ष में एक बना रह सके। असभ्य जातियों अपना अन्त जाति में ही एक-दूसरे को खाकर नहीं कर लेती। वे जानती हैं कि अन्ततः यह कहीं अधिक लाभदायक होगा कि वे खेती करें, बजाय इनके कि वे लाल में एक दफा अपने किमी वृद्ध सम्बन्धी को खा लें। अनेक यात्रियों ने विल्कुल स्वतंत्र जातियो के सगठन का वर्णन किया है, उनमे न कोई सरदार है और न कानून। उन्होंने लिखा है कि उन जातियो के आदमियों ने आपसी झगड़ो में एक-दूसरे को मार टालना छोट दिया है। इनका कारण है नामहिक जीवन के अवद्यम्भावी परिणामस्वरूप उनमे भ्रातृत्व और एकता की

भावनाएं विकसित हो गई हैं। और अब वे अपने ज्ञानों को सुलझाने के लिए एक तीसरे व्यक्ति की सहायता लेना अधिक अच्छा समझते हैं। आतिथ्य-भावना, मनुष्य-जीवन के प्रति श्रद्धा, प्रत्युपकार करने की इच्छा, कमज़ोर के प्रति दया, साहस—यहांतक कि दूसरों के लिए स्वयं अपने को बलिदान करने की भावना (जिसका प्रारम्भ अपने बच्चों और मित्रों से होकर अन्त में सम्पूर्ण समाज के लिए हो जाता है) —ये सब गुण मनुष्य में—अन्य सामाजिक प्राणियों की भाति कानूनों से पहले और विना किसी धर्म के—विकसित होते हैं। इस तरह की भावनाएं और रीतिया सामाजिक जीवन की अवश्यम्भावी परिणाम हैं। वे मनुष्य में नैसर्गिक नहीं, जैसाकि पुरोहित और आध्यात्मिक लोग बतलाते हैं, बल्कि वे सामूहिक जीवन के परिणाम-स्वरूप हैं।

सामाजिक जीवन और जाति की रक्षा के लिए आवश्यक इन रीतियों के साथ-ही-साथ कुछ दूसरी तरह की इच्छाएं, आंदोलने और रीतिया भी विकसित हो जाती हैं। दूसरों के ऊपर हुकूमत करने और अपनी इच्छा थोपने की कामना, निकटवर्ती जाति की मेहनत की उपज को लूटने की लिप्सा, अपने लिए भोग-विलास की सामग्री इकट्ठा करने का मोह—ये सब स्वार्थी इच्छाएं—एक दूसरी प्रकार की आदतों और रीतियों को जन्म देती हैं। पुरोहित और धूर्त पडित, जो जनता के मिथ्या विश्वासो से फायदा उठाते हैं, तथा जो स्वयं शैतान के भय से मुक्त रहकर उसे दूसरों में विकसित करते हैं और सिपाही, जो पड़ोसियों के ऊपर हमले और लूटमार कराते हैं, ताकि वे स्वयं युद्ध से धन और दास लेकर लौट सकें, इन दो वर्गों ने मिलकर समाज के ऊपर ऐसी रीतिया थोप दी है जो इनके स्वयं के लिए तो लाभदायक है, लेकिन जनता को गुलामी की जजीरों से कस देती है। जन-सावारण के भय, आलस्य और अकर्मण्यता से फायदा उठाकर पुरोहित और सिपाही ने ऐसी असामाजिक रीतियों को समाज में पूर्णतः स्थापित कर दिया हैं और इस प्रकार अपनी सत्ता को स्थायी कर लिया है। इस कार्य में इन पुरोहितों और सिपाहियों ने परम्परा के प्रति जनता की श्रद्धा से पूरा लाभ उठाया

होगा। बच्चों और असभ्य जातियों में यह प्रवृत्ति हृद कर्जे तक पाई जाती है। जानवरों में भी यह मौजूद रहती है। जहाँ मनुष्य में थोड़ा भी अन्धविश्वास आया वह स्थापित व्यवस्था में नई चीजों के प्रवेश से डरने लगता है और जो-कुछ भी परम्परागत है, उसको पवित्र मानकर वह उसकी पूजा करने लगता है। युवक जब कभी मौजूदा व्यवस्था में परिवर्त्तन की इच्छा प्रकट करते हैं तो वृद्ध उनसे यही कहते हैं—“हमारे पूर्वज ऐसा ही करते चले आये हैं—उन्होंने तुम्हे पाला-पोसा, वे खूब सफल रहे, इसलिए अब तुम भी वैसा ही करो।” किसी भी अज्ञात और अपरिचित चीज से उन्हे डर लगता है, और वे अपने भूत से ही चिपके रहना चाहते हैं—वाहे उस भूत के मानी गरीबी, गुलामी और अत्याचार ही क्यों न हो।

यह भी कहा जा सकता है कि जितनी हीन और गिरी अवस्था में मनुष्य होता है, उतना ही अधिक वह प्रत्येक प्रकार के परिवर्त्तन से डरता है। उसे शका रहती है कि कहीं उसकी हालत और भी बदतर न हो जाय। इसके पूर्व कि मनुष्य पुरानी व्यवस्था को भी खतरे में डालने का साहस कर सके, और श्रेष्ठतर व्यवस्था की इच्छा कर सके, यह आवश्यक है कि उसके निराश वातावरण में आशा की एक किरण प्रवेश करे। जबतक उसमें आशा का सचार नहीं होता और जबतक वह उन लोगों की गुलामी से मुक्त नहीं होता, जो उसके अधिकारी और भय से फायदा उठा रहे हैं, वह अपनी पैहली हालत में ही रहना अधिक पसन्द करता है। अगर उनमें से कुछ युवक परिवर्त्तन की आकाश्वासनी करते हैं तो उनके वृद्ध लोग युवकों का विरोध करते हैं। कुछ असभ्य जातियाँ तो जीवन त्याग देगी, लेकिन अपनी पुरानी रीतियों को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अपनी बाल्यावस्था से ही वे सुनती आ रही हैं कि स्थापित व्यवस्था में किंचित परिवर्तन के कारण भी, उनके ऊपर अपार दुख पड़ेगे और उनकी सम्पूर्ण जाति नष्ट हो जायगी। आज भी अनेक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और तथाकथित क्रान्तिकारी इन्हीं सस्कारों के प्रभाव में काम करते हैं और नष्टप्राय भूत से चिपके रहना चाहते हैं। वहाँतेरे इस प्राचीन व्यवस्था में ही आदर्शों की खोज करते हैं और अनेक क्रान्तिकारी

केवल पिछली क्रान्तियों का अध्ययन कर उनकी नकल करने के प्रयत्न में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं।

परम्परा की भावना का जन्म अधिविश्वास, अकर्मण्यता और कायरता से होता है। यही भावना अत्याचारों का आधार-स्तम्भ रही है। पुरोहितों और सिपाहियों ने इस भावना का खूब फायदा उठाया। उन्होंने उन्हीं रीतियों को बढ़ावा दिया जो स्वयं के लिए लाभदायक थी और फिर उनको मम्पूर्ण जाति के ऊपर थोप दिया। इसी भावना का फायदा उठाकर नेताओं ने गरीबों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली। लेकिन जबतक मनुष्यों के बीच असमानताएं केवल कार्यविधि पर निर्भर थी और वे शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण के कारण कठोर और स्थायी नहीं हुई थी, कानून तथा उसके भयावह सरजाम—यानी न्यायाधीश और जेलों की कोई आवश्यकता नहीं थी।

लेकिन जैसे ही समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें एक आधिपत्य जमाने की और दूसरा उससे बचने की कोशिश करता, विश्रह का सूत्रपात हो गया। अब विजेता को युद्ध में प्राप्त लूट को स्थायी बनाने की चिन्ता हुई और तदर्थं उसने लूट की सम्पत्ति को झगड़े से परे करने के लिए उसे पवित्र और आदरणीय बनाने का प्रयत्न किया। पुरोहित ने सभे योग दिया और उसने लूट को जायज और पवित्र घोषित कर दिया। सर्वप्रथम कानून का इस प्रकार उदय हुआ। इस कानून का प्रधान उद्देश्य था—ऐसी रीतियों को स्थायी करार देना, जो सत्ताधारियों के फायदे की थी। सैन्य बल द्वारा इस कानून की आज्ञापालन कराई गई। इस कानून ने सिपाही की शक्ति को और भी मजबूत बना दिया, अब उसके पास केवल पाश्विक बल ही नहीं था—वह कानून का रक्षक भी हो गया।

यदि कानून में केवल शासकों के लाभ की बाते होती तो उसके स्वीकृत और पालन कराने में थोड़ी असुविधा होती। इसलिए व्यवस्थापकों ने रीतियों की दोनों धाराओं को एक ही शास्त्र (कोड) में रख दिया। पहले नैतिकता और एकता की भावना के सिद्धान्त, जो भासूहिक जीवन के कारण

उत्पन्न हुए थे, रखे गए, और इनके साथ ही वे आज्ञाएं लिपिबद्ध कर दी गईं जो असमानता को स्थायी करने के लिए प्रचारित की गईं थीं। इस प्रकार ये रीतिया जो समाज के जीवित रखने के लिए नितान्त आवश्यक थी, शास्त्र (कोड) में बड़ी ही चालाकी से उन आज्ञाओं के साथ मिला दी गईं जो शासकों ने समाज के ऊपर थोप दी थीं। फिर जनता से इन दोनों प्रकार की रीतियों का समान रूप से आदर करने को कहा गया। शास्त्र कहता है—“किसीको मत मारो” और उसके बाद तुरन्त ही लिखा है—“और पुरोहित को टैक्स दो।” शास्त्र में लिखा है, “चोरी मत करो” और इसी का उत्तरार्थ है—“जो टैक्स देने से इन्कार करेगा उसके हाथ काट डाले जावेंगे।”

कानून के विकास की यही कथा है और उसकी यह दुरगमी प्रकृति अब तक कायम है।

हमने देखा कि कानून का उद्गम शासक वर्ग की इस इच्छा में है कि वे रीतिया, जो उसके स्वय के लिए लाभदायक है और इसलिए जनता के ऊपर थोप दी गई है, सदैव बनी रहे। और इस कानून-शास्त्र की विशेषता यह है कि वे रीतिया जो समाज के लिए लाभदायक है और समाज में जिनके समाहृत होने के लिए कानून की जरूरत नहीं, उन दूसरी रीतियों के साथ मिला दी गई जो केवल शासकों के स्वार्थ की है, जनता के लिए हानिकारक है और जो इसलिए केवल सजा के डर से ही चल सकती है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति और कानून एक बात में बिलकुल समान हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति का जन्म हिसा और दगावाजी में और विकास सत्ता के सरक्षण में होता है। और जनता इन दोनों को कभी भी आदर की दृष्टि से नहीं देख सकती। जिस दिन जनता अपनी गुलामी की जजीरों को तोड़ने का निश्चय करेगी, हिसा और अधिकारियां से उत्पन्न तथा पुरोहित और शोषक अमीरों द्वारा सर्वाधित इस कानून को तहस-नहस कर देना होगा। हमें यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जायगी—जब हम तत्त्व निरूपण करके देखेंगे कि किस प्रकार धर्म, सत्ता और वर्तमान प्रजातंत्रीय सरकार

के संरक्षण में कानून का विकास हुआ है।

हम देख चुके हैं कि किस प्रकार स्थापित रीति-रिवाजों में से कानून की उत्पत्ति हुई और कैसे प्रारम्भ से ही कानून में मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक सामाजिक आदतें उन रीतियों के साथ मिला दी गईं जो कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने जनता के अधिविश्वास का फायदा उठाएं कर अपनी सत्ता जमाने के लिए समाज पर थोप दी थी। आगे चलकर राज्य के विकास के दौरान में कानून के इस दुरगोपन ने उसके विस्तार को प्रभावित किया है। जहा सामाजिक जीवन के लिए लाभदायक और आवश्यक सिद्धान्तों में बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है, वहा कानून के दूसरे भाग को तत्कालीन शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थ-लाभ के लिए खूब विकसित किया गया है।

समय-समय पर इस सत्तावारी वर्ग ने शोषित जनता के विद्रोह करने पर ऐसे कानून भी दे दिये हैं जो पिसते हुए समाज को संरक्षण देते प्रतीत होते हैं। लेकिन इस प्रकार के कानूनों ने केवल पुराने शोषक कानूनों का खंडन किया है। वकिल ने कहा है कि “सर्वश्रेष्ठ कानून वे ही थे, जिनसे पूर्ववर्ती कानून रद्द हुए।” लेकिन जनता को कितने भगीरथ प्रयत्न करने पड़े हैं और कितनी खून की नदिया वही है, जब कभी गुलामी की जजीरों में वाधनेवाले इन मौलिक कानूनों के खंडन का सवाल उठाया है। सामन्ती अधिकारों और गुलामी के अवगेषों को उखाड़ने और शाही दरवार की ताकत को तोड़ने में फ्रांस को ४ वर्ष क्रान्ति और २० साल तक युद्ध करना पड़ा था। छोटे-से-छोटे अन्यायपूर्ण कानून को रद्द कराने में भी वर्षों संघर्ष करना पड़ा और फिर भी क्रान्ति के चार वर्षों के बाद वे फिर जीवित हो गए यानी केवल क्रान्ति के दौरान में वे प्रयोग में नहीं लाये गए।

साम्यवादियों ने व्यवितरण सम्पत्ति की उत्पत्ति का इतिहास कई बार दुहराया है। उन्होंने दिखलाया है कि किस प्रकार युद्ध और लूट, दासता और गुलामी, शोषण और धूर्तता से व्यवितरण सम्पत्ति का प्रारम्भ और

विकास हुआ है। उन्होंने दिखलाया है कि कैसे मजदूरों के खून से उसका पोषण हुआ है और किस प्रकार उसने सम्पूर्ण मसार को अपने कब्जे में किया है। कानून के जन्म और विकास का वही इतिहास हमें कहना है। जैसाकि स्वाभाविक था, जनता की सहज बुद्धि किताबी विद्वानों से आगे बढ़ गई है। जनता ने कानून के इस इतिहास को अब भली-भाति समझ लिया है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति की भाति कानून का भी विकास लूट, गुलामी और शोषण के परिणामों को स्थायी करने के उद्देश्य से हुआ है। जुडवा भाई-बहनों की तरह कानून और व्यक्तिगत सम्पत्ति साथ-ही-साथ बढ़े हैं और मनुष्य-जाति के दुखों के बढ़ाने में एक-दूसरे के पूरक हैं। यूरोप के प्रत्येक देश में उनका इतिहास लगभग एक-सा ही है। उनमें फर्क केवल छोटी-छोटी बातों में है—मूलतः दोनों का इतिहास एक-सा ही है। फ्रास अथवा जर्मनी में कानून के विकास के इतिहास पर नजर डालना मानो यूरोप के अधिकाश देशों में उसके विकास को जानना है।

प्रारम्भिक अवस्था में कानून एक राष्ट्रीय समझौता था। यह सच है कि यह समझौता अक्सर जनता आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। प्रारम्भ में भी सत्ताधारी अमीर लोग गरीबों के ऊपर अपनी इच्छा थोपते थे। लेकिन उन दिनों जनता इसका प्रबल विरोध करती थी और अक्सर शोषकों को अपनी शक्ति महसूस करा देती थी।

लेकिन जब एक और धर्म और दूसरी ओर सरकारों ने जनता को मुलामी की दुहरी जजीरों से कम लिया, तो कानून बनाने का अधिकार सम्पूर्ण राष्ट्र के हाथों से निकलकर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के पास पहुंच गया। अपने कोषों में सचित धन के बल पर धर्म ने अपनी सत्ता को जमाया। व्यक्तिगत जीवन में उसने और भी अधिक हस्तक्षेप करना शुरू किया और आत्माओं के बचाने का वहाना लेकर उसने गुलामों की मेहनत की उपज पर कब्जा किया। उसने प्रत्येक वर्ग के आदमियों से टैक्स उगाहे, अपने अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत किया, और खूब सजाए दी। संकड़ों व्यक्तियों

को धार्मिक सत्ता के विरुद्ध अपराधी घोषित करें उनसे जुर्माने वसूल किये और इस प्रकार अपनी सम्पत्ति बढ़ाई। इन धार्मिक कानूनों के विषय में फ्रासीसी कानून के एक इतिहास लेखक ने ठीक ही लिखा है—“स्पष्टतः ये कानून जनता के प्रतिनिधियों के बजाय धर्मान्धो के गुट द्वारा बनाये गए प्रतीत होते हैं।”

धर्म के इन ठेकेदारों के साथ-ही-साथ सामंतों ने किसानों और मजदूरों पर अपनी सत्ता जमाई, और वे सम्पूर्ण समाज के विधि-निर्माता और न्यायाधीश हो गए। दसवीं शताब्दी में निर्मित कानूनों को हम देखें। इनके द्वारा सामंतों और गुलामों के बीच मजदूरी, बेकारी और टैक्स आदि का नियमन होता था। इन कानूनों को जरा गौर से देखने से ही स्पष्ट हो जायगा कि इनके बनानेवाले लोग चन्द्र लुटेरे थे। वे सगठित हो गए थे। और चूंकि जनता खेती की ओर ध्यान देने के कारण शातिप्रिय हो गई थी, ये लुटेरे अपने काम में सफल हो गए। इन स्वार्थियों ने जनता की स्वाभाविक न्यायप्रियता का फायदा उठाया और अपनेको न्याय के ठेकेदारों के रूप में उपस्थित किया। उन्होंने कानून के मौलिक सिद्धान्तों को अपनी व्यक्तिगत आमदनी का जरिया बनाया और अपने आधिपत्य को कायम रखने के लिए अनेक कानून बना डाले। कालान्तर में कानूनदा लोगों ने इनको इकट्ठा कर विभाजित कर दिया और इस प्रकार हमारे वर्तमान कानून शास्त्र की रचना हुई। क्या पुरोहितों और सामन्तों के निजी स्वार्थों से परिपूर्ण इन कानून शास्त्रों का हम आदर करे?

पहली क्रान्ति—यानी शहरी जनता का विद्रोह—इन कानूनों के केवल एक हिस्से को ही बदलवाने में सफल हुई। मताधिकार-प्राप्त नगरों के अधिकार-पत्र सामन्ती कानूनों में थीड़े-से परिवर्तन ही कराने में सफल हुए। लेकिन फिर भी इन मताधिकार-प्राप्त नगरों के कानूनों में और हमारे वर्तमान कानूनों में कितना अधिक अन्तर है? उन दिनों नगरों ने नागरिकों को गिरफ्तार करने अथवा फासी देने का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लिया था। वे इतनी सत्ता से ही सन्तुष्ट थे कि नगर के खिलाफ पड़यनकारियों को नगर

से निकाल दे और उनके घर गिरवा दे । उनके अधिकार तथाकथित अपराधों और अनाचारों पर जुर्माना करने तक ही सीमित थे । और वारहवी शताब्दी में नेगरों में वह उचित सिद्धान्त भी प्रचलित था कि किसी एक आदमी के अपराध के लिए सम्पूर्ण नगर को दोषी ठहराया जाता था । आज यह सिद्धान्त भुला दिया गया है । उस जमाने में अपराध सम्पूर्ण समाज के लिए एक दुर्घटना अथवा दुर्भाग्य समझा जाता था । यही विचार आजतक रूसी किसानों में प्रचलित है । इसीलिए वे लोग बाइबिल में प्रतिपादित व्यक्तिगत तौर पर बदला लेने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे । उनके विचार से प्रत्येक अपराध का जिम्मा सम्पूर्ण समाज पर पड़ता था । बाइजैन्टाइन धर्म के प्रभाव में निरन्तर रहने के कारण ही पश्चिम में पूर्वी तानाशाही की क्रूरता आई । और उसीके प्रभाव के कारण गैल और जर्मन लोगों में तथाकथित अपराधियों को भृत्य-इण्ड और अन्य भयकर सजाए देने की प्रथा आई । उसी तरह रोम के कानून शास्त्र के—जो वहा के साम्राज्यवाद के भ्रष्टाचार का फल था—प्रभाव में रहने के कारण जमीन के ऊपर एकाधिपत्य के विचार आए । इन सब विचारधाराओं ने प्राचीन युगों की साम्यवादी रीतियों को नष्ट कर दिया ।

हम जानते ही हैं कि स्वतंत्र नगर अपने ढग पर नहीं चल सके । अमीर और गरीब, साहूकार और गुलामों के आपसी झगड़ों के कारण वे शीघ्र ही राजकीय शासन के अधीन हो गए । और जैसे-जैसे राज्य अधिक शक्तिशाली होता गया, कानून बनाने की शक्ति दरखारी गुट के हाथों में पहुंचती गई । अब यदि राजा नये टैक्स लगाता, तो राष्ट्र के प्रतिनिधियों से स्वीकृति ली जाती । और नये टैक्सों की स्वीकृति देनेवाले कौन थे ? राजा की स्वेच्छा अथवा सनक के अनुसार विवान सभाएं बुलाई जाती और वह भी दो-दो शताब्दियों बाद । उनके सदस्य थे बड़े-बड़े सामंत और मत्री—जिन्हे शायद ही कभी ‘राजा की प्रजा’ के दुखों और अभावों की ओर ध्यान देने की फुर्सत मिलती हो । ये लोग थे, जो फ्रास के लिए कानून बनाते थे ।

कालान्तर में नये टैक्स लगाने की शक्ति भी केवल एक ही व्यक्ति के

हाथ मे केन्द्रित हो जाती है। वह कह सकता है—“मैं ही राज्य हूँ।” फिर राजा की ‘गुप्त सभाओ’ मे मत्री अथवा अंशकृत राजा की सनको के अनुसार कानून बनते हैं। और प्रजा को इन कानूनो के मानने के लिए बाध्य किया जाता है, नहीं तो मौत की सज़ा है। अब न्याय की दुहाई खत्म हो जाती है और सम्पूर्ण राष्ट्र राजा और उसके चद दरबारियो का गुलाम बन जाता है। आइये, उस जमाने की भयकर सजाओ को भी देखें। तथाकथित अपराधियों को गाड़ी के पहियो के नीचे ढाल दिया जाता था, उनके कन्धो पर गाड़ी का जुआ रखा जाता था, कोडे लगाये जाते थे और तरह-तरह की यातनाएँ दी जाती थीं, और ये सजाए सत्ताधारियो के मनोविनोद का साधन थीं।

फ्रास की महान् राज्य-क्रान्ति ने कानून के इस ढाचे को, जो सामन्त-शाही और राजशाही ने विरासत मे छोड़ा था, नष्ट करना शुरू किया। क्रान्तिकारियो ने इस पुरानी इमारत के थोड़े-से हिस्से को ही नष्ट किया था कि उन्होने यह काम मध्यम वर्ग के शहरी आदमियो को सौंप दिया। और इन व्यक्तियो ने कानून का एक नया ढाचा बनाना प्रारम्भ कर दिया। उनका उद्देश्य था गरीबो के ऊपर अपनी हुकूमत जमाना। अब विधान सभा, ने हर चीज के लिए कानून बनाना प्रारम्भ कर दिया। कानूनो के ढेर लग गए। और ये कानून थे क्या ?

इनमें से अधिकाश का एक ही उद्देश्य था, व्यक्तिगत पूजी, चद व्यक्तियो द्वारा शोष समाज के शोषण से सचित सम्पत्ति, की रक्षा करना। उनका उद्देश्य था शोषण के लिए नये क्षेत्र तैयार करना। और जैसे-जैसे पूजी, राज्य के विभिन्न कार्य, जैसे रेल, तार, विजली, रासायनिक उद्योग, साहित्य, विज्ञान, आदि पूजीपतियो के कब्जे मे पहुचते गए, शोषण के इन नये तरीकों पर कानूनो ने अनुमति की मुहर लगा दी। इस प्रकार कानून शोषण द्वारा उपार्जित धन के ऊपर चंद व्यक्तियो के एकाधिपत्य की व्यवस्था को चलाने मे सहायक हुए। मजिस्ट्रेट, पुलिस, फौज, गिर्का, अर्थ-विभाग, सब कैदल एक ही आराध्य देव की सेवा करते हैं—यानी व्यक्तिगत पूजीवाद। सबका कैदल एक ही उद्देश्य है—चंद पूजीपतियो द्वारा किसानो और मजदूरो का

शोषण सुगम करना। अवतक जितने कानून बने हैं, उनका अध्ययन कर लीजिये। आप इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।

कानूनों के समर्थक कहते हैं कि कानून का उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा है। लेकिन जरा गौर से देखने पर मालूम पड़ेगा कि ये रक्षात्मक कानून सम्पूर्ण कानून-शास्त्र में अत्यन्त अल्प है। वास्तव में वर्तमान समाज में घृणा अथवा अमानुषिकता के कारण शायद ही एक व्यक्ति दूसरे पर आक्रमण करता हो। आजकल यदि कोई दूसरे को मारता है तो उसका उद्देश्य होता है उसे लूटना। व्यक्तिगत बदले के कारण हत्याए एकाध ही होती है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है। यदि इस प्रकार के अपराध और अकर्म कम होते जा रहे हैं, तो निश्चय ही इस परिवर्तन का कारण कानून नहीं है। इसका कारण है—हमारे समाज में मनुष्यता और सामाजिकता का विकास। कानून-शास्त्र की विभिन्न धाराओं का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप एक साथ व्यक्तिगत रक्षा से सम्बन्धित सब कानूनों को हटा दीजिये और हमलों के विरुद्ध सब कार्रवाहियों को खत्म कर दीजिये—फिर भी आप देखेंगे कि व्यक्तिगत प्रतिशोध अथवा अमानुषिकता के कारण हमलों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

कानूनों के समर्थक यह भी कह सकते हैं कि पिछले ५० वर्षों में जनता के लिए अनेक लाभदायक कानूनों का निर्माण हुआ है। जरा गौर से देखने पर मालूम पड़ जायगा कि प्रत्येक ‘लाभदायक कानून’ का अर्थ थोड़े शब्दों में यह है—“उन कानूनों को रद कर देना जो स्वयं मध्यम वर्ग के लिए कष्टप्रद हो गए थे, अथवा हृद-से-हृद नागरिकों को उन अधिकारों की प्राप्ति जो बारहवीं शताब्दी में उन्हे प्राप्त थे।” फासी की सजा का बन्द होना, सब अपराधों के लिए ‘जूरी’ द्वारा मुकदमे की व्यवस्था, मजिस्ट्रेटों का चुनाव, अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार, वडी-वडी फीजों का हटाया जाना, नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था नवा अन्य सुविधाए कानून-निर्माताओं की उदारता के परिणामस्वरूप बताई जाती है। लेकिन ये तो वे सहूलियते हैं जो राजा और धार्मिक पुरोहितों के हाथ में नत्ता आने के पहले सम्पूर्ण समाज को प्राप्त थीं।

इस प्रकार हम स्पष्ट हैं कि हमारे वर्तमान कानून-शास्त्रों का सार और उद्देश्य सिर्फ़ शोषण को सरक्षण देना मात्र है। यही एक कार्य हमारी खर्चीली विधान सभाएँ करती हैं। अब समय आ गया है कि हम केवल नारे लगाने से सन्तुष्ट होना छोड़ दे और कानूनों की असलियत को पहचाने। कानून-शास्त्र पहले किसी युग में सामाजिक जीवन के लिए आवश्यकीय रीतियों का संग्रह रहा होगा। आज तो वह सिर्फ़ आलसी अमीरों द्वारा मेहनत करनेवाली जनता का शोषण और उसके ऊपर हुकूमत जारी रखने का एक साधन-मात्र है। आज तो कानून-शास्त्र का मनुष्य जाति की सम्मति से कोई तालिक नहीं, उसका केवल एक ही उद्देश्य है—शोषण को बढ़ाना।

कानून के विकास का इतिहास भी हमें यही बताता है। क्या फिर भी कानून की इज्जत करने की बात दुहरावे? कदापि नहीं। व्यक्तिगत सम्पत्ति—डकैती का परिणाम कहना अधिक सच होगा—की भाति कानून भी हमारी इज्जत का हकदार नहीं। और क्राति का सबसे पहला कर्तव्य होगा कि पूजी के ऊपर सब व्यक्तिगत अधिकारों को समाप्त करना और तमाम मौजूदा कानूनों को नष्ट कर देना।

मनुष्य-जाति के कार्यों को नियमित करने के लिए लाखों कानून हैं। वे तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं, पूजी का सरक्षण, व्यक्तियों की रक्षा और सरकार की रक्षा। यदि इन सब कानूनों को बारीकी से देखे तो हम केवल एक ही तर्कसंगत और अवश्यम्भावी निष्कर्ष पर पहुचेंगे—कानन विलकुल व्यर्थ है और मनुष्य-जाति के लिए धातक है।

साम्यवादी जानते हैं कि पूजी की रक्षा के क्या मानी होते हैं। पूजी सरक्षण सम्बन्धी कानून व्यक्ति अथवा समाज को उसकी मेहनत की उपज की गारंटी हर्गिज नहीं करते। इसके विपरीत उनका उद्देश्य होता है कि सानों और मजदूरों के उत्पादन में से लूट को जायज़ करार देना। इन कानूनों की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि उत्पादकों तथा सम्पूर्ण समाज से

लटकर जो सम्पत्ति चद स्वार्थियों ने इकट्ठी करली है, उसे सुरक्षित और पवित्र मान लिया जाय। मिसाल के लिए जब कानून कहता है कि अमुक मकान के ऊपर इस व्यक्ति का अधिकार है, तो बात ऐसी नहीं है कि उस व्यक्ति ने अपने मकान को स्वयं अथवा अपने मित्रों की सहायता से बनाया है और इसलिए मकान के ऊपर उसका अधिकार न्यायसंगत है। उस हालत में उक्त मकान के ऊपर उस व्यक्ति के अधिकार का कोई विरोध भी नहीं करता। लेकिन इसके विपरीत यहा तो कानून ऐसे व्यक्ति को उस मकान के ऊपर अधिकार दे रहा है, जो उसकी मेहनत से नहीं बना है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने यह मकान दूसरों से बनवाया है, जिन्हे उसने मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं दिये। और फिर उस मकान की कीमत सामाजिक कारणों से है, जिनका वह व्यक्ति कभी निर्माण कर ही नहीं सकता। इस प्रकार कानून उक्त व्यक्ति को अधिकार उस चौंक के ऊपर दे रहा है, जो समान रूप से सबकी है, और उसपर किसीका भी विशेषाधिकार नहीं। यही मकान यदि साइबेरिया में बनाया गया होता, तो उसका वह मूल्य नहीं होता जो एक बड़े शहर में स्थित होने के कारण है। वास्तव में मकान की बढ़ी हुई कीमत के कारण तो वे मजदूर हैं, जिन्होंने पिछले सैकड़ों वर्षों में उस नगर को बसाया है, और अपना खून-पसीना बहाकर उसे सुन्दर बनाया है, पानी और रोशनी का प्रबन्ध किया है, और वहा अच्छी सड़को, कालेज, थिएटर, दूकानों, रेल आदि की व्यवस्था की है। इस प्रकार लन्दन, पेरिस अथवा रोम में किसी मकान के ऊपर एक व्यक्ति-विशेष का अधिकार स्थापित करके कानून गरीब जनता की मेहनत के फल को अन्यायपूर्वक एक लुटेरे के कब्जे में दे रहा है। पूजी के ऊपर इस प्रकार के विशेषाधिकार विल्कुल अन्यायपूर्ण है। अन्याय अनन्त काल तक चल नहीं सकता और उसके विरुद्ध सम्पूर्ण समाज के विद्रोह की सम्भावना है और इसीलिए इस अन्याय को कायम रखने के लिए सैकड़ों कानून, सिपाहियों की फौज, जज, जेल आदि का आविष्कार किया गया है।

कानून के आधे भाग—दीवानी कानून—का केवल एक ही उद्देश्य है—

सम्पूर्ण पूजी पर समाज के सामान्य अधिकार को हटाकर चन्द व्यक्तियों के विशेषाधिकार को कायम रखना। वास्तव में तीन-चौथाई मुकदमों के मूल में यह व्यक्तिगत सम्पत्ति ही है—जैसे दो डाकू लूट के बैंटवारे के ऊपर झगड़ा कर रहे हो, और हमारे फौजदारी कानून के अधिकाश का भी यही मतलब है, यानी मजदूर की मालिक की गुलामी में रखना, जिससे शोषण में आसानी हो।

जहातक किसान-मजदूर का प्रश्न है, उनकी मेहनत की उपज के ऊपर उनके अधिकार का सवाल है, एक भी ऐसा कानून नहीं जो किसान-मजदूरी के हितों की रक्षा करता हो। कानून को इन गरीबों के अधिकार से कोई वास्ता नहीं। आजकल तलेवार हाथ में लेकर खुले आम ढकैती नहीं होती और न एक मजदूर हमला करके दूसरे मजदूर की उपज को छीनता है। अगर दो मजदूरों के बीच झगड़ा होता है, तो वे न्यायालय जाने के बजाय एक तीसरे आदमी को बुलाकर उसे तै करा लेते हैं। केवल एक ही वर्ग है जो दूसरों से उनकी उपज को छीनता है, और वह है पूजीपतियों का वर्ग। जहातक साधारण गरीब मनुष्य का सम्बन्ध है वहा तो बिना किसी प्रकार के कानूनों के सदैव ही अपनी मेहनत की उपज के ऊपर उसका अधिकार सुरक्षित है।

आज तो इन पूंजी-सम्बन्धी कानूनों के बड़े-बड़े पोथे बन गए हैं। हमारे घकील लोग उन्हे देख-देखकर बड़े प्रसन्न हैं, और इन सब कानूनों का इतना ही उद्देश्य है कि बड़े-बड़े पूजीपतियों की सम्पत्ति की रक्षा करना, यानी चद लुटेरों की लूट को जायज और पवित्र करार देना। इसलिए हम कहते हैं कि कानूनों की हमें कोई जरूरत नहीं। सामाजिक क्रातिकारी इस बात पर दृढ़ है कि क्रान्ति होते ही इन सब पूंजी-सम्बन्धी कानूनों को एक साथ नष्ट कर देंगे। सचमुच क्रान्ति के दिन एक होली होगी, जिसमें सम्पत्ति-सम्बन्धी सम्पूर्ण कानून-शास्त्र और उसका सरंजाम—अधिकार पत्र, रजिस्टर आदि नष्ट कर देने होंगे। वह दिन दूर नहीं, जब ये पूंजी-सम्बन्धी कानून मानव-समाज के इतिहास में कलक माने जायगे और उतने ही निकृष्ट समझे जायगे, जितनी प्राचीन काल की गुलामी की प्रथा।

जो बाते अभी पूजी-सम्बन्धी कानूनों के बारे में कही गई है, वे कानून-शास्त्र के दूसरे भाग—यानी विधान-सम्बन्धी कानूनों—पर भी बिल्कुल लागू होती हैं।

कानून-शास्त्र का यह भाग भी एक पूरा बास्तविकाना है, जिसमें सैकड़ों कानून, आईनेस; दफाए, राजकीय आक्षणिक आदि भरी हुई हैं। ये सब मिलकर प्रजातन्त्रीय सरकार के विभिन्न रूपों की रक्षा करते हैं। वह सरकार जनता की इच्छाओं के अनुरूप है कि नहीं, उसके अधीन मानव-समाज सुखी है या कराह रहा है—ये बाते दूसरी हैं और कानून-शास्त्र को इनसे कोई वास्ता नहीं। हम भली-भाति जानते हैं, अराजकवादियों ने शासन के विभिन्न रूपों की आलोचना करते हुए इस बात को कई बार दुहराया है, कि प्रत्येक सरकार का—चाहे वह राजकीय, वैधानिक अथवा प्रजतात्रिक हो—एक ही उद्देश्य है—यानी अधिकार प्राप्त वर्ग—जागीरदार, पुरोहित, व्यापारी, आदि—के अधिकारों को कायम रखना और उनकी रक्षा करना। हमारे कानून-शास्त्र का एक-तिहाई से ज्यादा टैक्स, मादक कर, कर्मचारी, फौज, पुलिस, धर्म आदि से सम्बन्धित कानूनों से भरा रहता है। प्रत्येक देश में इस प्रकार के हजारों ही कानून होते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है शासन की मशीन को चलाना—उस शासन की मशीन को—जो अधिकार प्राप्त वर्ग के अधिकारों की पूर्णत रक्षा करती है। इन कानूनों को जरा गौर से देखिये—इन्हे व्यवहृत होते देखिये और आपको मालूम होगा कि इनमें एक भी कानून मानव समाज के हितों का रक्षक नहीं।

इन वैधानिक कानूनों के विषय में दो राये हो ही नहीं सकती। अराजकवादी ही नहीं, वरन् लगभग सब क्रान्तिकारी सुधारक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों का केवल एक ही उपयोग हो सकता है—उनको आग के समर्पण कर दिया जाय।


कानून-शास्त्र के तीसरे भाग पर अभी विचार करना शेष है। इस भाग के कानून व्यक्ति की रक्षा और अपराध-निरोध से सम्बन्धित हैं। इनका अध्ययन हमें जरा वारीकी से करना होगा, क्योंकि अनेक व्यक्तियों

का कानून के ऊपर विश्वास इसी भाग के कारण है। कहा जाता है कि ये कानून हमारे समाज में शान्ति बनाये रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वास्तव में ये कानून उन रीतियों से विकसित हुए हैं जो मानव-समाज के विकास के लिए हितकारी और आवश्यक थी। शासक वर्ग ने अपनी सत्ता को पवित्र बनाने के लिए इन रीतियों के साथ अपना स्वार्थ भी मिला दिया। आजकल भी जब सरकार की आवश्यकता की बात कही जाती है, तो उसके सर्वोच्च न्यायालय होने की बात कही जाती है। गाव का मुखिया भाषण देते हुए कहता है—“बिना किसी सरकार के आदमी एक-दूसरे को मार डालेगे।” वर्क ने कहा था—“सब सरकारों का अन्तिम ध्येय यह है कि एक अपराधी के जुर्म की जांच करने के लिए बारह ईमानदार व्यक्तियों की व्यवस्था हो।”

खैर, इस विषय के ऊपर तमाम इकतरफा विचारों के होते हुए भी, अब भी समय है कि अराजकवादी धोषणा कर दे कि इस वर्ग के कानून भी उतने ही फिजूल और हानिप्रद हैं, जितने कि पहले वर्गों के।

सबसे पहले हम व्यक्तियों पर हमलों की बात ले। सभी जानते हैं कि इन अपराधों में दो-तिहाई से अधिक दूसरों की सम्पत्ति लूटने के लिए होते हैं। अपराधों की यह संख्या उसी दिन खत्म हो जायगी जिस दिन व्यक्तिगत पूजी की प्रथा नष्ट हो जायगी। कुछ लोग कहेंगे, “लेकिन समाज में कुछ पाश्विक व्यक्ति रहेंगे और यदि उनको सजा देने के लिए कोई कानून न रहे, तो वे अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण करेंगे, हर झगड़े में अपना चाकू निकालेंगे और तनिक-सी बात पर निरपराध व्यक्ति को मार डालेंगे।” जब कभी यह प्रश्न उठता है कि समाज को दण्ड देने का अधिकार है कि नहीं, ये ही बाते दुहराई जाती हैं।

इन सब तर्कों के बावजूद एक बात निर्विवाद है कि सजाओं की कड़ाई से अपराधों की संख्या में कमी नहीं होती। आप कातिल को फासी पर चढ़ा दे, या उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, फिर भी हत्याए होना बन्द नहीं होगा। इसके विपरीत आप फांसी की सजा हटा दीजिये और आप देखेंगे कि हत्याओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, कमी होने की अधिक सम्भावना है।



क्रोपाटकिन-दम्पति



यह बात हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। यदि फसले अच्छी हो, भोजन सस्ता हो और मौसम सुहावना रहे, तो हत्याएँ तुरन्त कम हो जायगी। यह बात तथ्य-सिद्ध है कि अपराधों की सस्या मौसम और भोजन सामग्री के मूल्यों के अनुपात से घटती-बढ़ती है। यह ठीक है कि सब हत्याएँ भूख के कारण नहीं होती। लेकिन जब फसल अच्छी होती है, खाद्य पदार्थ सस्ते रहते हैं, और मौसम सुहावना होता है, तो आदमी सन्तुष्ट और खुश रहता है। फिर यकायक वह दुर्भाविनाओं का शिकार नहीं होता और छोटी-छोटी बातों के लिए अपने साथी के पेट में चाकू भोकने की कल्पना भी उसके मस्तिष्क में नहीं आती।

यह भी सर्वविदित तथ्य है कि एक भी कातिल फासी की सजा के डर से हत्या करने से नहीं रुका। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी पर आक्रमण करता है, वह उसके परिणामों के विषय में बहुत नहीं सोचता। शायद ही किसी कातिल का विश्वास हो कि उसे हत्या का दण्ड नहीं भोगना पड़ेगा। अभी हम उस समाज की चर्चा नहीं कर रहे, जब आदर्श गिक्षा की व्यवस्था होगी, मनुष्यों को अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के विकास करने का पूरा-न्पूरा अवसर मिलेगा, उनके उपयोग के लिए उचित अवसर मिलेंगे और उन्हें इतने सुख होंगे कि वह दुर्भाविनाओं से अपने जीवन को कलुषित नहीं करेंगे। हमारे समाज की वर्तमान नितान्त परितावस्था में भी—इतने वेश्यालयों के होते हुए भी—जिस दिन कातिलों को सजा देना बन्द कर दिया जायगा, हत्याओं में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसके विपरीत यह अधिक सम्भव है कि हत्याएँ कम हो जाय। वास्तव में अधिकाश कातिल वे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें जेलों ने पशु बना दिया है।

कानूनों के समर्थक उनके अनेक लाभ वताते हैं और समाज के लिए सजाओं को उपयोगी मानते हैं। लेकिन क्या इन तर्कों करनेवालों ने कभी यह भी तुलनात्मक अध्ययन किया है कि कानून और सजा से समाज को कितना फायदा हुआ है और उसके कितने भयकर खेदजनक परिणाम हुए हैं? सिर्फ उन सजाओं का स्मरण कीजिये जो सुले आम सड़कों पर दी जाती

थी; और समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था? आज पृथ्वी के ऊपर मनुष्य सबसे अधिक निर्मम प्राणी है। और मनुष्यों की कृत्स्तिं प्रवृत्तियों को किसने पोषित और विकसित किया है? यह कार्य किया है कानून के सरजाम की भद्र से राजा, न्यायाधीश और पुरोहितों ने। उन्होंने कोडो द्वारा जीवित मास उधड़वाया, घावों में खौलता पानी डलवाया, मार से हड्डिया तक तुड़वा दी, मनुष्यों को जीवित ही जमीन में गडवा दिया—सिर्फ इसलिए कि उनकी सत्ता बनी रहे। आप उस पतन की कल्पना कीजिये जो मानव-समाज में जासूसों के कारण व्याप्त है—वे जासूस जिन्हे सरकार लाखों रुपया देती है कि वे अपराधियों को ढूढ़ सके और जिनकी सहायता से न्यायाधीश न्याय करने का दम भरते हैं। आप सिर्फ जेलों में जाइये और वहाँ देखिये कि मनुष्य का कितना पतन होता है जब उसकी स्वतंत्रता छीनकर उसे अन्य अपराधियों के बीच बन्द कर दिया जाता है। आप इस बात को याद रखिये कि जितना ही आप इन जेलों का सुधार करते हैं, उतने ही वे अधिक घृणास्पद होते हैं। हमारे आजकल के आदर्श कारागृह मध्य युग की काल-कोठरियों से भी अधिक निकृष्ट हैं। अन्त में आप उस गुलामी की मनोवृत्ति का भी अन्दाज लगाइये जो आज्ञा मानने की वाध्यता के परिणाम-स्वरूप मानव-समाज में आ गई है। आप उस मानसिक पतन की भी कल्पना कीजिये जो शासन के कारण, सत्ता के पास सजा देने के अधिकार के कारण—अन्तरात्मा अथवा मित्रों की भावनाओं का विना खयाल किये न्याय करने के कारण, और जल्लादों, जेलरों और जासूसों के कारण—सक्षेप में कानून और सत्ता के फलस्वरूप, मानव-समाज में व्याप्त है। इन सब पर विचार कीजिए और फिर आप निश्चय ही हमारे साथ सहमत होकर कहेंगे कि कानून और सजा अत्यन्त धृणित हैं और तुरन्त ही खत्म होने चाहिए।

वर्तमान काल में भी ऐसी अनेक जातियाँ हैं जिनके बीच कोई राजनैतिक स्थाए नहीं और इसलिए वे हमसे कम पतित हैं। ये जातियाँ इस तथ्य को जानती हैं कि वह व्यक्ति, जिसे हम अपराधी कहते हैं, वेचारा

अभागा है। वे समझती है कि उसका इलाज उसे कोडा लगाना, जेल में डालना अथवा फासी देना कदापि नहीं। उसका इलाज है कि उसे अत्यन्त स्नेह से सहायता दी जाय, उसके साथ समानता और आदर का व्यवहार किया जाय, और उसे ईमानदार व्यक्तियों के बीच जीवित रखा जाय। हमारा विश्वास है कि अगली क्रान्तियों में हम भी यही आवाज उठावेंगे।

इसलिए फासी के तत्क्षणों को उखाड़ फेको, जेलों को तोड़ दो और इस पृथ्वी पर सबसे गन्दे वर्ग—न्यायाधीश, पुलिस और जासूसों—को नष्ट कर दो। जिस व्यक्ति ने उत्तेजनावश अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ भाई की तरह हमदर्दी से व्यवहार करो। अन्त में मध्यम वर्ग की आलसी और प्रमादी हरकतों को खत्म कर दीजिये। फिर आप देखेंगे कि निश्चय ही हमारे समाज में बहुत थोड़े अपराध होंगे।

अपराधों के सहायक है आलस्य, कानून और सत्ता। अपराधों के मूल कारण हैं पूजी-सम्बन्धी कानून, शासन-सम्बन्धी कानून, सजा के कानून और सत्ता, जिसने कानूनों को बनाने और लागू करने का जिम्मा अपने-आप ले लिया है।

वस, अब हमें कानून नहीं चाहिए। न्यायाधीशों की कोई आवश्यकता नहीं। स्वाधीनता, समानता और सहज मानुषिक सहानुभूति द्वारा ही हम अपने कुछ भाइयों की असामाजिक भावानाओं को रोक सकते हैं।

: ७ :

सबका सुख

सबको सुख मिले, यह स्वप्न नहीं है। सबको सुख मिलना संभव है और वह मिल भी सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उत्पादन-शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है।

वस्तुत हम जानते हैं कि यद्यपि उत्पत्ति के काम में लगे हुए लोगों

की संख्या मुश्किल से सभ्य ससार के निवासियों की एक-तिहाई होगी तथापि वे आज भी इतना माल पैदा कर लेते हैं जिससे प्रत्येक घर एक खास हद तक सुखी हो सकता है। हमें यह मालूम है कि जो दूसरों की खरी कमाई बरबाद करने में ही लगे हुए हैं, वे सब लोग यदि किसी उपयोगी कार्य में अपना खाली समय व्यतीत करने को विवश किये जा सके तो हमारी उत्पत्ति का परिमाण बहुत बढ़ जाय। इसी प्रकार यह भी मालूम हो चुका है कि मानव-जाति की सन्तानोत्पादन शक्ति से माल पैदा करने की शक्ति तेज है। भूमि पर मनुष्यों की जितनी धनी वस्ती होगी, उतनी ही उनकी सम्पत्ति उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ेगी।

इंग्लैण्ड में सन १८४४ से १८९० तक आबादी सिर्फ ६२ फीसदी बढ़ी, पर वहां की उत्पत्ति कम-से-कम उससे दुगुनी बढ़ी, अर्थात् १३० फीसदी। फ्रास में आबादी और भी धीरे-धीरे बढ़ी है, परन्तु उत्पत्ति की वृद्धि तो वहां भी बहुत तेज ही हुई है। यद्यपि वहा खेती पर वारबार सकट आये हैं, राज्य के हस्तक्षेप, 'रक्तकर' (अनिवार्य भरती) और व्यापार तथा लेन-देन में सट्टेवाजी की बाधाये रही है, फिर भी पिछले अस्सी वर्षों में गेहूं की उत्पत्ति चौगुनी और कल-कारखानों के माल की उत्पत्ति दस गुनी बढ़ गई है। अमेरिका में तो इससे भी अधिक प्रगति हुई है। यद्यपि विदेशों के लोग वहा आ-आकर वस गए, या सच तो यह है कि यूरोप के फालतू श्रमिक वहा जाकर भर गए, फिर भी सपत्ति दसगुनी बढ़ गई है।

परन्तु इन आकड़ों से तो सम्पत्ति की उस वृद्धि का धुखला-सा ही अनुमान हो सकता है जो परिस्थिति के और अच्छी हो जाने पर हो सकती है, क्योंकि आजकल तो जहा हमारी सम्पत्ति-उत्पादन की शक्ति जीघता से बढ़ी है वहा साथ-ही-साथ निठले और बीच बाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ी है। समाजवादियों का ख्याल था कि पूजी धीरे-धीरे थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में ही केन्द्रीभूत हो जायगी और फिर समाज को अपना न्याय उत्तराधिकार पाने के लिए केवल उन मुट्ठी भर करोड़पतियों की सम्पत्ति ले लेनी पड़ेगी। पर वास्तव में बात उल्टी ही हो रही है,

मुफ्तखोरो का दल बराबर बढ़ ही रहा है। फ्रास मे हर तीस आदमी के पीछे दस भी वास्तविक उत्पादक नहीं हैं। देश की सारी कृषि-सम्पत्ति सत्तर लाख से भी कम आदमियों की कमाई है और खानों तथा कपड़े के दोनों प्रधान उद्योगों मे पच्चीस लाख से भी कम मजदूर हैं। मजदूरों को लूट-लूट कर खानेवाले कितने हैं। ब्रिटिश सयुक्त राज्य मे स्त्री-पुरुष और बालक मिलाकर कुल दस लाख से कुछ ही अधिक मजदूर कपड़े के धधे मे लगे हैं, नौ लाख से कुछ कम मजदूर खानों मे काम करते हैं, भूमि जोतने-बोने मे भी बीस लाख से बहुत कम मजदूर काम करते हैं और पिछली औद्योगिक गणना के समय सारे उद्योग-धधो मे चालीस लाख से कुछ ही अधिक स्त्री-पुरुष और बालक थे। फलत गणना-विभाग वाले को अपने गणनाक बढ़ाने पड़े, इसलिए कि साठ करोड़ जन-सख्त्या पर उत्पादकों की सख्त्या अस्सी लाख दिखाई जा सके। सच पूछिए तो जो माल ब्रिटेन से दुनिया के हर हिस्से मे भेजा जाता है उसका निर्माण करनेवाले साठ-सत्तर लाख मजदूर ही हैं। इसके मुकाबले मे जो लोग मजदूरों की मेहनत का बड़े-से-बड़ा लाभ स्वयं ले लेते हैं और उत्पादक और खरीदार के बीच मे पहुचकर, बिना श्रम किये, सम्पत्ति सचित कर लेते हैं, उनकी सख्त्या कितनी है।

किन्तु इस शक्ति के द्रुत विकास के साथ-साथ निठले और बीच-वाले दलालों की सख्त्या मे भी भारी वृद्धि हो रही है। यदि पूजी धीरे-धीरे थोड़े-से आदमियों के हाथ मे ही एकत्र होती जाय तब तो समाज को केवल इतना ही करना पड़े कि मुट्ठी भर करोड़पतियों से छीनकर वह जिनकी है उन्हे दे दी जाय। पर बात समाजवादियों की इस कल्पना के सर्वथा विपरीत हो रही है। मुफ्तखोरो का दल बुरी तरह बढ़ता जा रहा है।

इतना ही नहीं, पूजीपति लोग माल की पैदावार भी बराबर घटाते रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'आयस्टर' (धोधो) की गाडियो-की-नाडिया समुद्र मे सिर्फ इसलिए फेक दी जाती है कि जो चीज आजतक केवल धनवानों के उपभोग की वस्तु थी वह कहीं गरीबों का खाद्य न बन

जाय। और भी सैकड़ों विलास-वस्तुओं का यही हाल होता है। कहा तक गिनाई जाय। केवल यह याद रख लेना काफी है कि किस प्रकार अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की पैदावार सीमित की जाती है। लाखों मजदूर रोज कोयला खोदने को तैयार हैं, जिससे वह कोयला ठंड से ठिठुरते हुए लोगों को गरमी पहुंचाने के लिए भेजा जा सके। किन्तु बहुधा उनमें से एक-तिहाई या आधों तक को सप्ताह में तीन दिन से अधिक काम नहीं करने दिया जाता। क्यों? इसलिए कि कोयले का भाव ऊँचा रखना है। हजारों जुलाहों को करघे नहीं चलाने दिये जाते, भले ही उनके स्त्री-बच्चों के तन छकने के लिए चीथड़े भी मयस्सर न हो और यूरोप के तीन-चौथाई लोगों को काफी कपड़ा न मिले।

सैकड़ों भट्टिया, हजारों कारखाने समय-समय पर बेकार रहते हैं। बहुतों में सिर्फ आधे समय काम होता है। प्रत्येक सम्य देश में लगभग बीस लाख मनुष्य तो ऐसे बने ही रहते हैं जिन्हे काम चाहिए पर दिया नहीं जाता।

यदि इन लाखों नर-नारियों को काम दिया जाय तो वे कितने हर्ष से बंजर जमीन को साफ करके या खराब जमीन को उपजाऊ बनाकर उम्दा फसले तैयार करने में लग जाय। इनका एक ही वर्ष का सच्चे दिल से किया हुआ परिश्रम लाखों बीधा बेकार जमीन की पैदावार को पाच-गुना कर देने के लिए काफी होगा। किन्तु दुर्भाग्य तो देखिये कि जो लोग धनोपार्जन की विविध दिशाओं में अग्रगामी बनने में सुख मानते हों उन्हीं को केवल इस कारण हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है कि भूमि, खानों और उद्योगशालाओं के स्वामी समाज को चूस-चूसकर उस धन को तुर्की या मिल्स में या और कहीं लगाना पसन्द करते हैं और वहां के लोगों को भी गुलाम बनाते हैं।

यह तो हुई उत्पत्ति को जान-बूझकर और प्रत्यक्ष रूप से कम करने की बात। किन्तु इसका एक अप्रत्यक्ष ढंग भी है जिसका कोई हेतु ही समझ में नहीं आता है, जिससे धनवानों के श्रोथे गर्व की तुष्टि भर होती है।

यह हिसाब लगाना आवश्यक है कि जिस शक्ति से उत्पादन का और उससे भी अधिक उत्पादक यत्र तैयार करने का काम लिया जा सकता है उस शक्ति का कितना अपव्यय किया जाता है और सम्पत्ति का उपार्जन किस सीमा तक कम किया जाता है। इतना बता देना काफी है कि बाजारों पर प्रभुत्व प्राप्त करने, पड़ोसी देशों पर बलात् अपना माल लादने और स्वदेश के गरीबों का खून आसानी से चूस सकने के एकमात्र उद्देश्य से यूरोप सेनाओं पर वेश्वमार रूपया खर्च करता है। करोड़ों रूपया हर साल नाना प्रकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाता है। और इन कर्मचारियों का काम क्या है? यही कि वे अल्पसख्यक लोगों अर्थात् मुठठी भर धनिकों के राष्ट्र के आर्थिक जीवन का गति-चक्र अपने हाथ में रखने के हक की रक्खा करे? करोड़ों रूपया न्यायाधीशों, जेलखानों, पुलिसवालों और तथोक्त न्याय के दूसरे कार्यों पर खर्च किया जाता है और यह सब निरर्थक व्यय है, क्योंकि यह अनुभव की बात है कि बड़े-बड़े नगरों में जब-जब जनता का थोड़ा-सा भी कष्ट निवारण हुआ है तब-तब अपराधों की सख्या और मात्रा बहुत कम हो गई है। इसी प्रकार करोड़ों रूपया दल या राजनीतिज्ञ-विशेष अथवा सट्टेबाजों के किसी विशेष समूह के लाभ के लिए समाचार पत्रों द्वारा हानिकर सिद्धान्त और झूठी खबरों के फैलाए जाने में लगाया जाता है।

किन्तु सबसे अधिक विचार तो उस परिश्रम का करना है जो सर्वथा व्यर्थ जाता है। कहीं तो धनवानों के लिए अश्वशालाएँ, कुत्तेखाने और नौकरों के दल-के-दल रखे जाते हैं, कहीं समाज की बेहूदगियों और फेशन-परस्तों की कुरुचियों को तृप्त करने के लिए सामग्री जुटाई जाती है, कहीं ग्राहक अनावश्यक वस्तुएँ खरीदने को विवश किए जाते हैं या झूठे विज्ञापन देकर घटिया माल उनके सिर मढ़ दिया जाता है, अथवा कारखानेदारों के फायदे के लिए सर्वथा हानिकारक चीजें तैयार की जाती हैं। इस प्रकार जिस सम्पत्ति और शक्ति की हानि की जाती है उससे उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति दुगुनी हो सकती है, या कारखाने इतने यत्रों से सुसज्जित किये जा

सकते हैं कि थोड़े ही समय में दुकाने उस माल से भर जायें, जिसके बिना अधिकाश जनता दुख उठा रही है। वर्तमान व्यवस्था में तो प्रत्येक राष्ट्र के चतुर्थांश उत्पादक साल में तीन-चार महीने बेकार रहने को लाचार होते हैं और आधे नहीं तो एक-चौथाई लोगों की मेहनत का, धनवानों के मनो-रंजन तथा जनता के रक्त शोषण के सिवाय, दूसरा उपयोग नहीं होता।

इस प्रकार यदि हम एक ओर इस बात का विचार करें कि सभ्य राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति किस तेजी से बढ़ रही है और दूसरी ओर इसका कि वर्तमान परिस्थिति के कारण कितना कम माल उत्पन्न किया जाता है, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि यदि हमारी आर्थिक व्यवस्था जरा और बुद्धि-संगत हो जाय तो कुछ ही वर्षों में इतने उपयोगी पदार्थों का ढेर लग जाय कि हमें कहना पड़े, “बस बाबा।” इतना रोटी-कपड़ा और ईंधन काफी है। अब हमें शातिपूर्वक यह सोचने दो कि हम अपनी शक्ति और अवकाश का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें।”

हम फिर कहते हैं कि सबको विपुल सुख-सामग्री मिले, यह कोई स्वप्न नहीं है। उस समय यह भले ही स्वप्न रहा हो जब बीघे भर जमीन से मर-पचकर भी थोड़े-से गेहूँ पल्ले पड़ते थे और खेती और उद्योग के सारे औजार लोगों को हाथ से ही बनाने पड़ते थे। किन्तु अब यह कोरी कल्पना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी चालक (मोटर) शक्ति खोज निकाली गई है जो थोड़े-से लोहे और कुछ बोरे कोयलों की सहायता से उसे धोड़े के समान बलवान और आज्ञाकारी मशीनों तथा अत्यन्त जटिल यन्त्रजाल का स्वामी और सचालक बना देती है।

परन्तु यह कल्पना तभी सत्य हो सकती है जब यह विपुल धन, ये नगर, भवन, गोचर-भूमि, खेती की जमीन, कारखाने, जल-स्थल-मार्ग और शिक्षा स्वयंकितगत सम्पत्ति न रहे और एकाधिकार प्राप्त लोग इनका मन-माना उपयोग न कर सके। यह सब बहुमूल्य सम्पत्ति, जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से कमाया, बनाया, सजाया अथवा खोज निकाला, सबकी सम्मिलित सम्पत्ति बन जानी चाहिए, जिससे मानव-जाति के संयुक्त

हिताहित का ध्यान रखकर सबका अधिक-से-अधिक भला किया जासके । निःसंपत्तिकरण वैयक्तिक स्वामित्व का अन्त होना ही चाहिए । सबका सुख साध्य है, नि सम्पत्तिकरण साधन है ।

तो बस, नि सम्पत्तिकरण—मनुष्य को सुखी बनाने के सभी साधनों की साम्यवादी व्यवस्था ही बीसवीं शताब्दी की यह समस्या है जो इतिहास ने उसके सामने रखी है ।

पर यह समस्या कानून के द्वारा हल नहीं की जा सकती । इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता । क्या गरीब और क्या अमीर, सभी समझते हैं कि न तो वर्तमान सरकार और न भावी राजनीतिक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाला कोई शासन ही इस समस्या को कानून से हल करने में समर्थ होगा । सबको सामाजिक क्राति की आवश्यकता मालूम होती है । निर्धन और धन-वान दोनों मानते हैं कि यह क्राति निकट आ पहुंची है और कुछ ही वर्षों में होनेवाली है ।

उन्नीसवीं शताब्दि के उत्तरार्ध में विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ । सम्पत्तिशाली वर्ग ने इसे दबा रखने और इसकी स्वाभाविक बाढ़ मार देने की बहुत कोशिश की, किन्तु यह नवीन भावना अपने बधन तोड़कर अब क्राति के रूप में मूर्त्तिमान हुए विना नहीं रह सकती ।

क्राति आयगी किधर से ? इसके आगमन की घोषणा कैसे होगी ? इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता । भविष्य अभी अज्ञात के गर्भ में है । पर जिनके आँखे हैं और मस्तिष्क है वे उसके लक्षणों को समझने में गलती नहीं करते । मजदूर और उनके रक्त-शोषक, क्रातिवादी और प्रतिगामी, विचारक और कर्ममार्गी, सभीको ऐसा मालूम हो रहा है कि क्राति हमारे द्वार पर खड़ी है ।

अच्छा, तो जब यह बिजली गिर चुकेगी तब हम क्या करेंगे ?

हम प्राय क्रातियों के आश्चर्यजनक दृश्यों का अध्ययन तो इतना अधिक करते हैं और उनके व्यावहारिक अग पर इतना कम ध्यान देते हैं

कि सम्भव है हम इन महान आदोलनों के तमाशे—शुरू के दिनों की लड़ाई—मोर्चेंवन्दी को ही देखकर रह जाय। पर यह प्रारम्भ की भिड़त जल्दी ही खत्म हो जाती है। क्रांति का सच्चा काम तो पुरानी रचना के छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद ही शुरू होता है।

पुराने शासन अशक्त और जर्जर तो होते ही हैं, आक्रमण भी उनपर चारों ओर से होता है। बेचारे विद्रोह की फूंक लगते ही उड़ जाते हैं। जन-साधारण की क्रांति के सामने तो पुरातन व्यवस्था के विधाता और भी तेजी के साथ गायब हो जाते हैं। उसके समर्थक देश को छोड़ भागते हैं और अन्यत्र सुक्षित बैठकर षड्यन्त्रों की रचना और वापस लौटने के उपाय सोचा करते हैं।

जब पुरानी सरकार नहीं रहती तो सेना भी लोकमत के ज्वार के सामने खड़ी नहीं रहती। सेनानायक भी दूरदर्शितापूर्वक भाग जाते हैं और सिपाही उनका कहना नहीं मानते। सेना या तो निरपेक्ष खड़ी रहती है अथवा विद्रोहियों में मिल जाती है। पुलिस आराम से खड़ी-खड़ी सोचती है कि भीड़ को मारे या हम भी 'कम्यून (स्वतंत्र प्रादेशिक सरकार) की जय' बोल दे। कुछ पुलिसवाले ऐसे भी निकल आते हैं जो अपने-अपने स्थान पर पहुंचकर नई सरकार की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। धनवान् नागरिक अपनी-अपनी पेटिया भरकर सुरक्षित स्थानों को चल देते हैं। साधारण लोग रह जाते हैं। क्रांति देवी का अवतरण इसी प्रकार होता है।

कई बड़े-बड़े गहरों में कम्यून की घोषणा कर दी जाती है। हजारों आदमी बाजारों में इधर-उधर धूमने लगते हैं और शाम को सभास्थलों में जाकर पूछते हैं—'हम क्या करे?' इस प्रकार सार्वजनिक मामलों पर उत्साह-पूर्वक चर्चा होने लगती है। सब उनमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। जो लोग कल तक उदासीन थे वे ही गायद सबसे अधिक उत्साह दिखाने लगते हैं। सर्वत्र सद्भावना और विजय को पक्का कर देने की उत्कट लालसा पाई जाती है। ऐसे ही समय में अपूर्व देशभक्ति के कार्य होते हैं। जनसाधारण में

आगे बढ़ने की भरपूर अभिलापा होती है।

ये सब वातें शानदार और महान होती हैं, किन्तु ये भी क्राति नहीं हैं। वात यह है कि क्रातिकारियों का कार्य तो यहाँ से शुरू होता है। निस्सदेह प्रतिर्हिंसा के कार्य होंगे। जनता के कोपभाजन व्यक्ति अपने किये का फल पायेंगे। किन्तु ये वातें भी क्राति नहीं हैं, केवल संग्राम की स्फुट घटनाएँ हैं।

समाजवादी राजनीतिज्ञ, कट्टर सुधारक, कलतक जिनकी कहीं पूछ नहीं थीं ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार और हाथ-पैर पीटकर भाषण करने वाले वक्ता—मध्यवित्त और मजदूर सभी—जत्दी-जल्दी नगर-भवन और सरकारी दफ्तरों में पहुचकर रिक्त स्थानों पर अधिकार कर लेंगे। कुछ लोग जी भरकर अपने शरीर को सोने-चादी के आभूषणों से सजा लेंगे, मन्त्रियों के दर्पणों में उन्हे देख-देखकर अपनी सराहना करेंगे और अपने पद के अनुरूप महत्त्वसूचक मुद्रा धारण कर आज्ञा देना सीखेंगे। इन गौरव चिन्हों के बिना वे अपने कारखाने या दफ्तर के साथियों पर रोब कैसे गाठ सकते हैं? दूसरे लोग सरकारी कागजात में गड जायेंगे और सच्चे दिल से उन्हे समझने की कोशिश करेंगे। ये कानून बनायेंगे और बड़े-बड़े हुक्म निकालेंगे, पर इनकी तामील करने का कप्ट कोई न उठायेगा। क्राति जो ठहरी।

उन्हे जो अधिकार मिला नहीं है उसका ढोग रचने के लिए वे पुराने शासन के स्वरूप का सहारा लेंगे। वे 'अस्थायी सरकार,' 'सार्वजनिक रक्षा-समिति', 'नगर-शासकों' इत्यादि अनेक नाम ग्रहण करेंगे। निर्वाचित हों अथवा स्वयंभू, वे समितियों और परिषदों में बैठेंगे। वहाँ दस-चौम अलग-अलग विचार-सरणियों के लोग एकत्र होंगे। उनके मस्तिष्क में क्रांति के क्षेत्र, प्रभाव और ध्येय की भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ होंगी। वे बायुद्ध में अपना समय दर्बाद करेंगे। ईमानदार लोगों का एक ही स्थान में ऐसे महत्त्वाकांक्षियों से पाला पड़ेगा जिन्हें केवल यक्ति-अधिकार की चाह है और जो उसके मिलने पर जिस जनता में मे वे निकलते हैं उसीको ठोकर मारते हैं। ये परस्पर-विरोधी विचारों के लोग एकत्र होंगे जिन्हे आपस में क्षणभंगुर

संघिया करनी पड़ेगी, जिनका उद्देश्य सिर्फ बहुमत बनाना होगा। परन्तु यह बहुमत एक दिन से ज्यादा टिकने का नहीं। परिणाम यह होगा कि ये आपस मे लड़ेंगे, एक-दूसरे को अनुदार सत्तावादी और मूर्ख बतायेंगे, किसी गम्भीर विषय पर एकमत न हो सकेंगे, जरा-जरा-सी बातों पर वाद-विवाद करेंगे और सिवाय लम्बी-चौड़ी घोषणाएं निकालने के और कोई ठोस काम न कर सकेंगे। एक ओर तो ये लोग इस प्रकार अपना महत्व प्रदर्शित करते रहेंगे और दूसरी ओर आदोलन की सच्ची शक्ति बाजारों मे भटकती फिरती होंगी।

इन बातों से अभिनयप्रिय लोग भले ही खुश हो ले, किन्तु यह भी क्रांति नहीं है।

हाँ, इस बीच मे जनता को तो कष्ट भोगने ही होते हैं। कारखाने बन्द रहते हैं। व्यापार चौपट हो जाता है। मजदूरों को जो थोड़ी-सी मजदूरी पहले मिलती थी वह भी नहीं मिलती। खाद्य पदार्थों का भाव चढ़ जाता है। फिर भी जन-साधारण बीचोचित निष्ठा के साथ, जो सदा उनकी विशेषता रही है और जो महान सकटों के अवसरों पर और भी उच्च हो जाती है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। सन् १८४८ मे उन्होने कहा था—“हम प्रजातत्र सरकार से तीन महीने तक कुछ न मांगें।” परन्तु उनके ‘प्रति-निधि’ और नई सरकार के बाबू लोग और दफ्तर के अदना-से-अदना पदाधिकारी तक नियम से तनख्वाहे लेते रहे।

जनता कष्ट उठाती है। बालोचित विश्वास और स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ लोग सोचते हैं कि “नेताओं पर भरोसा रखना चाहिए। वे वहा उस सभाभवन, नगर भवन, या सार्वजनिक रक्षा समिति मे हमारी भलाई सोच रहे हैं।” परन्तु ‘वहा’ तो नेतागण दुनिया भर की बातों पर विवाद किया करते हैं, केवल जनता के हित की चर्चा नहीं करते। १७९३ मे जब फ्रास मे दुष्काल पड़ गया और उसने क्रांति को पगु कर दिया, जब लोगों की बुरी दशा हो रही थी, यद्यपि बाजारों मे जानदार बगियों की भीड़ वैसी ही लगी रहती थी और स्त्रिया वढ़िया-वढ़िया आभूपण और पोशाकें पहन

कर निकलती थी, तब राष्ट्रपियर जैकीबन दल वालों से आग्रह कर रहा था कि वे इंग्लैण्ड की राज्य-व्यवस्था पर लिखे हुए उसके ग्रथ पर बहस ही कर ले । १८४८ में मजदूर लोग तो व्यापार-व्यवसाय बन्द हो जाने के कारण कष्ट पा रहे थे, पर अस्थायी सरकार और राष्ट्र सभा इसपर झगड़ रही थी कि सिपाहियों की पेशन क्या दी जाय और जेलखानों में मशक्कत कैसी ली जाय ? उन्हे उस बात की फिक्र न थी कि जनता इस विपत्तिकाल में किस प्रकार दिन काट रही है । पेरिस की कम्यून-सरकार (१८७० ई०), जो प्रशिया की तोपों की छाया में जन्मी थी और केवल सत्तर दिन ही जीवित रह पाई, उसने भी यही गलती की । उसने नहीं समझा कि अपने योद्धाओं को पेटभर खिलाये बिना क्राति सफल कैसे होगी और सिर्फ थोड़ा-सा दैनिक वेतन नियत कर देने से ही कैसे कोई आदमी युद्ध कर सकेगा और कैसे अपने परिवार का पोपण करेगा ।

इस प्रकार कष्ट भोगती हुई जनता पूछती है—“इन कठिनाइयों से पार पाने का उपाय क्या है ?”

इस प्रश्न का एक ही उत्तर दिखाई देता है । वह यह कि हमें यह बात मान लेनी चाहिए और उच्च स्वर में उसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को और सब बातों के पहले जीवित रहने का अधिकार है, फिर चाहे वह मनुष्य समाज में किसी भी श्रेणी का हो, बलवान् हो या निर्वल, योग्य हो अथवा अयोग्य । साथ ही यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि समाज के हाथ में जीवन के जितने साधन हैं उनको सबमें निरपवाद रूप से बाट देना उसका कर्तव्य है । हमें इस सिद्धान्त को सानकर उसपर चलना भी चाहिए ।

क्राति के प्रथम दिन से ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रमजीवी यह जान जाय कि उसके लिए नवीन युग का उदय हो गया । भविष्य में किसीको पास में महल होते हुए पुल के नीचे दुबककर सोने की मजदूरी न होगी, धन का वाहूल्य रहते हुए किसको भूखों न मरना पड़ेगा । सब

चीजे सबके लिए है, यह बात कोरी कल्पना ही न रहेगी, व्यवहार में भी चरितार्थ होगी। क्रांति के प्रथम दिन से ही श्रमजीवी को यह मालूम पड़ना चाहिए कि इतिहास में पहली ही बार ऐसी क्रांति हुई है जो जनता को उसके कर्तव्यों का उपदेश देने से पूर्व उसकी आवश्यकताओं का विचार करती है।

यह सब कानून से न होगा। काम करने का एकमात्र सच्चा और वैज्ञानिक ढग अखित्यार करना होगा—ऐसा ढग जिसे सर्वसाधारण समझ सके और चाहते हैं। वह यह है कि सबके सुख-सम्पादन के लिए आवश्यक साधनों पर तुरन्त और पक्का कब्जा कर लिया जाय। अन्न-भण्डारों, कपड़े की दुकानों और निवास-स्थानों पर जनता का अधिकार हो जाना चाहिए। कोई चीज बर्बाद न होनी चाहिए। शीघ्र इस प्रकार का सगठन करना चाहिए कि भूखों को भोजन मिले, सबकी आवश्यकताएँ पूरी हों और उत्पत्ति इस प्रकार हो कि उससे व्यक्ति या समूह विशेष को ही लाभ न पहुंचे बल्कि सारे समाज के जीवन और विकास को सहायता मिले।

फ्रास की १८४८ की क्रांति में 'काम करने का अधिकार' इस वाक्य-खड़ से लोगों को धोखा दिया गया और अब भी ऐसे ही दोमानी वाक्यों से धोखा देने की कोशिश होती है, परन्तु अब इनकी जरूरत नहीं है। हमें साहस करके 'सबके सुख' के सिद्धान्त को स्वीकार करना और उसकी सम्भावना को पूर्ण करना चाहिए।

१८४८ में जब श्रमजीवियों ने काम करने के अधिकार का दावा किया तो राष्ट्रीय और म्युनिसिपल कारखाने बनाये गए और वहां वे २० पेस रोजाना मजदूरी पर पिसने के लिए भेज दिये गए। जब उन्होंने कहा कि 'श्रमिकों का सगठन' होना चाहिए तो जवाब दिया गया—“मित्रो, धैर्य रखो। सरकार इसका इतजाम कर देगी। अभी तो तुम मजदूरी लेते चलो। बीर श्रमिकों, जीवन-भर भोजन के लिए युद्ध किया है, अब तो जरा आराम ले लो।” इस बीच तोपे सुधार ली गईं, फौज बुला ली गई और मध्यम वर्ग की जानी हुई तरह-तरह की तरकीबों से श्रमिक निघास्त्र कर दिये गए। यहा तक कि जून १८४८ के एक दिन, पिछली सरकार को

'उलट देने के चार मास बाद ही, उनसे कह दिया गया कि अफ्रीका मे जाकर बसो, नहीं तो गोलियों के निशाना बना दिये जाओगे।

परन्तु सुखपूर्वक जीवित रहने के अधिकार पर आरूढ़ होने मे जनता इससे महत्वपूर्ण दूसरे अधिकार की भी घोषणा करती है। वह यह कि इस बात का निर्णय भी वही करेगी कि उसको सुख किन चीजों से मिलेगा, उस सुख की प्राप्ति के लिए कौन-कौन-सी वस्तुएं उत्पन्न करनी होगी और किस-किसको निकम्मी समझकर फेक देना होगा।

'काम करने का अधिकार' और 'सबका सुख' इन दोनों सिद्धान्तों का भेद समझने योग्य है। पहले का अर्थ इतना ही है कि श्रमजीवी सदा थोड़ी-सी मज़ूरी का दास बना रहे, कठोर परिश्रम करने को विवश हो, उसपर मध्यम वर्ग के लोगों का शासन बना रहे और वे उसका रक्त-शोषण करते रहें। दूसरे सिद्धान्त का अर्थ यह है कि श्रमजीवी मनुष्यों की भाति रह सके और उसकी सतान को वर्तमान से अच्छा समाज मिले। अब समय आ गया है कि व्यापारवाद की चक्की मे न पिसते रहकर सामाजिक क्रांति की जाय और श्रमजीवियों को उनके नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो।

: ८ :

जेल से भागना

दो साल बीत चुके थे। मेरे साथियों मे से कई मर चुके थे, बहुत-से पागल हो गए थे, लेकिन हमारे मुकदमे की सुनवाई की कोई चर्चा ही नहीं थी। मेरा स्वास्थ्य भी दूसरे वर्ष का अन्त होते-होते गिरने लगा था। लकड़ी का स्टूल (जिससे कसरत करता था) भारी लगने लगा और पाच मील का टहलना मानो बड़ा लम्बा सफर। चूंकि किले मे हम लोग साठ कैदी थे और जाडो मे दिन छोटे होते थे, हमसे से प्रत्येक तीसरे दिन सिर्फ बीस मिनट के लिए बाहर टहलने ले जाया जाता था। मैंने अपनी शक्ति को बनाये रखने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन पूरे साल-भर उत्तरी

घुव की सर्दी मे रहने का असर होना ही था। साइबेरिया की यात्रा के बाद मेरे शरीर मे रक्त-रोग के जो लक्षण प्रकट होने लगे थे, वे अब कोठरी की नमी और अधेरे के कारण पूरी तरह से व्याप्त हो गए। इस तरह की जेल की उस भयकर बीमारी का मेरे शरीर पर पूरा-पूरा असर हो गया।

आखिर १८७६ के मार्च अथवा अप्रैल मे हमे बताया गया कि तीसरे दस्ते (खुफिया पुलिस) ने प्रारम्भिक छान-बीन पूरी कर ली है और हमारा मुकदमा न्यायाधीशो के घास भेज दिया गया है। इसलिए हम अब कचहरी के पासवाली जेल मे भेज दिये गए। यह जेल चार मजिल की एक बड़ी भारी इमारत थी, जिसमे कोठरी-ही-कोठरी थी। यह फ्रास और बेलजियम के कारागारो के नमूने पर हाल ही मे बनी थी। प्रत्येक कोठरी मे आगन की तरफ एक खिड़की थी और लोहे के छज्जो की ओर एक दरवाज़ा था। चारो मजिलो के ये छज्जे लोहे के एक जीने से मिले हुए थे।

हममे से अधिकाश को इस जेल मे आना अच्छा लगा। यहा उस किले से कही अधिक चहल-पहल थी और बाहर के आदमियो से पत्र-व्यवहार, अपने रिश्तेदारो से मिलने अथवा आपस मे बातचीत करने की सुविधा भी अधिक थी। बिना किसी रोक-थाम के दीवारो पर ठुक-ठुक जारी रहती थी। इसी तरह मैंने अपने पडोसी युवक को पेरिस-कम्यून का सारा इतिहास सुना दिया, पर इसमे लगभग एक सप्ताह लग गया।

लेकिन मेरा स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। उस तग कोठरी का, जो एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ चार कदम थी, सकीर्ण वातावरण मुझे असह्य था। जैसे ही भाफ की नलिया चालू की जाती, वह वर्फ-जैसी ठड़ी कोठरी एकदम हृद से ज्यादा गरम हो जाती। कोठरी मे टहलने के लिए जल्दी-जल्दी मुड़ना पड़ता था, इसलिए थोड़ी देर मे ही चक्कर आने लगते और दस मिनट की खुली हवा की कसरत भी, आगन तग होने के कारण, स्फूर्तिप्रद नहीं होती थी। जेल का वह डाक्टर, जिसके विषय मे जितना कम कहा जाय, उतना ही अच्छा, 'अपनी जेल मे' 'रक्त-रोग' का नाम भी नहीं सुनना चाहता था !

मुझे घर से खाना मगाने की अनुमति मिल गई थी, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार वकील इस जेल के नजदीक ही रहते थे। लेकिन मेरी पाचन-क्रिया इतनी खराब हो गई थी कि मुश्किल से रोटी का छोटा टुकड़ा और एक-दो अडे खा पाता। मेरा स्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरने लगा और लोग कहने लगे कि अब मैं बहुत दिनों जीवित नहीं रह सकूँगा। अपनी कोठरी में जाने के लिए जब मैं जीना उत्तरता था, तो मुझे दो-तीन बार रुकना पड़ता था। मुझे याद है कि एक वृद्ध पहरेदार सिपाही ने मुझसे कहा था—“तुम हैं कि तुम इस बसन्त के आखिर तक न वच सकोगे।”

मेरे रिश्तेदार अब अत्यन्त चिन्तित हो गए। मेरी बहन हेलेन ने मुझे जमानत पर छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन शूबिन (अफसर) ने व्यग से मुसकराते हुए उत्तर दिया—“अगर तुम डाक्टर का लिखा हुआ यह सार्टी-फिकेट ले आओ कि तुम्हारा भाई दस दिन के भीतर मर जायगा, तो मैं उसे छोड़ दूँगा।” मेरी बहन यह जवाब पाकर कुर्सी पर धड़ाम से गिर गई और अफसर के सामने ही सिसकने लगी, जिससे उसे सन्तोष ही हुआ होगा। लेकिन अन्त में उसने अपनी यह प्रार्थना मजूर करा ही ली कि मेरा इलाज सेण्ट पीटर्सबर्ग मे फौजी अस्पताल के सबसे बड़े डाक्टर द्वारा होना चाहिए। इस वृद्ध होशियार डाक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह मेरी जाच की और वह इस निर्णय पर पहुँचा कि मुझे कोई भयकर शारीरिक बीमारी नहीं, केवल शुद्ध वायु न मिलने के कारण रक्त-रोग हो गया है। उसने मुझसे कहा—“केवल शुद्ध वायु की ही तुम्हको जरूरत है।” थोड़ी देर के लिए वह असमजस मे रहा और तत्पश्चात् उसने निश्चयपूर्वक कहा—“ज्यादा बातचीत फिजूल है। तुम्हे किसी भी हालत मे यहा न रहने दिया जाना चाहिए, दूसरी जगह भेजना ही है।”

दस दिन बाद मुझे एक फौजी अस्पताल मे भेज दिया गया। यह अस्पताल सेण्ट पीटर्सबर्ग के बाहर बना था। इसमे बीमार अफसरो और कैदियो के लिए एक छोटी जेल भी थी। मेरे दो साथी, जब यह निश्चित हो चुका कि वे शीघ्र ही तपेदिक से मर जायगे, इसी जेल मे भेजे गए थे। यहा जल्दी ही

मेरी तन्दुरुस्ती ठीक होने लगी। मुझे फौजी गार्ड के कमरे के पास ही एक बड़ा कमरा मिला। कमरे में दक्षिण की तरफ लोहे के सीकचों की एक खिड़की थी। खिड़की के सामने एक सड़क थी, जिसके दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ थे, और सड़क के उस पार खुली जगह थी, जहाँ २०० बढ़ई मियादी बुखार के रोगियों के रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे बनाते थे। रोज रात को करीब एक घण्टे तक ये बढ़ई मिलकर गाना गाते थे। एक सतरी जो मेरे कमरे पर ही तैनात था, सड़क पर पहरा देता रहता था।

मैं खिड़की को दिन भर खुली रखता और धूप के, जो मुझे मुद्रत से नसीब नहीं हुई थी, मजे लिया करता। यहाँ वसन्त की स्वच्छ वायु में अच्छी तरह सास लेने का अवसर मिला और मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा। मैं हल्का खाना पचा लेता, ताकत भी महसूस होने लगी और मैंने अपना काम फिर नये उत्साह से आरम्भ कर दिया। जब मैंने देखा कि मैं अपनी पुस्तक का दूसरा भाग किसी भी तरह समाप्त नहीं कर सकता, तो उसका सारांश ही लिख डाला—यह बाद को पहले भाग में ही छपा।

किले में मैंने एक साथी से, जो इस अस्पताल में रह चुका था, सुना था कि यहाँ से भाग जाना बहुत मुश्किल नहीं है। जीधर ही मैंने अपने मित्रों को यहाँ आने की सूचना दे दी। लेकिन भागना उतना आसान नहीं था, जितना मेरे दोस्तों ने मुझसे कह रखा था। मेरा पहरा और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया और मेरा कमरे से बाहर निकलना भी बन्द कर दिया गया। अस्पताल के सिपाही और सतरी यदि कमरे में आते, तो एक या दो मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते थे।

मित्रों ने मेरे छुटकारे के लिए कई एक योजनाएँ बनाएँ। कुछ तो उनमें अत्यन्त मनोरंजक थी। उदाहरण के लिए एक योजना यह थी कि मैं खिड़की के लोहे के सीकचे काट लूँ। फिर किसी वरसात की रात को, जब भतरी अपने घबस में झपकी ले रहा हो, दो मिन्ट पीछे से आकर इस भन्दूक को, इस होशियारी से उलट दे कि उसे चोट भी न लगे और वह सन्दूक में ढौक जाय। और इसी वीच मैं खिड़की में बाहर कूद जाऊँ। लेकिन अचानक

इससे अच्छी तरकीव निकल आई ।

“वाहर टहलने की अनुमति माँगो ।”—एक सिपाही ने धीरे-से मुझसे कहा । मैंने तदनुसार प्रार्थना की । डाक्टर ने मेरा समर्थन किया और हर रोज तीसरे पहर चार बजे के लगभग मुझे टहलने की आजा मिल गई ।

उस पहले दिन को, जब मैं टहलने निकला, मैं कभी नहीं भूलूँगा । निकलते ही मैंने देखा कि करीब २०० गज लम्बा और १५० गज चौड़ा हरी धास का आँगन है । फाटक खुला रहता और उसमे से अस्पताल, सड़क और उसके राहगीर दीखते थे । जब मैं जेल की सीढ़ियों से उत्तरता, तो आँगन और उस फाटक को देखते ही रह जाता, मानो पैर ही रुक गए हो । आँगन मे एक तरफ जेल थी—करीब १०० गज लम्बी छोटी इमारत थी, जिसके दोनों तरफ सतरियों के छोटे बक्स थे । दोनों सतरी जेल के सामने इवर-से-उधर चक्कर लगाते रहते और इस तरह धास पर एक पगड़ी ही बन गई थी । मुझसे कहा गया कि मैं इसी पंगड़ी पर टहला करूँ । चूंकि दोनों सतरी भी इसीपर टहलते रहते थे, इसलिए मेरे और किसी सतरी के बीच का फासला कभी १०-१२ गज से ज्यादा न रहता, और अस्पताल के तीन सिपाही सीढ़ियों पर बैठकर चौकसी करते रहते ।

इस बड़े अहाते की दूसरी ओर जलाऊ लकड़ी गाड़ियों से उतारी जा रही थी और कई किसान उसे दीवार के सहारे लगा रहे थे । अहाते के चारों तरफ मोटे तख्तों की दीवार थी और उसका फाटक गाड़ियों के आने-जाने के लिए खुला रहता था । यह खुला फाटक मुझे बहुत अच्छा लगता । मन में सोचता, “मुझे इस तरफ दृष्टि नहीं गडानी चाहिए ।” फिर भी उसी तरफ देखता रहता । पहले दिन जब मुझे कोठरी में वापस पहुँचाया गया तो तुरत वाहर के मित्रों को काँपते हुए हाथों से अत्यन्त अस्पष्ट अक्षरों मे मैंने लिखा—“इस समय इशारे की भाषा मे लिखना असम्भव-सा प्रतीत होता है । यहाँ मे भागना इतना आसान लगता है कि बुखार-जैसी कॉप्कॉपी मालूम होती है । आज ये लोग मुझे वाहर आँगन मे टहलाने ले गए थे । वहा फाटक खुला था और नजदीक कोई सतरी भी न था । इस फाटक से मैं निकल भागूँगा, यहाँ

ऋण्टि की भावना

के सतरी मुझे पकड़ नहीं सकेगे ।” और फिर मैंने अपने भागने की तरकीब का खुलासा लिखा—“एक महिला को खुली गाड़ी में अस्पताल आना है । वह गाड़ी से उतरे । गाड़ी फाटक से लगभग ५० कदम की दूरी पर खड़ी रहे । फाटक के बाहर एक आदमी टहलता रहे । जब चार बजे मैं टहलने के लिए निकाला जाऊँ, तो थोड़ी देर हाथ मेरे टोप लिए टहलूगा । यह आदमी इसका मतलब समझे कि यहाँ मेरी तैयारी है । फिर आप लोगों को इशारा करना है कि ‘सड़क साफ़ है’ । विना तुम्हारे इशारे के मैं नहीं भागूँगा, और जब एक दफा फाटक से बाहर हो जाऊँ तो गिरफ्तार नहीं होना है । या तो आप लोग सामने का हरा बँगला, जो यहाँ से साफ़ दीखता है, किराये पर ले ले और उसकी खिड़की से इशारा कर दे, और यदि यह सम्भव न हो, तो अपना इशारा रोशनी या आवाजों से करना, जैसे गाड़ीवान किसी तरह उजाला कर दे । इससे भी बेहतर होगा कि कोई गाना होता रहे, जिसका मतलब होगा कि सड़क साफ़ है । सतरी शिकारी कुत्ते की तरह मेरा पीछा करेगा, लेकिन किसी तरह मैं उससे १०-५ कदम आगे ही रहूँगा । सड़क पर मैं गाड़ी मेरे झपटकर बैठ जाऊँगा और फिर हम लोग भाग जायगे । अगर इस बीच सतरी गोली मार देता है, तो फिर चारा ही क्या है । उससे बचना अपनी सूझ से बाहर है । फिर यहाँ जेल के भीतर निश्चित मौत के मुकाबले मैं यह खतरा कुछ बुरा तो है नहीं ।”

कई सुन्नाव और भी दिये गए, लेकिन आखिर मेरे यही तरकीब स्वीकृत हुई । हमारे मित्रों ने तैयारियाँ शुरू कर दी । इसमे कुछ ऐसे सज्जनों ने भी भाग लिया, जो मुझे विलकुल न जानते थे । फिर भी उनका जोश ऐसा था, मानो उनके अत्यन्त प्रिय मित्र का छुटकारा होने जा रहा हो । लेकिन इस उपाय मेरे कुछ मुश्किले थे और समय कम रह गया था । मैं खूब मेहनत करता, रात तक लिखता रहता, लेकिन फिर भी मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने लगा—इतनी जल्दी कि स्वयं मुझे आच्चर्य होता । जब मैं पहले दिन आँगन मेरे लाया गया था तो धीरे-धीरे चलने में भी थकान मालूम होती थी और अब मैं दौड़ सकता था । लेकिन मैं तो उसी तरह धीरे-धीरे टहलता

जेल से भागना

था, वरना मेरा टहलना ही बन्द कर दिया जाता। डर लगता रहता कि कहीं मेरी स्वाभाविक फुर्ती सारा भेद न खोल दे। और सबौच मेरे साथियों को इसके लिए बहुत-से आदमी जुटाने थे, एक तेज घोड़ा और अनुभवी गाड़ीवान ढूँढ़ना था और ऐसी बीसियों वाधाओं का भी खयाल करना था जो इस तरह के बड़्यत्र में तत्काल उपस्थित हो जाती है। इन सब तैयारियों में लगभग एक माह लग गया और इस बीच किसी भी दिन मुझे पुरानी जेल में भेजा जा सकता था।

आखिर भागने का दिन निश्चित हो गया। पुराने रिवाजों के अनुसार २९ जून सत पीटर और सत पाल का दिन है। मेरे मित्रों ने अपने द्यत्र में थोड़ी भावुकता का पुट देकर मेरे छुटकारे के लिए इसी दिन को निश्चित किया। उन्होंने मुझे सूचित कर दिया था कि जब मैं अपनी तैयारी का इशारा करूँगा, तो वे एक लाल गुब्बारा उड़ाकर मुझे जता देंगे कि बाहर सब ठीक है। फिर एक गाड़ी आवेगी, और आखिर मेरे एक गाना होगा, जिससे मुझे मालूम हो जाय कि सड़क साफ है।

२९ तारीख को मैं बाहर निकला और टोप उतारकर गुब्बारे का इन्तजार करने लगा। लेकिन वहाँ कुछ भी न था। आधा घटा बीता, सड़क पर गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। एक आदमी को गाते हुए भी सुना, लेकिन गुब्बारा नज़र नहीं आया। आधा घटा खत्म हुआ और मैं अत्यंत निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। सोचा कि कुछ वाधा आ गई होगी।

उस दिन सचमुच अनहोनी हो गई थी। सेण्ट पीटर्सबर्ग में सैकड़ों गुब्बारे बाजार में विका करते हैं, लेकिन उस दिन एक भी गुब्बारा न था। एक छोटे बच्चे से एक गुब्बारा लिया, लेकिन वह पुराना था, उड़ा ही नहीं। मेरे मित्र फिर एक चश्मेवाले की दूकान से हाइड्रोजन बनाने का यत्र लंये। उससे एक गुब्बारा भरा भी, लेकिन वह उड़ा ही नहीं। हाइड्रोजन में नमी रह गई थी। समय थोड़ा बचा था। फिर एक छाते में गुब्बारे को वाधा और एक महिला इस छाते को ऊँचा करके अहते की दीवार के सहारे सड़क पर चली, लेकिन

क्रांति की भावना

मुझे कुछ भी न दीख पड़ा—दीवार बहुत ऊँची थी और वह महिला बहुत ठिगनी। बाद को ज्ञात हुआ कि उस दिन गुब्बारे का न मिलना ही ठीक हुआ। जब मेरे भागने का समय निकल गया, तो गाड़ी पूर्व-निश्चित रास्ते पर दौड़ाई गई। उसी सड़क पर दस-बारह गाड़ियाँ अस्पताल के लिए लकड़ी ढो रही थीं। इन गाड़ियों के कुछ घोड़े दाईं ओर भागे, कुछ बाईं ओर। नतीजा यह हुआ कि हमारी गाड़ी बहुत धीमे-धीमे चल सकी और एक मोड़ पर तो विल्कुल ही रुक गई। अगर मैं उसमें होता तो निश्चित रूप से पकड़ लिया गया होता।

अब उस सड़क पर कई जगह इशारे देने का प्रवन्ध किया गया, जिससे मालूम हो जाय कि सड़क साफ है या नहीं। अस्पताल से दो मील की दूरी तक मेरे साथी सतरियों की तरह खड़े हुए। एक साथी हाथ में रूमाल लिए सड़क पर टहलता था—यदि सामने गाड़ी दीखे तो वह रूमाल जेव में रख ले। दूसरा साथी मूँगफली खाते हुए एक पत्थर पर तैनात था—जैसे ही गाड़ियाँ दीखे, मूँगफली खाना बन्द कर दे। ये सब इशारे विभिन्न मित्रों द्वारा आखिर उस घोड़ागाड़ी तक पहुँचने थे। मेरे मित्रों ने सामने का हरा बंगला भी, जो फाटक के सामने ही था, किराये पर ले लिया था, और जैसे ही सड़क साफ हो, उसकी खिड़की में एक आदमी को वायलिन बजाना था।

अब अगला दिन निश्चित हुआ। ज्यादा देरी सतरनाक होती। वास्तव में अस्पताल के अधिकारियों ने गाड़ी का आना-जाना नोट कर लिया था। कुछ सद्देहात्मक खबरे भी उनके पास अवश्य पहुँच गई होंगी, क्योंकि भागने से एक रात पहले मैंने अफसर को सतरी से कहते हुए सुना था—“तुम्हारे कारतूस कहा है।” संतरी ने अपने कारतूस निकाल लिये तो अफसर ने कहा—“क्या तुमसे नहीं कहा गया कि आज रात को चार कारतूस अपनी जेव में तैयार रखना?” और वह तबतक वहा खड़ा रहा, जबतक सतरी ने चारों कारतूस अपनी जेव में न रख लिये। जब वह चलने लगा तो फिर आज्ञा दी—“मस्तैद रहो!”

उन सब इशारों की रूप-रेखा मुझ तक पहुँचानी थी। दूसरे दिन दो

बजे मेरी एक रिक्तेदार महिला जेल आईं, मुझे घड़ी देने। वैसे तो मेरे पास हर चीज़ एक अफसर के मार्फत आती थी, लेकिन चूंकि यह घड़ी खुली थी, मेरे पास सीधी पहुँचा दी गई। इस घड़ी मे एक छोटा पुर्जा था जिसमे सारी तरकीब लिखी थी। मैं तो उसे पढ़कर काप गया। कितनी हिम्मत और कैसी दिलेरी का काम था! यदि किसीने घड़ी के ढक्कन को खोल लिया होता, तो वह महिला, जिसका पीछा पुलिस पहले से ही कर रही थी, तुरन्त वही गिरफ्तार हो जाती। लेकिन मैंने देखा कि वह जेल के बाहर सड़क पर निकल गई और नौ-दो-म्यारह हो गई।

सदैव की भाति मैं चार बजे बाहर निकल आया और मैंने अपना इशारा कर दिया। थोड़ी देर मे गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी और हरे बगले से वायलिन की ध्वनि भी आई। लेकिन उस वक्त मैं अहाते के दूसरे कोने पर था। मैं फाटक की तरफ चला—मन मे सोचा, ‘वस, कुछ क्षण और।’ लेकिन फाटक के पास पहुँचते ही सहसा वायलिन बजना बन्द हो गया। करीब १५ मिनट बड़ी फिक्र मे बीते। सोचता, ‘वायलिन बन्द क्यों हो गया।’ कुछ समय बाद ही देखा कि कोई एक दर्जन गाड़िया फाटक से अहाते मे आई। तुरन्त ही वायलिनवाले सज्जन ने एक जोशीली चीज़ छेड़ी, मानो कह रहा हो—“वस, यही वक्त है, आखिरी मौका!” मैं धीरे-धीरे कापता हुआ फाटक की ओर चला—इस आशका मे कि कही वायलिन फिर बन्द न हो जाय।

फाटक पर पहुँचकर मैंने मुड़कर देखा कि सतरी ५-६ कदम पीछे था और उल्टी तरफ देख रहा था। ‘वस यही मौका है’—मेरे मन मे आया। तुरन्त मैंने जेल की पोशाक उतार फेकी और दौड़ने लगा। उस लम्बी-चौड़ी पोशाक को उतारने का अभ्यास मैं बहुत दिन से कर रहा था। वह कोट इतना बड़ा था कि किसी भी तरह एक सपाटे मे उतरता ही नहीं था। मैंने उसकी बाहो के नीचे की सिलाई काट दी, फिर भी काम नहीं चला। आखिर मैंने उसे दो हरकतो मे उतारने का अभ्यास प्रारम्भ किया, पहले उसे बाह से उतारता और बाद मे उसे तुरन्त जमीन पर पटकता। धीरे-धीरे मैं इस क्रिया मे पारगत हो गया।

ऋंति की भावना

मुझे अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास नहीं था, इसलिए दम बाकी रखने के लिए शुरू में धीरे-धीरे दौड़ा। लेकिन मैं कुछ ही कदम भागा होऊँगा कि किसान, जो दीवार के सहारे लकड़ी लगा रहे थे, चिल्लाने लगे—“पकड़ो! पकड़ो! वह भाग रहा है!” और वे मुझे फाटक पर रोकने भी दौड़े। अब तो मैं पूरे जोर से दौड़ा। मेरे मन में बस केवल एक ही बात थी—‘वस दौड़ो!’ फाटक के नजदीक गाड़ियों ने जो गड्ढे बना दिये थे, उनका भी मैंने ख्याल नहीं किया।

मेरे मित्रों ने जो हरे बँगले से मुझे भागते देख रहे थे, बाद में बताया कि सतरी ने तीन सिपाहियों के साथ मेरा पीछा किया। सतरी और मेरे बीच फासला कम था और उसे बराबर यही विश्वास बना रहा कि वह मुझे पकड़ लेगा। कई दफा उसने अपनी बन्दूक की सगीन मेरी पीठ में भोकने के लिए आगे बढ़ाई भी। एक दफा तो मेरे मित्रों को मालूम पड़ा कि मार ही दी। सतरी को पूरा विश्वास था कि वह मुझे पकड़ लेगा और इसीलिए उसने गोली नहीं दागी। लेकिन मैं उससे आगे ही रहा और अन्त में तो वह विल्कुल पिछड़ गया।

फाटक के बाहर निकलकर देखा तो दंग रह गया—गाड़ी में एक अफसर फौजी टोप पहने बैठा था, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मन में सोचा, ‘वस, खात्मा हो गया।’ मित्रों ने लिखा था कि सड़क पर आने के बाद हर्गिज न घबराना। वहा तुम्हारी रक्षा के लिए कई साथी उपस्थित रहेंगे। मैंने निश्चय किया कि जिस गाड़ी में दुश्मन बैठा है, वहा न बैठू। लेकिन जैसे-नहीं मैं गाड़ी के करीब पहुँचा, मैंने देखा कि इस अफसर के मेरे एक पुराने दोस्त की तरह के भूरे गलमुच्छे हैं। वह दोस्त हमारे गुट में तो नहीं था, लेकिन मेरा निजी मित्र था और उसकी दिलेरी, और खासकर खतरे के मौके पर उसकी हिम्मत को मैं जानता था। मन में सोचा, ‘वह यहा इस वक्त कैसे आ सकता है।’ मैं उसका नाम लेकर पुकारनेवाला ही था, लेकिन फिर अपनेको ज़ब्त किया और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए तालिया पीटी। अब उसने मेरी ओर मुँह किया और तुरन्त मैं उसे पहचान गया।

वह रिवाल्वर हाथ मे लिए तैयार था। मुझसे कहा—“जल्दी बैठो।” और तुरन्त गाड़ीवान से कहा—“जल्दी भगाओ, नहीं तो तुम्हारी जान की खैर नहीं।” घोड़ा बहुत ही अच्छा था। वह खास इसी मौके के लिए लाया गया था। पूरी तेजी से दौड़ा। पीछे से सैकड़ों आवाजें आ रही थीं—“पकड़ो! पकड़ो! भाग न जाय!” मेरे मित्र ने उसी समय मुझे एक शानदार ओवर-कोट पहना दिया। लेकिन पीछा करनेवालों से भी ज्यादा खतरा उस सतरी से था, जो अस्पताल के फाटक पर ही तैनात था, गाड़ी के खड़े होने की जगह के ठीक सामने। वह थोड़ा ही आगे बढ़कर आसानी से मुझे गाड़ी मे चढ़ने से रोक सकता था। इसलिए एक मित्र को इस सिपाही का ध्यान बँटाने के लिए रखा गया था। और इस मित्र ने किया भी वह काम बड़ी खूबी से। वह सिपाही पहले अस्पताल के रसायन विभाग मे काम कर चुका था। मेरे मित्र ने खुर्दबीन और उसके द्वारा दीखनेवाली चीजों के बारे मे उससे वहस छेड़ दी। मनुष्य-शरीर पर रहनेवाले एक कीटाणु के विषय मे उसने सिपाही से पूछा—“तुमने कभी देखा है कि उसके कितनी लम्बी पूँछ होती है?” “क्या बकते हो? पूँछ?” फिर उसने कहा—“जी हा, उसके पूँछ होती है और काफी बड़ी, खुर्दबीन से साफ दीखती है।” सिपाही ने उत्तर दिया—“अच्छा, अपने ये किस्से तुम मुझे न सुनाओ।” मेरे मित्र ने फिर कहा—“मैं इसके बारे मे ज्यादा जानता हूँ—सबसे पहले तो खुर्दबीन से मैंने पूँछ ही देखी थी।” जब मैं उनके नजदीक से भागकर झपाटे के साथ गाड़ी मे बैठा, तो यही वहस चल रही थी। पाठको को यह घटना किस्से-कहानी-सी जँचेगी, पर है यह पूर्णतया सत्य।

गाड़ी तुरन्त एक तग गली मे मुड़ गई—उसी दीवार की तरफ, जिसके सहारे किसान लकड़ी रख रहे थे। अब ये सब किसान मेरा पीछा करने मे लगे थे। गाड़ी ने मोड़ इतने सपाटे से लिया कि करीब-करीब उलट ही गई। मैं तुरन्त आगे की ओर बढ़ गया और मित्र को भी आगे खीच लिया, इससे गाड़ी उलटने से बच गई। तग सड़क को पारकर हम वाईं तरफ मुड़े। वहा एक सार्वजनिक संस्था के सामने दो सजास्त्र सिपाही खड़े

क्रांति की भावना

“शै! उन्होंने हमारे साथी की फौजी टोपी को सलामी दी। वह अब भी काफी उत्तेजित था, इसलिए मैंने उससे कहा—“शात हो! ” उसने उत्तर दिया—“सब ठीक हो रहा है, फौजी आदमी हमें सलामी दे रहे हैं।” अब गाड़ीवान ने मेरी तरफ मुँह किया। मैंने देखा कि वह भी अपना एक पुराना दोस्त है। हमारा घोड़ा तेज चाल से भागा जा रहा था। हर जगह हमें मित्र खड़े मिले। वे हमें इशारा कर रहे थे और हमारी सफल यात्रा के लिए मगल-कामनाएं। अब हम एक दरवाजे पर उतरे और गाड़ी को आगे भेज दिया। मैं सीधा जीना चढ़ गया और अपनी साली से मिला। वह बेहद खुश हुई और साथ अत्यत ही चिन्तित भी। हर्य और विषाद के आँखू उसकी आँखों में थे। उसने मुझे तुरन्त दूसरी पोशाक पहनने और अपनी विश्वात दाढ़ी को मुड़ा डालने के लिए कहा। दस मिनट के भीतर मेरा मित्र और मैं घर से चल दिये और एक दूसरी गाड़ी ले ली।

इस बीच अस्पताल के पहरेदार सिपाही और उनका अफसर बाहर निकले और सोचने लगे कि क्या किया जाय। आस-पास एक मील तक कोई गाड़ी ही न थी; सभी गाड़ियां हमारे मित्रों ने किराये पर ले रखी थीं। उस भीड़ की एक किसान वुडिया इन सबसे होशियार थी। उसने धीरे-से कहा—“बेचारे कैदी! वे लोग प्रोसपैक्ट पर अवश्य पहुँचेंगे, और अगर कोई आदमी इस राह दौड़कर सीधा वहां पहुँचा तो वे सचमुच ही पकड़े जायगे।” वह विल्कुल ठीक कह रही थी। अफसर न जदीकवाली गाड़ी पर गया और उन आदमियों से प्रार्थना की कि वे धोड़े दे दे, लेकिन उन्होंने देने से साफ इन्कार कर दिया और अफसर ने भी बल-प्रयोग नहीं किया। और वे बायलिन बजाने-वाले सज्जन और वह महिला भी, जिन्होंने हरा बगला किराये पर लिया था, बाहर निकल आये और उस वुडिया के साथ भीड़ में शामिल हो गये। जब भीड़ छठ गई तो वे भी चम्पत हो गए।

उस दिन तीसरे पहर मीसम भी अच्छा था। हम लोग उन टापुओं की ओर चल दिये, जिधर सेण्ट पीटर्सवर्ग के अधिकाश उच्च श्रेणी के लोग बनते अहतु में सूर्यास्त देखने जाया करते थे। रास्ते में बगल की सड़क पर एक

नाई की दूकान पर मैंने अपनी दाढ़ी भी सफाचट करा ली। अब मुझे पहचानना काफी मुश्किल था। हम लोग उन टापुओं में अपनी गाड़ी में इधर-से-उधर काफी देर तक चक्कर लगाते रहे। हमसे कह दिया गया था कि अपने रात के विश्राम-स्थल पर ज़रा देर से पहुँचे। अब सवाल था, इस बीच कहा जाय? मैंने साथी से पूछा—“अब क्या करे?” वह भी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर तुरन्त गाड़ीवान से कहा—“डोनोन होटल ले चलो।” यह सेण्ट पीटर्सवर्ग का सबसे शानदार होटल था। वह बोला—“तुम्हे देखने के लिए कोई भी आदमी उस आलीशान होटल में न पहुँचेगा। वे तुम्हे सब जगह ढूँढेगे, लेकिन उस जगह का किसीको ख्याल भी न आवेगा। वहां हम लोग भोजन करेगे और फिर कुछ सुरापान भी। तुम्हारे छुटकारे की सफलता की खुशी में।”

भला, ऐसे मुनासिव सुझाव का मैं जवाब ही क्या देता! इसलिए हम लोग डोनोन पहुँचे। रात के भोजन का समय था। कमरों में शानदार उजाला हो रहा था और वे आदमियों से भरे थे। उन सबको हमने पार किया और एक अलग कमरा किराये पर लया और वहां तबतक रहे, जबतक पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर हमारे पहुँचने का समय नहीं हो गया। जिस मकान में हम पहले-पहल उतरे थे, उसकी तलाशी हमारे वहां से हटने के थोड़ी देर बाद ही हो गई। लगभग सभी मिन्नों के घरों की तलाशी हुई, लेकिन डोनोन में छने की किसीको न सूझी।

दो दिन बाद मुझे एक कमरे में चले जाना था जो, मेरे लिए एक फर्जी नाम से किराये पर ले लिया गया था। लेकिन जो महिला मेरे साथ जानेवाली थी, उन्होंने उस मकान को पहले देख आने की होशियारी की। उस मकान के चारों तरफ जासूस थे। कई मिन्न मुझसे कहने आये कि वहा जाना अब खतरे से खाली नहीं। पुलिस अत्यत सतर्क हो गई थी। खुफिया-विभाग ने मेरी तस्वीर की सैकड़ों प्रतिया छपवाकर बटवा दी थी। जो जासूस मुझे पहचानते थे, मुझे सड़कों पर तलाश कर रहे थे। जो पहचानते नहीं थे, वे उन पहरेदारों को साथ लिए धूम रहे थे, जिन्होंने मुझे जेल में देखा था। जार बहुत ही कुद्द था कि उसकी राजधानी में ही मैं दिन-दहाड़े इस तरह भाग

ऋंति की भावना

“या! उसने हुक्म दे दिया था—“क्रोपाटकिन को ज़रूर ही पकड़ना है।”

सेण्ट पीटर्सबर्ग मे बने रहना असभव था, इसलिए मैं नज़दीक के गांवों मे छिपा रहा। पांच-छ दोस्तों के साथ म उस गाव मे रहा, जहा इस भौसम मे सेण्ट पीटर्सबर्ग के लोग तफरीह के लिए आया करते थे। फिर तय किया गया कि मुझे कही वाहर ही चला जाना चाहिए। लेकिन एक विदेशी पत्र द्वारा हमे मालूम हो गया था कि बाल्टिक और फिनलैण्ड प्रदेशो की सीमाओं के सब स्थानो और स्टेशनो पर वे जासूस तैनात थे, जो मुझे पहचानते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया कि उस तरफ चलू जिस तरफ किसीका ख्याल ही न पहुँचे। एक मित्र का पासपोर्ट लेकर और दूसरे मित्र को साथ लेकर मैंने फिनलैण्ड की सीमा पार की और सीधा वोथीनिया की खाड़ी के एक बन्दरगाह पर पहुँचा। वहां से मैं स्वीडन निकल गया।

जब मैं जहाज पर बैठ गया और जब वह छूटने ही वाला था, तो मेरे साथी मित्र ने सेण्ट पीटर्सबर्ग की खबरे सुनाई। सरकार ने मेरी वहन हेलेन को गिरफ्तार कर लिया था। मेरे भाई की साली भी, जो भाई और भाभी के साइ-वेरिया चले जाने के बाद मुझसे हर महीने मिलने आती थी, हिरासत मे ले ली गई थी। मेरी वहन को तो मेरे जेल से भागने के बारे मे कुछ भी पता न था। जब मैं भाग आया था, उसके बाद मेरे एक मित्र ने उसको यह खबर सुनाई थी। मेरी वहन ने बहुत-कुछ कहा, आरजू-मिन्नत की कि मुझे कुछ भी पता नहीं; लेकिन फिर भी पुलिस उसको उसके बच्चों से अलग करके ले गई और पन्द्रह दिन जेल मे रखा। मेरे भाई की साली को शायद कुछ भास तो हो गया था कि कुछ तैयारिया हो रही है; लेकिन उनमे उसका हाथ विल्कुल न था। अधिकारियो मे यदि तनिक भी बुद्धि होती, तो समझ लेते कि जो महिला हर महीने नियमपूर्वक मुझसे मिलने आती थी, कम-से-कम वह तो इस पड्यंत्र मे शामिल न होगी। उसको दो महीने जेल मे रखा गया। उसके पति ने, जो एक प्रतिष्ठित वकील था, उसे छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। उसे अधिकारियो से उत्तर मिला, “हमे भी मालूम हो गया है कि इस पड्यंत्र मे इस महिला का कोई हाथ नहीं; लेकिन जिस दिन हमने इसे गिरफ्तार किया

था, हमने जार को यह सूचना भेज दी थी कि षड्यंत्र की सचालिका गिरफ्तार कर ली गई है और अब जार को यह समझने में देर न लगेगी कि षड्यंत्र से इस ओरत का कोई सबध नहीं ! ”

विना कही रुके मैं स्वीडन पार कर गया और क्रिश्चियाना पहुँचा । वहाँ हूल नामक बन्दरगाह के लिए जहाज मिलने तक इन्तजार करता रहा । जब मैं जहाज पर पहुँच गया, तो मैंने जरा चिन्तित होकर सोचा—जहाज के ऊपर झड़ा कहा का है—नारवे का, जर्मनी का या इंग्लैण्ड का ? तुरन्त मुझे दीखा, जहाज के ऊपर यूनियन जैक फहरा रहा है—वही झड़ा, जिसके नीचे इटालियन, रूसी, फ्रासीसी और सभी देशो के शरणार्थियों को शरण मिली है । मैंने हृदय से उस पताका का अभिनन्दन किया ।^१



१. उपर्युक्त वृत्तान्त क्रोपाटकिन के आत्म-चरित से लिया गया है ।

‘मंडल’ द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य

प्रार्थना-प्रवचन दो भाग (गाधीजी) ५॥)	गाधीजी ने कहा था (३ भाग) ॥॥
गीता-माता (भाग २) „ ४)	विनोबा के विचारः २ भाग (विनोबा) ६॥
पंद्रह अगस्त के बाद „ १॥) २)	गीता-प्रवचन „ १), १॥॥
धर्म-नीति „ १॥) २)	शान्ति-यात्रा „ १॥)
द० अफ्रीका का सत्याग्रह ३॥)	जीवन और शिक्षण „ २)
मेरे समकालीन „ ५)	स्थितप्रज्ञ-दर्शन „ १)
आत्म-कथा „ ५)	ईशावास्यवृत्ति „ ॥॥
आत्म-स्यम „ ३)	ईशावास्योपनिषद् „ =)
गीता-बोध „ ॥)	सर्वोदय-विचार „ १=)
अनासक्ति-योग „ १॥)	स्वराज्य-शास्त्र „ ॥)
आम-सेवा „ १=)	गाधीजी को श्रद्धाजलि „ १=)
मंगल-प्रभात „ १=)	राजघाट की सनिधि मे „ १=)
सर्वोदय „ १=)	विचार-पोथी „ १)
नीति-धर्म „ १=)	सर्वोदय का धोषणा-पत्र „ १)
आश्रमवासियो से „ १=)	जमाने की मांग „ =)
हमारी माँग „ १)	मेरी कहानी (नेहरू) ८)
सत्यवीर की कथा „ १)	मेरी कहानी संक्षिप्त „ २॥)
संक्षिप्त आत्म-कथा „ १) १॥)	हिन्दुस्तान की समस्याएँ „ २॥)
हिंदू-स्वराज्य „ १॥)	लड़खड़ाती दुनिया „ २)
अनीति की राह पर „ १)	राष्ट्रपिता „ २)
बापू की सीख „ १॥)	राजनीति से दूर „ २)
गाधी-शिक्षा (३ भाग) १=)	हमारी समस्याएँ (१ भाग), १)
आज का विचार (२ भाग) १॥)	विश्व-इतिहास की झलक „ २१)
ज्ञानचर्य (दो भाग) १॥)	

हिंदुस्तान की कहानी (नेहरू)	५)	बापू (घ बिडला)	२)
नया भारत	१)	रूप और स्वरूप „	॥८)
आजादी के आठ साल „	१)	डायरी के पन्ने „	१)
गांधीजी की देन (रा० प्र०)	१॥)	धूकोपाख्यान „	१)
गांधी-मार्ग „	=)	स्त्री और पुरुष (टाल्स्टाय)	१)
महाभारतकथा (राजाजी)	५)	मेरी मुक्ति की कहानी „	१॥)
कुछासुन्दरी „	२)	प्रेम मे भगवान „	२)
शिशु-पालन „	॥)	जीवन-साधना „	१।)
मैं भूल नहीं सकता (काट्जू)	२॥)	कलवार की करतूत „	।)
कारावास-कहानी (सुनै)	१०)	हमारे जमाने की गुलामी,,	॥॥)
गांधी की कहानी (लुफि)	४)	बुराई कैसे मिटे ? „	१)
भारत-विभाजन की कहानी	४)	बालको का विवेक „	॥॥)
बापू के चरणो मे	२॥)	हम करे क्या ? „	३॥)
इंग्लैंड मे गांधीजी	२)	धर्म और सदाचार „	१।)
वा, बापू और भाई	॥)	अधेरे में उजाला „	१॥)
गांधी-विचार-दोहन	१॥)	कल्पवृक्ष (वा. अग्रवाल)	२)
सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन	७)	लोक-जीवन (कालेलकर)	३॥)
सत्याग्रह-भीमासा	३॥)	साहित्य और जीवन	२)
बुद्धवाणी (वियोगी हरि)	१)	हिमालय की गोद मे (म०प्र०पो) २)	
सत-सुधासार	११)	कब्ज „	१)
श्रद्धाकण	१)	राजनीति-प्रवेशिका	१)
अयोध्याकाण्ड	१)	जीवन-संदेश (ख जिन्नान)	१।)
भागवत-धर्म (ह. उ)	६॥)	अशोक के फूल	३)
श्रेयार्थी जमनालालजी „	६॥)	जीवन-प्रभात	५)
स्वतन्त्रता की ओर	४)	का का इतिहास ३ भाग	३०)
बापू के आश्रम मे	१)	पचदगी (स य जैन)	१॥)
मानवता के झरने (माव)	१॥)	सप्तदशी (स० विष्णु प्रभाकर) २)	

रुद्रकी हड्डी (स. विष्णु प्र०) १॥)	शिष्टाचार	॥)
अमिट रेखाये	३)	तट के बधन (विष्णु प्रभाकर) २)
एक आदर्श महिला	१)	देवदासी (बोरकर) २)
राष्ट्रीय गीत	।)	भारतीय संस्कृति ३॥)
तामिल-वेद (तिरुवल्लुवर)	१॥)	आधुनिक भारत ५)
आत्म-रहस्य	३)	फलों की खेती २॥)
थेरी-गाथाए	१॥)	मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ॥)
बुद्ध और बौद्ध साधक	१॥)	नवजागरण का इतिहास ३)
जातक-कथा (आनंद कौ.)	२॥)	गाधीजी छत्रछाया मे १॥) २॥)
हमारे गाव की कहानी	१॥)	भागवत-कथा ३॥)
साग-भाजी की खेती	३)	जय अमरनाथ (यशपाल जैन) १॥)
ग्राम-सुधार	१)	हमारी लोक-कथाएं १॥)
पशुओं का इलाज (प्र.)	॥)	संस्कृत-साहित्य-सौरभ
चारादाना „	।)	(२४ पुस्तके) प्रत्येक ।=)
रामतीर्थ-सदेश (३ भाग)	१=)	समाज-विकास-माला (५४ पुस्तके)
रोटी का सवाल (क्रोपा.)	३)	प्रत्येक ।=)
नवयुवकों से दो बातें „	।=)	कृषि-ज्ञान-कोष ४)
पुरुषार्थ (डा भगवानदास)	६)	प्रकाश की बातें १॥)
काश्मीर पर हमला	२)	धरती और आकाश १।)

